बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891 परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब
डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाड्.मय

खंड 26

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड : 26

प्रारूप संविधान : भारत के राजपत्र में प्रकाशित : 26 फरवरी 1948

पहला संस्करण : 2019 (जून)
दूसरा संस्करण : 2020 (अगस्त)

ISBN : 978-93-5109-134-9

आवरण परिकल्पना : डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : **978-93-5109-129-5**

रियायत के अनुसार सामान्य (पेपरबैक) 1 सेट (खंड 1–40) का मूल्य : रू 1073/-
रियायत नीति (Discount Policy) संलग्न है,

प्रकाशक:
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार
15 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट :http://drambedkarwritings.gov.in
Email-Id :cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा.लि., W-30 ओखला, फेज–2, नई दिल्ली–110020

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार

एवं

अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री आर. सुबह्मण्यम

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

सुश्री उपमा श्रीवास्तव

अतिरिक्त सचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

निदेशक

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. बृजेश कुमार

संयोजक, सी.डब्ल्यू.बी.ए.

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सकंलन (अंग्रेजी)

श्री वसंत मून

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
तथा
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ. अम्बेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद्, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक है। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है।

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन–सूत्र है। भारतीय समाज के साथ–साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन–संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर का चिंतन–मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्त्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित डॉ. अम्बेडकर के स्वप्न का समाज–"सबका साथ सबका विकास" की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, "बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : संपूर्ण वांग्मय" के अन्य अप्रकाशित खण्ड 22 से 40 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन–मानस की मांग को देखते हुए मुद्रत किया जा रहा है।

विद्वान, पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत कराएंगे तो हिंदी में अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

(डॉ. थावरचंद गेहलोत)

बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाङ्मय (Complete CWBA Vols.) का विमोचन

हिंदी और अंग्रेजी में CWBA / सम्पूर्ण वाड्मय, (Complete Volumes) बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संग्रहित कार्यों के संपूर्ण खण्ड, डॉ. थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। साथ ही डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी के खंड 22 से खंड 40 तक 2019 में पहली बार प्रकाशित हुए है।

उपमा श्रीवास्तव, आई.ए.एस.
अपर सचिव
UPMA SRIVASTAVA, IAS
Additional Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383077 Fax : 011-23383956
E-mail : as-sje@nic.in

प्राक्कथन

भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यंत समाज के आख़िरी पायदान पर संघर्षरत् व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य–गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन–मनन किया।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

उपमा श्रीवास्तव

(उपमा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, एवं
सदस्य सचिव

प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रखर व्यक्तित्व, ज्ञान के प्रतीक और भारत के सुपुत्र थे। वह एक सार्वजनिक बौद्धिक, सामाजिक क्रांतिकारी और एक विशाल क्षमता संपन्न विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ–साथ अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपने लेखन और भाषणों के माध्य से प्रभावित किया जो बौद्धिक विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त एवं आंदोलित किया। उनके लेखन में वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रकट न्याय और मुक्ति की गहरी भावना है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि समन्वय और 'सामाजिक समरसता' पर उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते रहे। उम्मीद है कि ये खंड उनके विचारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान समय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के पुनःपाठ की संभावनाओं को उपस्थित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत के साथ–साथ विदेशों में भी जनता के बीच बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश के प्रचार–प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। यह बहुत ख़ुशी की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठान के शासी निकाय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप, तथा पाठकों की लोकप्रिय माँग पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी में संपूर्ण वांग्मय (Complete CWBA Volumes) का दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रित कर रहा है।

मैं संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी सहयोगियों, एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में अपनी सहायक, कुमारी रेनू और लेखापाल, श्री नन्दू शॉ के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में सुझाव से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई–मेल आई.डी. **cwbadaf17@gmail.com** पर अवगत कराएं ताकि, अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हमेशा पाठकों को रियायती कीमत पर खंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता रहा है, तदनुसार आगामी संस्करण का भी रियायत नीति (Discount Policy) के साथ बिक्री जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक खंड के साथ प्रतिष्ठान की छूट नीति को संलग्न कर दिया गया है। आशा है कि ये खंड पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,

15, जनपथ,
नई दिल्ली

जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सकें और बाकी वह सब भी न कर सकें जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन इनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा।

—डॉ. भीमराव अम्बेडकर

विषय सूची

भाग 1

दिसंबर 9, 1946 से जुलाई 31, 1947

लक्ष्य और उद्देश्य संबंधी संकल्प

सन् 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की स्वतंत्रता का मसला बहुत महत्वपूर्ण बन गया। सुचारु रुप से सत्ता हस्तांतरण के तरीके और उपाय सुझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तीन सदस्यीय शिष्टमंडल भारत भेजा। उस शिष्टमंडल को केबिनेट मिशन कहते थे। उसने 16 मार्च, 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की जिनमें सुझाव दिया गया कि भारत के भावी शासन के लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए।

तद्नुसार संविधान सभा के लिए निर्वाचन किए गए, जिनमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सदस्य निर्वाचित किए गए। कांग्रेस विरोध की वजह से डॉ. अम्बेडकर मुम्बई से नहीं चुने जा सके। फिर भी वैसे योगेंद्र नाथ मंडल और अन्य अनुसूचित जाति के सदस्यों के समर्थन से बंगाल विधानसभा से संविधान सभा के सदस्य बन गये।

संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का काम 9 दिसम्बर, 1946 को शुरु कर दिया। कुल मिलाकर 296 सदस्य उद्घाटन सत्र में भाग लेने के हकदार थे, किन्तु 207 ने ही उसमें भाग लिया। मुख्यतः मुस्लिम लीग के सदस्य अनुपस्थित रहे क्योंकि उन्होंने संविधन सभा का बहिष्कार कर दिया था।

भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संविधान कक्ष, नई दिल्ली में सोमवार 9 दिसम्बर, 1946 को प्रातः 11 बजे आरंभ हुआ।

आचार्य जे.बी. कृपलानी ने डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा से अनुरोध किया कि वे अस्थायी सभापति के पद पर आसीन हों। सभापति ने सदन में उद्घाटन भाषण दिया। इसके बाद फ्रेंक एंथनी को उपसभापति मनोनीत किया गया।

इसके पश्चात् सदस्यों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए और रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किये। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने बंगाल के सदस्य के रुप में हस्ताक्षर किये। संविधान सभा ने 10 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा के सभापति के निर्वाचन के लिए नियम पारित किए। तत्पश्चात् सभा ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 11 दिसम्बर, 1946 को सभा के स्थायी सभापति के रुप में निर्वाचित किया।

तारीख 13 दिसम्बर, 1946 को माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरु ने निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों विषयक संकल्प पेश किया:-

[1]यह संविधान सभा भारत को एक स्वाधीन प्रभुतासंपन्न गणराज्य उद्घोषित करने का दृढ़ संकल्प लेकर घोषणा करता है और भावी शासन के लिए संविधान बनाता है।

2. जिसमें उन राज्यक्षेत्रों से मिलकर जो ब्रिटिश भारत में है, वे राज्यक्षेत्र, जो देशी रियासतों के अंग हैं, और भारत के अन्य ऐसे भाग जो ब्रिटिश भारत से बाहर हैं तथा राज्य एवं अन्य ऐसे राज्यक्षेत्र जो स्वाधीन संप्रभु भारत में शामिल होने के इच्छुक हैं, एक संघ बनेगा; तथा

3. जिसमें उक्त राज्यक्षेत्र चाहे अपनी वर्तमान सीमा-रेखाओं के साथ या ऐसी सीमा-रेखाओं के साथ जो संविधान सभा द्वारा और तत्पश्चात् संविधान के अनुसार तय की जाएं, अवशिष्ट शक्तियों के साथ-साथ, स्वायत्त इकाईयों की प्रास्थिति धारण करेंगे तथा रखे रहेंगे, तथा ऐसी शक्तियों और कृतियों के सिवाय, जो संघ में निहित हैं या उसे सौंपे गए हैं, अथवा जो संघ में अन्तर्निहित या अन्तर्जात हैं, या उसके परिणामस्वरुप उत्पन्न हैं, शासन या प्रशासन की सब शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेंगे; तथा

4. जिसमें प्रभुतासंपन्न स्वाधीन भारत की, उसके संघटकों की तथा शासन के अंगों की संपूर्ण शक्ति और प्राधिकार जनता से प्राप्त किये जाते हैं; तथा

5. जिसमें भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रास्थिति, अवसर की तथा विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, मत, विश्वास, पूजा व्यवसाय तथा कार्रवाई की स्वतंत्रता प्राप्त और प्रत्याभूत होगी और जो विधि और लोक नैतिकता के अधीन होगी; तथा

6. जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षा उपायों का उपबंध किया जाएगा; तथा

7. जिसके द्वारा न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखंडता तथा भूमि, समुद्र और वायु पर उसके प्रभुतासंपन्न अधिकार अक्षुण रखे जाएंगे; तथा

8. यह प्राचीन देश विश्व में अपना अधिकार और सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता

---

1. संविधान सभा वाद-विवाद (जिसे इसमें सी.एम.डी. कहा है) खण्ड 1, 13 दिसम्बर, 1946 पृष्ठ 59)।

है तथा विश्व शांति एवं मानव जाति के कल्याण की वृद्धि में सहर्ष अपना पूर्ण योगदान प्रदान करता है।

(इसके बाद पंडित नेहरु, पुरुषोत्तम दास टंडन तथा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के भाषण हुए। तत्पश्चात् सभा 16 दिसम्बर, 1946 तक के लिये स्थगित हो गई-संपादक)

(डॉ. एम.आर. जयकर ने 16 दिसम्बर, 1946 को उपरोक्त संकल्प में अपना संशोधन पेश किया-संपादक)

[2]राइट माननीय डॉ. एम.आर. जयकर (बम्बई साधारण) : सुनिये, मैं संशोधन को पढ़ता हूँ। मैं आपका कुछ मिनटों का समय बचाना चाहता था। संशोधन इस प्रकार है:- ''यह सभा दृढ़ संकल्प होकर घोषणा करती है कि भारत के भावी शासन के लिए इस सभा द्वारा तैयार किया जाने वाला संविधान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक प्रभुतासम्पन्न राज्य के लिए होगा; किन्तु ऐसे संविधान को साकार रुप देने में मुस्लिम लीग तथा देशी रियासतों का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से तथा उसके द्वारा इस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से यह सभा इस प्रश्न पर बाद में विचार करेगी ताकि इन दो संगठनों के प्रतिनिधि यदि वे चाहें तो, इस सभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।''

संक्षेप में, मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि इस संकल्प पर विचार-विमर्श, संघीय संविधान के निर्माण के समय तक के लिए मुल्तवी किया जाए। मैं समझता हूँ कि उस समय देशी रियासतों और मुस्लिम लीग से उपस्थित रहने की आशा की जा सकती है। डॉ. एम.आर. जयकर ने संकल्प के समय पर आपत्ति की, उन्होंने संकल्प पारित करना मुल्तवी करने की मांग करते हुए एक संशोधन पेश किया क्योंकि वह चाहते थे कि संविधान के मूलतत्वों को निर्धारित करने के काम में मुस्लिम लीग भी शामिल रहे। इस बात पर सदन में तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त हो गया। उस तनावपूर्ण वातावरण के बीच सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अचानक 17 दिसम्बर, 1946 को डॉ. अम्बेडकर को अपना मत प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया। जब डॉ. अम्बेडकर ने बोलना आरंभ किया तो सदन ने उन्हें ध्यानमग्न होकर सुना।

डॉ. धनंजय कीर लिखते हैं- ''सबने सोचा था कि डॉ. अम्बेडकर यह खतरनाक भूमिका निभाकर कांग्रेस के आला-कमान जो राष्ट्र के अत्यन्त शक्तिशाली नेता थे, की इच्छा और आक्षेपों के विरुद्ध खड़े होने के साथ संशोधन के प्रस्तुतकर्त्ता के साथ नीचे चले जाएंगे। यह उनका अंतिम प्रहार था। कांग्रेसी सदस्य अपने पक्के शत्रु को पंगु

---

2. सी.ए.डी. खंड 1, 16 दिसम्बर, 1946 पृष्ठ 59, सी.एडी. खण्ड 1, 16 दिसम्बर, 1946 पृष्ठ 73। सी.ए.डी. खंड 1, 17 दिसम्बर, 1946, पृष्ठ 99-103।

बनाकर नीचे गिराने के लिए अपने हाथ उठाये तत्पर थे।'' इस ऐतिहासिक भाषण ने डॉ. अम्बेडकर के राजनीतिक जीवन का मार्ग ही बदल दिया। उस भाषण की प्रशंसा में बहुत देर तक, बहुत जोरदार करतल ध्वनि होती रही। जैसा कि इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी श्री एन.वी. गाडगिल ने मत व्यक्त किया था-''उनका भाषण इतना राजनीतिक, मधुर और इतना उत्सुकताप्रद तथा चुनौतीपूर्ण था कि पूरी संविधान सभा ने इसे गद्गद् और शांत होकर सुना। उस भाषण का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया और उनके पास बधाइयों का तांता लग गया।'' उस भाषण का गहरा प्रभाव पड़ा और संविधान सभा ने उद्देश्यपरक संकल्प पर विचार करना अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया। (डॉ. अम्बेडकर का उक्त भाषण निम्न प्रकार है-संपादक)

सभापति: डॉ. अम्बेडकर

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: (बंगाल : साधाारण): सभापति जी, मैं वास्तव में आपका अत्यन्त आभारी हूँ। कि आपका निमंत्रण एक आश्चर्य के रुप में है। मेरा विचार था कि चूंकि मुझसे आगे भी 20-22 व्यक्ति हैं, इसलिए यदि मेरी बोलने की बारी आई भी तो कल आयेगी। मैं, वही पसन्द करता क्योंकि आज तो मैं बिना किसी तैयारी के आया हूँ। मुझे स्वयं तैयारी करना अच्छा लगता क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं ऐसे मौके पर एक पूर्ण वक्तव्य दूँ। साथ ही आपने 10 मिनट का समय निश्चित कर दिया है। इन सीमाओं में रहते हुए मैं नहीं जानता कि मैं प्रस्तुत संकल्प के प्रति कैसे न्याय कर सकूंगा! फिर भी, इस विषय पर मैं जो कुछ सोचता हूँ उसे कम से कम शब्दों में रखने का भरसक प्रयत्न करुंगा।

सभापति जी, कल से इस संकल्प पर जो विचार-विमर्श हो रहा है उसके प्रकाश में यह संकल्प प्रकटत: दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक जो विवादग्रस्त है और दूसरा जो विवादग्रस्त नहीं है। जो भाग विवादग्रस्त नहीं है वह इस संकल्प के पैरा (5) और (7) से संबंधित है। इन पैराओं में इस देश के भावी संविधान के उद्देश्य अंकित हैं। मुझे यह अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरु की ओर से आया है जो एक समाजवादी के रुप में विख्यात हैं। यह संकल्प यद्यपि विवाद के घेरे में नहीं है, फिर भी मेरे मतानुसार, यह बहुत निराशाजनक है। मुझे उनसे आशा थी कि वह संकल्प के उस भाग में जहां तक गये हैं उससे कहीं आगे तक जाते। इतिहास का छात्र होने के नाते मैं यह पसंद करता हूँ कि यह भाग संकल्प में समाविष्ट ही न किया जाता। यदि कोई संकल्प के इस भाग को पढ़े तो उसे उन मानवाधिकारों की घोषणा का स्मरण हो जाएगा जिनकी उद्घोषणा फ्रांसीसी संविधान सभा ने की थी। मेरे विचार में, मेरा यह सुझाव देना ठीक है कि वास्तव में 450 वर्ष बीतने के पश्चात्

मानवाधिकारों की घोषणा और वे सिद्धांत जो उसमें अंकित हैं, हमारी मानसिकता के अभिन्न अंग बन गये हैं। मेरा कहना यह है कि ये न केवल विश्व के किसी सभ्य भू-भाग में आधुनिक मनुष्य की मानसिकता के अभिन्न बन गए है बल्कि हमारे अपने देश में जो कि विचारों में और सामाजिक ढांचे में इतना पुरातनपंथी है, इनकी यही स्थिति है। ऐसे हालात में शायद ही ऐसा कोई होगा, जो उनकी विधिमान्यता से इनकार करे। अब उसे दोहराना, जैसा कि संकल्प कहता है, निश्चय ही कोरा पांडित्यदर्प होगा। ये सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण के मौन विशुद्व पक्ष बन गये है। अतः यह घोषणा करना अनावश्यक है कि ये हमारे पन्थ के अंग हैं। संकल्प में कुछ और भी कमियां हैं। मैं देखता हूँ कि यद्यपि संकल्प के इस भाग में कुछ अधिकार अंकित किये गये हैं पर इसमें उपचारों का कोई जिक्र नहीं है। इस सभी इस बात को जानते हैं कि उपचारों के बिना अधिकार निरर्थक हैं। उपचारों के द्वारा ही, लोग अधिकारों को अतिक्रमण होने पर निवारण करने की मांग कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि इसमें उपचारों का पूर्ण अभाव है। इस संकल्प में यह सामान्य सूत्र भी समाविष्ट नहीं है कि किसी आदमी के प्राण, स्वाधीनता और सम्पत्ति विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना नहीं लिये जाएंगे। ये वर्णित मूल अधि कार विधि और नैतिकता के अधीन रखे गये हैं। प्रकट है कि विधि क्या है, नैतिकता क्या है, यह समकालीन कार्यपालिका द्वारा तय किया जाएगा। और एक कार्यपालिका कोई एक मत अपनाए तो हो सकता है दूसरी कार्यपालिका कोई दूसरा मत अपनाए। हमें नहीं पता कि यदि इस विषय को समकालीन कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाए तो मूल अधिकारों के संबंध में निश्चत रुप से क्या स्थिति होगी। महोदय, इसमें कुछ उपबंध ऐसे हैं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। यदि इस संकल्प के पीछे कोई वास्तविकता और ईमानदारी है जिसमें मुझे लेशमात्र भी शक नहीं है तो जिस रुप में यह संकल्प प्रस्तुतकर्ता की ओर से आया है मैं इसमें कुछ उपबंधों की प्रत्याशा करता हूँ जिसके द्वारा राज्य के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को साकार रुप देना संभव होता। साथ ही मैं यह प्रत्याशा करता कि संकल्प में स्पष्ट रुप से यह अंकित किया जाना चाहिए था कि देश में सामाजिक-आर्थिक न्याय होगा तथा उद्योगों और जमीन का राष्ट्रीयकरण होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी भावी सरकार के लिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में विश्वास करती है, यह कैसे संभव हो सकता है जब तक कि उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था न हो। अतः व्यक्तिगत रुप से, मुझे इन सिद्धांतों पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी यह संकल्प मेरे विचार में, कुछ निराशाजनक है। बहरहाल, मैं इस विषय को अपनी उपरोक्त मताभिव्यक्तियों के साथ वहीं छोड़ने के लिए तैयार हूँ जहां यह है।

अब मैं संकल्प के प्रथम भाग पर आता हूँ। इसके अंतर्गत पहले चार परिच्छेद है।

जैसा कि मैने कहा था, सदन में हुई चर्चा से यह संविवाद का विषय बन गया है। संविवाद ''गणराज्य'' शब्द के इस्तेमाल पर केन्द्रित प्रतीत होता है। यह पैरा 4 में आये इस वाक्य पर केन्द्रित है– ''संप्रभुता लोगों में निहित है।'' ''मेरे मित्र डॉ. जयकर ने कल जो मुद्दा उठाया था उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में इस संकल्प पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। महोदय, अब मुझे इस महान देश के सामाजिक? राजनीतिक और आर्थिक ढांचे के भावी विकास तथा अंतिम आकृति के बारे में लेशमात्र भी संदेह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विभाजित हैं। हम लड़ाकू शिविरों का एक समूह हैं और मैं तो यह भी मानने को तैयार हूँ कि मैं ऐसे शिविर के नेताओं में से एक हूँ। लेकिन, श्रीमान्, इसके बावजूद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि समय और परिस्थितियां अनुकूल हों तो दुनिया में कोई भी इस देश को एक होने से नहीं रोक पाएगा (हर्ष ध्वनि): विभिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी, मुझे इसमें लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि हम किसी न किसी रुप में ''एकजुट लोग'' होंगे (तालियां) मैं नि:संकोच यह कह सकता हूँ कि भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के आंदोलन के बावजूद एक दिन स्वयं मुसलमानों में पर्याप्त जागृति आएगी और वे भी यह सोचने लगेंगे कि अखंड भारत उनके लिए भी बेहतर है'' (जोरदार तालियां और हर्ष ध्वनि)।

जहां तक अंतिम लक्ष्य का संबंध है हममें से किसी को भी भयभीत होने की जरुरत नहीं है। मुश्किल अंतिम भविष्य के बारे में नहीं है। हमारी मुश्किल यह है कि आज हमारा जनसमूह जो बिखरा पड़ा है वह मिलजुलकर फैसला करे और एकता का मार्ग प्रशस्त करे। हमारी मुश्किल अंतिम के बाबत नहीं है, हमारी मुश्किल है शुरुआत की। इसलिए, सभापति जी, बहुसंख्यक पार्टी को बेहतर शासन कला का प्रदर्शन करते हुए इच्छुक लोगों को दोस्त बनाने व इस देश की हर पार्टी, हर वर्ग को उस मार्ग पर ले जाने की दृष्टि से, उन लोगों के पूर्वाग्रहों को रियायत देनी चाहिए थी जो साथ-साथ चलने को तैयार नहीं हैं। महान राजनेता का यही काम होना चाहिए और उसी की खातिर मैं यह अपील करना चाहता हूँ। आइए, नारों को भुला दें, लोगों को डराने वाले शब्दों को छोड़ दें, अपने विरोधियों के पूर्वाग्रहों को भी रियायत दे दें, उन्हें साथ लेकर चलें ताकि वे अपनी इच्छा से हमारे साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ चलें। जैसा कि मैंने कहा था, यदि हम काफी दूर तक साथ चलें तो वह मार्ग अवश्य ही हमें एकता की मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए अगर मैं इस जगह से डॉ. जयकर के संशोधन का समर्थन करता हूँ तो वह इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि हम सब यह समझें कि हम सही हैं या गलत। जो स्थिति हम ले रहे हैं वह हमारे कानूनी अधिकारों के अनुरुप है या नहीं और क्या वह 16 मई और 6 दिसम्बर के वक्तव्य का समर्थन करती है, उन सब को एक तरफ छोड़ दें। यह इतना बड़ा सवाल है कि उसे कानूनी अधिकारों का विषय नहीं माना

जा सकता। यह कतई कानूनी सवाल नहीं है। हमें सब कानूनी बातों को छोड़कर ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे वे भी हमारे साथ आ जाएं, जो आने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए, उनका साथ चलना संभव बनाएं। मेरी यही अपील है।

जो वाद-विवाद हुआ था उसके दौरान दो सवाल उठाये गए थे जो मुझे इतने महत्वपूर्ण लगे कि मैंने उन्हें एक कागज के टुकड़े पर अंकित करने का श्रम किया। मेरे विचार में, एक सवाल मेरे मित्र बिहार के प्रधानमंत्री का था जो इस सभा में कल बोले थे। उन्होंने कहा था, यह संकल्प लीग को संविधान सभा में आने से कैसे रोक सकता है? आज मेरे मित्र डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक दूसरा सवाल पूछा है-क्या वह संकल्प कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से असंगत है? श्रीमान्, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनका उत्तर दिया जाना चाहिए और साफ-साफ दिया जाना चाहिए। मेरा आज भी यह कहना है कि यह संकल्प फलीभूत हो या नहीं पर क्या इसमें गर्मजोशी का अभाव झलकता है अथवा क्या यह संयोग की बात है कि इसकी वजह से मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग नहीं लेगी। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान पैरा तीन की ओर दिलाना चाहता हूँ। पैरा 3 भारत के भावी संविधान की परिकल्पना करता है। मैं नहीं जानता कि संकल्प पेश करने वाले क्या आशय था। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि संकल्प के पैरा 3 के अनुसार, इस संकल्प के पारित हो जाने के बाद यह संविधान सभा के लिए, संविधान का निर्माण करने के निदेशक तत्व जैसा होगा। पैरा 3 का क्या कहना है? पैरा 3 में लिखा है कि इस देश में दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी एक सबसे निचले स्तर पर स्वायत्त प्रांत या राज्य या अन्य ऐसे क्षेत्र जो अखंड भारत में शामिल होना चाहते हैं। इन स्वायत्त इकाइयों को पूरी शक्ति प्राप्त होगी। उन्हें अविशिष्ट शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी। दूसरी सर्वोच्च स्तर पर जिसमें प्रान्तीय इकाइयों के ऊपर संघ सरकार होगी जिसके पास विधायन, कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए कुछ विषय होंगे। मैंने संकल्प के इस भाग को पढ़ा है किन्तु मुझे इसमें समूहीकरण के विचार का एक ओर संघ तथा दूसरी ओर प्रांतों के बीच मध्यवर्ती ढांचे का कोई हवाला दिखाई नहीं पड़ता। कैबिनेट मिशन के वक्तव्य के प्रकाश में पढ़ने पर या वर्धा अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पारित संकल्प के प्रकाश में भी इस पैरे को पढ़ने के बाद मैं यह अवश्य स्वीकार करुंगा कि प्रांतों के समूहीकरण के विचार के किसी हवाले के न होने पर मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित हूँ। जहां तक मेरा अपना संबंध है, मुझे केन्द्र में समूहीकरण का ख्याल पसन्द नहीं है। (सुनिये, सुनिये) मुझे एक मजबूत एकीकृत केन्द्र पसन्द है (सुनिये, सुनिये) उस केन्द्र से भी अधिक मजबूत, जो हमने भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन सर्जित किया था। लेकिन, श्रीमान्, इनका इस स्थिति से कतई संबंध नहीं है। हम काफी लम्बा रास्ता तय कर चुके है। कांग्रेस पार्टी ने, न जाने किन कारणों से, एक मजबूत केन्द्र को खंडित

करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, वह केन्द्र जो इस देश में 150 वर्ष के प्रशासन के फलस्वरुप बन गया था और जिसके लिए मुझे कहना होगा कि यह अत्यंत प्रशंसा, आदर और आश्रय की बात थी। लेकिन चूंकि वह स्थिति छोड़ दी गई है और यह कहा गया है कि हम एक मजबूत केन्द्र नहीं चाहते, और यह स्वीकार किया जा चुका है कि एक मध्यवर्ती निकाय–'सघ सरकार और प्रांतों के बीच उप परिसंघ अवश्य होना चाहिए। मैं यह जानना चाहूँगा कि पैरा 3 में समूहकरण के विचार का उल्लेख क्यों नहीं है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और महामहिम की सरकार समूहकरण विधायक खण्ड के निर्वाचन पर एकमत नहीं है। यदि यह साबित कर दिया जाए कि मैं गलत हूँ तो मैं सुधार के लिए तैयार रहता हूँ–कम से कम कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत थी कि यदि वे प्रांत जो विभिन्न समूहों में रखे गए हैं, संघ या उप परिसंघ बनाने के लिए सहमत हैं तो कांग्रेस को उस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के मन की बात ठीक से जान ली है। मेरा सवाल यह है कि इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता ने प्रांतों के संघ या प्रांतों के समूह उन शर्तो पर बनाने के विचार का हवाला क्यों नहीं दिया, जिन पर वह और उनकी पार्टी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थी? संघ के विचार को इस संकल्प से पूरी तरह क्यों मिटा दिया गया? मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता। कोई भी नहीं। इसलिए उन दो सवालों के जवाब में जो यहां इस सभा में बिहार के प्रधानमंत्री और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने उठाये हैं कि यह संकल्प 16 मई के वक्तव्य से असंगत कैसे है या यह संकल्प मुस्लिम लीग को संविधान सभा में आने से कैसे रोकता है, मेरा यह कहना है कि यह पैरा 3 है जिसका फायदा उठाने और अपनी निरन्तर अनुपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए मुस्लिम लीग आबद्ध है। श्रीमान्, कल मेरे मित्र डॉ. जयकर ने इस मुद्दे पर फैसला स्थगित करने की बहस करते समय अपना पक्ष किसी कानूनी पंडित की भांति प्रस्तुत किया था–यदि उनके प्रति बिना किसी अनादर भाव के, मुझे ऐसा कहने की अनुमति हो तो उनके तर्क का आधार था– क्या आपको ऐसा करने का अधिकार है? उन्होंने कैबिनेट मिशन के वक्तव्य में से कुछ अंश पढ़े, पढ़कर सुनाए जो संविधान सभा के प्रक्रियात्मक भाग से संबंधित थे। उनकी दलील थी कि इस संकल्प पर फैसला करने के लिए संविधान सभा ने जो सीधे प्रक्रिया अपना ली है वह उस प्रक्रिया से अलग हटकर है जो पेपर में दी गई थी। श्रीमान्, मैं इस विषय को कुछ भिन्न तरीके से रखना चाहता हूँ। मैं आपसे इस बात पर विचार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस संकल्प को सीधे पारित करने का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं। हो सकता है, आपको ऐसा करने का अधिकार हो। मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसा करना आपके लिए प्रज्ञापूर्ण होगा? क्या ऐसा करना आपके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण होगा? सत्ता एक अलग बात है, विवेक बिलकुल भिन्न चीज है और मैं चाहता हूँ कि सदन इस पर इस दृष्टिकोण से विचार करे कि

क्या इस प्रक्रम पर ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा? राजनीतिज्ञतापूर्ण होगा? प्रज्ञापूर्ण होगा? मेरा उत्तर है, ''नहीं'', यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विवाद को हल करने के लिए एक और प्रयास किया जाए। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसका फैसला किसी एक पार्टी की प्रतिष्ठा मात्र के आधार पर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रों की नियति का फैसला करते समय लोगों की प्रतिष्ठा, नेताओं की प्रतिष्ठा और पार्टियों की प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। देश की नियति ही सर्वोपरि है। मैं यह महसूस करता हूँ कि मेरा डॉ. जयकर के संशोधन का समर्थन करना केवल संविधान सभा के हित में नहीं होगा, ताकि यह एक होकर काम कर सके, ताकि फैसला करने के पूर्व इसके समक्ष मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया भी आ सके। हमें इस पर भी अवश्य विचार करना चाहिए कि यदि हम अंधाधुंध काम करेंगे तो भविष्य के बारे में क्या होगा। मुझे नहीं मालूम, कांग्रेस पार्टी, जिसके कब्जे में यह सदन है, के मन में क्या योजनाएं हैं? ये क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए मेरे पास कोई देवी शक्ति नहीं है। उनकी क्या युक्तियां हैं, क्या रणनीति है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो मुद्दा उठा है, उस पर अनजान व्यक्ति के रुप में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल तीन तरीकों से ही भविष्य का विनिश्चय किया जाएगा। या तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी की इच्छाओं के सामने झुकना होगा- यह भी एक तरीका है। दूसरा तरीका वह होगा जिसे मैं बातचीत से की गई शांति कहता हूँ और तीसरा तरीका होगा खुल्लम-खुल्ला लड़ाई। श्रीमान्, मैं संविधान सभा के कुछ सदस्यों से सुन रहा हूँ कि वे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं इस ख्याल से दुखी हूँ कि इस देश में कोई भी व्यक्ति इस देश की राजनीतिक समस्याओं का हल लड़ाई की पद्धति से करे। मुझे नहीं मालूम इस देश में कितने लोग इस ख्याल का समर्थन करेंगे। कदाचित काफी संख्या में और मेरे विचार से इसका कारण है कि उनमें से अधिकांश, हर दशा में। उनमें से बहुत बड़ी संख्या का विश्वास है कि जिस लड़ाई की वे बात कर रहे हैं वह ब्रिटिश के खिलाफ होगी। ठीक है, श्रीमान् यदि सोची गई लड़ाई को, जो लोगों के मन में है, स्थानीय रुप दिया जाए। सीमित रुप दिया जाए जिससे कि वह ब्रिटिश विरोधी युद्ध से अधिक नहीं होगी। तो मुझे संभवतः इस प्रकार की रणनीति पर बहुत अधिक आपत्ति नहीं होगी। लेकिन क्या यह लड़ाई सिर्फ ब्रिटिशों के साथ होगी? मुझे कोई संकोच नहीं है और मैं यथासंभव स्पष्ट शब्दों में इस सदन के समझ यह रखना चाहता हूँ कि यदि इस देश में युद्ध चलता है और उस युद्ध का उस मुद्दे से कोई संबंध है जो आज हमारे सामने है जो वह लड़ाई ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं होगी। वह मुसलमानों के खिलाफ होगी। वह लड़ाई मुसलमानों पर होगी अथवा संभवतः इससे भी बदतर वह लड़ाई उस लड़ाई से भिन्न कैसे होगी जिसका मुझे डर है। श्रीमान्, मैं सदन के समक्ष ''अमेरिका से

सुलह'' पर बुरके के महान भाषण में से एक अंश पढ़ना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि उसका इस सदन की मनःस्थिति पर कुछ असर पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्रोही उपनिवेशों को जीतने की और उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ अपने अधीन करने की कोशिश कर रहे थे। उन निवेशों को जीतने के इस ख्याल का खंडन करते हुए बुरके ने कहा थाः–

''सबसे पहले, श्रीमान्, मुझे यह व्यक्त करने की अनुमति दें कि बल का प्रयोग केवल अस्थायी होता है। क्षणभर के लिए वश में किया जा सकता है किन्तु इससे पुनः वश में करने की आवश्यकता तो समाप्त नहीं होती है और ऐसे राष्ट्र पर शासन नहीं किया जाता जिसे निरन्तर जीतना होता है। मेरी अगली आपत्ति है उसकी अनिश्चितता। आतंक हमेशा बल का परिणाम नहीं होता है और शस्त्र में सज्जा विजय नहीं होती। यदि सफल नहीं होते हैं। तो आप संसाधानहीन है क्योंकि सुलह के नाकाम होने पर तो ताकत रहती है, किन्तु ताकत के नाकाम होने पर आगे सुलह की कोई आशा नहीं रहती। शक्ति और प्राधिकार कभी–कभी सज्जनता से तो खरीद लिए जाते हैं लेकिन उन्हें कंगाल बना दी गई या विफल हिंसा द्वारा भीख के रुप में कभी नहीं मांगा जा सकता.......

''बल प्रयोग पर एक और आपत्ति है कि आप उद्देश्य को परिरक्षित करने के अपने यत्नों से ही उसे क्षीण कर देते हैं। जिस चीज के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी वह चीज नहीं है जो आप प्राप्त करते हैं, वह तो लड़ाई में घिस–पिट गई, और मर–खप गई।''

ये बहुत मूल्यवान शब्द हैं। इनकी अवहेलना करना खतरनाक होगा। क्या कोई ऐसा आदमी है जिसके मन में हिन्दू–मुस्लिम समस्या को ताकत से सुलझाने की योजना हो–जो युद्ध से सुलझाने का ही दूसरा नाम है। मुसलमानों को अपने अधीन करके ऐसे संविधान को मानने के लिए झुकाया जा सके, इसके लिए इस देश को उन्हें हमेशा जीतने में लगे रहना होगा। यह एक बार की विजय सदा–सदा के लिए नहीं होगी। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं पुनः बुरके का हवाला देकर अपनी बात समाप्त करुंगा। बुरके ने कहीं कहा है कि शक्ति देना आसान है लेकिन विवेक देना मुश्किल है। आइए, हम अपने आचरण से यह साबित कर दें कि यदि इस सभा ने अपने आपको संप्रभु शक्तियां प्रदान कर दी हैं तो वह उनका प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने के लिए तैयार हैं। यही एक रास्ता है जिसके जरिये हम देश के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। एकता का दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। आइए, हम इस मुद्दे पर संदेह न करें।

*****

मूल अधिकारों पर अन्तरिम रिपोर्ट

*माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरु :** .... कि सरकार के सामने एक विकट समस्या है और अजीब बात है कि खंड 8 (ड.) में वर्तमान स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। श्रीमान्, मेरे विचार में, यह अधिकार कुछ शर्तों के साथ ही दिया जा सकता है जिन्हें साफ तौर पर परिभाषित करना है।

डॉ. बी.आर.अम्बेडकर (बंगालः साधारण) : मैं वक्ता के बीच में दखल देना नहीं चाहता लेकिन खंड 8 (ड.) पर चर्चा करते हुए वह सम्पूर्ण खंड की गलत छाप छोड़ रहे हैं।

डॉ. बी. पट्टाभि सीतारामय्या (मद्रासः साधारण): अपने मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत देने की बजाय वह गुणदोष का विवेचन कर रहे हैं।

माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरुः एक सांसद के नाते, श्रीमान्, आप समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जहां तक डॉ. अम्बेडकर की आपत्ति का संबंध है मैं यह कहना चाहूँगा–और मुझे विश्वास है कि आप मुझे बर्दाश्त करेंगे– मैं परन्तुक सहित पूरा खण्ड पढ़कर सुनाता हूँ:–

सभापति : मैं सदस्य से अनुरोध करुंगा कि वह मुद्दे तक सीमित रहें जिसे वह स्पष्ट करना चाहते हैं और प्रस्ताव के गुणदोष पर न जाएँ।

---

*. सी.ए.डी. खंड, III, 29 अप्रैल, पृष्ठ 402।
खण्ड (ड.) इस प्रकार है – ऐसे युक्तियुक्त निर्बधन अधिरोपित करने के लिए जो लोक हित में आवश्यक हों, अन्तर्गत अल्पसंख्यक समूहों तथा जन–जातियों का संरक्षण भी है, विधि द्वारा उपबंध किया जा सकता है।

–''संपादक''

खण्ड-II - स्वातन्त्र्य-अधिकार

*[*]*मान्नीय सरदार वल्लभ भाई पटेल :** खंड II बंधुआ मजदूरी (बलात्-श्रम) के बारे में है। वह इस प्रकार है:-

"II (क) मानव देह व्यापार, और

(ख) अपराध के दंड के सिवाय जिसके लिए उस पक्षकार को सम्यकत: सिद्ध दोषी ठहराया गया हो, किसी भी रूप में बंधुआ मजदूरी जिसके अंतर्गत बेगार और अस्वैच्छिक चाकरी भी है।

एतद्द्वारा प्रतिषिद्ध किए जाते हैं, तथा इस प्रतिषेध का किसी भी प्रकार उल्लंघन अपराध होगा।"

स्पष्टीकरण:-

[**]"इस खण्ड की कोई भी बात राज्य को मूल वंश, धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेद किए बिना लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। अब हमें इस पर चर्चा करने का प्रयत्न करना है और उसे संक्षिप्त रूप में ही करना है तथा अलग-अलग खण्डों के बजाय इसे एक बृहत् रूप में रखना है और इसे एक खण्ड 'मानव देह व्यापार' में रखना है।"

*****

डॉ. बी.आर.अम्बेडकर (बंगाल-साधारण) : मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूँ वह यह है कि जबकि मुझे उपखंड (क) और (ख) को सुसंगत बनाने की दृष्टि से इनके पुन: प्रारुपरण पर कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ संदेह है कि क्या स्पष्टीकरण को हटाना सलाहकार समिति के अधिकांश सदस्यों की इस इच्छा के अनुरूप होगा कि राज्य को किसी भी प्रकार अनिवार्य सेवा लेने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। श्री मुंशी का सुझाव है कि यदि इस खंड का फिर से प्रारुपण किया जाता है और यदि स्पष्टीकरण का लोप किया जाता है तो भी राज्य को अनिवार्य सैनिक सेवा शुरु करने का अधिकार होगा। मुझे प्रस्तावित परिवर्तन अर्थात् स्पष्टीकरण हटाये जाने के परिणामों पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, लेकिन मुझे भय है कि स्पष्टीकरण को हटाने और इस खंड को उसी रूप में रखने से जिसमें यह अंकित है प्रतिकूल और गंभीर परिणाम निकलेंगे क्योंकि बेगार भी एक ऐसी चीज है जो राज्य द्वारा अधिरोपित की जाती है। जहां तक मुझे ज्ञात है, मुम्बई में कुछ लोक

---

[*]. सी.ए.डी. खण्ड III, 1 मई 1947, पृष्ठ 428।

[**] सी.ए.डी. खण्ड III, 1 मई, 1947, पृष्ठ 480

प्रयोजनों के लिए सरकार बेगार की मांग करती है, और यदि राज्य को बेगार लेने से निषिद्ध किया गया तो किसी के लिए भी यह तर्क देना पूरी तरह संभव है कि अनिवार्य सैनिक सेवा भी बेगार है। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ कि इस प्रक्रम पर स्पष्टीकरण को हटाना उचित होगा। मैं इस विषय में कोई निश्चित कार्रवाई सुझाने की स्थिति में नही हूँ। किन्तु मेरा विचार है कि यदि मैं सदन का ध्यान उस आशंका की ओर आकृष्ट कर दूँ जो मेरे मन में उस परिणाम के बारे में है जो स्पष्टीकरण को हटाये जाने से या तो सैनिक प्रयोजन के लिए या राज्य को सामाजिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा के बारे में राज्य की शक्ति पर हो सकती है। मेरा सुझाव है कि इस पक्रम पर हमें स्पष्टीकरण को हटाना नहीं चाहिए, बल्कि यथावत् छोड़ देना चाहिए और जब प्रान्तीय संविधान तथा फेडरल संविधान का अंतिम रुप से प्रारुप किया जाए तभी सम्पूर्ण विषय पर फिर से विचार किया जाए।

*****

डॉ. बी.आर.अम्बेडकर: क्या मुझे एक सुझाव पेश करने की अनुमति है? हम सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर की बहस सुन चुके हैं। उनका कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों के उनके पठन के अनुसार, यदि यह स्पष्टीकरण नहीं होगा तो भी राज्य को अनिवार्य सैनिक सेवा लेने की इजाजत होगी। सौभाग्यवश, मुझे भी उन मामलों को देखने का मौका मिला है जिनके बारे में मुझे विश्वास है, सर अल्लादी के मन में हैं। मैं समझता हूँ, वह मेरी बात से सहमत होंगे, यदि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर तार्किकता से दृष्टिपात करें तो वह देखेंगे कि वे भी इसी कल्पना पर आधारित थे कि राजनीतिक संगठन में स्वतंत्र नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकार की सहायता करे अतः अनिवार्य सैनिक सेवा में भी नागरिकों से वही कर्तव्य कराने के लिए कहा जाएगा जिसे कहने के लिए वह राज्य के प्रति पहले से ही बाध्य है। मेरा निवेदन है कि राज्य की रक्षा के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा की आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए यह बहुत कच्ची आधारशिला है।

मेरा निवेदन है कि हमें इस प्रकार की तार्किकता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए जो भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाई जाए या न अपनाई जाए। अतः मेरा सुझाव है कि, जैसे नागरिकता विषयक दूसरे खंड की स्थिति में आपने कृपा करके मामला एक छोटी-सी समिति और आगे छानबीन करने के लिए भेज दिया था उसी प्रकार इस विषय में भी यही उचित होगा कि यह प्रश्न भी स्पष्टीकरण के लिए रखा जाए व एक

---

*. सी.ए.डी. खंड III, 1 मई, 1947, पृष्ठ 483-814।

छोटी-सी समिति को भेज दिया जाए जो अपनी रिपोर्ट इस सदन को प्रस्तुत करे। तभी सदन के लिए इस विषय में सही विनिश्चय करना संभव होगा।

सभापतिः मेरे विचार में, यदि डॉ. अम्बेडकर का सुझाव सदन को मान्य हो तो आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री आर.के. सिधवा (मुख्य प्रांत और बरार : साधारण): अनिवार्य सैनिक सेवा के सवाल पर यहाँ चर्चा हो सकती है।

सभापतिः हम यहाँ यह विनिश्चय नहीं कर रहे हैं कि हमें अनिवार्य भर्ती रखनी चाहिए अथवा नहीं। प्रश्न यह है कि क्या मूल अधिकारों के अधीन अनिवार्य भर्ती निषिद्ध है। मेरे विचार में उत्तम यही होगा कि इसे भी उसी समिति के पास भेज दिया जाए जिसे दूसरा खंड भेजा गया है।

एक माननीय सदस्यः पूरा खंड-II

सभापतिः हाँ पूरा खंड-II

खंड भेजा गया।

*****

खंड 17

*माननीय सरदार वल्लभभाई पटले:** श्रीमान्, मैं खण्ड 17 पेश करता हूँ :

''उत्पीड़न या असम्यक् असर द्वारा किया गया एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन विधि द्वारा मान्य नहीं होगा।''

श्री के.एम. मुंशी: श्रीमान्, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करने की प्रार्थना करता हूँ:-

''खण्ड 17'' के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा:-

''कपट, उत्पीड़न या असम्यक असर द्वारा किसी भी व्यक्ति का अथवा 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क का एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन विधि द्वारा मान्य नहीं होगा।''

* * * * *

#**डॉ. बी.आर.अम्बेडकर:** सभापति महोदय, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मैं अवयस्क बालक के धर्म परिवर्तन के बारे में भी मुंशी के संशोधन से सहमत नहीं हूँ। यह खण्ड, वर्तमान रूप में, सदन पर संभवत: यह छाप छोड़ता है कि अवयस्कों के धर्म परिवर्तन के सवाल पर मूल अधिकारों की समिति द्वारा या अल्पसंख्यक उपसमिति द्वारा या सलाहकार समिति द्वारा विचार नहीं किया गया था। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस सवाल पर अच्छा-खासा विचार-विमर्श किया गया था और इसके हर पहलू पर बारीकी से विचार किया गया था। इस सम्पूर्ण सवाल पर सभी पहलुओं से विचार करने के पश्चात् और आने वाली कठिनाइयों पर दृष्टिपात करने के बाद ही सलाहकार समिति इस नतीजे पर पहुंची थी कि उन्हें यह खंड वर्तमान रुप में ही ध्यान में रखना चाहिए।

श्रीमान्, यह कठिनाई मेरे मस्तिष्क में इतनी स्पष्ट है कि मुझे भी मुंशी से संशोधन को छोड़ने का अनुरोध करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता।

जहां तक बालकों का संबंध है, तीन संभावित स्थितियां हो सकती हैं जिन्हें पहले से देखा जा सकता है। पहली, स्थिति उन बालकों की है जो अपने माता-पिता और अभिभावकों के साथ रहते हैं। दूसरे वे बालक हैं जो अनाथ हैं जिनके कानूनी अर्थ में कोई माता-पिता और अभिभावक नहीं हैं। मान लीजिए आपके पास 18 साल से

---

*. सी.ए.डी. खंड III, 1 मई, 1947, पृष्ठ 488 ।

सी.ए.डी. खंड III, 1 मई, 1947, पृष्ठ 501-2 ।

कम आयु के बालकों के धर्म परिवर्तन का निषेध करने वाला खण्ड है। ऐसे में अनाथ बालकों की क्या हालत होगी? क्या उनका कोई धर्म नहीं होगा? क्या उन्हें किसी के द्वारा जो उनमें कृपा करके रुचि लें, कोई धर्मोपदेश प्राप्त नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि यदि श्री मुंशी द्वारा लिपिबद्ध रूप में खण्ड को अंगीकार कर लिया गया अर्थात् यह कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो इसका अभिप्राय यह होगा कि जो बालक अनाथ है, जिनके कोई कानूनी अभिभावक नहीं हैं, वे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस प्रकार के परिणाम के बारे में सहर्ष सोचेगा भी नहीं। इसलिए ऐसे विषयों को भी मुंशी द्वारा प्रस्तावित संशोधन के प्रवर्तन से बाहर रखना होगा। अब मैं दूसरे वर्ग पर आता हूँ अर्थात् माता-पिता और अभिभावकों वाले बालकों पर। उन्हें दो प्रवर्गों में रखा जा सकता है। स्पष्टता की खातिर, उनके मामलों पर अलग-अलग विचार करना वांछनीय हो सकता है; प्रथम, वे मामले जिनमें माता-पिता और अभिभावकों की सम्मति से बालकों का धर्म-परिवर्तन किया जाता है। दूसरे वे मामले जिनमें बालकों के माता-पिता ने धर्म परिवर्तन कर लिया हैं।

मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कानूनी अभिभावकों वाले अवयस्क बालकों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिषेध होना चाहिए जहाँ धर्म परिवर्तन बालकों के कानूनी अभिभावकों की सम्मति और जानकारी के बिना होता है। मेरे विचार में यह एक बहुत ही विधि सम्मत प्रतिपादन है। किसी भी मिशनरी को, जो ऐसे बालक का धर्म परिवर्तन करना चाहता है जो किसी व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकत्व में है। जो संरक्षकत्व विधि के अनुसार उस बालक विशेष के धार्मिक विश्वास को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए हकदार है। उस व्यक्ति या अभिभावक को इस बात की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए कि बालक का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मेरे विचार में, यह एक सरल प्रतिपादन है जिस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

लेकिन जब हम उस स्थिति पर आते हैं जिसमें माता-पिता का धर्म परिवर्तन हो जाए और हमें उनके बालकों के बारे में विचार करना हो, तो मेरे विचार में हमारा काम अत्यंत दु:साध्य है-यदि आपका कहना यह है कि भले ही आप धर्म परिवर्तन कर लें क्योंकि वे वयस्क हैं और 18 वर्ष से ऊपर हैं, फिर भी 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क बालकों का भले ही वे उनके बालक हों, धर्म परिवर्तन मां-बाप के साथ नहीं होना है। जिस मुद्दे पर हमें विचार करना है वह यह है कि हम बालकों के बारे में क्या इंतजाम करने जा रहे हैं? मान लीजिए, पिता ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है। मान लीजिए उसके बेटे की मौत हो जाती है। पिता ईसाई धर्म के मुताबिक उसका पालन-पोषण करने के कारण मृत बालक को ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार दफनाता है। तो क्या पिता का

यह कृत्य विधि की दृष्टि में अपराध माना जाएगा? दूसरा मामला लीजिए, मान लीजिए धर्म परिवर्तन करने वाले पिता की एक पुत्री है। वह पुत्री का विवाह ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार करता है तो इस विवाह के क्या परिणाम निकलेंगे? वह विवाह कानूनी होगा या गैरकानूनी?

यदि आप नहीं चाहते कि बालकों का धर्म परिवर्तन हो तो आपको संरक्षत्व के बारे में किसी अन्य प्रकार की विधि बनानी होगी ताकि माता-पिताओं को अपने बालकों के धार्मिक जीवन को प्रभावित करने और एक आकार प्रदान करने के उनके अधिकारों के प्रयोग करने से रोका जा सके। श्रीमान्, मैं यह पूछना चाहूँगा, उदाहरण के लिए पांच वर्षीय बालक को मात्र इसलिए उसके माता-पिता से पृथक कर दिया जाए कि माता-पिता ने ईसाई धर्म या दूसरा कोई धर्म ग्रहण कर लिया है जो मूलतः उनका धर्म नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या इस सदन के लिए यह स्वीकार करना संभव होगा। मैं इन कठिनाइयों का उल्लेख यह दर्शाने के लिए कर रहा हूँ कि मूल अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक समिति और सलाहकार समिति के सामने ये कठिनाइयां आई थीं और इन्हीं के कारण उन्हें इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना पड़ा था। चूंकि हमने यह महसूस किया कि इस प्रस्ताव की स्वीकृति कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा, अनेक रुकावटों को, अनेक कुपरिणामों को जन्म देगी। इसलिए हमने सोचा कि इसको सर्वथा छोड़ देना ही बेहतर होगा (सुनिये, सुनिये) मात्र यह तथ्य कि हमने मूल अधिकारों के खंड 17 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। मेरे निर्णय में, विधानमंडल को, इस विषय को विनियमित करने की दृष्टि से कोई कानून बनाने से उस समय निवारित नहीं करता जब वह प्रवर्तनशील हो जाता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस खण्ड को वापस समिति के आगे विचार के लिए भेजने से कोई बेहतर परिणाम नहीं निकलेंगे। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि वे लोग इस पर आगे विचार करें जो इसके बारे में अन्यथा महसूस करते हैं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि तीनों समितियों ने इस विषय पर अपना पूरा ध्यान दिया है। अतः मेरा निष्कर्ष है कि मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबसे बढ़िया उपाय खण्ड को सर्वथा छोड़ना होगा। मुझे ऐसा उपबंध किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है कि जिन बालकों के कानूनी और विधिपूर्ण अभिभावक हैं उनका धर्म परिवर्तन उनके माता-पिता की जानकारी के बिना नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार में इस मामले में इतना ही करना पर्याप्त होगा।

[यह खण्ड वापस सलाहकार समिति को भेजा गया-संपादक]

*****

खंड 18-संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

*__माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल :__ अब मैं खण्ड 18 पेश करता हूँ:

''(1) प्रत्येक इकाई के अल्पसंख्यकों की उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की बाबत संरक्षा की जाएगी, और ऐसी विधियां अथवा विनिमय नहीं बनाये जा सकते, जो इस बाबत प्रपीड़क अथवा प्रतिकूल रुप से प्रवर्तित हों।

(2) किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ राजकीय शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के बारे में विभेद नहीं किया जाएगा, और न ही कोई धार्मिक शिक्षा उन पर अनिवार्य होगी।

(3) (क) धर्म, संप्रदाय या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ख) विद्यालयों को राजकीय सहायता देते समय राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के प्रबंध में चलने वाले विद्यालय के साथ धर्म, संप्रदाय या भाषा के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मैं सदन की स्वीकृत के लिए इस खण्ड को पेश करता हूँ।''

श्री मोहनलाल सक्सेना (संयुक्त प्रांतः साधारण): श्रीमान् आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव रखना चाहूँगा कि यह खण्ड वापस सलाहकार समिति के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाए। कुछ ऐसे पहलू हैं जो पुनः विचारणीय हैं। ऐसी स्थिति में यही ज्यादा बेहतर होगा कि यह पूरा खण्ड ही सलाहकार समिति के पास पुर्नविचार के लिए भेजा जाए।

सभापतिः श्री मोहनलाल सक्सेना का प्रस्ताव है कि इस खण्ड को वापस सलाहकार समिति के पास और आगे विचार के लिए भेजा जाए।

*****

**__श्री के.एम. मुंशी :__ मेरा प्रस्ताव है कि खण्ड 18 का उपखंड (2) वापस सलाहकार समिति को भेजा जाए। बहुत से सदस्यों की यह आम भावना है कि इस खण्ड पर, सदन में हुई चर्चा के प्रकाश में, फिर से विचार किया जाना चाहिए।

***__डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः__ सभापति महोदय, मैं यह मानता हूँ कि मैं श्री मुंशी एवं

---

*. सी.सी.डी. खंड III, 1 मई, 1947 पृष्ठ 503।

**. सी.ए.डी. खंड III, 1 मई, 1947 पृष्ठ 503 ।

***. सी.ए.डी. खंड III, 1 मई, 1947 पृष्ठ 501-2 ।

श्री त्यागी द्वारा रखे गए संशोधनों से काफी आश्चर्यचकित हूँ। मेरा निवेदन है कि उन्होंने इस खण्ड 18 को वापस समिति के पास भेजे जाने के लिए कोई कारण नहीं बताए हैं। इस प्रस्ताव के समर्थन में एकमात्र कारण कोई भी भांप सकता है– वह यह है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार सापेक्षिक होने चाहिए अर्थात् इससे पहले कि हम यह तय करें कि हम हिन्दोस्तानी राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार देना चाहते हैं। हमें इंतजार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि पाकिस्तानी सभा अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार देती है। अब, श्रीमान्, पूर्ण आदर के साथ, मैं ऐसे किसी भी विचार की निन्दा करता हूँ। अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार पूर्ण अधिकार होने चाहिए। वे किसी भी विचारणा के अधीन नहीं रहने चाहिए कि दूसरा पक्ष अपने अधिकार–क्षेत्र के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति क्या करना चाहता है। यदि हम यह देखें कि कुछ अल्पसंख्यक वर्गों को जिनमें हम हितबद्ध हैं और जो किसी दूसरे राज्य के अधिकार–क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, वही अधिकार नही मिले हैं जो हमने अपने राज्य–क्षेत्र के अल्पसंख्यक वर्गों को दिए हैं तो राज्य राजनयिक ढंग से मामले को उठाये और देखें कि गलतियां सुधारी जाएं। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे कुछ भी करते हों, हमें वही करना चाहिए जो हमारे निर्णय में ठीक है और व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि खण्ड 18 में जो अधिकार इंगित किए गए हैं, वे ऐसे अधिकार हैं जिनका दावा करने के लिए हर अल्पसंख्यक वर्ग, किसी अन्य विचारणा के बावजूद, हकदार है। हमने जो पहला अधिकार दिया है वह है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के इस्तेमाल का अधिकार। हमारा कथन है कि ''राज्य की शिक्षा–संस्थाओं में प्रवेश के विषय में ''धर्म, भाषा आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। हमने कहा है कि ''किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी इच्छा की शिक्षा संस्था को स्थापित करने से रोका नहीं जाएगा। उसमें यह भी कहा गया है कि जब कभी कोई राज्य यह विनिश्चय करेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता दी जाए, तो वह धर्म, सम्प्रदाय या भाषा के आधार पर अनुदान देने के मामले में भेदभाव नहीं बरतेगा। श्रीमान्, मेरी समझ में नहीं आता कि खंड 18 में समाविष्ट अधिकारों पर कोई आपत्ति कैसे हो सकती है। जो भी हो, जिसने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि इस खण्ड को वापस समिति को भेज दिया जाए उसने ऐसा कोई तर्क पेश नहीं किया है कि या तो ये अधिकार उनसे अधिक हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग को मिलने चाहिए अथवा ऐसे हैं कि वे अल्पसंख्यक वर्ग को मिलने नहीं चाहिए। इसलिए, मुझे यह अत्यंत शोचनीय प्रतीत होता है कि तीन समितियों का श्रम, जिन्होंने इन उपबंधों को बनाया है, मात्र इसलिए अशिष्ट ढंग से निरस्त कर दिया जाए कि कुछ कारणों से कुछ लोग चाहते हैं कि इस मामले को वापस समिति को भेज दिया जाये। मुझे नहीं मालूम कि मेरे मित्र श्री मुंशी को वर्तमान रूप में उपखंड (2) पर क्या आपत्ति है, लेकिन यदि यह आवश्यक

है कि यह उपखण्ड वापस समिति को भेजा जाए तो मैं निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं करूंगा। वह उपखण्ड वापस भेज दिया जाए क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमने इस विषय को राज्य की शिक्षा संस्थाओं तक सीमित कर दिया है और हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है जो केवल राजकीय सहायता प्राप्त है। यदि इस मुद्दे को और स्पष्ट करना जरूरी है तो मामला वापस भेजा जाए, लेकिन मात्र इसलिए कि उपखण्ड (2) को वापस भेजे जाने के पक्ष में कुछ हो सकता है मैं नहीं समझता कि सम्पूर्ण खण्ड के बारे में भी यही तर्क दिया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उपखण्ड (2) को छोड़कर जो यदि आवश्यक हो तो विचारार्थ समिति को वापस भेजा जाए, परंतु वर्तमान खण्ड पारित कर दिया जाना चाहिए।

*****

सभापतिः अब दो खण्ड रहते हैं, जो पांच सदस्यीय समिति को भेजे गए थे। हम अब उन पर एक-एक करके विचार करेंगे। अब नया खण्ड 3 पेश किया जाए।

संघीय संविधान समिति की रिपोर्ट

खण्ड 3

श्री के.एम. मुंशी : मेरा प्रस्ताव है कि मूल खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाए :

''संघ में और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके माता-पिता में से कोई जन्म के समय संघ का नागरिक था, और संघ में देशीयकृत प्रत्येक व्यक्ति संघ का नागरिक होगा।

संघीय नागरिकता अर्जित करने या समाप्त करने से संबंधित आगे उपबंध संघ की विधि द्वारा किया जा सकेगा।''

इसके कारण तदर्थ समिति की रिपोर्ट में पूरी तरह पहले ही दिए जा चुके हैं। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना।

श्री के. संथानमः श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि इस खण्ड के प्रथम पैरे के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए:

''संघ के प्रारंभ के पूर्व ओर उसके क्षेत्राधिकार के अधीन भारत में जन्मा और देशीयकृत प्रत्येक व्यक्ति संघ का नागरिक होगा।''

*****

***डॉ. बी.आर.अम्बेडकरः (बम्बई साधारण):** सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि श्री संथानम द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस बात को गंभीरता से लेना होगा। यदि समिति द्वारा प्रारुपित खण्ड का पहला वाक्य ही पढ़ लिया जाए तो जो कठिनाई पैदा हुई है, वह आसानी से देखी जा सकती है। प्रारुप का कहना है-''संघ में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति'' प्रकट है कि संकेत भविष्य की ओर है, उनकी ओर है जो संघ के निर्माण के बाद संघ में जन्म लेंगे। सवाल यह है कि उन लोगों की क्या स्थिति होगी जो भारत में जन्मे हैं किन्तु संघ के अस्तित्व में आने से पूर्व जन्मे हैं। मेरे निर्णय में इस स्थिति को भी शामिल करने के लिए हमें एक दूसरा खण्ड शामिल करना होगा। मैं संशोधन का सुझाव नहीं दे रहा हूँ मैं एक ख्याल प्रस्तुत कर रहा हूँ। नया खण्ड इस प्रकार होगा-

''साधारण खण्ड अधिनियम में परिभाषित रूप में भारत में जन्मे सभी व्यक्ति जो भारत

---

* सी.ए.डी. खंड III, 2 मई, 1947, पृष्ठ 526 ।

में निवास कर रहे हैं और संघ के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, संघ के नागरिक होंगे।''

मेरे विचार में, कुछ इसी प्रकार का खण्ड जरुरी है और उसके अंतर्गत वे लोग भी आएंगे जो, भारत में जन्मे हैं, जो संघ के बनने के बाद संघ की प्रजा होंगे। इस खण्ड के बिना लोगों की बहुत बड़ी संख्या नागरिकता से वंचित हो जाएगी। उनकी कोई भी नागरिकता नहीं रहेगी। अतः मेरा सुझाव है कि पूरा खण्ड भी आगे विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है।

सभापतिः यह सुझाव आया है कि और आगे विचार के लिए पूरे खण्ड 9 को अभी रोक दिया जाए।

श्री आर.के. सिधवाः यह केवल वकीलों का ही विषय नहीं है। इस प्रश्न का संबंध हर आम आदमी से है।

सभापतिः सलाहकार समिति इस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी और यदि वह महसूस करे तो वह अगली बैठक में कोई भी सुझाव पेश कर सकती है।

(खण्ड 3 स्थगित किया गया)

खण्ड 24

[*] **माननीय सर एन. गोपालस्वामी अय्यंगर:** श्रीमान्, मैं खण्ड-24 पेश करता हूँ :

"इस संविधान के अधीन परिसंघ या प्रांतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण जिसके अन्तर्गत ऐसे निर्वाचनों के संबंध में या उनसे उत्पन्न आशंकाओं तथा विवादों के विनिश्चय के लिए निर्वाचन अधिकरणों की नियुक्ति भी है, एक आयोग में निहित होगी जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"

श्रीमान्, इस खण्ड का उद्देश्य यथासंभव यह सुनिश्चित करना है कि देश में परिसंघ के या प्रांतों के निर्वाचन निष्पक्ष रीति से संचालित हों। इसके पीछे विचार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग स्थापित करना है जिसके तत्वाधान में निर्वाचन कार्यकलाप के ये सभी पहलू और निर्वाचनोत्तर कार्यकलाप विनियमित और नियंत्रित किए जाएंगे।

[**] **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: (बुम्बई: साधारण):** उपसभापति जी, मेरे विचार में यह वांछनीय होगा कि मैं सदन के समक्ष इस खण्ड की उत्पत्ति का उल्लेख करूं।

यद्यपि यह खंड संविधान में आया है जो संघ के बारे में है, फिर भी वास्तविकता यह है कि इस पर मूल अधिकार समिति द्वारा विचार किया गया था। उस समिति का निष्कर्ष था कि यदि चुनाव समकालीन कार्यपालिका के ढांचों में सौंप दिए गए तो अल्पसंख्यकों के बारे में या चुनावों के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। बहुत सारे लोग यह महसूस करते हैं कि यदि चुनाव कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन संचालित किए गए और यदि कार्यपालक प्राधिकारी के पास, किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी को प्रिय है या समकालीन सरकार को प्रिय है समर्थन प्राप्त करने के उद्‌देश्य से अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित करने की शक्ति हुई, जो कि उसके पास अवश्य होनी चाहिए जो उससे निश्चय ही स्वतंत्र निर्वाचन दूषित हो जाएगा। इसलिए मूल अधिकार समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह हल निकाला कि निर्वाचन की विशुद्धता के लिए, निर्वाचन में निष्पक्षता के लिए सबसे बड़ा रक्षोपाय इस विषय को कार्यपालक प्राधिकारी से लेकर किसी स्वतंत्र प्राधिकारी को सौंपना है। यद्यपि खण्ड 23 में विनिर्दिष्ट रूप से उस स्कीम का विस्तृत उल्लेख नहीं है जिस पर मूल अधिकार समिति में विचार किया गया था। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जो स्कीम <u>मूल अधिकार समिति के सदस्यों के</u> मन में थी वह यह थी कि पूरे भारत में चुनाव

[*] सी.ए.डी. खंड 4, 29 जुलाई, 1947, पृष्ठ 915।

[**] सी.ए.डी. खंड 4, 29 जुलाई, 1947, पृष्ठ 917-18।

कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय आयोग होगा। यद्यपि इस स्कीम में यह सोचा गया था कि निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय आयोग होना चाहिए। फिर भी यह कभी नहीं सोचा गया कि दिल्ली में या किसी केन्द्र में पीठासीन केवल एक आयोग होगा जहाँ केन्द्रीय सरकार आसीन होगी। स्कीम यह थी कि एक केन्द्रीय आयोग होगा जो संभवतः परिसंघीय संसद के निर्वाचनों से संबंधित काम करेगा किन्तु उस आयोग का हर प्रांत में अथवा यदि प्रांत इतना छोटा है कि वहां आयोग नहीं बनाया जा सकता तो दो या तीन प्रान्तों को एक साथ मिलाकर एक अधीनस्थ आयोग भी होगा। ताकि स्थानीय आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यकलाप संपन्न कराये जा सकें। शुरु से ही विचार यह था कि इसे विकेंद्रित किया जाना चाहिए। एक केन्द्रीय आयोग परिसंघ के निर्वाचनों के लिए होना चाहिए तथा विभिन्न प्रांतों में किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए अनेक आयोग होने चाहिएं। मेरा निवेदन है कि यदि यह स्कीम कार्यान्वित होती है तो उस मुद्दे का लाभ होगा जो मेरे मित्र श्री पाटस्कर के मन में संशोधन पेश करते समय था क्योंकि जहाँ तक मैं उनको समझता हूँ वह चाहते थे कि एक स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय आयोग होना चाहिए जो उस प्रांत में निर्वाचन संबंधी कार्य सम्पन्न करेगा और उनसे सम्बद्ध रहेगा। मेरे विचार से यही हमारा अभिप्राय था, हालांकि उस स्कीम का खंड 24 में कोई उल्लेख नहीं है। निस्संदेह यह विषय हमारे मन में था। फिर भी यदि मेरे मित्र पाटस्कर अपने संशोधन को पेश करना चाहते हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। वह यह कि जब आप उनके द्वारा तैयार किए गए संशोधन को पढ़ते हैं तो एक आशंका सामने आती है। वह चाहते हैं कि ''सभी निर्वाचनों'' के स्थान पर ''सभी परिसंघीय निर्वाचनों'' शब्द रखा जाए। मुझे उनके संशोधन पर बहुत आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वह एक मुद्दे पर मुझे आश्वस्त कर दें। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वह इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि निर्वाचनों का भाग कार्यपालिका से बाहर किसी स्वाधीन निकाय को सौंपा जाए? यदि इसे स्वीकार करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर, जैसा कि मैंने कहा था, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि सदन द्वारा यह भी मान लिया जाए कि खंड 24 जैसा खंड संविधान प्रांतीय भाग में समाविष्ट किया जाएगा। केन्द्रीकरण की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हमारे दिमाग में जो बात थी वह यह थी कि निर्वाचनों का काम समकालीन सरकार के हाथों से ले लिया जाना चाहिए।

[कैबिनेट मिशन ने मूल अधिकारों पर अल्पसंख्यकों आदि पर सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की थी। तद्नुसार संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1947 को एक संकल्प के द्वारा सरदार पटेल की अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति में 50 सदस्य थे जिनमें डॉ. अम्बेडकर भी थे। अपने काम को सुचारु ढंग से करने के लिए सलाहकार समिति ने चार उपसमितियाँ नियुक्त कीं:-

1. मूल अधिकारी उपसमिति;
2. अल्पसंख्यक उपसमिति;
3. उत्तर पूर्व सीमान्त जनजातीय क्षेत्र उपसमिति;
4. अपवर्जित और आंशिक रुप से अपवर्जित क्षेत्र (असम के क्षेत्रों से भिन्न) उपसमिति।

डॉ. अम्बेडकर पहली दो उपसमितियों के सदस्य थे और उन्होंने इनकी कार्यवाहियों में गहरी रूचि ली थी। उन्होंने मूल अधिकार उपसमिति को एक ज्ञापन भी पेश किया था जिसमें उन्होंने अपने विचारों को साकार रूप दिया था। बाद में ''राज्य और अल्पसंख्यक वर्ग, उनके अधिकार क्या हैं और स्वतंत्र भारत के संविधान में उन्हें वे कैसे दिलवाये जाएं'' शीर्षक से इस ज्ञापन को व्यापक प्रचार के लिए प्रकाशित किया था।

संविधान सभा ने अन्य तीन समितियां भी नियुक्त की। वे थी-(1) संघीय शक्ति समिति, (2) संघीय संविधान समिति, (3) अनंतिम संविधान समिति। पहली दो समितियों के सभापति पंडित जवाहर लाल नेहरु थे, जबकि तीसरी समिति के सभापति सरदार वल्लभभाई पटेल थे। इन समितियों की स्थापना 30 अप्रैल, 1947 को एक संकाय द्वारा की गई थी।

डॉ. अम्बेडकर संघीय संविधान समिति के सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट उसके सभापति द्वारा 4 जुलाई, 1947 को संविधान सभा के सभापति के समक्ष पेश की गई थी। सभा की विभिन्न उपसमितियों में डॉ. अम्बेडकर ने जो कार्य किया था, वह बहुत उपयोगी माना गया और कांग्रेस आलाकमान उससे आश्वस्त हो गए। उन्हें इसमें संदेह नहीं रहा कि डॉ. अम्बेडकर की सेवाओं के बिना विधायन और स्वतंत्रता की मजबूती को साकार करना आसान नहीं होगा। बंगाल के विभाजन की वजह से डॉ. अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नही रहे। कांग्रेस पार्टी ने आगे आकर उन्हें सभा में सदस्यता के लिए प्रायोजित किया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में उनके प्रवेश पर एड़ी-चोटी का जोर लगाकर विरोध किया था।

तारीख 30 जून, 1947 के अपने पत्र में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सभापति संविधान सभा ने बुम्बई के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री बी.जी. खरे से अनुरोध किया कि डॉ. अम्बेडकर को तुरंत निर्वाचित किया जाए। उन्होंने लिखा था- ''अन्य किसी भी बात के अलावा, हमने देखा कि संविधान सभा में और उन विभिन्न समितियों में जिनमें डॉ. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था, दोनों में डॉ. अम्बेडकर का काम इतना श्रेष्ठ है कि यह आवश्यक है कि हमें उनकी सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, वह बंगाल में चुने गए थे

और प्रांत के विभाजन के बाद वह संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। मैं चिन्तातुर हूँ कि वह 14 जुलाई से प्रारंभ होने वाले संविधान सभा के अगले सत्र में भाग लें। अतः यह आवश्यक है कि वह तुरन्त निर्वाचित किए जाएँ।''

तद्नुसार डॉ. अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रुप में जुलाई, 1947 में मुम्बई से पुनः निर्वाचित हुए। इसके बाद शीघ्र ही प्रधानमंत्री नेहरु ने उन्हें 15 अगस्त, 1947 को स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या में गठित मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉ. अम्बेडकर ने आमंत्रण स्वीकार किया और भारत के प्रथम विधि मंत्री बने 29 अगस्त को सभा ने उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया, जिसे संविधान निर्माण का कार्य सौपा गया था। डॉ. अम्बेडकर जो अब तक कांग्रेस के पक्के विरोधी थे, संविधान के विषय में उनके मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक बन गए-संपादक।]

*****

भाग 2

अगस्त 14, 1947 से फरवरी 25, 1948

प्रारुप संविधान की समीक्षा करने वाली समिति

*__श्री सत्यनारायण सिन्हाः__ श्रीमान्, मुझे यह प्रस्तावित करने की अनुमति देने की कृपा करें:-

''यह सभा संकल्प करती है कि :-

(1) श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

(2) श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगर

(3) माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

(4) श्री के.एम. मुंशी

(5) श्री सैय्यर मोहम्मद सादुल्ला

(6) सर बी.एल. मित्रा

(7) श्री डी.पी. खैतान

की एक समिति सभा में किए गए विनिश्चय के आधार पर सभा के कार्यालय में तैयार किए गए भारत के प्रारुप संविधान की समीक्षा करने तथा आवश्यक संशोधन सुझाने के लिए नियुक्त किए जाएँ।''

(प्रस्ताव अपना लिया गया-संपादक)

संविधान सभा की कार्य समिति की रिपोर्ट

**__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई-साधारण):__ सभापति महोदय, मुझे यह प्रस्तावित करने की अनुमति देने की कृपा करें कि यह सभा 20 अगस्त, 1947 को सभा के फैसलों के अनुसरण में सभापति द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत, भारत स्वाधीनता अधिनियम, 1947 के अधीन संविधान सभा के कार्यों विषयक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अग्रसर हो।

श्रीमान्, समिति की रिपोर्ट सदन के सदस्यों को पहले ही परिचालित की जा चुकी है और मैं नहीं समझता कि इस प्रक्रम पर जब रिपोर्ट कम से कम पिछले दो दिनों से सदस्यों के हाथों में है, मुझे इस समिति के कार्य पर बहुत विस्तार से चर्चा करनी

---

*. संविधान सभा वाद-विवाद। इसके पश्चात् इसे संक्षिप्त रूप में सी.ए.डी. कहा गया है। शासकीय रिपोर्ट 1952, तारीख 29 अगस्त, 1947, पृष्ठ 293-94।

** वही, पृष्ठ 310-312।

चाहिए। मेरे विचार में सबसे पहले समिति की सिफारिशों की ओर ध्यान आकृष्ट करना पर्याप्त होगा।

समिति ने कुल पांच सिफारिशें की हैं। उसकी पहली सिफारिश है कि संविधान सभा विधायिका के रुप में काम करने के लिए स्वतंत्र है और यह कि उसे इस रुप में काम करना चाहिए; (2) विधायिका के रुप में काम करते हुए यथासंभव विधानसभा के नियम आवश्यक संशोधनों के साथ अपना लेने चाहिएँ; (3) संविधान सभा के सभापति के आदेश से आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए; (4) संविधान निर्माण करने वाले निकाय के रुप में और साधारण विधानमंडल के रुप में संविधान सभा का काम अलग-अलग किया जाना चाहिए तथा पृथक-पृथक सत्रों में किया जाना चाहिए जो अलग-अलग दिनों में आयोजित किए जाएँ; (5) सत्रावसान की शक्ति सभापति में होनी चाहिए न कि गवर्नर जनरल में जैसा कि भारत शासन अधिनियम के अनुकूल (एडेप्टेशन) में पाया जाता है। ये सिफारिशें करने के बाद समिति ने इस पर विचार किया कि क्या ऐसी कुछ कठिनाइयॉ हैं जो उसकी सिफारिशों को कार्य रुप देने में बाधक बनेंगी और इस दौरान उसे तीन कठिनाइयाँ मिलीं जो उसे अपनी सिफारिशों को कार्य रुप देने के लिए दूर करनी पड़ीं।

पहली, क्या संविधान सभा और विधायिका दोनों निकायों की अध्यक्षता एक ही व्यक्ति करे। इसमें कठिनाई पैदा हो गई थी क्योंकि भारत शासन अधिनियम की धारा 22 जो स्पीकर (अध्यक्ष) के पद के विषय में थी, एडेप्टेशन द्वारा निकाल दी गई थी। ये एडेप्टेशन भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अधीन किए गए थे। परिणामस्वरुप सभापति ही एकमात्र व्यक्ति है जिसे संविधान निर्माण निकाय एवं विधानमंडल दोनों की अध्यक्षता करनी है। साधारणतया इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस परिस्थिति में जब उदाहरणार्थ, सभापति (प्रेसिडेन्ट) राज्यमंत्री हो तो यह कठिनाई पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सभापति को जो एक राज्यमंत्री भी है, उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता करनी पड़े जब वह विधान बनाने का काम कर रही हो। परिणामस्वरुप समिति ने सोचा कि कोई-सा एक मार्ग अपनाना होगा; या तो सभापति मंत्री न रहे अथवा यदि वह मंत्री बना रहता है तो सभा एक दूसरे अधिकारी का चुनाव करे जो अध्यक्ष (स्पीकर) या उपाध्यक्ष कहलाए। उसका काम उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता करना होगा, जब वह विधि निर्माण के प्रयोजन के लिए सत्र में हो।

समिति के सामने जो दूसरी कठिनाई आई वह राज्यों के प्रतिनिधियों के बारे में थी। सदन को ध्यान होगा कि संविधान सभा, जब विधि निर्माण के प्रयोजन से बैठेगी तो वह उस सम्पूर्ण क्षेत्र पर काम करेगी जो भारत शासन अधिनियम की सातवीं अनुसूची की

सूची सं. 1 में अंकित है। सदन को यह भी ध्यान होगा कि देशी रियासतों ने फिलहाल संविधान सभा में भाग अंगीकार पत्र के आधार पर लिया है जो सूची सं. 1 में दिए गए विषयों से पूरी तरह नहीं मिलते। वस्तुतः अंगीकार पत्र में शामिल विषय-सूची सं. 1 में शामिल किए गए विषयों से काफी कम है। अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या उन लोगों को जो संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं और जो अंगीकार पत्र से आबद्ध हैं तथा कम विषयों के लिए उत्तरदायी हैं, कुछ अन्य विषयों से संबंधित जो अंगीकार पत्र में दी गई सूची में सम्मिलित नहीं किए गए थे, प्रस्तावों और वाद-विवाद में भाग लेने देना चाहिए। निस्संदेह इस मामले से निपटने के दो उपाय थे। एक उपाय था ''अन्दर और बाहर'' की प्रक्रिया अपनाना-कि वे सभा में बैठें और मतदान करें जब बहस की मद अंगीकार पत्र और सूची संख्या 1 दोनों में एक-सी हो और जब सदन में ऐसे मद पर चर्चा चल रही हो जो अंगीकार पत्र में नहीं है तो उन्हें उसमें भाग न लेने दिया जाए। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से दूसरा उपाय तर्कसंगत था, फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से हमारी वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा अंतर नहीं किया जाना चाहिए। अतः समिति ने सिफारिश की कि सूची सं. 1 और अंगीकार पत्र में अंकित विषयों के बावजूद देशी रियासतों के प्रतिनिधि सभी विषयों से संबंधित सभी प्रस्तावों में भाग लेते रहेंगे, भले ही दोनों सूचियों में अंतर हो।

समिति ने महसूस किया कि तीसरा विचारणीय प्रश्न मंत्रियों के स्थान के बारे में है। जैसा कि सदन को विदित है, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो फिलहाल संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। ऐसे मंत्रियों की संख्या पाँच है। अतः विचारणीय प्रश्न यह है कि जो मंत्री संविधान सभा के सदस्य हैं उन्हें क्या संविधान सभा और विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेना चाहिए। जहाँ तक उनके विधानमंडल के काम में भाग लेने का संबंध है, यह स्थिति इस तथ्य से सुरक्षित है कि एडेपटेशन द्वारा भारत शासन अधिनियम की धारा 2 उपधारा (2) को रख लिया गया तथा सदन के सदस्य यह जानने हैं कि धारा 10 की उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन भले ही कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य न हो, फिर भी वह विधानमंडल के कार्य में भाग ले सकता है और मंत्री हो सकता है। अतः इसके अधीन जो मंत्री संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं वे राज्यमंत्री रहते हुए, संविधान सभा में उस समय बैठने के हकदार होंगे जब वह विधानमंडल के रुप में काम करें।

अब प्रश्न यह है कि संविधान सभा से उनका क्या संबंध होगा। फिलहाल चूंकि वे संविध्सान सभा के सदस्य नहीं हैं इसलिए वे संविधान सभा के काम में, जहाँ तक संविधान निर्माण का संबंध है, भाग लेने के लिए हकदार नहीं हैं। समिति इस नतीजे पर पहुंची कि यह आवश्यक है कि संविधान निर्माण के विषय में उनका मार्गदर्शन

संविधान सभा को सुलभ हो, इसलिए जिस प्रकार धारा 10 की उपधारा (2) उन्हें विधानमंडल के काम में भाग लेने की इजाजत देती है, उसी प्रकार संविधान सभा को भी एक उपबंध करना चाहिए जिसके अनुसार सरकार के वे सदस्य भी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, संविधान सभा की कार्यवाही में भाग ले सकें।

श्रीमान्, दो अन्य विषय ऐसे हैं जिनके बारे में समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है और यह आवश्यक है कि मैं उनका उल्लेख करूँ। प्रथम, दोहरी सदस्यता का प्रश्न है। जैसा कि सदन को ज्ञात है संविधान सभा के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो प्रांतीय विधानमंडल के भी सदस्य हैं। अभी तक तो कोई विसंगति नहीं है, क्योंकि संविधान सभा विधानमंडल नहीं है। लेकिन जब संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करने लगेगी तो दोहरी सदस्यता की वजह से निस्संदेह टकराव उत्पन्न होगा। मैं भारत शासन अधिनियम की धारा 68(2)के उपबंध की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जो इस विषय में है। धारा 68(2) के अनुसार कोई सदस्य दो विधानमंडलों–केन्द्रीय और प्रांतीय की दोहरी सदस्यता नहीं कर सकता। लेकिन इस उपबंध को अब एडेटेंशन द्वारा हटा दिया गया है। परिणामस्वरूप अब संविधान सभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य के रूप में काम करते समय किसी दूसरी विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। निस्संदेह यह विसंगति विशुद्ध रूप से और पूरी तरह सांविधानिक दृष्टि से, अब भी विद्यमान है। यह विनिश्चिय करना संविधान सभा का काम है कि क्या वे धारा 68(2) के लोप में समाविष्ट सिद्धांत को स्वीकार करेंगे और दोहरी सदस्यता की अनुमति देंगे अथवा क्या धारा 68(2) के हटाए जाने के बावजूद दोहरी सदस्यता को रोकने के लिए कोई उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

दूसरा प्रश्न जिसके बारे में समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है, संविधान सभा के प्रशासनिक संगठन के विषय में है। सभा में प्रशासनिक संगठन अकेला एकीकृत संगठन है, अतः यह संविधान सभा के सभापति के अनन्य नियंत्रण में है। जब तक संविधान सभा के पास केवल एक और अनन्य काम था– संविधान तैयार करना, तब तक इस विषय में कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन जब संविधान सभा दोहरी हैसियत से काम करेगी–यह संविधान निर्माण निकाय के रूप में और दूसरे विधि निर्माण करने वाले निकाय के रूप में जिसकी अध्यक्षता एक अन्य व्यक्ति अर्थात् स्पीकर (अध्यक्ष) या डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) करेगा तब कर्मचारियों में तालमेल के सवाल पैदा हो सकते हैं। किन्तु समिति का विचार था कि सौंपी गई विषय–सूची के अंतर्गत वे इस विषय पर विचार करने के हकदार नहीं हैं अतः उसने इस पर कोई विचार नहीं किया।

श्रीमान्, मेरे विचार में मुझे सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है वह सदन के सदस्यों को यह स्मरण कराने के लिए पर्याप्त

होगा कि समिति ने क्या-क्या किया है और इससे बढ़िया तरीके से रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे।

*****

सभापतिः मेरे विचार में, हम इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। अब मैं डॉ. अम्बेडकर को उत्तर देने के लिए बुलाता हूँ।

#**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** सभापति जी, समिति की रिपोर्ट पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। सदन के कुछ सदस्यों ने इसे गड़बड़ दस्तावेज कहा। जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को ऐसा नाम दिया हैं उन्हें मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर बहुत विचार करना आवश्यक नहीं है। मैं केवल अपने जवाब में कुछ तकनीकी मुद्दों का समाधान करना चाहता हूँ। ये मुद्दे मेरे मित्र डॉ. देशमुख और श्री विश्वनाथ दास ने उठाए हैं। डॉ. देशमुख ने समिति की दो सिफारिशों का जिक्र किया है। उनमें से एक सिफारिश समिति की सब कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को दी जाने वाली अनुमति के संबंध में थी। दूसरी सिफारिश जिसका उन्होंने संकेत दिया था, राज्यमंत्रियों के बारे में थी, जिनके बारे में समिति ने कहा था कि सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए भी अनुमति देना वांछनीय नहीं होगा। डॉ. देशमुख ने कहा है कि समिति ने जो मत व्यक्त किया है वह तार्किक और उपयोगी है। समिति ने यह नहीं कहा कि यह सांविधानिक है। मुझे इस प्रश्न पर बड़ा आश्चर्य हुआ, विशेष रुप से इसलिए कि डॉ. देशमुख एक वकील हैं। दरअसल, उन्हें समझ लेना चाहिए था कि वास्तव में कोई संविधान है ही नहीं। संविधान सभा संविधान बना रही है, और संविधान सभा जो कुछ करती है वह सांविधानिक होगा (सुनिये सुनिये)। यदि संविधान सभा कहती है कि राज्यों के प्रतिनिधियों को भाग नहीं लेना चाहिए तो वह पूरी तरह सांविधानिक होगा। यदि संविधान सभा का कहना है कि उन्हें भाग लेना चाहिए तो वह भी पूरी तरह सांविधानिक होगा। इसलिए मेरे विचार में इस प्रकार की मताभिव्यक्ति एकदम गलत थी। मेरे मित्र श्री विश्वनाथ दास द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने यह विचार प्रकट करना ठीक समझा जो उन्होंने व्यक्त किया है। यदि मुझे उनका कथन ठीक-ठीक याद है तो उनके विचार दो मुद्दों पर और थे। उनका कहना है कि समिति संविधान सभा को दो भागों में बांट रही है। यह एक अविभाज्य निकाय है, यह अखंड रूप में काम कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि क्या वह यह समझ पाने की स्थिति में नहीं हैं कि

---

*. सी.ए.डी. आधिकारिक रिपोर्ट, खण्ड 5, 29 अगस्त, 1947, पृष्ठ संख्या 327-31

संविधान बनाने का काम साधारण विधि बनाने से बिल्कुल भिन्न है। संक्षेप में मुझे अंतर यह प्रतीत होता है कि संविधान सभा संविधान से आबद्ध नहीं है लेकिन विधानमंडल संविधान से आबद्ध है। जब संविधान सभा विधानमंडल की हैसियत से काम करती है तो वह स्वाधीनता अधिनियम द्वारा यथा अनुकूलित भारत शासन अधिनियम से आबद्ध होती है। हर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाने की स्थिति में होगा कि कोई प्रस्ताव विशेष शक्तिबाह्य है या शक्ति के अंतर्गत है। लेकिन निश्चय ही ऐसा सवाल उस समय नहीं उठ सकता जब संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही है। और मेरे विचार में यह काफी बड़ा अंतर है। इससे हम हर दशा में कल्पना करके यह समझ सकते हैं कि दो कृत्य अलग-अलग हैं और इनके प्रयोजन भिन्न-भिन्न हैं, काम भिन्न और यदि हम भ्रांति से बचना चाहते हैं तो ऐसा करने का व्यावहारिक तरीका यह होगा कि संविधान सभा विधानमंडल से सुभिन्न एक पृथक सत्र में बुलाई जाए। उन्होंने कुछ शिकायत अनुकूलनों के खिलाफ भी की है। अब मुझे मुक्त भाव से यह कहना होगा कि भारत शासन अधिनियम, 1935 में जो अनुकूलन समाविष्ट किए गए हैं, उनके लिए हममें से कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

यदि वह भारत स्वाधीनता विधेयक की खण्ड 8 के उपखंड (1) के प्रति निर्देश कर रहे हैं तो वह महसूस करेंगे कि इस खण्ड के अधीन नई परिस्थिति के अनुरूप भारत शासन अधिनियम, 1935 का अनुकूलन करने की शक्ति जो विधानमंडल के रूप में संविधान सभा के पास है, पूर्णतः गवर्नर जनरल में निहित है। मेरे विचार में, यह संभव है कि गवर्नर जनरल ने यह फैसला करने के लिए किसी स्रोत से सलाह ली हो कि क्या-क्या अनुकूलन समाविष्ट किए जाएँ। इसलिए इस क्षण इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यदि भारत शासन अधिनियम, 1935 में शामिल किए गए अनुकूलनों से संविधान सभा का समाधान नहीं हुआ है, तो उसी खण्ड 8 के उपखण्ड (1) में लिखा है कि संविधान सभा अनुकूलनों में परिवर्तन करके तथा अन्य किसी को शामिल करके पूरी तरह अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्य करेगी। अतः मेरा निवेदन है श्रीमान् कि समिति के आलोचकों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें कोई सार नहीं है।

दूसरा मुद्दा है जिसकी ओर मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी ने इंगित किया है। उन्होंने कहा है कि श्री मुंशी के संकल्प में रिपोर्ट के दूसरे भाग पर ध्यान दिया गया है। वह भाग इस प्रश्न पर है कि सभापति ही विचार-विमर्श और प्रशासनिक दोनों पक्षों का एकमात्र प्राधिकारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि संकल्प, जो श्री मुंशी द्वारा तैयार किया गया है और हमारे सामने पेश किया गया है, में विशेष रूप से समिति के सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं, यह उपबंध विशेष नहीं था। मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि श्री कृष्ण

माचारी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें, तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि रिपोर्ट का भाग विशेष समिति की ओर से की गई मताभिव्यक्ति है, न कि सिफारिश। अतः मेरे मित्र श्री मुंशी ने इसका उल्लेख न करके पूरी तरह न्यायोचित कार्य किया है।

पंडित लक्ष्मी कांत मैत्राः श्रीमान्, मैं डॉ. अम्बेडकर से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि .... आदि।

एक माननीय सदस्यः यह भाषण है या सवाल है?

सभापतिः मैं पंडित मैत्रा को स्मरण करा दूँ कि वह भाषण नहीं दे सकते। उन्होंने प्रश्न पूछा है और यदि डॉ. अम्बेडकर चाहेंगे तो वह उसका उत्तर देंगे।

एक माननीय सदस्यः प्रश्न ही सही नहीं है।

पंडित लक्ष्मी कांत मैत्राः इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती? जब माननीय सदस्य बहस का जवाब देते हैं और माननीय सदस्य उसे समझ नहीं पाते हैं तो मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए वह साधिकार आगे सवाल कर सकते हैं।

सभापतिः आपने प्रश्न पूछा है। डॉ. अम्बेडकर उत्तर देंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः मैं संक्षेप में जवाब दूँगा। पहला सवाल था कि क्या भारत शासन अधिनियम के अनुकूलनों में हमने कोई परिवर्तन करना सोचा है। मेरा जवाब है कि यह तय करना सदन का काम है कि वह कौन से अनुकूलन चाहता है। लेकिन मैं अपने मित्र को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे पास अनुलनों को बदलने की शक्ति है। अनुकूलनों सहित भारत शासन अधिनियम हम पर इस अर्थ में समग्रतः आबद्धकर नहीं है कि परिवर्तन हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं हैं। यदि किसी विषय पर पुनर्विचार करके सदन पाए कि कुछ अनुकूलनों को परिवर्तित किया जाना चाहिए तो उस उपबंध को लेना सर्वथा संभव होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री मैत्रा ने जो दूसरा सवाल पूछा था, वह यह था कि क्या प्रशासन की एकता प्रभावित होने की संभावना है और इस तथ्य की दृष्टि से मतभेद होने की संभावना है कि दो पद हो सकते हैं–एक सभापति (प्रेसिडेन्ट) का जो संविधान सभा की अध्यक्षता करें और दूसरा अध्यक्ष (स्पीकर) का जो विधानमंडल की अध्यक्षता करे। समिति का कहना है कि टकराव की सैद्धांतिक संभावना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि टकराव होना जरुरी नहीं है। व्यवहार में, सभा के सभापति और अध्यक्ष का दो पदों एक एकात्मक रूप में काम करना पूरी तरह संभव होना चाहिए और संविधान सभा तथा

विधानमंडल के कार्यघंटों का इन्तजाम इतना सही ढंग से होना चाहिए कि इस तथ्य के बावजूद कि हमारे यहां दो पद हैं, हमें इस बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं कि टकराव अवश्यमेव होगा ही।

जहां तक तीसरे प्रश्न का संबंध है, प्रकट है कि संविधान सभा को विधायी निकाय में बदलने के लिए हम अब जो व्यवस्था कर रहे हैं वह निस्संदेह अस्थायी होगी। यह तब तक रहेगी जब तक संविधान निर्माण का काम पूरा नहीं हो जाता। संविधान निर्माण का काम पूरा होने पर प्रकट है कि कोई न कोई भी व्यवस्था विलुप्त हो जाएगी और तब हम विधानमंडल के रूप में ही कार्य करेंगे।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : एक और सवाल माननीय सदस्य ने कहा कि सदन द्वारा पुनः अनुकूलन किया जा सकता है। क्या गवर्नर जनरल के लिए और आगे अनुकूलन करना संभव है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः यह कानून का सवाल है। सदन को अनुकूलन को बदलने की शक्ति है।

श्री नजीरुद्दीन अहमदः मुझे इससे इनकार नहीं। सवाल यह है कि क्या माननीय सदस्य की राय में गवर्नर जनरल और आगे अनुकूलन कर सकते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः नहीं, क्योंकि उन्हें अपने मंत्रियों की सलाह पर काम करना होगा।

श्री नजीरुद्दीन अहमदः क्या वह ऐसा अपने मंत्रियों की सलाह पर कर सकते हैं?

एक माननीय सदस्यः क्या यह न्यायालय है या प्रतिपरीक्षा (जिरह) है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः मुझे पक्का मालूम नहीं और मैं एकदम जवाब देना पसंद नहीं करता।

सभापतिः मेरे विचार में, हमें प्रस्ताव को खण्ड-खण्ड में रखना है जैसा कि सुझाव दिया गया था।

[प्रस्ताव खण्ड-खण्ड के रुप में अंगीकार किया गया। इसके बाद निम्नलिखित रुप में संकल्प अंगीकार कर लिया गया-संपादक]

सभापतिः प्रश्न यह है: कि संकल्प समग्र रुप में अंगीकार किया जाए अर्थात्-

भारतीय स्वाधीनता के अधीन संविधान सभा के कृत्यों विषयक रिपोर्ट पर विचार करने के बारे में माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के प्रस्ताव के संदर्भ में एतद्द्वारा यह संकल्प किया जाता है कि–

(i) सभा के कृत्य निम्नलिखित होंगे–

(क) तारीख 9 दिसम्बर, 1946 को प्रारंभ हुए संविधान निर्माण का काम जारी रखना और उसे पूरा करना, तथा

(ख) जब तक नये संविधान के अनुसार विधानमंडल नहीं बनता है तब तक डोमीनियन विधानमंडल के रूप में काम करना।

(ii) संविधान निर्माण निकाय के रूप में सभा का काम करना डोमिनियन विधानमंडल के रुप में उसके सामान्य काम से साफ तौर पर भिन्न होना चाहिए तथा दो प्रकार के कामकाज के लिए अलग-अलग दिन या उसी दिन अलग-अलग बैठकें होनी चाहिएं।

(iii) संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की स्थिति विषयक रिपोर्ट के पैरा 6 में दी गई सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएँ।

(iv) डोमिनियन विधानमंडल के रूप में काम करते समय सभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करने के लिए एक अधिकारी के निर्वाचन के लिए जिसे अध्यक्ष (स्पीकर) कहा जाएगा, संविधान सभा के नियमों में उपयुक्त उपबंध किया जाए।

(v) डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए, सभा को बुलाने और उसका सत्रावसान करने की शक्ति सभापति में निहित होनी चाहिए।

(vi) डोमिनियन सरकार के उन मंत्रियों को जो संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, उसमें उपस्थित होने तथा संविधान निर्माण के उसके काम में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, यद्यपि जब तक वे संविधान सभा के सदस्य न बनें तब तक उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए।

(vii) (क) भारतीय विधानसभा के नियमों और स्थायी आदेशों को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 के अधीन अनुकूलित भारत शासन अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें आवश्यक उपान्तरण अनुकूलन और अभिवर्धन संविधान सभा के सभापति द्वारा किए जाने चाहिएँ।

---

* सी.सी.डी. शासकीय रिपोर्ट, खण्ड 6, तारीख 27 जनवरी, 1948 पृष्ठ 9 ।

(ख) रिपोर्ट के पैरा 9 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए और जहाँ आवश्यक हो, भारत शासन अधिनियम की सुसंगत धारा को नए नियम के अनुरूप बनाने के लिए उस धारा का अनुकूलन कराने के लिए उक्त नियमों और स्थायी आदेशों में उपातंरण अनुकूलन और अभिवर्धन यथासंभव संविधान सभा या सभापति द्वारा किया जाना चाहिए।

पूर्वी पंजाब को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व

सभापतिः और लम्बी चर्चा से बचने के लिए क्या मैं इस संकल्प विशेष के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में वक्तव्य दे सकता हूँ? यह मामला संचालन समिति के सामने पेश किया गया था* और विलय निर्वाचन संचालन समिति ने महसूस किया है कि इन आंकड़ों पर विचार करने के लिए उसे एक बहुत छोटी समिति के पास भेजना आवश्यक है।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे–

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर,

दीवान चमन लाल,

ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर,

श्री रफी अहमद किदवई, और

श्री अय्यंगर।

तथा इन सब आंकड़ों और अन्य ऐसी जानकारियों पर ध्यान देने के बाद जो एक जगह से दूसरी जगह जनता के प्रवासन के बारे में उपबंध थे, समिति ने कुछ सिफारिशों की जिनके आधार पर यह संकल्प सदन के समक्ष आया है। विषय निर्वाचन समिति की सिफारिशों पर मैंने एक उपसमिति बनाई थी। उसने इस विषय पर विचार किया है। निःसंदेह, सदन इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह इसे स्वीकार करे या न करे। मेरे विचार में इस स्थिति को स्पष्ट करना बेहतर होगा। खेद है कि उपसमिति की रिपोर्ट परिचालित नहीं की गई है। केवल संकल्प परिचालित किया गया है। यदि सदस्यों के समक्ष यह रिपोर्ट होती तो संभव है बहुत सारी चर्चा से बचा जा सकता था किन्तु ऐसा नहीं हुआ है। इसका मुझे खेद है।

*****

#. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, खण्ड 6, 27 जनवरी, 1948, पृष्ठ 18 ।

* वही, पृष्ठ 18 ।

नए नियमों 38क से 38बी को जोड़ना

#**श्रीमती जी दुर्गाबाई (मद्रासः साधारण):** सभापति, महोदय मुझे मेरा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देने की कृपा करें। यह प्रस्ताव है–

संविधान सभा निम्नलिखित नियमों के संशोधनों पर विचार करे–

नियम 38 के बाद निम्नलिखित जोड़िए–

प्रस्तावित नियमों के द्वारा एक अध्याय अर्थात् अध्याय 6(क) में भारत के संविधान के बारे में उपबंध करने के लिए विधायन प्रक्रिया दी गई है। वे नियम 38ए से लेकर 38बी तक 22 नियमों में फैले हुए हैं और दो प्रवर्गों में विभाजित हैं।

(इस प्रस्ताव के बाद चर्चा हुई। उसके बाद डॉ. अम्बेडकर आलोचना का उत्तर देने के लिए उठे–संपादक)

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : साधारण):__ सभापति महोदय, मैं श्रीमती दुर्गाबाई के प्रस्ताव के बारे में श्री संथानम द्वारा की गई आलोचनाओं में से कुछ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रस्ताव में इस संविधान सभा द्वारा कुछ नियमों को अंगीकार किया जाना प्रस्तावित है। उनके प्रस्ताव की आलोचनाओं में एक आलोचना श्री संथानम द्वारा की गई है। श्री संथानम की मुख्य आलोचना यह है कि वर्तमान नियम 24 हमारे वर्तमान प्रयोजन के लिए बहुत पर्याप्त है और किसी नये नियम की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि जब श्री संथानम प्रस्ताव का विरोध करने के लिए उठे तो उन्होंने इस सवाल पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। नियम 24 में प्रस्ताव का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि इस सदन में प्रस्ताव लाकर कुछ भी किया जा सकता है। यह बिलकुल सच है लेकिन मुझे यकीन है कि श्री संथानम यह नहीं समझ पाए कि यह सर्वव्यापी नियम पर्याप्त नहीं होगा और विस्तृत नियमों की जरूरत है। प्रस्तावों के दो प्रवर्ग हैं एक वह प्रस्ताव है जिससे आगे कोई चरण नहीं होता। वे उस प्रस्ताव विशेष पर सदन द्वारा लिए गए फैसले से ही समाप्त हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के प्रस्ताव वे हैं जिनके आगे और भी चरण होते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव का एक खास दृष्टांत है–विधेयक पुनःस्थापित करने का प्रस्ताव। जो विधेयक प्रस्ताव से पुनःस्थापित किया जाता है वह उस प्रस्ताव विशेष से समाप्त नहीं होता है यदि सदन उस प्रस्ताव के पक्ष में फैसला करता है। उसके लिए और आगे भी चरणों को पार करना होता है। अतः यह जरूरी है कि इस प्रकार के प्रस्ताव के आगे के चरणों में एक खास नियम से विनियमित किए जाएँ।

मेरा विचार है कि यदि मेरे मित्र श्री संथानम संविधान सभा (विधायी) नियमों को देखते, तो वह यह देख सकते थे कि जो उपबंध नए नियमों में किया गया है, जो श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा पेश किया गया था वह संविधान सभा के नियमों और स्थायी आदेशों में अंकित उपबंधों के अनुरुप था। उदाहरण के लिए, वह देखेंगे कि संविधान सभा के नियमों के नियम 24 के सदृश स्थायी आदेश सं. 30 है जो हूँ-ब-हूँ नियम 29 जैसी ही शब्दावली में लेखबद्ध है। इसके बावजूद, एक दूसरा स्थायी आदेश है अर्थात् स्थायी आदेश सं. 37, जिसमें विधेयकों के लिए उपबंध किया गया है और यह भी अधिकथित है कि उनके बारे में आगे कौन से प्रस्ताव सदन में पेश किए जा सकते हैं। इसलिए इस आधार पर नया नियम अपनाने के लिए किया गया प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा उसकी विधायी हैसियत में अंगीकृत प्रक्रिया के अनुरूप है। मेरा विचार है कि यदि संविधान सभा विधायन संबंधी अपने कार्य को सम्पादित करने के लिए केवल नियम 24 पर आश्रित रही तो मेरे मन में लेश भी संदेह नहीं है कि पूरी अराजकता फैल जाएगी। यदि केवल नियम 24 हो तो प्रस्तावों की संख्या और उनकी प्रकृति के बारे में कोई सीमा नहीं हो सकती। माननीय सदस्य विधानसभा नियमों में देखेंगे कि किसी विधेयक के पुनःस्थापित हो जाने के बाद केवल तीन प्रस्तावों की इजाजत होती है। एक परिचालित करने का प्रस्ताव, दूसरा विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव और तीसरा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव। यदि हमारी कार्यवाहियों को लागू होने के लिए केवल नियम 24 होगा तो कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से कोई भी प्रस्ताव रखने के लिए स्वतंत्र होगा। वस्तुतः कुछ दशाओं में जरूरी होगा कि इन तीनों प्रस्तावों में से किसी भी एक को पेश करने की आजादी न दी जाए। हमारे नए संविधान विषयक विधेयक को पारित करने के प्रयोजन की अपनी प्रक्रिया में हमने किसी सदस्य द्वारा रखे जाने वाले प्रस्तावित नए नियमों में संविधान के परिचालन के प्रस्ताव की इजाजत नहीं है क्योंकि हमारे विचार में ऐसा करने से विलम्ब होगा। संक्षेप में, ध्यान रखने की बात यह है कि यदि ये नियम अंगीकार नहीं किए गए तो विधेयक के अगले चरणों को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। इसलिए मेरे विचार में श्री संथानम द्वारा उठाए गए मुद्दे में कोई सार नहीं है।

श्री संस्थानम द्वारा की गई आलोचना का दूसरा मुद्दा नए नियमों में से एक नियम के बारे में है। इस नियम के अनुसार संविधान सभा द्वारा अंगीकृत विधेयक पारित किए जाने पर गवर्नर जनरल की अनुमति होनी आवश्यक है। जैसा कि इस सदन के सदस्यों को याद होगा, वह समिति जिसने संविधान सभा के कृत्यों के विभाजन के बारे में रिपोर्ट दी थी: (1) संविधान सभा द्वारा संविधान विषयक विधियां बनाया जाना और (2) डोमिनियमन विधानमंडल द्वारा सामान्य विधि बनाई जाना, संविधान सभा के कार्य को दो भागों में

बांटा गया था–एक भावी संविधान निर्माण का काम और दूसरा, भारत शासन अधि नियम, 1935 तथा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 में अन्तर्विष्ट वर्तमान संविधान के संशोधन के बारे में। भावी संविधान बनाने और पारित करने को उसकी शक्ति के बारे में गवर्नर जनरल का कोई स्थान नहीं है। संविधान सभा का स्थान ही सर्वोच्च है। इतना ही नहीं कि गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक नहीं है, अब तैयार किए गए नियमों के अनुसार, सभापति की अनुमति भी अपेक्षित नहीं है। इस सभा द्वारा संविधान पारित किए जाने के बाद सभापति को दी गई एकमात्र शक्ति केवल संकेत स्वरूप उस पर हस्ताक्षर करना है कि वह संविधान का अंतिम अधिनियम है। यह सामान्य अर्थ में अनुमति नहीं है। गवर्नर जनरल की अनुमति को वर्तमान संविधान के संशोधन के बारे में रखे रहने दिया है। मैं जानता हूँ कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्हें इस बात से कष्ट होता है कि ऐसा उपबंध कायम रहने दिया जाए। लेकिन मैं सदन के सामने बताऊंगा कि इस विषय पर सर्वश्रेष्ठ वकीलों ने विचार किया था और उन सबका निष्कर्ष था कि गवर्नर जनरल की अनुमति को बनाए रखना वांछनीय ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। मैं उन कारणों को आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि सभी जानते हैं पहले तो संविधान के अनुकूलन की शक्ति गवर्नर जनरल के पास है। अनुकूलन संविधान संशोधन का ही दूसरा नाम है। संविधान अनुकूलन और संविधान संशोधन में बहुत अंतर नहीं है। दोनों बातें एक-सी और एक ही हैं। सवाल यह उठता है कि यदि यह आवश्यक है कि गवर्नर जनरल के पास संविधान का अनुकूलन करने के रुप में उसका संशोधन करने की शक्ति रहे तो फिर तब क्या नुकसान हो सकता है जब इस शक्ति को अनुकूलन से सुभिन्न विधेयक के बारे में भी रखा जाए जिसका उद्देश्य भी वही अर्थात् संविधान का संशोधन करना है।

श्री के. संथानम : कृपया मुझे बताएंगे कि फिर विधेयक लाना ही क्यों चाहते हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जवाब आसान है, आखिरकार अनुकूलन की शक्ति 31 मार्च तक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद यदि वर्तमान संविधान का संशोधन करना पड़ा तो क्या होगा? निस्संदेह यदि अनुकूलन की शक्ति 1 अप्रैल को समाप्त हो जाती है और यदि हमारा भावी संविधान भी 1 अप्रैल से लागू होता है तो समस्या कतई नहीं होगी। तब नया संविधान आ जाएगा और वर्तमान संविधान के क्षेत्रों पर पूरी तरह व्याप्त हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा भरोसा नहीं है कि ऐसी स्थिति नहीं होगी। हो सकता है नए संविधान के प्रारंभ और 1 अप्रैल, 1948 के बीच अंतराल रह जाए। हो

#. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, खण्ड 6, 27 जनवरी, 1948 पृष्ठ 29।

सकता है 31 मार्च और संविधान के प्रारंभ होने के बीच एक या दो मास का अंतराल रह जाए। उसी प्रकार यह भी संभव है कि इस सदन द्वारा निर्मित और पारित सम्पूर्ण संविधान एक बार में प्रभावी न हो। वह खण्ड-खण्ड में प्रभावी हो। हो सकता है परिणामिक विषयों को प्रभावी रुप देने के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों को परिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ संक्रमणकालीन, अनुपूरक उपबंध रखने पड़ें। निस्संदेह इन सबके लिए समय चाहिए। परिणामस्वरुप, संविधान के अनुकूलन की प्रक्रिया जो 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी, निरन्तर जारी रखनी होगी और ऐसा इस सदन द्वारा पारित विधेयक की ज्ञात प्रक्रिया से ही हो सकता है।

इसके प्रकाश में यह बात साफ हो जाएगी कि विधेयक द्वारा वर्तमान संविधान में परिवर्तन के लिए उपबंध जरूरी है जो इस बात को समझते हैं तथा यह भी समझते हैं कि अनुकूलन का वह प्रयोजन नहीं है जो संविधान के संशोधन के विधेयक का है। वे ऐसे उपबंध की विधिमान्यता को चुनौती नहीं देना चाहेंगे जिसके अनुसार विधेयक पर गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक है। यदि दोनों का उद्देश्य एक ही है और यदि अनुकूलन के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति चाहिए तो सवाल उठता है कि संशोधन विधेयक पर गवर्नर जनरल को अनुमति की अपेक्षा क्यों न हो? निश्चय ही तर्क की दृष्टि से यह कतई असंगति नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि समिति बहुत हद तक स्वाधीनता अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के उपबंध से मार्गदर्शित थी। उसका कहना है कि डोमीनियन मंडल द्वारा पारित सब विधियों पर गवर्नर जनरल की अनुमति ली जाएगी। इस खंड का अभिप्राय क्या है आज यह अनिश्चित है। गवर्नर जनरल को अनुमति देने की शक्ति है। सवाल यह है कि क्या इसका अर्थ यह है कि सभा वर्तमान संविधान का संशोधन विधेयक गर्वनर जनरल को इस तथ्य के फलस्वरूप पेश करने के लिए आबद्ध है कि उन्हें स्वाधीनता अधिनियम द्वारा अनुमति की शक्ति प्रदान की गई है? हम कोई सुस्पष्ट जवाब देने में समर्थ नहीं थे। हमारा विचार था कि यह तर्क व्यवहार्य होते हुए भी कि धारा 6 में उपधारा (3) के विद्यमान होने मात्र से संशोधन विधेयक अनुमति के लिए गवर्नर जनरल के समक्ष पेश करने की बाध्यता नहीं है; हो सकता है न्यायालय अन्यथा अभिनिर्धारित करे और इस सभा द्वारा पारित किन्तु अनुमति के लिए गवर्नर जनरल को प्रस्तुत न किए गए विधेयक को शक्तिबाह्य घोषित कर दें। हम नहीं चाहते कि सभा द्वारा पारित विधेयक को ऐसे संकट में डाला जाए। इसलिए पूरी सावधानी बरतने के बाद ही और महसूस करने पर भी कि इसमें कुछ भी तर्कहीनता नहीं है यह नया नियम जोड़ा गया है। आशा है कि सदन इस बात को समझेगा

---

* संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, खण्ड 6, 27 जनवरी, 1948, पृष्ठ 32-33 ।

कि प्रारुपण समिति ने जिसके पास यह मामला भेजा गया था, जो कुछ किया है वह हर प्रकार से ठीक है। इसलिए श्री संथानम और फिर दूसरे मित्रों ने जो मुद्दे उठाये हैं उनमें दरअसल कोई सार नहीं है।

*****

#**सभापति**- इस प्रस्ताव पर मतदान कराने से पूर्व मैं प्रस्ताव रखने वाले से यह पूछना चाहूँगा कि क्या वह जबाव में कुछ और कहना चाहेंगी।

श्री अनन्तशयनम अय्यंगर: श्रीमान् इससे पूर्व मुझे बीच में थोड़ा सा बोलने की इजाजत दी जाए। मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर से यह ज्ञात करना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को अंगीकार करने से जो परिणाम सामने आएंगे क्या उन्होंने उन पर विचार कर लिया है, क्योंकि अनुकूलित रूप में भारत शासन अधिनियम की धारा 32 के अधीन गवर्नर जनरल को अनुमति देने या उसे रोक कर रखने की शक्ति प्राप्त होगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : वह एक सांविधानिक गवर्नर है। वह सलाह पर काम करते हैं।

श्री एम. अनन्तशयनम अय्यंगर: एक मुद्दा और है जिसे स्पष्ट करना जरुरी है। यह निर्धारित किया गया है, कि जब डोमीनियन विधानमंडल किसी विधेयक को पारित करता है तो उस पर गवर्नर जनरल की अनुमति लेना जरूरी होगा। लेकिन क्या यह बात वर्तमान संविधान के संशोधन के संबंध में भी लागू होगी क्योंकि हम यहां डोमीनियन विधानमंडल के रूप में नहीं बल्कि भारत की संविधान सभा की हैसियत से बैठे हैं जो एक संप्रभु निकाय है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, सभापति के नाते आपको शक्ति प्राप्त है। हम यहाँ स्पीकर भी नहीं कहते। क्या माननीय डॉ. अम्बेडकर यह समझते हैं कि जिस प्रकार नया संविधान गवर्नर जनरल के पास नहीं भेजा जाएगा, उसी प्रकार वर्तमान संविधान को भी भेजने की जरुरत नहीं है।

सभापति:- इस मुद्दे पर डॉ. अम्बेडकर अपने ढंग से उत्तर दे चुके हैं। सवाल पूछने वाला सदस्य संतुष्ट हुआ है या नहीं यह एक भिन्न प्रश्न है, अब मैं प्रस्तावकर्ता को बुलाता हूँ। क्या वह उत्तर में कुछ कहना चाहती हैं?

श्रीमती जी. दुर्गाबाई:- सभापति जी मेरे विचार में अब उत्तर में कहने के लिए बहुत नहीं बचा है क्योंकि डॉ. अम्बेडकर ने कृपा करके स्वयमेव सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है और मेरे माननीय मित्रों द्वारा उठाये गए सवालों का उत्तर दे दिया है। लेकिन

मैं समझती हूँ कि कुछ सदस्य नियम 38-क में उल्लिखित विधेयकों के बारे में गवर्नर जनरल की अनुमति के विषय में यहाँ रचे गए उपबंध पर काफी कुछ बोल चुके हैं। डॉ. अम्बेडकर भी उस मुद्दे पर बोल चुके हैं इसलिए मुझे उसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराना चाहूँगी कि हम अभी तक अनुकूलित रुप में भारत शासन अधिनियम, 1935 से ही शासित होते हैं। उसमें यह उपबंध अभी रखा हुआ है..........

[श्रीमती दुर्गा बाई का प्रस्ताव अंगीकार कर लिया गया -संपादक।]

*****

सभापति- श्री नजीरुद्दीन अहमद अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

~**श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान् मुझे उसे पेश करने की अनुमति देने की कृपा करें।

प्रस्तावित नियम 38-ख में ''इन्ट्रड्यूस ए बिल'' शब्दों के स्थान पर ''इन्ट्रोड्यूस सच ए बिल'' शब्द रखे जाएं।

श्रीमान् यह संशोधन जरूरी है क्योंकि खंड के शुरू के हिस्से में विधेयक विशेषित है तथा ''सच'' (ऐसा) शब्द जोड़ने से यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : श्रीमान्, क्या मुझे इस प्रश्न का जवाब देने की इजाजत है। यदि माननीय सदस्य अध्याय के शीर्षक को ही देख लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि उसका नाम है- ''भारत के संविधान विषयक उपबंध करने के लिए विधान'' ये नियम संविधान संशोधन विधेयकों से भिन्न विधेयकों पर लागू नहीं होते। इसलिए 'सच' (ऐसा) शब्द एकदम अनावश्यक है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : स्पष्टीकरण के बाद श्रीमान् मैं इसे वापस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

[संशोधन सभा की इजाजत से वापस ले लिया गया।]

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: श्रीमान्, क्या मैं समय बचाने की दृष्टि से एक सुझाव दे सकता हूँ? ये सब प्रारुपण संशोधन हैं। बेहतर होगा कि यह सदन यह संकल्प

~ संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, खण्ड 7, 4 नवंबर, 1948 पृष्ठ, 31-44 ।

पारित कर दे कि शासकीय प्रारुपकार इन सब संशोधनों को ध्यान में रखे और जहां कहीं वह आवश्यक समझें उनका समावेश करें। यदि हम संशोधनों को एक-एक करके लेंगे तो एक दिन से भी ज्यादा समय लग जाएगा। आखिरकार अलग-अलग लोग एक ही विचार को व्यक्त करने के लिए भिन्न भाषा इस्तेमाल करते हैं अतः इसे प्रारुपकारों पर छोड़ना बेहतर होगा। वे एक आम आदमी की अपेक्षा इस विषय में विशेष रूप से निपुण होते हैं। आम आदमी इस विषय में केवल अपने समय का प्रयोग करना चाहते हैं।

[नियम 38-ख अंगीकार किया गया-संपादक]

[*प्रारुपण समिति की पहली बैठक 30 अगस्त, 1947 को हुई और उसने डॉ. अम्बेडकर को सर्वसम्मति से अपना सभापति चुना। तारीख 27 अक्तूबर, 1947 से समिति की बैठकें हर रोज की गईं जिनमें सांविधनिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रारुप के अनुच्छेदों पर विचार-विमर्श किया गया और उनका पुनरीक्षण किया गया। कुल मिलाकर 13 फरवरी, 1948 तक 44 दिनों में समिति की 44 बैठकें हुईं। आगे उन सब में स्वयं डॉ. अम्बेडकर ने सारे कार्य का संचालन किया। प्रारुपण समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान का नया प्रारुप 21 फरवरी, 1948 को सभा के सभापति को प्रस्तुत किया गया। समिति कार्य करती रही और समय-समय पर किए गए संशोधनों के सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रारुप संविधान सभा के समक्ष चर्चा के लिए 4 नवम्बर, 1948 को पेश हुआ-संपादक।*]

*****

खंड 3

4 नवम्बर, 1948 से 9 नवम्बर, 1948 तक

प्रारुप संविधान का प्रथम वाचन

भारत की संविधान सभा की बैठक कांस्टिट्यूशन हाल, नई दिल्ली में बृहस्पतिवार अर्थात् 4 नवम्बर, 1948 को हुई।

प्रत्यय पत्र प्रस्तुत करने, रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने तथा शपथ लेने की औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद सभापति माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सदस्यों से कहा कि वे अपनी सीटों से उठकर राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन अर्पित करें। उन्होंने गांधी को ऐसा व्यक्ति बताया जिन्होंने हमारी निर्जीव हड्डियों और मांस में प्राण डाले, जिन्होंने हमें निराशा के अंधेरे से बाहर निकाल कर आशा और उपलब्धि की रौशनी दिखाई और जिन्होंने हमें गुलामी से मुक्त कराकर आजादी का मार्ग दिखाया।

सदस्यगण मौन धारण कर खड़े हो गए।

इसके बाद, अपनी-अपनी जगह मौन खड़े होकर सदस्यों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, श्री डी.पी. खैतान और श्री डी.एस. गुरंग के प्रति भी शोक व्यक्त किया।

सभा ने सबसे पहले मद्रास की समस्या श्रीमती दुर्गाबाई के प्रस्ताव पर चर्चा की। वह संविधान सभा नियम 5क और 5ख का संशोधन था। वह सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

इसके बाद सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने खड़े होकर सदन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आगे का कार्यक्रम क्या होगा। इसके बाद चर्चा हुई।

दोपहर बाद के सत्र में सभापति ने डॉ. अम्बेडकर से अपना प्रस्ताव रखने के लिए कहा। तद्नुसार डॉ. अम्बेडकर ने प्रारुप संविधान सभा में विचारार्थ रखा।

प्रारुप संविधान के संविधान सभा में 4 नवम्बर, 1948 को पेश हो जाने के बाद संक्षिप्त व साधारण चर्चा हुई जिसे संविधान का प्रथम वाचन कहते हैं। दूसरा वाचन 15 नवम्बर, 1948 को प्रारंभ हुआ। दूसरे वाचन में संविधान पर विस्तार से खण्ड-दर-खण्ड चर्चा हुई। यह चर्चा 17 अक्तूबर, 1949 को समाप्त हुई।

संविधान सभा का अधिवेशन पुनः 14 नवम्बर, 1949 को तीसरे वाचन के लिए हुआ। यह 26 नवम्बर, 1949 को समाप्त हुआ तब संविधान को पारित घोषित किया गया और उसके बाद सभापति ने उस पर हस्ताक्षर किए।

इस भाग में प्रारुप संविधान को उपबंध के रूप में रखा गया हैं। इससे पाठकों को मूल अनुच्छेदों के उल्लेख से इसके खण्डों और उन पर हुई चर्चा को समझने में मदद मिलेगी।

-संपादक

प्रारुप संविधान-चर्चा

प्रारुप संविधान के संबंध में प्रस्ताव

*[^]**सभापति:** मेरे विचार से अब हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर को अपना प्रस्ताव पेश करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

माननीय डॉ.बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई: साधारण): सभापति जी मैं प्रारुपण समिति द्वारा तैयार किया गया प्रारुप संविधान सदन में पेश करता हूँ और समावेदन करता हूँ कि इस पर विचार किया जाए।

प्रारुपण समिति की नियुक्ति 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा की गई थी। वस्तुत: प्रारुपण समिति को संविधान सभा द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों की रिपोर्टो पर संविधान सभा के विनिश्चयों के अनुसार संविधान निर्माण का काम सौंपा गया था जैसे संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति तथा मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति क्षेत्रों आदि विषयक सलाहकार समिति। संविधान सभा ने यह भी निर्देश दिया था कि कुछ मामलों में भारत शासन अधिनियम, 1935 में अंतर्विष्ट उपबंधों को अपना लेना चाहिए। उन मुद्‌दों के सिवाय जिनका उल्लेख तारीख 21 फरवरी, 1948 को मेरे पत्र में किया गया है जिसमें मैंने प्रारुपण समिति द्वारा किए गए विचलनों तथा दिए गए सुझावों का हवाला दिया था, आशा है आप पाएंगे कि प्रारुपण समिति ने दिए गए निदेशों के अनुसार कार्य सम्पन्न किया है।

प्रारुपण समिति द्वारा तैयार किया गया प्रारुप संविधान एक विशाल दस्तावेज है: इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है जितना यह प्रारुप संविधान। जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा है उनके लिए उसके प्रमुख और विशेष तत्वों को समझना कठिन होगा।

प्रारुप संविधान जनता के सामने आठ महीने तक रहा है। इस लंबे अरसे के दौरान मित्रों, आलोचकों तथा विपक्षियों को उसके उपबंधों के बारे में अपनी राय प्रकट करने के लिए काफी समय मिला है। मैं यह कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि उनमें कुछ बातें अनुच्छेदों के बारे में गलत धारणा और अपर्याप्त समझ के कारण हैं। लेकिन आलोचनाएं हैं और उनका जवाब देना होगा।

इन दोनों कारणों से यह आवश्यक है कि एक विचारार्थ प्रस्ताव पर मैं आप लोगों का ध्यान संविधान के विशेष उपबंधों की ओर आकृष्ट करूँ और उनके बारे में

[^] संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, खण्ड 7, 4 नवंबर, 1948 पृष्ठ, 31-44 ।

की गई आलोचनाओं का जवाब दूँ।

ऐसा करने से पूर्व मैं संविधान सभा द्वारा नियुक्त तीन समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना चाहूँगा। वे हैं-

(1) चीफ कमिश्नर के प्रांतों विषयक समिति की रिपोर्ट, (2) संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध विषयक समिति की रिपोर्ट, (3) जनजातीय क्षेत्र विषयक सलाहकार समिति की रिपोर्ट जो इतनी देर से मिली कि सभा उस पर विचार नहीं कर सकी, हालांकि उसकी प्रतियां सभा के सदस्यों में परिचालित कर दी गई हैं। इन रिपोर्टों और उनमें की गई सिफारिशों पर प्रारुपण समिति ने विचार किया है। इसलिए उचित यही है कि वे औपचारिक तौर पर सदन के हवाले कर दी जाएं।

अब मुख्य सवाल पर आते हैं। यदि सांविधानिक विधि के छात्र के हाथ में संविधान की एक प्रति दे दी जाए तो वह निश्चय ही दो सवाल करेगा। पहला, संविधान में कौन-सी शासन प्रणाली परिकल्पित है और दूसरा, संविधान का स्वरूप क्या है? क्योंकि इन्हीं दो महत्वपूर्ण मुद्दों से हर संविधान को निपटना होता है। मैं प्रथम सवाल से शुरू करूंगा।

प्रारुप संविधान में, भारतीय संघ के शीर्ष पर एक पदाधिकारी को रखा गया है जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाता है। इस पदाधिकारी के पदनाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की याद हो आती है। किन्तु अमरीका में प्रचलित शासन प्रणाली और प्रारुप संविधान में प्रस्तावित शासन प्रणाली के बीच एक से नामों के सिवाय कुछ भी एकरूपता नहीं है। अमरीकी शासन प्रणाली राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहलाती है। प्रारुप संविधान में प्रस्तावित प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है। इन दोनों में मूलभूत अंतर है।

अमरीकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का पद कार्यपालिका का सर्वोच्च पद है। प्रशासन उसमें निहित होता है। प्रारुप संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंगलिश संविधान के अंतर्गत सम्राट का है। वह राज्याध्यक्ष तो होता है लेकिन शासनाध्यक्ष नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक होता है। प्रशासन में उसका स्थान मुहर पर एक समारोहात्मक युक्ति का है जिसके द्वारा राष्ट्र के विनिश्चयों का सर्वविदित कराया जाता है। अमरीकी संविधान के अंतर्गत, विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव (मंत्री) राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। उसी तरह भारतीय संघ के प्रशासन के विभिन्न विभागों के प्रभारी मंत्री राष्ट्रपति के अधीन होंगे। यहां भी दोनों में एक मूलभूत अंतर है। संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति साध ारणतया अपने मंत्रियों की सलाह से आबद्ध होता है। वह उनकी सलाह के विपरीत कुछ नहीं कर सकता और न ही वह उनकी सलाह के बिना कुछ कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी सचिव को हटा सकता है। भारत

संघ के राष्ट्रपति को ऐसा करने की शक्ति तब तक नहीं है जब तक उसके मंत्रियों को संसद में बहुमत हासिल है।

अमरीका की राष्ट्रपति शासन प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण पर आधारित है। अमेरिका का राष्ट्रपति और उसके सचिव कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। प्रारुप संविधान ने इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी है। भारत संघ के मंत्री संसद के सदस्य हैं। बल्कि संसद के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। मंत्रियों को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो संसद के अन्य सदस्यों को प्राप्त हैं। वे संसद में बैठ सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं, और कार्यवाहियों में मतदान कर सकते हैं। शासन की दोनों प्रणालियां निस्संदेह लोकतांत्रिक हैं और दोनों में चुनाव करना आसान नहीं है। लोकतांत्रिक कार्यपालिका को दो शर्तें अवश्य पूरी करनी चाहिएं:

(1) वह टिकाऊ कार्यपालिका हो, और (2) वह उत्तरदायी कार्यपालिका हो। दुर्भाग्यवश, अभी तक ऐसी प्रणाली का पता नहीं चल पाया है जो जिसमें दोनों बातें समान मात्रा में सुनिश्चित हो सकें। ऐसी शासन-प्रणाली हो सकती है जो आपको अधिक स्थिरता दें किन्तु उत्तरदायित्व कम हो अथवा ऐसी प्रणाली हो सकती है जो अधिक उत्तरदायी हो किन्तु कम टिकाऊ हो। अमेरिकी और स्विस प्रणालियों में स्थिरता तो अधिक है किन्तु उत्तरदायित्व कम हैं। दूसरी ओर, ब्रिटिश शासन प्रणाली उत्तरदायी तो बहुत है किन्तु स्थिर कम है। इसका कारण स्पष्ट है। अमेरिकी कार्यपालिका एक संसदेतर कार्यपालिका है जिसका अभिप्राय यह है कि वह अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस में बहुमत पर आश्रित नहीं है कि जबकि ब्रिटिश शासन प्रणाली एक संसदीय कार्यपालिका है, जिसका अभिप्राय वह है कि वह संसद में बहुमत पर आश्रित है। संसदेतर कार्यपालिका होने के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस कार्यपालिका को बर्खास्त नहीं कर सकते। संसदीय प्रणाली की सरकार को संसद सदस्यों के बहुमत का विश्वास खोते ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से देखें तो गैर संसदीय कार्यपालिका संसद से स्वतंत्र होती है इसलिए वह विधायिका के प्रति कम जिम्मेदार होती है जबकि संसदीय कार्यपालिका संसद में बहुमत पर अधिक आश्रित होने की वजह से अधिक जिम्मेदार होती है। संसदीय प्रणाली गैर-संसदीय प्रणाली से भिन्न होती है क्योंकि प्रथम प्रणाली दूसरी प्रणाली से ज्यादा जिम्मेदार होती है बल्कि अपनी जिम्मेदारी के मूल्यांकन की एजेंसी और समय के बारे में भी उनमें अंतर है। गैर-संसदीय प्रणाली में जैसी अमेरिका में है, कार्यपालिका की जिम्मेदारी का मूल्यांकन आवधिक होता है। यह दो वर्ष में एक बार होता है। यह निर्वाचक-मंडल द्वारा किया जाता है। इंग्लैण्ड में, जहां संसदीय प्रणाली है, कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन रोजाना और आवधिक दोनों होता है। दैनिक मूल्यांकन संसद सदस्यों द्वारा प्रश्नों, संकल्पों, अविश्वास प्रस्तावों, अस्थगन प्रस्तावों और अभिभाषण पर वाद-विवाद के माध्यम से

किया जाता है। आवधिक मूल्यांकन निर्वाचनों के समय निर्वाचकों द्वारा किया जाता है जो हर पांच वर्ष में या इससे पहले भी हो सकते हैं उत्तरदायित्व का दैनिक मूल्यांकन अमरीकी शासन प्रणाली में उपलब्ध नहीं है, जबकि यह महसूस किया जाता है कि यह आवधिक मूल्यांकन से ज्यादा प्रभावकारी है तथा भारत जैसे देश में कहीं ज्यादा जरूरी है। प्रारुप संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली की सिफारिश करके स्थिरता की अपेक्षा उत्तरदायित्व को अधिमान दिया गया है।

अब तक मैंने प्रारुप संविधान के अंतर्गत शासन प्रणाली की व्याख्या की है। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ और वह संविधान का स्वरूप।

इतिहास में संविधान के दो स्वरूप जाने जाते हैं–

एक, एकात्मक और दूसरा परिसंघीय। एकात्मक संविधान की दो अनिवार्य विशेषताएँ हैं– (1) केन्द्रीय शासनतंत्र सर्वोपरि होता है और (2) सहायक संप्रभु शासनतंत्र नहीं होता। इसके विपरीत परिसंघीय संविधान में (1) केन्द्रीय और सहायक पालिटी (शासनतंत्र) साथ–साथ चलते हैं, और (2) अपने–अपने क्षेत्र में दोनों संप्रभु होते हैं। दूसरे शब्दों में, परिसंघ का अर्थ है दोहरा शासन तंत्र। प्रारुप संविधान परिसंघीय संविधान है। इसमें दोहरा शासन तंत्र होता है। प्रस्तावित संविधान के अंतर्गत दोहरे शासनतंत्र में केन्द्र में संघ होगा और उसके चारों ओर राज्य होंगे, प्रत्येक राज्य को संविधान द्वारा सौंपे गए क्षेत्र में संप्रभु शक्तियां प्राप्त होंगी। दोहरे शासनतंत्र में अमरीकी संविधान की झलक दिखाई पड़ती है। अमरीकी शासनतंत्र भी दोहरा शासनतंत्र है– एक परिसंघीय सरकार और दूसरा राज्य सरकारें। वे दोनों तंत्र प्रारुप संविधान की संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों के समरूप हैं। अमरीकी संविधान में परिसंघीय (फेडरल) सरकार राज्य संघ मात्र नहीं हैं और न ही राज्य फेडरल सरकार की प्रशासनिक इकाईयां या एजेन्सियां हैं। उसी प्रकार, प्रारुप संविधान में प्रस्तावित भारतीय सरकार राज्यों का संघ नहीं है और न ही राज्य संघ सरकार की प्रशासनिक इकाईयां या एजेन्सियाँ हैं। किन्तु भारतीय और अमरीकी संविधान में समानताएं यही समाप्त हो जाती हैं। उनमें जो भिन्नताएं हैं वे दोनों की समानताओं की अपेक्षा अधिक मूलभूत और महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय परिसंघ और अमरीकी परिसंघ में मुख्यत: दो भिन्नताएं हैं– अमेरिका में, दोहरे शासन तंत्र के साथ–साथ दोहरी नागरिकता की भी व्यवस्था है। अमेरिका की नागरिकता होती है और साथ ही राज्य की नागरिकता भी होती है। निस्संदेह इस दोहरी नागरिकता की कठोरताओं को अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन द्वारा दूर कर दिया गया है। उस संशोधन के द्वारा राज्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के अधिकारों, विशेषाधिकार और अभियुक्तियों को छीनने से रोक दिया गया है। साथ ही, जैसा कि श्री विलियम एन्डरसन ने कहा था, कुछ राजनीतिक विषयों में, जिनके अंतर्गत

मतदान करने और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार भी है, राज्य अपने स्वयं के नागरिकों के पक्ष में भेदभाव कर सकते हैं और करते हैं। यह पक्षपात कुछ मामलों में तो इससे भी अधिक है। इस प्रकार राज्य या स्थानीय शासन की सेवा में (नौकरी) पाने के लिए अधिकांश जगह यह आवश्यक होता है कि वह स्थानीय निवासी या नागरिक हो। इसी प्रकार, कानून और औषधि जैसे सार्वजनिक पेशों के लिए लाइसेन्स मंजूर करने के लिए प्रायः यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति उस राज्य का निवासी या नागरिक हो। इसके अलावा शराब तथा स्टाक और ब्रांडों की बिक्री जैसे व्यवसायों में सार्वजनिक विनियमन कड़े होना बहुत जरुरी हैं, ऐसी अपेक्षाएं बरकरार रखी गई हैं।

प्रत्येक राज्य के पास अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अधिकार भी होते है जो उसके अपने नागरिकों के विशेष फायदे के लिए होते हैं। इसीलिए जंगली शिकार और मछली पकड़ना राज्य के विषय हैं। पारम्परिक तौर पर राज्य अपने नागरिकों की अपेक्षा अनिवासियों से शिकार करने और मछली पकड़ने के लिए ऊंची लाइसेन्स फीस लेते हैं। राज्य, राजकीय कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवासियों से ज्यादा ट्यूशन फीस लेते हैं तथा आपात स्थिति के सिवाय, अपने अस्पतालों और अनाथाश्रमों में केवल निवासियों को ही दाखिल करते हैं।

संक्षेप में, ऐसे अनेक अधिकार हैं जो राज्य द्वारा अपने ही नागरिकों या निवासियों को दिए जा सकते हैं और अनिवासियों के लिए कानूनी तौर पर मना किए जा सकते हैं, अथवा उन्हें निवासियों की अपेक्षा ज्यादा कठिन शर्तों पर दिए जा सकते हैं। नागरिकों को अपने ही राज्य में जो फायदे दिए जाते हैं वे राज्य नागरिकता के विशेष अधिकार हैं। समग्र रूप से देखें, तो राज्यों के नागरिकों और अनिवासियों के अधिकारों में काफी अंतर हैं अस्थायी और अल्पकालीन प्रवासी कुछ विशेष सुविधाओं के साथ सर्वत्र मिल जाएंगे।

प्रस्तावित भारतीय संविधान के अंतर्गत दोहरा शासनतंत्र होगा और एक नागरिकता होगी। पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है। राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। हर भारतीय के नागरिकता के एक जैसे अधिकार हैं चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो।

प्रस्तावित भारतीय संविधान का शासनतंत्र एक अन्य पहलू से भी अमेरिका के शासनतंत्र से भिन्न है। अमेरिका में, परिसंघ (फेडरल) सरकार और राज्य सरकारों के संविधानों में लचीली सम्बद्धता है। अमेरिका में फेडरल सरकार और राज्य सरकारों के संबंधों का वर्णन करते हुए ब्राईस ने कहा है–

''केन्द्रीय या राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों की उपमा एक विशाल भवन तथा कुछ छोटे–छोटे भवनों के समूह से दी जा सकती है जो एक ही जमीन पर खड़े हैं फिर

भी एक-दूसरे से भिन्न हैं।''

उनमें भिन्नता है, किन्तु अमेरिका में राज्य सरकारें फेडरल सरकार से कैसे भिन्न हैं? निम्नलिखित तथ्यों से इन भिन्नता का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है:

(1) गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली बनाए रखने की शर्त के अधीन रहते हुए अमेरिका में हर राज्य अपना निजी संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र है।

(2) राज्य के लोग, राष्ट्रीय सरकार से सर्वथा स्वतंत्र, अपने संविधान में रबदल करने की शक्ति अपने पास रखे हैं।

इसे ब्राईस के शब्दों में यूं कह सकते हैं-

''(अमेरिका में) राज्य, अपना निजी संविधान होने के कारण, राष्ट्रमंडल के रुप में विद्यमान है, और सभी राज्य प्राधिकरण, विधायी, कार्यपालक और न्यायपालक, संविधान की देन है, और उसके अधीन हैं।''

लेकिन प्रस्तावित भारतीय संविधान के बारे में यह सच नहीं है। किसी भी राज्य को (जो भाग 1 में अंकित है) अपना निजी संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। संघ और राज्यों का संविधान एक ही सांचा है जिसमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और जिसके अंतर्गत ही उन्हें काम करना होगा।

मैंने अभी तक अमरीकी फेडरेशन और प्रस्तावित भारतीय फेडरेशन के अंतर पर प्रकाश डाला है। लेकिन प्रस्तावित भारतीय संविधान के कुछ अन्य खास तत्व हैं जो उसे अमरीकी से ही नहीं बल्कि अन्य सभी फेडरेशनों से भी भिन्न बनाते हैं। अमरीकी प्रणाली समेत सभी परिसंघीय प्रणालियां परिसंघवाद के एक कसे हुए सांचे में ढली हैं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों वह अपने रूप और आकार को नहीं बदल सकता। वह कभी भी एकात्मक नहीं हो सकता। दूसरी ओर, प्रारुप संविधान समय और परिस्थितियों की मांग के अनुरूप एकात्मक और परिसंघीय दोनों हो सकता है। शांतिकाल में इसे परिसंघीय प्रणाली के रूप में काम करने के लिए रचा गया है। लेकिन इसकी रचना इस प्रकार की गई है कि यह युद्धकाल में एकात्मक प्रणाली के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति एक बार उद्घोषणा जारी कर दें जिसके लिए वह अनुच्छेद 275 के अधीन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, तो सारा परिदृश्य ही बदल जाएगा और राज्य एकात्मक राज्य हो जाएगा। संघ सरकार, यदि चाहे तो उद्घोषणा के अधीन, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है-

(1)किसी भी विषय पर, भले ही वह राज्य सूची में हो, विधान बनाने की शक्ति, (2) राज्यों को यह निर्देश देने की शक्ति कि वे अपने क्षेत्र के विषयों पर भी अपने कार्यपालक प्राधिकार का प्रयोग किस प्रकार करें, (3) किसी भी अधिकारी में किसी

भी प्रयोजन के लिए प्राधिकार निहित करने की शक्ति, और (4) संविधान के वित्त विषयक उपबंधों को निलम्बित करने की शक्ति एकात्मक राज्य में बदलने की ऐसी शक्ति किसी भी फेडरेशन के पास नहीं है। हमारे प्रारुप संविधान में प्रस्तावित फेडरेशन और हमें ज्ञात अन्य सभी फेडरेशनों में अन्तर का यह एक तत्व है। प्रस्तावित भारतीय परिसंघ (फेडरेशन) और अन्य परिसंघों में केवल यही अंतर नहीं है। परिसंघवाद को कमजोर बताया जाता है यदि वह प्रभावकारी शासन प्रणाली नहीं है। परिसंघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें दो कमजोरियां हैं। एक अनम्यता और दूसरी विधिकता। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि ये दो कमियां परिसंघवाद में अन्तर्निहित हैं। परिसंघीय संविधान लिखित संविधान ही हो सकता है और लिखित संविधान का अनम्य संविधान होना जरुरी है। परिसंघीय संविधान से तात्पर्य है परिसंघ सरकार और राज्यों की बीच सर्वोच्च विधाान अर्थात् संविधान द्वारा संप्रभुता का विभाजन। इसके दो परिणाम होते हैं:- (1) राज्यों को सौंपे गए क्षेत्र में परिसंघ सरकार द्वारा और परिसंघ के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कोई भी अतिक्रमण संविधान का उल्लंघन है। तथा (2) ऐसा उल्लंघन यदि न्यायोचित है तो यह न्यायपालिका द्वारा ही तय किया जा सकता है। परिसंघवाद की ऐसी प्रकृति के ही कारण, परिसंघीय संविधान विधिकता के आरोप से बच नहीं सकता। परिसंघीय संविधान के ये दोष अमेरिका के संविधान में प्रकृत रूप में पाए जाते हैं।

जिन दोषों ने परिसंघीय व्यवस्था कुछ बाद में अपनाई है उन्होंने उसमें अंतर्निहित अनम्यता और विधिकता से उत्पन्न हानियों को कम करने का प्रयत्न किया है। इस विषय में आस्ट्रेलिया का उदाहरण भली-भांति दिया जा सकता है। आस्ट्रेलियाई संविधान में परिसंघ को कम अनम्य बनाने के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए गए हैं:-

(1) राष्ट्रमंडल की संसद को समवर्ती विधायन की व्यापक शक्तियाँ और अनन्य विधायन की कुछ शक्तियाँ प्रदान करके।

(2) कुछ अनुच्छेदों को केवल तभी तक प्रवर्तनशील बनाकर जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे।

प्रकट है कि आस्ट्रेलियाई संविधान के अंतर्गत आस्ट्रेलियाई संसद ऐसी बहुत-सी बातें कर सकती है जो अमेरीकी कांग्रेस की क्षमता के अंतर्गत नहीं है और जिन्हें करने के लिए अमरीकी सरकार को उच्चतम न्यायालय का सहारा लेना होगा तथा प्राधिकार के प्रयोग को न्यायोचित ठहराने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित करने की उसकी योग्यता, प्रज्ञा और इच्छा पर निर्भर करेगा।

अन्यम्यता और विधिकता की कठोरता को हल्का करने के लिए प्रारुप संविधान में स्वयं आस्ट्रेलिया ने भी बड़े पैमाने पर आस्ट्रेलियाई योजना का अनुसरण किया गया है। आस्ट्रेलियाई संविधान की भांति, इसमें भी कानून बनाने की समवर्ती शक्तियों के विषयों की

एक लम्बी सूची दी गई है। आस्ट्रेलियाई संविधान में 39 समतर्वी विषय हैं। प्रारुप संविधान में ऐसे 37 विषय हैं। आस्ट्रेलियाई संविधान का अनुसरण करते हुए, प्रारुप संविधान में छह अनुच्छेद हैं जिनके उपबंध अस्थायी प्रकृति के हैं जिन्हें संसद किसी भी समय मौके की जरुरत के अनुसार बदल सकती है। प्रारुप संविधान में आस्ट्रेलियाई संविधान से भी आगे सबसे बड़ा कदम यह उठाया गया है कि संसद में विधयन की अनन्य शक्ति केवल 3 विषयों पर है, भारतीय संसद, जैसा कि प्रारुप संविधान में प्रस्तावित है के पास ऐसे 91 विषय हैं। इस प्रकार प्रारुप संविधान द्वारा अपने परिसंघीय ढांचे में सर्वोत्तम संभव लचीलापन सुनिश्चित किया गया है जिसे प्रकृति से ही अनम्य माना जाता है।

यह कहना पर्याप्त नही है कि प्रारूप संविधान आस्ट्रेलियाई-संविधान का अनुसरण करता है या ज्यादा बड़े पैमाने पर उसका अनुसरण करता है। देखने वाली बात यह है कि इसमें परिसंघीय प्रणाली में अर्न्तनहित अनम्यता और विधिकता को दूर करने के नये तरीके जोड़े गए हैं जो अन्यत्र संलग्न नहीं हैं।

प्रथम यह कि संसद को सामान्य काल में भी प्रांतीय विषयों पर अनन्यत: कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इस संबंध में अनुच्छेद 226, 227 और 229 का हवाला दिया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के अधीन संसद किसी भी प्रांतीय विषय पर उस समय कानून बना सकती है जब वह विषय राष्ट्रीय चिन्ता का विषय बन जाए और विशुद्ध प्रांतीय विषय से सुभिन्न हो जाए, भले ही वह राज्य सूची में अंकित हो, बशर्ते कि केन्द्र द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग के बारे में उच्च सदन दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे। अनुच्छेद 227 संसद को ऐसी ही शक्ति राष्ट्रीय आपातकाल में प्रदान करता है। अनुच्छेद 229 के अनुसार यदि प्रांत ऐसे प्रयोग की सम्मति देते हैं तो संसद उस शक्ति का प्रयोग कर सकती है। यद्यपि आस्ट्रेलियाई संविधान में अंतिम कला उपबंध विद्यमान है फिर भी प्रथम दो अनुच्छेद प्रारूप संविधान के विशेष तत्व है।

अनम्यता और विविधता से बचने का दूसरा साधन है संविधान में संशोधन करने की सुविधा। संविधान संशोधन के उपबंध संविधान के अनुच्छेद को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहले वर्ग में निम्नलिखित विषयों वाले अनुच्छेद आते हैं: (क) केन्द्र और राज्यों में विधायी शक्तियों का बंटवारा, (ख) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और (ग) न्यायपालिका की शक्तियाँ। शेष सभी अनुच्छेद दूसरे वर्ग में आते हैं। दूसरे वर्ग में आने वाले अनुच्छेदों के अंतर्गत संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है और संसद उनका संशोधन दोहरे बहुमत से अर्थात् प्रत्येक सदन के कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से जो उपस्थित हों और मतदान करें तथा प्रत्येक सदन के कुछ सदस्यों के बहुमत से। इन अनुच्छेदों का संशोधन करने के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है। प्रथम वर्ग के अनुच्छेदों के संशोधन के लिए ही राज्यों द्वारा अनुसमर्थन का

अतिरिक्त रक्षोपाय समाविष्ट किया गया है।

अत: हम निर्भय होकर कह सकते हैं कि भारतीय परिसंघ को अनम्यता या विधि कता के दोषों से कोई नुकसान नहीं होगा। लचीलापन इसकी सुभिन्न विशेषता है।

प्रस्तावित भारतीय परिसंघ की एक विशेषता है जो इसे दूसरे परिसंघों से अलग करती है। चूंकि परिसंघ विभक्त प्राधिकार पर आधारित दोहरा शासनतंत्र होता है जिसमें दोनों शासनतंत्रों के पास पृथक-पृथक विधायी, कार्यपालक और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। अत: दोनों शासनतंत्रों में प्रत्येक के कानूनों में, प्रशासन में और न्यायिक संरक्षण में विविधता आना अनिवार्य है। एक बिंदु तक तो इस विविधता से कोई अन्तर नहीं पड़ता। शासन की शक्तियों को स्थानीय जरुरतों और स्थानीय अवस्थाओं के अनुरुप ढालने का प्रयास स्वागत योग्य हो सकता है। लेकिन जब यह विविधता एक बिंदु को पार कर जाती है तो अव्यवस्था फैल जाती है और अनेक परिसंघीय राज्यों में ऐसा हुआ भी है।

यदि हमारे संघ में बीस राज्य हैं तो न्याय पाने के लिए तथा प्रशासन के मानदंडों और पद्धतियों में प्रक्रियाओं की, विवाद की, तलाक की, सम्पत्ति की विरासत की, कुटुम्ब संबंधों की संविदाओं, अपकृत्यों, अपराधों, बांट और माप की, बिलों और चेकों की, बैंकिंग और वाणिज्य की बीस विभिन्न विधियों की हमें कल्पना करनी ही होगी। ऐसी स्थिति न केवल राज्य को कमजोर करती है बल्कि उन नागरिकों के लिए जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते-जाते हैं, यह देखकर कष्टदायक हो जाती है कि एक राज्य में जो विधिपूर्ण है वही दूसरे राज्य में विविधपूर्ण नहीं है। प्रारूप संविधान में, ऐसे साधनों और पद्धतियां को ढूंढ निकालने का प्रयास किया गया है जिनके द्वारा भारत में परिसंघ होगा और साथ ही सभी मूलभूत विषयों में एकरुपता होगी जो देश की एकता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्रारूप संविधान में अंगीकृत साधनों की संख्या तीन है:-

(1) एकल न्यायपालिका,

(2) सिविल, दाण्डिक मूल विधियों में एकरूपता;

(3) महत्वपूर्ण पदों के लिए एक सामान्य अखिल भारतीय सेवा।

जैसा कि मैने कहा था, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी कानून संहिताएं और दोहरी सिविल सेवाएं, दोहरे शासनतंत्र के तार्किक परिणाम हैं जो एक परिसंघ में अन्तर्निहित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, परिसंघ न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका एक-दूसरे से पृथक और स्वतंत्र है। हालांकि भारतीय परिसंघ का शासनतंत्र दोहरा है फिर भी इसकी न्यायपालिका कतई दोहरी नहीं है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से मिलकर एक अखंड न्यायपालिका बनती है और उन्हें सांविधानिक विधि, सिविल विधि या दंड विधि के अधीन उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अधिकारिता होती है और वे उनमें उपचार देती है। यह समस्त उपचारात्मक प्रक्रिया में विषमता को दूर करने के लिए किया

गया है। कनाडा ही एकमात्र देश है जो इसके काफी समतुल्य है। आस्ट्रेलियाई प्रणाली तो केवल समतुल्यप्राय है।

उन विधियों में व्याप्त समस्त विषमताओं को दूर करने का ध्यान रखा गया है जो नागरिक एवं नियमित जीवन का आधार है। सिविल और दांडिक विधियों की महान संहिताएं जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, विवाह, तलाक और विरासत की विधियां समवर्ती सूची में रखी गई हैं ताकि परिसंघीय व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किए बिना आवश्यक एकरूपता को हमेशा के लिए अनाया जा सके।

जैसा कि मैंने कहा था, दोहरा शासनतंत्र, जो परिसंघीय प्रणाली में अंतर्निहित है, सभी परिसंघों में दोहरी सेवा द्वारा अपनाया जाता है समस्त परिसंघों में, एक परिसंघ सिविल सेवा होती है और एक राज्य सिविल सेवा। हालांकि भारतीय परिसंघ एक दोहरा शासनतंत्र है और दोहरी सेवा होगी लेकिन एक अपवाद के साथ यह माना जाता है कि प्रत्येक देश में उसके प्रशासन में कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें प्रशासन स्तर बनाए रखने की दृष्टि से नीतिपरक कहा जा सकता है। एक विशाल और जटिल प्रशासनतंत्र में ऐसे पदों का पता लगाना आसान नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि प्रशासन स्तर उन सिविल सेवकों के चरित्रबल पर निर्भर करता है जिन्हें इन नीतिपरक पदों पर नियुक्त किया जाता है। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रशासनतंत्र विरासत में मिला है जो पूरे देश के लिए एक-सा है और हमें मालूम है कि वे नीतिपरक पद कौन-कौन से हैं। संविधान में उपलब्ध है कि राज्यों को अपनी निजी सिविल सेवाएं बनाने के अधिकार से वंचित किए बिना भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाएगी और पूरे संघ में इन नीतिपरक पदों पर उसी सेवा के सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। हमारे प्रस्तावित परिसंघ की यही विशेषताएं हैं। अब मैं इस पर आता हूँ कि इसके बारे में आलोचकों का क्या कहना है?

कहा जाता है कि प्रारुप संविधान में कुछ भी नया नहीं है। लगभग आधा भाग भारत शासन अधिनियम, 1935 से नकल किया गया है शेष अन्य देशों के संविधानों से लिया गया है। मौलिकता के नाम पर बहुत कम है।

कोई पूछ सकता है कि विश्व के इतिहास में इस समय बनाये गए संविधान में क्या कोई नयी चीज हो सकती है। प्रथम लिखित संविधान बने एक सौ से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। उनके देशों ने अपने संविधान को लेखबद्ध करते समय इसका अनुसरण किया है।

संविधान का विस्तार-क्षेत्र क्या हो यह अब काफी अरसे से निर्धारित है। इसी प्रकार संविधान के मूलतत्वों को भी संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है। इन तत्वों के होते हुए

संविधान अपने प्रमुख प्रावधानों में एक से ही दिखाई देंगे। यदि इतने वर्षों बाद रचित संविधान में कोई चीज नई हो सकती है तो वह है कुछ फेरबदल जो कमियों को दूर करने के लिए और देशों की जरूरतों के अनुरूप ढालने के लिए किए जाते हैं। अन्य देशों के संविधानों की आंख मूंदकर नकल करने का आरोप, मुझे यकीन है, यह आरोप संविधान के अधूरे अध्ययन के कारण लगाया जाता है। मैं यह दिखा चुका हूँ कि प्रारुप संविधान में क्या-क्या नया है और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने संविधान का अध्ययन किया है जो इस विषय पर सहज भाव से विचार करने को तैयार हैं वे सहमत होंगे कि प्रारुपण समिति अपना कर्तव्य करने में उतने अंधानुकरण और नकल की दोषी नहीं है जितनी बताई जाती है।

जहां तक इस आरोप का संबंध है क्रियारूप संविधान में भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों का एक बहुत बड़ा भाग अंगीकार कर लिया गया है, मुझे कोई क्षमायाचना नहीं करनी। उधार लेने में लज्जा की कोई बात नहीं है। इसमें कोई चोरी नहीं की गई है। संविधान के मूलभूत विचारों में के पेटेन्ट अधिकार किसी की पूंजी नहीं है। मुझे खेद इस बात की है कि भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिए गए उपबंध अधिकांशतः विवरण से संबंधित हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रशासनिक विवरण का संविधान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि प्रारुपण समिति संविधान में उन्हें समाविष्ट करने से बचकर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन इन्हें आवश्यक बताया गया है जिसकी वजह से उन्हें समाविष्ट करना न्यायोचित ठहराया गया। ग्रीस के इतिहासकार ग्रोटे का कहना है कि ''किसी समाज ने बहुसंख्यक में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज में संविधानिक नैतिकता का विसरण अभी-अभी स्वतंत्र और शांति चाहने वाले शासन की अभिन्न शर्त है, क्योंकि कोई शक्तिशाली तथा दुराग्रही अल्पसंख्यक भी जो इतना मजबूत ना हो कि वह अपने आपको सत्तारुढ़ कर सके, एक स्वतंत्र संस्था का काम करना असाध्य बना सकता है।''

संविधानिक नैतिकता से ग्रोटे का अभिप्राय था- 'संविधान के स्वरुपों के लिए सर्वोपरि श्रद्धा, इन स्वरूपों के अधीन और इनके अंतर्गत कार्य करते हुए प्राधिकारी की आज्ञा मनवाना, फिर भी साथ ही निश्चित कानूनी नियंत्रण के अधीन होते हुए मुक्त भाषण की कार्रवाई की आदत के साथ, तथा उन प्राधिकारियों के समस्त सार्वजनिक कृत्यों के विषय में उनकी अबाध आलोचना (सेंसर) जो कि दलगत मुकाबलों की कटुता के बीच हर नागरिक के मन में इस पूर्ण आस्था से युक्त भी हो कि संविधान के स्वरूप उनकी अपनी दृष्टि की अपेक्षा विपक्षियों की नजर में कम पवित्र नहीं होंगे।'

(सुनिए, सुनिए)

जबकि हर कोई इस बात को मानता है कि एक लोकतांत्रिक संविधान के शांतिपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संविधानिक नैतिकता का विसरण आवश्यक है, दो चीजें ऐसी हैं

जो उसमें अंतर सम्बध है जिन्हें दुर्भाग्यवश आमतौर पर मान्यता प्राप्त नहीं होती है। एक यह कि प्रशासन के स्वरूप का संविधान के स्वरूप से गहरा संबंध है। प्रशासन का स्वरूप संविधान के स्वरूप के लिए और उसी अर्थ में समुचित होना चाहिए। दूसरे यह कि संविधान का स्वरुप बदले बिना केवल प्रशासन का स्वरूप बदलकर और उसे संविधान की भावना से असंगत एवं प्रतिकूल बनाकर संविधान को निर्धारित करना पूरी तरह संभव है। अभिप्राय यह है कि जहां लोग संविधानिक नैतिकता से ओत-प्रोत होते हैं जिसका उल्लेख इतिहासकार ग्रोटे ने किया है कि हम संविधान से प्रशासन के विस्तृत विवरण के लोन का जोखिम उठा सकते हैं और उन्हें विहित करने का काम विधानमंडल पर छोड़ सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम संविधानिक नैतिकता के ऐसे विसरण को मान कर चल सकते हैं? संविधानिक नैतिकता एक नैसर्गिक संवेग नहीं है और इसे अभी सीखना है। भारत में लोकतंत्र भारतीय जमीन पर केवल ऊपरी हिस्से में है जो अनिवार्यतः अलोकतांत्रिक है।

इन परिस्थितियों में यह अधिक बुद्धिमतापूर्ण होगा कि प्रशासन के स्वरूप को विहित करने के लिए विधानमंडल पर विश्वास न किया जाए। उन्हें संविधान में समाविष्ट करने का यही औचित्य है।

प्रारुप संविधान की दूसरी आलोचना यह है कि इसका कोई भी भाग भारत के प्राचीन राजतंत्र को नहीं दर्शाता। कहा जाता है कि नए संविधान का प्रारुपण राज्य के प्राचीन हिन्दू मॉडल पर आधारित होना चाहिए और यह कि पाश्चात्य विचारधाराओं का समावेश करने के बजाय नया संविधान ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों पर खड़ा और निर्मित किया जाना चाहिए था। दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने इस अतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। वे कोई केन्द्रीय या प्रांतीय सरकार नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि भारत में बहुत सारी ग्राम पंचायतें हों। ग्रामीण समाज के लिए बौद्धिक भारतीयों का स्नेह, स्नेह निसंदेह यदि दयनीय नहीं हो, असीम स्नेह है (हंसी)। इसका अधिकांश कारण मैटकाफ द्वारा की गई उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा है। उनका कहना था कि ये छोटे-छोटे गणराज्य हैं और उनके पास वह सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। वे विदेशी संबंधों से स्वतंत्र प्राय है। प्रत्येक ग्राम समाज अपने आप में एक छोटा सा राज्य है। मैटकाफ के अनुसार इन्हीं समाजों ने भारत के लोगों के सामने आने वाली समस्त क्रांतियों और उनके परिरक्षित रहने में सर्वाधिक योगदान किया है, और वे उनकी खुशी तथा स्वतंत्रता और अधिकांश स्वाधीनता का आनंद लेने में बहुत अधिक सहायक रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्राम समाज जीवित रहते हैं जबकि अन्य कुछ भी जीवित नहीं रहता। लेकिन जो लोग इन ग्राम समाजों पर गर्व करते हैं वे यह भी नहीं सोचते कि उन्होंने देश के कार्यकलापों और देश की नियति में कितनी कम भूमिका निभायी है और क्यों? देश की नियति में उनकी भूमिका के बारे में मैटकाफ ने सुंदर वर्णन किया है। उनका कहना है:-

''राजवंश पर राजवंश धराशायी हो जाते हैं। क्रांति के बाद फिर क्रांति आती है। हिन्दू, पठान, मुगल, मराठा, सिख, अंग्रेज सबने राज किया किन्तु ग्राम समाज ज्यों के त्यों बने रहे। आपातकाल में वे हथियार बंदी व किलेबंदी करके अपनी रक्षा अपने आप कर लेते हैं। जब कोई शत्रु सेना गांव से होकर गुजरती है तो ग्राम समाज अपनी चारदीवारी में अपने पशुओं को इकट्‌ठा कर लेते है और शत्रु को चुपचाप भड़के बिना गुजर जाने देते हैं।'' ग्राम समाजों ने अपने देश के इतिहास में यही भूमिका निभायी है। यह मानते हुए हम उन पर कितना गर्व महसूस कर सकते हैं? वे सब संकटों में भी बचे रहे, यह एक तथ्य है लेकिन जीवित रहना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल यह है कि किस जमीन पर वे जीवित रहे हैं। निश्चय ही, एक निचले और स्वार्थी स्तर पर। मैं यह मानता हूँ कि ये ग्राम गणराज्य भारत के अवशेष रहे हैं। इसलिए मुझे ताज्जुब है कि जो लोग प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता की आलोचना करते हैं, वही गाँवों के कट्‌टर समर्थक बन रहे हैं। गांव क्या है? गाँव स्थानीयता की कोरी अज्ञानता, संकीर्णता और साम्प्रदायिकता का बसेरा मात्र है। मुझे खुशी है, प्रारुप संविधान में गांव को नहीं अपनाया गया है तथा व्यष्टि को अपनी इकाई माना गया है।''

प्रारुप संविधान की इसलिए भी आलोचना की जाती है कि इसमें अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रारुप समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसने संविधान सभा का अनुसरण किया है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कोई शक नहीं है कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे रक्षोपायों की व्यवस्था करके बुद्धिमता का काम किया है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों गलत मार्ग पर चले हैं। बहुसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक के अस्तित्व को नकारना गलत है। इसका कोई हल खोजा जाए जो दोहरा प्रयोजन सिद्ध करे वह हल ऐसा हो जो शुरु-शुरु में अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को माने। वह हल ऐसा हो कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों मिलकर एक हो जाएँ। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावित समाधान स्वागत योग्य है क्योंकि वह समाधान दोहरा प्रयोजन पूरा करता है। उन दुष्टों से जो अल्पसंख्यक के संरक्षण के विरोध में कट्‌टरता जैसी स्थिति पैदा करते हैं, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक, अल्पसंख्यक एक ताकत है जो प्रस्फुटित हो जाए तो राज्य के सम्पूर्ण कलेवर को उड़ा सकती है। यूरोप का इतिहास इस बात का पर्याप्त और दयनीय प्रमाण है। दूसरी, यह है कि भारत के अल्पसंख्यक अपना अस्तित्व बहुसंख्यक के हाथों सौंपने के लिए राजी हो गए हैं। आयरलैंड का विभाजन रोकने के लिए बातचीत के इतिहास में रेडमड ने कार्सन से कहा था-'प्रोटेस्टेंट के अल्पसंख्यक के लिए आप जो भी चाहे रक्षोपाय मांग लें, लेकिन हमें अखंड आयरलैंड चाहिए।'' कार्सन का जवाब था, ''अपने रक्षोपायों की बात मत करिए, हम आपके द्वारा शासित नहीं होना चाहते।'' भारत में किसी भी अल्पसंख्यक ने यह बात नहीं उठाई, उन्होंने बहुसंख्यक शासन निष्ठापूर्वक स्वीकार कर

लिया है जो मूलतः साम्प्रदायिक बहुसंख्यक हैं न कि राजनीतिक बहुसंख्यक। यह समझना बहुसंख्यक का कर्तव्य है कि वह अल्पसंख्यकों का शोषण न करें। अल्पसंख्यक रहेंगे अथवा लुप्त हो जाएंगे वह इसी बात पर निर्भर करेगा। ज्यों ही बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव करने की आदत को छोड़ देगा त्यों ही अल्पसंख्यक के पास अपने अस्तित्व का कोई आधार नहीं रह जाएगा। वे लुप्त हो जाएंगे।

सबसे अधिक आलोचना प्रारुप संविधान के उस भाग पर ही की जाती है जो मूल अधिकारों के विषय में है। कहा जाता है कि अनुच्छेद 13 जिसमें मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है, इतने सारे अपवादों से भरा पड़ा है कि अपवाद मूल अधिकारों को ही निगल गए हैं। इसे भ्रम जैसा बताकर इसकी निंदा की जाती है। आलोचकों की राय में मूल अधिकार तब तक मूल अधिकार नहीं है जब तक वे पूर्ण अधिकार न हों। आलोचकों ने अपनी दलील के समर्थन में संयुक्त राज्य के संविधान और उस संविधान के प्रथम दस संशोधनों में समाविष्ट बिल ऑफ राइट्स का सहारा लिया है। कहा जाता है कि अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स में अंकित मूल अधिकार वास्तविक मूल अधिकार हैं क्योंकि वे परिसीमाओं या अपवादों के अधीन नहीं है।

मुझे अफसोस है कि मूल अधिकारों से संबधित सम्पूर्ण आलोचना भ्रामक धारणा पर आधारित है। पहले तो, यह आलोचना निराधार है कि मूल अधिकार गैर मूल अधिकारों से सुभिन्न हैं। यह गलत है कि मूल अधिकार पूर्ण हैं जबकि गैर मूल अधिकार पूर्ण नहीं हैं। दोनों में वास्तविक अंतर यह है कि गैर मूल अधिकार पक्षकारों में समझौते से सृष्ट होते हैं जबकि मूल अधिकार कानून की देन होते हैं। मूल अधिकार राज्य के उपहार की देन हैं, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य उन पर पाबंदियां नहीं लगा सकता।

दूसरे, यह कहना गलत है कि अमेरिका में मूल अधिकार पूर्ण हैं।

अमरीकी संविधान और प्रारुप संविधान में अंतर प्रारुप का है न कि सार का। यह संदेह से परे है कि अमेरिका में मूल अधिकार पूर्ण नहीं हैं। प्रारुप संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के प्रत्येक अपवाद के समर्थन में हम संयुक्त राज्य उच्चतम न्यायालय के कम-से-कम एक निर्णय का हवाला दे सकते हैं। प्रारुप संविधान में अनुच्छेद 13 में अंकित स्वतंत्र भाषण के अधिकार पर पाबंदी के औचित्य में उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय उद्धृत करना पर्याप्त होगा। गिटलो *बनाम* न्यूयार्क वाले मामले में जो प्रश्न उठा था वह न्यूयार्क क्रिमिनल अंनारकी कानून की सांविधानिकता का था। उस कानून का प्रयोजन हिंसात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से बोले गए शब्दों के लिए दंडित करना था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था-

''यह सुस्थापित मूलभूत सिद्धांत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता ऐसा पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करती कि कोई जो चाहे बिना जिम्मेदारी के

बोले या प्रकाशित करे, अथवा अप्रतिबंधित और अनियंत्रित लाइसेंस नहीं देती जो भाषा के हर संभव प्रयोग की छूट देता हो और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वालों को दंडित करने से रोकता हो।''

इसलिए यह कहना गलत है कि अमेरिका में मूल अधिकार पूर्ण हैं जबकि प्रारुप संविधान में दिए गए मूल अधिकार पूर्ण नहीं हैं।

इस बात से सहमति है कि यदि किन्ही मूल अधिकारों पर पाबंदी जरुरी है तो वे पाबंदियां स्वयं संविधान में ही दी जानी चाहिएं जैसा कि संयुक्त राज्य के संविधान में है और जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ यह न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह सब सुसंगत बातों पर विचार करके उसे अवधारित करे। मुझे खेद है कि यह सब अमेरिकी संविधान की नासमझी नहीं तो एकदम गलत बयानी है। अमेरिकी संविधान ऐसा कुछ नहीं करता। एक विषय अर्थात् विधानसभा के अधिकार के सिवाय अमेरिकी संविधान अमेरिका के नागरिकों का प्रत्याभूत मूल अधिकारों पर स्वयं कोई पाबंदियां अधिरोपित नहीं करता। और न ही यह कहना सही है कि अमेरिकी संविधान ने मूल अधिकारों पर पाबंदियां लगाने का काम न्यायपालिका पर छोड़ दिया है। पाबंदियां अधिरोपित करने का अधिकार कांग्रेस का है। वास्तविक स्थिति आलोचकों की धारणा से भिन्न है। अमेरिका में संविधान द्वारा अधिनियमित रुप में मूल अधिकार निसंदेह पूर्ण थे। किन्तु कांग्रेस ने शीघ्र ही देखा कि इन मूल अधिकारों को पाबंदियों से सीमित करना एकदम जरूरी है। जब इन प्रतिबंधों की संविधानिकता संबंधी प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाते यह दलील दी गई कि संविधान ने कांग्रेस को ऐसा कोई प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं दी है। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा पूर्ण मूल अधि कारों की वकालत का यह तर्क देकर खंडन किया कि हरेक राज्य में पुलिस शक्ति अन्तर्निहित है जो उसे संविधान द्वारा अभिव्यक्त राज्य से प्रदत्त करने की अपेक्षा नहीं है। उल्लिखित मामले में, उच्चतम न्यायालय के शब्दों में–

''राज्य पुलिस शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें दंड दे सकता है जो सार्वजनिक कल्याण पर प्रहार करने वाले शब्द बोलकर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें, जिससे लोकाचार भ्रष्ट हो जाए, अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करे या लोक शांति भंग करे, और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।''

प्रारुप संविधान के अंतर्गत, मूल अधिकारों को पूर्ण बनाने और पुलिस शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करके संसद का बचाव करने के लिए उच्चतम न्यायालय पर निर्भर रहने के बजाय, राज्य को मूल अधिकारों पर सीधे प्रतिबंध लगाने की इजाजत दी गई है। वस्तुत: परिणाम एक ही निकलता है। एक जिसे प्रत्यक्षत: करता है दूसरा उसे अप्रत्यक्ष रुप से करता है। दोनों ही दशाओं में मूल अधिकार पूर्ण नहीं है।

प्रारुप संविधान में मूल अधिकारों के बाद निर्देशक तत्व दिए गए हैं। संसदीय लोकतंत्र के लिए रचित संविधान की यह एक नई विशेषता है। संसदीय लोकतंत्र का एकमात्र संविधान जिसमें ऐसे सिद्धांत लेखबद्ध हैं, वह आयरिश स्वतंत्र राज्य का संविधान है। इन निर्देशक तत्वों को भी आलोचना का शिकार होना पड़ा है। कहा जाता है कि वह केवल पवित्र घोषणाएं हैं। उनमें कोई बाध्यकारी बल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह आलोचना निरर्थक है। स्वयं संविधान में ऐसा साफ-साफ शब्दों कहा गया है।

कहा जाता है कि निदेशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी बल नहीं है। मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनमें कतई बाध्यकार बल नहीं है और न ही मैं यह मानने को तैयार हूँ कि वे इसलिए निरर्थक हैं क्योंकि कानून की नजर में कोई बाध्यकारी बल नहीं है।

''निर्देशक तत्व इन्स्ट्रमेन्ट ऑफ इन्सट्रक्शन'' की तरह हैं जो भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने उपनिवेशों तथा भारत के गर्वनर जनरल तथा उपनिवेशों के गर्वनरों को जारी किए गए थे। प्रारुप संविधान के अंतर्गत ऐसे अनुदेश राष्ट्रपति और राज्यपालों को जारी किया जाना प्रस्तावित है। इस अनुदेश पत्र का पाठ संविधान की अनुसूची 4 में मिलेगा जिन्हें ''निर्देशक तत्व'' कहा जाता है वह अनुदेश पत्र का दूसरा नाम है। एकमात्र अंतर यह है कि विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। मेरे विचार में, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ कहीं शान्ति, व्यवस्था और सुशासन के लिए व्यापक शक्ति दी जाती है वहाँ यह आवश्यक है कि उसके साथ-साथ उसके प्रयोग को विनियमित करने वाले अनुदेश भी दिए जाएं।

संविधान में ऐसे अनुदेशों का समावेश जैसे प्रारुप में प्रस्तावित है, एक अन्य कारण से भी औचित्यपूर्ण है। जिस रुप में प्रारुप संविधान तैयार किया गया है उसमें देश के शासन के लिए केवल तंत्र की व्यवस्था की गई है। यह किसी खास बल को सत्तारुढ़ करने का उपाय नहीं है जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। यदि व्यवस्था को लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरना है तो यह जनता पर छोड़ दिया जाए कि वह किसे चुनकर सत्ता में लाए। लेकिन जो भी सत्ता में आएगा वह अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। उसका प्रयोग करने के लिए उसे ''निर्देशक तत्व'' नामक अनुदेशों का आदर करना होगा। वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। हो सकता है उसे उनके उल्लंघन के लिए न्यायालय में जवाबदेह न होना पड़े। लेकिन उनके लिए उसे चुनाव के समय मतदाता के सामने निश्चय ही जवाब देना होगा। इन निर्देशक तत्वों का क्या मूल्य है यह उस समय ज्यादा समझ में आएगा जब ताकतें (साधिकार) सत्ता हथियाने के उपाय करेंगी।

इनका कोई बाध्यकारी बल नहीं है, यह उनके संविधान में शामिल किए जाने के

खिलाफ कोई तर्क नहीं है। संविधान में उन्हें कहाँ रखा जाए इस बारे में मतभेद हो सकता है। मैं सहमत हूँ कि यह कुछ विचित्र बात है कि ये उपबंध, जिसकी बाध्यताएं सकारात्मक नहीं हैं, उन उपबंधों के बीचोबीच रखी जाएँ जो सकारात्मक तौर पर बाध्यकारी हैं। मेरे निर्णय में, उनका उचित स्थान अनुसूची–3क और 4 है जिनमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए ''अनुदेश पत्र'' अंकित है। जैसा कि मैंने कहा था, वे कार्यपालिका और विधानमंडलों के लिए वास्तव में अनुदेश पत्र हैं उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। लेकिन यह केवल व्यवस्था के लिए है।

कुछ आलोचकों का कहना है कि केन्द्र बहुत मजबूत है। दूसरों का कहना है कि इसे और मजबूत बनाया जाए। प्रारुप संविधान में संतुलन रखा गया है। आप केन्द्र को कितना भी शक्तियों से वंचित रखें पर शक्तियों का केन्द्रीयकरण अपरिहार्य है। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल सरकार के विकास पर विचार करके देखना होगा। हालांकि संविधान ने उसे बहुत सीमित शक्तियां दी थीं फिर भी वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन गया है और उन पर अंकुश रखता है। ऐसा आधुनिक अवस्थाओं के कारण है। निस्संदेह वही अवस्थाएं भारत सरकार के सामने आएंगी और उसे मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी ओर, हमें इसे और मजबूत बनाने की प्रवृति का प्रतिरोध करना चाहिए। वह जितना हजम कर सकता है उससे ज्यादा ग्रहण न करें। उसकी शक्ति उसके वजन के अनुरूप होनी चाहिए। उसे इतना मजबूत बनाना मूर्खतापूर्ण होगा कि वह अपने ही वजन से धराशायी हो जाए।

प्रारुप संविधान की आलोचना इस कारण की जाती है कि इसमें केन्द्र और प्रान्तों के सांविधानिक संबंध एक प्रकार के हैं तथा केन्द्र और देशी रियासतों के सांविधानिक संबंध दूसरे प्रकार के हैं। देशी रियासतें संघ सूची में शामिल विषयों की पूरी सूची स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं बल्कि उन्हीं के लिए हैं जो प्रतिरक्षा, विदेश कार्य और संचार के अंदर आते हैं। वे समवर्ती सूची में शामिल विषयों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे प्रारुप संविधान में अंकित राज्य सूची के विषयों को स्वीकार करने के लिए भी बाध्य नहीं हैं। वे अपनी निजी संविधान सभा बनाने और अपने संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, निस्संदेह यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा निवेदन है कि इसका कोई परित्राण नहीं है। यह विषमता राज्य दक्षता के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। जब तक विषमता रहेगी अखिल भारतीय विषयों पर केन्द्र का प्राधिकार हल्का पड़ सकता है। क्योंकि वह शक्ति शक्ति नहीं जो सभी मामलों में और सभी स्थानों पर इस्तेमाल न की जा सके। जैसे युद्ध से उत्पन्न स्थिति में कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियों के प्रयोग पर ऐसी सीमाएं राज्य के संपूर्ण जीवन को पूर्णतः संकटग्रस्त कर सकती हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि प्रारुप संविधान के अंतर्गत देशी रियासतों को अपनी स्वयं की सेनाएं

रखने की इजाजत है। मैं इसे अत्यंत पश्चगामी और हानिकारक उपबंध मानता हूँ। इससे भारत की एकता भंग हो सकती है और केन्द्र सरकार का तख्ता पलट सकता है। यदि मैं उसके मन का गलत प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ तो प्रारुपण समिति इस विषय पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वे चाहते थे कि केन्द्र के साथ सांविधानिक संबंधों के विषय में प्रान्तों और देशी रियासतों में एकरुपता हो। दुर्भाग्यवश वे इसमें सुधार करने के लिए कुछ नहीं कर सके। वे संविधान सभा के विनिश्चयों से आबद्ध थे और परस्पर बातचीत करने वाली दो समितियों द्वारा किए गए समझौते से संविधान सभा भी आबद्ध थी।

लेकिन जर्मनी में जो कुछ हुआ हम उससे हिम्मत जुटा सकते हैं। 1870 में बिस्मार्क द्वारा संस्थापित जर्मन साम्राज्य 25 इकाईयों का एक सम्मिश्र राज्य था। उन 25 इकाईयों में से 22 राजसी इकाईयां थीं और 3 गणतंत्रात्मक राज्य थीं। जैसाकि हम सब जानते हैं कि कालान्तर में यह अंतर गायब हो गया और जर्मनी एक देश बन गया जिसमें लोग एक ही संविधान के अंतर्गत रहते हैं। देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया जर्मनी में हुए विलय की प्रक्रिया से बहुत तेज रहेगी। 15 अगस्त, 1947 को हमारे देश में 600 देशी रियासतें थी। आज देशी रियासतों के भारतीय प्रांतों में मिलने से या आपस में विलय से या केन्द्र द्वारा उन्हें केन्द्र शासित क्षेत्र के रूप में ग्रहण किए जाने से कुछ 20/30 रियासतें ही चलने योग्य रह गई हैं। यह बहुत तीव्र प्रक्रिया और प्रगति है। उन रियासतों से मेरी अपील है जो रह गई हैं वे भारतीय प्रांतों की पंक्ति में आ जाएं और उन्हीं शर्तों पर भारतीय संघ की पूर्ण इकाई बन जाएं जिन पर भारतीय प्रांत बने हैं। इससे भारतीय संघ को वह बल मिलेगा जिसकी उसे जरुरत है। इससे वे अपनी स्वयं की संविधान सभा गठित करके अपने पृथक संविधान बनाने की परेशानी से बच जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं खोएंगे जो उनके लिए मूल्यवान है। मुझे आशा है, मेरी अपील निष्फल नहीं जाएगी और संविधान पारित होने से पहले हम प्रान्तों और देशी रियासतों के अंतर को मिटाने में समर्थ हो पाएंगे।

कुछ आलोचकों की आपत्ति इस बात पर है कि भारत को प्रारुप संविधान के अनुच्छेद-1 में राज्यों का संघ कहा गया है। कहा जाता है कि सही पद होगा राज्यों का परिसंघ। यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका जो एक एकात्मक राज्य है, संघ के रुप में वर्णित किया जाता है। लेकिन कनाडा हालांकि परिसंघ है फिर भी संघ (यूनियन) कहलाता है। इसलिए भारत का संघ (यूनियन) के रुप में वर्णन, हालांकि इसका संविधान फेडरल है, व्यवहार पर कोई चोट नहीं करता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि "यूनियन" शब्द का प्रयोग सोच-समझकर किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि कनाडा के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रारुपण समिति यह स्पष्ट करना चाहती थी कि यद्यपि भारत एक फेडरेशन (परिसंघ) होना था फिर भी वह फेडरेशन राज्यों द्वारा फेडरेशन में शामिल होने के समझौते का परिणाम नहीं था और यह कि चूंकि फेडरेशन समझौते

का परिणाम नहीं था इसलिए किसी भी राज्य को उससे विलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि यह अखंड है। यद्यपि देश और लोग प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में विभक्त हो सकते हैं फिर भी देश एक अखण्ड सम्पूर्ण इकाई है, उसके लोग एक ही स्रोत से प्राप्त एक ही शक्ति के अधीन रहने वाले एक ही लोग है। अमरीकियों को यह सिद्ध करने के लिए गृह युद्ध छोड़ना पड़ा था कि राज्यों को विलग होने का कोई अधिकार नहीं है और यह कि उनका फेडरेशन अखंड है। प्रारुपण समिति ने सोचा कि इस विषय को अटल या विवाद के लिए छोड़ देने के बजाय शुरु में ही इसे स्पष्ट करना बेहतर है।

संविधान संशोधन विषयक उपबंधों पर प्रारुप संविधान के आलोचकों ने तीव्र प्रहार किए हैं। कहा गया है कि प्रारुप में समाविष्ट उपबंध संशोधन करना कठिन बनाते हैं। प्रस्ताव है कि संविधान का संशोधन कम से कम कुछ वर्षों तक साधारण बहुमत से हो जाना चाहिए। यह तर्क प्रखर और विलक्षण है। कहा जाता है कि इस संविधान सभा का चुनाव प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होगा और फिर भी संविधान सभा को साधारण बहुमत से संविधान पारित करने का अधिकार दिया गया है जबकि संसद को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इसे प्रारुप संविधान के बेतुके कथनों में से एक बताया गया है। मुझे इस आरोप का खंडन करना होगा क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। संविधान संशोधन के विषय में प्रारुप संविधान के उपबंध कितने सरल हैं यह जानने के लिए अमरीकी और आस्ट्रेलियाई संविधानों में दिए गए संशोधन विषयक उपबंधों का अध्ययन मात्र करना होगा। उनकी तुलना में, प्रारुप संविधान में दिए गए उपबंध सबसे सरल दिखाई पड़ेंगे। प्रारुप संविधान में विस्तृत और जटिल प्रक्रिया को हटा दिया गया है जैसे कनवेंशन या जनमत द्वारा फैसला। संशोधन की शक्ति केन्द्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों को दी गई है। कुछ खास विषयों की बाबत ही और ये बहुत थोड़े से हैं, राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन अपेक्षित है। संविधान के अन्य सब उपबंधों के संशोधन का काम संसद को सौंपा गया है। केवल एक प्रतिबंध लगाया गया है और वह यह है कि प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा और प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ही संविधान संशोधन पारित किया जा सकता है। संविधान का संशोधन करने का इससे सरल ढंग सोचना दुष्कर है।

जिसे संशोधन उपबंधों का बेतुकापन कहा जाता है वह संविधान सभा तथा संविधान के अनुसार निर्वचित भावी संसद की स्थिति की गलत अबधारण पर आधारित है। संविधान सभा का संविधान निर्माण में कोई पक्षपातपूर्ण हेतु नहीं हैं। एक अच्छा और उपयोगी (व्यवहार्य) संविधान सुलभ कराने के अलावा इसे कुछ नहीं करना है। संविधान के अनुच्छेदों पर विचार करते समय इसकी दृष्टि किसी खास उपाय (कानून) का पारित कराना नहीं है। यदि भावी संसद संविधान सभा के रुप में बुलाई गई तो उसके सदस्य

अपने दलगत उपायों को पारित करना सुकर बनाने के लिए जिन्हें वे संविधान के किसी अनुच्छेद के कारण जो उनके रास्ते में बाधक बना है, संविधान का संशोधन करने की मांग पक्षकार के रुप में करेंगे। इस प्रकार संसद को अपना मतलब निकालना होगा जबकि संविधान सभा का कोई मतलब नहीं है। संविधान सभा और भावी संसद में यही अंतर है। इससे जाहिर होता है कि सीमित मताधिकार पर निर्वाचित होते हुए भी संविधान सभा पर साधारण बहुमत से संविधान पारित करने का विश्वास क्यों किया जा सकता है और प्रौढ़ मताधिकार पर निर्वाचित होने पर भी संसद पर उसका संशोधन करने की वैसी ही शक्ति के साथ विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता।

मुझे विश्वास है कि मैं प्रारुपण समिति द्वारा निर्धारित प्रारुप संविधान के खिलाफ की गई कटु आलोचनाओं पर अपनी बात कह चुका हूँ। मेरे विचार में पिछले आठ महीनों के दौरान जब यह संविधान जनता के समक्ष रहा है, इसके बारे में की गई कोई भी महत्वपूर्ण टिप्पणी या आलोचना शेष नहीं रही है। अब यह निश्चय करना संविधान सभा का अधिकार है कि वह प्रारुपण समिति द्वारा निर्धारित संविधान को स्वीकार करे या उसे पारित करने से पहले उसमें कोई परिवर्तन करे।

फिर भी मैं यह कहना चाहूँगा। संविधान पर भारत की कुछ प्रांतीय विधानसभाओं में भी चर्चा की गई है। बम्बई, मध्य प्रांत, पशिचम बंगाल, बिहार, मद्रास और पूर्वी पंजाब में चर्चा हुई थी। यह सच है कि कुछ प्रांतीय विधानसभाओं में संविधान के वित्तीय उपबंधों पर तथा मद्रास में अनुच्छेद 226 पर गंभीर आपत्तियां की गई थीं। लेकिन इसके सिवाय, किसी भी अन्य प्रांतीय विधानसभा में संविधान अनुच्छेदों पर कोई गंभीर आपत्ति पेश नहीं हुई। कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं है। प्रारुपण समिति स्वयं प्रारुप संविधान में सुधार के लिए कुछ संशोधन सुझा रही है। लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में जो बहस हुई है उससे मुझे यह कहने का प्रोत्साहन मिला है कि प्रारुपण समिति द्वारा निर्धारित संविधान इस देश का शुभारंभ करने के लिए काफी अच्छा है। मैं यह महसूस करता हूँ कि यह चलने योग्य है। यह लचीला है और यह देश को शांतिकाल और युद्धकाल दोनों में एकजुट रखने के लिए काफी मजबूत है। यदि मुझे ऐसा करने की इजाजत है तो, वास्तव में यदि एक संविधान के अंतर्गत काम सुचारु रूप से नहीं चला तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है। हमारा कहना यही होगा कि आदमी निकम्मा था। श्रीमान्, मैं पेश करता हूँ।

[*डॉ. अम्बेडकर के भाषण के बाद संविधान सभा के सदस्यों ने खड़े होकर प्रारुप संविधान के बारे में अपने-अपने विचार प्रकट किए। यहाँ डॉ. अम्बेडकर और प्रारुपण समिति की प्रशंसा में कुछ अंश उद्धृत हैं-संपादक*]

*__श्री फ्रेंक एंथनी (मध्य प्रांत और बरार साधारण :-__ सभापति महोदय, यद्यपि

डॉ. अम्बेडकर सदन में उपस्थित नहीं है फिर भी मैं यह महसूस करता हूँ कि कम से कम एक वकील के नाते, हमारे प्रारुप संविधान में अन्तर्निहित सिद्धांतों के बारे में उन्होंने जो संतुलित और स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रारुप संविधान के बारे में हम जो चाहें भिन्न-भिन्न विचार रखें मैं यह महसूस करता हूँ कि यह मानना होगा कि यदि किसी और दृष्टि से नहीं तो कम से कम भौतिक दृष्टि से यह एक वृहत् दस्तावेज है और मैं समझता हूँ कि यदि हम प्रारुपण समिति के सदस्यों के प्रति विशेष धन्यवाद के शब्द न कहें तो यह हमारी अशिष्टता होगी, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि उन्होंने इतने वृहत् दस्तावेज को तैयार करने में बहुत अधिक श्रम और कौशल लगाया है...

******

**अंत में, मैं डॉ. अम्बेडकर की उस भावना का समर्थन करना चाहता हूँ जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के निमित्त उपबंधों का मूल्यांकन करते हुए दर्शायी है। मैं जानता हूँ कि (भारत में जो घटना घटी है उसके बाद) अल्पसंख्यकों के बारे में बात करना या अल्पसंख्यकों की समस्याओं के अनुसार यह एक अरुचिकर विषय है और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं इन अल्पसंख्यक उपबंधों का मूल्यांकन करना नहीं चाहता क्योंकि वे सलाहकार समिति द्वारा पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं।

#वे कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, वे संविधान सभा द्वारा भी स्वीकार किए जा चुके हैं। लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि कांग्रेसी पार्टी की इस जटिल समस्या के प्रति यथार्थवादी और राजनीतिज्ञ जैसी विचारधारा के लिए मुझे उसे धन्यवाद और बधाई देनी चाहिए, और मैं यह महसूस करता हूँ कि हमें अत्यंत यथार्थवादी और राजनीतिज्ञ जैसी विचारधारा के लिए विशेषकर सरदार पटेल को धन्यवाद देना चाहिए। इस बात को दृष्टि से ओझल करना या टालना ठीक नहीं है कि इस देश में अल्पसंख्यक भी रहते हैं। लेकिन यदि हम इस समस्या को उस तरीके से देखें जैसे कांग्रेस ने देखना शुरु कर दिया है तो मुझे विश्वास है कि दस साल में इस देश में कोई अल्पसंख्यक समस्या नहीं रहेगी। विश्वास कीजिए, श्रीमान्, जब मैं आपसे यह कहता हूँ कि मैं बिलकुल भी यह नहीं सोचता कि एक भी ठीक सोच वाला अल्पसंख्यक वर्ग यह नहीं चाहता कि यह देश कम से कम संभव समय में, वास्तविक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य के लक्ष्य को प्राप्त कर ले। हमारा विश्वास है- हमें अवश्य विश्वास करना चाहिए कि उस लक्ष्य की प्राप्ति में इस देश में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बड़ी से बड़ी गारंटी निहित

---

*. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 8, 5 नवंबर, 1948, पृष्ठ 227 ।

** वही, पृष्ठ 227-28 ।

एस्ट्रिक्स और डाट्स वाला हिस्सा हटा दिया गया है - संपादक

है। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने कहा है, इस विषय में हमने बहुत सुन्दर मध्यमार्ग खोज लिया है। अल्पसंख्यक वर्ग भी इसमें सहायक रहे हैं।

अंत में श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा उस पूर्ण ऊंचाई तक पहुंचना मुद्रित संविधान में अंकित शब्दों पर अंततः उतना निर्भर नहीं करेगा जितना उस भावना पर जिससे देश के नेता और प्रशासक हमारे संविधान को कार्यरुप देंगे और उस भावना पर, जिससे वे हमारे सामने आने वाली समस्याओं से निपटेंगे, जिस ढंग से हम इस संविधान की भावना का निर्वाह करेंगे उसी पर हमारे आदशों की प्राप्ति निर्भर करेगी जिनमें हम सबकी आस्था है।

****श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (संयुक्त प्रांतः साधारण):** मैं भी डॉ. अम्बेडकर का अभिनंदन करने के आनंद में भाग लेना चाहता हूँ। वह सदन के समक्ष सुन्दर स्कीम रखने के लिए कठोर परिश्रम के लिए और अपने विद्वतापूर्ण एवं पटुतापूर्ण भाषण के लिए बधाई के पात्र हैं।

श्रीमान्, संविधान पर विचार करते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि संविधान अपने आप में एक साध्य नहीं है। संविधान का निर्माण कुछ उद्देश्यों के लिए किया जाता है और वे उद्देश्य होते हैं जनता की व्यापक भलाई, राज्य की स्थिरता और व्यक्ति की प्रगति और विकास। भारत में जब हम व्यक्ति की प्रगति और विकास की बात कहते हैं तो हमारा अभिप्राय हैं उसकी आत्मानुभूति, आत्म विकास और आत्मतुष्टि। जब हम लोगों का विकास कहते हैं तो हमारा अभिप्राय है एक मजबूत और अखंड राष्ट्र।

*****

****श्री टी.टी.कृष्णमाचारी (मद्रास : साधारण):** सभापति महोदय, मैं सदन में उनसे से एक हूँ जिन्होंने डॉ. अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना है। मुझे ज्ञात है कि इस संविधान के प्रारुपण के काम में उन्होंने कितना श्रम किया है और कितना उत्साह दिखाया है। साथ ही मैं यह भी महसूस करता हूँ कि प्रारुपण समिति ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना इस समय हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण संविधान के प्रारुपण के प्रयोजन के लिए आवश्यक था। कदाचित सदन को मालूम है कि आप द्वारा मनोनीत सात सदस्यों में से एक ने सदन से त्यागपत्र दे दिया है और उसके स्थान पर कोई नहीं लिया गया है। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया तथा एक अन्य व्यक्ति राज्य के कार्यों में व्यस्त था और इस तरह उसकी जगह खाली थी एक या दो लोग दिल्ली से बहुत दूर थे। कदाचित स्वास्थ्य की वजह से वे इसमें भाग नहीं ले सके। इस प्रकार अन्ततः हुआ यह कि इस संविधान के प्रारुपण का भार डॉ. अम्बेडकर पर

---

* संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 8, 5 नवंबर, 1948, पृष्ठ 229।

** वही, पृष्ठ 231-32 ।

आ पड़ा और निस्संदेह इस कार्य को जिस तरीके से उन्होंने सम्पन्न किया है उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। निस्संदेह यह प्रशंसनीय है। परंतु मेरा मुद्दा वास्तव में यह है कि इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था समिति ने समग्र रुप से उतना ध्यान नहीं दिया है। अप्रैल में किसी समय संविधान सभा के सचिवालय ने मुझे और दूसरों को यह सूचित किया था कि आपने विनिश्चय किया था कि संघ शक्ति समिति, हर हालत में उनके सदस्य और कुछ अन्य चुने हुए लोग बैठक करें और सदन के सदस्यों तथा जनसाधारण द्वारा सुझाए गए विभिन्न संशोधनों पर विचार-विमर्श करें। पिछले अप्रैल में एक बैठक दो दिन चली थी और मैं मानता हूँ कि कुछ अच्छा काम हुआ था और मैं देखता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर ने समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार करने का चुनाव किया है, लेकिन उसके बाद इस समिति के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं समझता हूँ प्रारुपण समिति कम से कम डॉ. अम्बेडकर और श्री माधव राव ने उसके बाद बैठक की और संशोधनों की संवीक्षा की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। किन्तु संभवतः तकनीकी अर्थों में यह प्रारुपण समिति नहीं थी। यद्यपि उस विषय पर मैं आपकी व्यवस्था को प्रश्नगत नहीं करुँगा फिर भी यह मानना होगा कि ज्यों ही समिति ने रिपोर्ट दे दी त्योंही समिति कार्य निवृत्त हो गई, और मुझे स्मरण नहीं है कि आपने प्रारुपण समिति का पुनर्गठन किया है......

♣**श्री विश्वाथ दास (उड़ीसा-साधारण):** उपसभापति महोदय, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत संविधान के कुशाग्रतापूर्ण विश्लेषण के लिए मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर का धन्यवाद करता हूँ श्रीमान्, मैं उनके साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस सदन के सामने पेश किए संविधान का निर्माण करने के लिए छह महीने कठोर परिश्रम किया।

•**श्री बी.दास (उड़ीसा-साधारण):** उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रारुपण समिति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। समिति ने संविधान विधेयक को एक रुप और आकृति देने में अत्यंत श्रमसाध्य कार्य किया है जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं और जिसमें हम अपनी मर्जी से परिवर्तितन करते हैं ताकि एक उचित प्रमुख सम्पन्न संविधान भारत के लिए प्रकल्पित किया जाए। मैं डॉ. अम्बेडकर और उनके साथियों की प्रशंसा करता हूँ और साथ ही आपके योग्य और पात्र सलाहकारों की भी प्रशंसा करता हूँ।

श्री लोकनाथ मिश्र (उड़ीसा-साधारण): महोदय, यह संविधान सभा ऐसे संविधान पर विचार कर रही है जो हमारे भविष्य का संरक्षक माना जाता है। यह सभा भारत की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है और यह माना जाता है कि यह हमारी स्वतंत्रता को रुप, आकृति और गरिमा प्रदान करेगी। इस साध्य को ध्यान में रखकर हमारे नेताओं ने

♣ संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 8, 5 नवंबर, 1948, पृष्ठ 229 ।

• वही, पृष्ठ 231-32 ।

पर्याप्त और कठोर परिश्रम किया तथा प्रारुप संविधान का निर्माण किया जिस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। श्रीमान्, मेरा पहला मुद्दा है कि यद्यपि डॉ. अम्बेडकर ने प्रारुप संविधान का पूरा विश्लेषण करते हुए अत्यंत कुशाग्र, ओजस्वी और साहसी भाषण दिया है....।

मैं डॉ. अम्बेडकर के भाषण का सूक्ष्म परीक्षण करने में और अधिक समय लेता। मैं उनके ज्ञान के सम्मुख नतमस्तक हूँ। उनकी भाषण पटुता के समक्ष नतमस्तक हूँ। उनके साहस के सामने नतमस्तक हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इतना विद्वान पुरुष भारत माता का इतना महान सपूत भारत के बारे में इतना कम जानता है। निस्संदेह वह प्रारुप संविधान की आत्मा है ओर उन्होंने अपने प्रारुप में ऐसा कुछ दिया है जो पूर्णतः अभारतीय है। अभारतीय से मेरा अभिप्राय है कि वह चाहे कितना भी खंडन करें वह पूर्णतः पाश्चात्य की दासतापूर्ण प्रतिकृति (नकल) है–इतना ही नहीं, उसके सामने दासतापूर्ण आत्मसमर्पण है।

[1]**काजी सैयद करीमुद्दीन (मध्य प्रांत और बरार मुस्लिम):** सभापति महोदय, भारत के प्रारुप संविधान के विचारार्थ प्रस्ताव में पेश करने के लिए डॉ. अम्बेडकर को बधाई देता हूँ। उन्होंने जो भाषण दिया वह विलक्षण था और मुझे विश्वास है कि उनका नाम भावी पीढ़ियाँ महान संविधान निर्माता के रुप में हमेशा याद रखेंगी...।

[2]**प्रो. के. टी.शाह (बिहार–साधारण):** श्रीमान्, प्रारुपण समिति और उसके अध्यक्ष को सदन के समक्ष रखे इस वृहत प्रारुप संविधान के लिए बधाई देने वालों में मैं भी शामिल हूँ। विशेष रूप से मैं विधिमंत्री का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे विचारार्थ संविधान की प्रमुख रुप विशेषताओं को इतने सुस्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है तथा हमें विचारोत्तेजक सामग्री दी है और वे कारण भी दिए हैं कि कुछ चीजें क्यों शामिल की गई हैं और कुछ अन्य चीजें एक खास ढंग से क्यों रखी गई हैं....।

[3]**पं. लक्ष्मीकांत मंत्रा (पश्चिम बंगाल–साधारण):** श्रीमान्, यदि मैंने अपने माननीय मित्र और पुराने साथी डॉ. अम्बेडकर को उनके कल के विलक्षण प्रदर्शन पर बधाई नहीं दी तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख रह जाऊँगा। सदन उस विपुल समय और शक्ति की प्रशंसा करता है जो उन्होंने सांविधानिक प्रस्तावों को एक निश्चित आकार देने में लगाई है....।

[4]**श्री रामनारायण सिंह (बिहारः साधारण):** श्रीमान्, मैं अपने माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर को इस संविधान विधेयक को पेश करने के मौके पर बधाई देता हूँ और

---

1. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 8, 5 नवंबर, 1948, पृष्ठ 242 ।
2. वही, पृष्ठ 242-244 ।
3. वही, पृष्ठ 246 ।
4. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 8, 5 नवंबर, 1948 पृष्ठ 252 ।

उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ...।

[5]**डॉ. पी. एस. देशमुख (मध्य प्रांत और बरार: साधारण):** श्रीमान्, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्तावित संविधान के विषय में अपने विचार रखने का मौका दिया है। समय सीमित है। अत: मेरे विचार बहुत साधारण प्रकार के ही हो सकते हैं। जब विभिन्न खंडों पर विचार होगा तो मैं दुर्भाग्यवश यहाँ उपस्थित नहीं रहूँगा। इसलिए मैं ये कुछ मिनट दिए जाने के लिए आपको विशेष रुप से कृतज्ञ हूँ।

मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर का भाषण विलक्षण था और वह पेश किए गए प्रारुप संविधान पर एक प्रभावशाली टीका थी। जैसा कि सुविदित है, यह ख्यातिलब्ध अधिवक्ता हैं और मेरे विचार में उन्होंने अपना पक्ष बड़ी योग्यता से प्रस्तुत किया है। यदि उनके पास समय होगा तो वह कदाचित संविधान को एक भिन्न आकार देते। जो भी हो, उन्होंने यह कहकर अपनी कठिनाइयाँ पूरी तरह मान ली हैं कि आखिर आप प्रशासन को एक दिन में तो नहीं बदल सकते और यदि वर्तमान संविधान का वर्णन सारांश में किया जा सकता है तो यह वर्तमान प्रशासन के अनुरूप होना आशायित है....।

[6]**श्री एस. नागप्पा** उपसभापति महोदय, पूर्व वक्ताओं की भांति मैं भी प्रारुप समिति के माननीय अध्यक्ष और उसके सदस्यों को बधाई देता हूँ। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि सभी समस्याओं के सभी पहलुओं और विभिन्न समितियों की सभी रिपोर्टों को समेकित किया जाए और उस पर विचार किया जाए।

श्रीमान्, मैं उन लोगों में से एक हूँ जो एक मजबूत केन्द्र की वकालत करते हैं विशेषकर इसलिए जैसा कि हम सब जानते हैं, कि हमने अभी हाल ही में अपनी आजादी हासिल की है। हमें उसे संचित करके और आने वाले अनंत समय के लिए संजोकर रखने के लिए काफी समय चाहिए। केन्द्र मजबूत हो, इसका और भी कारण है। हम अनेक दृष्टियों से साम्प्रदायिक रुप से तथा धार्मिक आधारों पर पहले बंट चुके हैं। अब हम प्रांतों के आधार पर विभक्त न हों। इसलिए सब प्रांतों को एकजुट करने के लिए एवं और अधिक एकता लाने के लिए मजबूत केन्द्र का होना समग्र देश के हित में है।

केन्द्र क्यों मजबूत होना चाहिए, इसका एक अन्य कारण मैं अभी बताऊँगा। कुछ लोगों का कहना है कि हमें योद्धावाली मानसिकता के साथ मजबूत केन्द्र चाहिए। मैं यह नहीं समझता कि हमें ऐसी कोई मानसिकता चाहिए। हमें अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया गया है। ये हमारे सिद्धांत हैं। ऐसी हालत में, केन्द्र की योद्धावाली मानसिकता होने की कोई संभावना नहीं है।

---

[5] सी.ए.डी. 11, नवंबर, 1948, पृष्ठ 250 ।

[6] वही, पृष्ठ 252 ।

माननीय डॉ. अम्बेडकर ने अपनी रिपोर्ट और प्रारुप संविधान पेश करते हुए कहा था कि संविधान का ढांचा परिसंघीय है लेकिन उसका स्वरुप एकात्मक है। मेरा मानना है श्रीमन्, विशेषकर इस हालत में हमें ऐसा ही संविधान चाहिए। हमें बताया गया था कि उन्होंने भारत शासन अधिनियम से वह लिया है जब हम उसमें कोई अच्छी चीज पाते हैं तो हम उसकी नकल करते हैं यदि हमें दूसरे संविधानों में हमारे लिए, हमारी प्रथाओं और हमारी संस्कृति के लिए कोई उपयोगी और उपयुक्त चीज मिलती है तो उसे अंगीकार करने में कोई नुकसान नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए काफी अच्छे उपबंध किए गए हैं। मैं इससे खुश हूँ और जो प्रतिनिधि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए इस सदन में आए हैं वे भी इस पर खुश हैं। इसके लिए हमें अल्पसंख्यक समुदाय को बधाई देनी होगी। हमें अल्पसंख्यकों को कुछ विशेषाधिकार के लिए राजी होने के लिए बहुसंख्यक समुदाय को बधाई देनी होगी....।

श्रीमन्, मैं एक बार फिर माननीय डॉ. अम्बेडकर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस संविधान के प्रारुपण में काफी परिश्रम किया है। निस्संदेह यह एक बड़ा काम है पर उन्होंने उसे कामयाबी के साथ और थोड़े समय में ही कर दिया है।

♠**श्री अरुण चन्द्र गुहा (पश्चिमी बंगाल-साधारण):** उपसभापति महोदय, अब प्रारुप संविधान पर आते हैं। मुझे खेद है कि प्रारुपण समिति अपने कार्यक्षेत्र के बाहर आ गई है। मुझे खेद है कि जो संविधान हमारे सामने रखा गया है वह संविधान सभा द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अतिक्रमण करता है। पूरे संविधान में हमें कांग्रेसी विचारधारा की, गांधीवादी सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधारा की कोई झलक नहीं दिखाई पड़ती। विद्वान डॉ. अम्बेडकर को अपने लम्बे और विद्वतापूर्ण भाषण में कहीं भी गांधी जी या कांग्रेस का जिक्र करने का मौका नहीं मिला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण संविधान में कांग्रेसी आदर्श और कांग्रेसी विचारधारा का अभाव है, विशेषकर तब जब हम एक संविधान की रचना करने जा रहे हैं, यह जो निर्माण करने जा रहे हैं वह केवल राजनीतिक संरचना नहीं है, यह केवल एक प्रशासन तंत्र नहीं है जिसकी स्थापना हम करने जा रहे हैं। यह राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक भविष्य की मशीनरी है....।

जहां तक मूल अधिकारों का संबंध है डॉ. अम्बेडकर ने अपने प्रस्ताव भाषण में एक प्रकार की आध्यात्मिक बहस शुरु कर दी है। डॉ. अम्बेडकर एक विद्धान प्रोफेसर हैं और मैं उनकी विद्वता एवं योग्यता को मानता हूँ और मेरे विचार में प्रारुप संविधान मुख्यत: उनका ही कला-कौशल है। उन्होंने एक नया शब्द रखा है। श्रीमन्, मैं यह महसूस करता हूँ कि विश्व में ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो पूर्ण हो। हर अधिकार के साथ कुछ बाध्यता होती है। बाध्यता के बिना कोई अधिकार नहीं हो सकता....।

♠ संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 4 नवंबर, 1948, पृष्ठ 225-256 ।

उपसभापति (डॉ. एच. सी. मुखर्जी): इससे पहले मैं सदन में बोलने के लिए अगले सदस्य को आमंत्रित करूँ मैं यह बता दूं कि मेरे पास 40 सदस्यों की पर्चियाँ हैं जो बोलना चाहते हैं। वह विषय इतना तात्कालिक एवं महत्वपूर्ण है कि मैं चाहता हूँ कि हरेक को प्रारुप से विधान पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिले। इसलिए वक्तओं से मेरा अनुरोध है कि 10 मिनट की समय-सीमा जो मैंने नियत की है उसे पार न करें।

[1]**श्री टी. प्रकाशम् (मद्रास-साधारण):** श्रीमन्, डॉ. अम्बेडकर माननीय प्रभारी सदस्य ने जो प्रारुप संविधान पेश किया है वह बहुत बड़ा दस्तावेज है। उन्होंने और उनके अन्य साथियों ने जो परिश्रम किया है वह वास्तव में बहुत बड़ा है। मेरे माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने बोलते हुए उस कठिनाई के बारे में बताया था जिससे माननीय डॉ. अम्बेडकर जूझ रहे थे क्योंकि समिति के 5-6 सदस्यों ने समिति से त्यागपत्र दे दिया था और उनकी जगह नए सदस्य मनोनीत नहीं किए गए थे...।

*****

डॉ. जोसफ अल्वान डिसूजा (बम्बई-साधारण): उपसभापति जी, इस महान देश के इतिहास के पन्नों में जो हजारों वर्ष पुराना है, और संभवतः हमेशा रहेगा। जरुरत है उसे वह सब कुछ देने की जो उसे देय है, निश्छल और ईमानदारी से आत्म निरीक्षण करने की, भाईचारे और सहयोग की भावना की, जिसके परिणामस्वरुप शांति, सौहार्द और सद्भाव व्यष्टि और समष्टि के रुप में हमारे विविध अस्तित्वों के जीवन-लक्ष्य होंगे, पर्याप्त विस्तृत दृष्टि अपनाने की, ताकि वे जटिल और कठिन समस्याएं जो इस सांविधानिक स्थापना के संबंध में हमारे सामने आनी हैं, प्रधानतः संपूर्ण देश की सम्पन्नता और तरक्की के विस्तृत पहल से जांची परखी जा सकें और अन्ततः ''पड़ोसी से भी वैसा ही प्यार कीजिए जैसा अपने आपसे'' नामक सुविदित उक्ति के पर्याप्त उदार और परमार्थ परक प्रदर्शन की ताकि समग्र राष्ट्र के उच्च हितों में, भावनात्मक संवेगात्मक, संकीर्ण दलबंदी सम्पूर्ण राष्ट्रसंबंधी मूलभूत नीति के फैसलों पर अनुचित असर डाल पाए।

अनेक सदस्यों ने खासकर उन सदस्यों ने जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, यह मान लिया है कि प्रारुप संविधान एक श्रेष्ठ कृति है। यदि इजाजत हो तो मैं इसे माननीय डॉ. अम्बेडकर और उनकी प्रारुपण समिति के महीनों की श्रमसाध्य स्मरणीय कृति कहूँगा। हम इस कृति को निश्चित रुप से विशेषज्ञों की कृति कह सकते हैं, यह कृति आद्योपान्त तुलनात्मक, चयनात्मक और दक्षात्मक स्वरुप की है....।

[2]**माननीय श्री के. संथानम:** प्रारुपण समिति ने उत्तम काम किया है, लेकिन

---

1. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 5 नवंबर, 1948, पृष्ठ 257 ।

साथ ही, मुझे खेद है कि वे दो आलोचनाओं से बच नहीं सकते। मेरे विचार में समिति ने अपने आप को नाजायज तौर पर संविधान समिति बना लिया। उन्होंने इस सभा द्वारा खुले सदन में अंगीकृत कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों को बदलने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया.....।

[3]**श्री आर. के. सिधवार (मध्य प्रांत और बरार):** उपसभापति महोदय, एक योग्य और सक्षम वकील के रुप में डॉ. अम्बेडकर ने प्रारुप संविधान इस सदन में बहुत साफ शब्दों में प्रस्तुत किया है और उन्होंने बाहर की दुनिया पर तथा कुछ माननीय सदस्यों पर भी अपनी छाप छोड़ी है लेकिन संविधान के मूल्यांकन का यह कोई मापदंड नहीं है। यह संविधान इस देश में लोकतंत्र के लिए तैयार किया गया है और डॉ. अम्बेडकर ने स्थानीय प्राधिकरणों तथा पंचायतों की उपेक्षा करके लोकतंत्र के विचार को ही नकार दिया है.....।

[4]**श्री जयनारायण व्यास (जोधपुर):** सभापति महोदय हमारे सामने जो प्रारुप संविधान है उसे तैयार करने में परिश्रम के लिए हमें डॉ. अम्बेडकर और उनके साथियों तथा टंककों एवं प्रतिलिपिकारों को धन्यवाद देना होगा। यह एक बहुत वृहद प्रारुप है और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं.......

[5]**श्री बी. ए. भंडलोई (मध्य प्रांत और बरार साधारण) :** उपसभापति महोदय, प्रारुपण समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने अपने स्पष्ट भाषण में प्रारुप संविधानों के प्रमुख तत्वों की व्याख्या की है। शासन प्रणाली क्या है और देश का संविधान क्या है, उठाये गए इन प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बताया कि शासन प्रणाली परिसंघीय प्रकार की है जिसमें एक मजबूत केन्द्र होगा तथा एक न्यायपालिका एवं मूलभूत कानूनों में एकरुपता सहित शासन की संसदीय प्रणाली होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थिरता की अपेक्षा उत्तरदायित्व पर अधिक जोर दिया गया है। यह शांतिकाल और युद्धकाल दोनों में काफी मजबूत है। उन्होंने अपने भाषण में उन सभी आलोचनाओं का जवाब दे दिया है जो प्रारुप संविधान के बारे में की गई हैं तथा मेरा निवेदन है कि उनका भाषण प्रारुप संविधान का अत्यंत विषद निरुपण है। प्रारुपण समिति द्वारा तैयार किया गया प्रारुप संविधान विभिन्न समितियों अर्थात् संघ शक्ति समिति, प्रांतीय गठन समिति, सलाहकार समिति और अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्टों पर आधारित है। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक में ही हमारे संविधान के उद्देश्यों की बाबत एक संकल्प पारित कर दिया था। वह संकल्प हमारे माननीय नेता पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और सर्वसम्मति से

2. सी.ए.डी. खंड 7, 6 नवम्बर, 1948, पृष्ठ 262 ।
3 वही, पृष्ठ 265 ।
4 वही, पृष्ठ 269 ।
5 वही, पृष्ठ 271 ।

पारित हो गया था। हमें देखना यह है कि हमारा संविधान उन मूल संकल्प-उस उद्देश्य संकल्प पर आधारित हो जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के दावे मंजूर कर लिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि प्रारुप संविधान उद्देश्य संकल्प का सही प्रतिबिम्ब है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इसमें हमारे उद्देश्य पूरे हो गए हैं।

एक अन्य कसौटी से भी परखना होगा कि प्रारुप संविधान हमारे देश और हमारे राष्ट्र के प्रयोजनों का जवाब है। वह कसौटी यह है कि क्या हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वाधीनता और लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष शासन को कायम रख पाएगा। मेरी राय है कि उस दृष्टिकोण से भी, वह प्रारुप संविधान हमारा प्रयोजन पूरा करता है..।

श्रीमन्, हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो विश्व भर के सभ्य देशों में प्रचलित विभिन्न संविधानों की तुलना पर आधारित है। समस्त संविधानों की विभिन्न अच्छी बातें अंगीकार करके उनमें अपने देश के हित में आवश्यक फेरबदल किए हैं। यदि हम ईमानदारी और सच्चाई से संविधान का विश्लेषण करें तो मुझे पक्का भरोसा है कि हमारा देश सम्पन्न होगा, खुशहाल होगा, मजबूत होगा और हम अपनी स्वाधीनता कायम रख सकेंगे और स्वाधीनता कायम ही नहीं रख सकेंगे बल्कि अपने दिवंगत नेता राष्ट्रपिता के महान लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि अब भारत ऐसी स्थिति में हो जाएगा कि वह अन्य पराधीन देशों को आजाद करा सके और पूरे विश्व में शांति एवं समृद्धि ला सके।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ, मेरा निवेदन है कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाए।

[1]**पं. बालकृष्ण शर्मा (संयुक्त प्रांत-साधारण):** उपसभापति महोदय, अनेक मित्र आए और उन्होंने माननीय विधि मंत्री को जो इस प्रारुप संविधान के प्रभारी थे, अपनी-अपनी बधाई दी। यदि मैं भी वहीं भावनाएं दोहराऊँ तो यह प्रायः पुनरुवित दिखाई पड़ेगी। परंतु मैं भी यह अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं विद्वान विधि मंत्री को उस अत्यंत स्पष्ट शैली के लिए बधाई दूं जिससे उन्होंने हमारे विचारार्थ यह प्रारुप संविधान प्रस्तुत किया है।

यहाँ अनेक मित्र और आलोचक उपस्थित हैं उन्होंने हमारे संविधान के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। कई मित्रों द्वारा लगाया गया एक आरोप यह है कि हमारा संविधान बहुत भारी है। स्वयं प्रस्तुतकर्ता ने उस दस्तावेज के भारी होने का उल्लेख किया था। जब हम विभिन्न अन्य संविधानों के खंडों और अनुच्छेदों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा संविधान वास्तव में भारी है। श्रीमन्, जैसा कि आप जानते है, इसमें 315 अनुच्छेद हैं जबकि ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अर्थात् कनाडा के संविधान में केवल

---

1. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 6 नवंबर, 1948, पृष्ठ 272-273 ।

147 अनुच्छेद हैं, कामनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया एक्ट में 128 अनुच्छेद हैं, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका एक्ट में 153 अनुच्छेद हैं, यू.एस.एस.आर. कांस्टीट्यूशन में 146 अनुच्छेद हैं, स्विस फेडरल कांस्टीट्यूशन में 123 अनुच्छेद हैं, जर्मन रीच कांस्टीट्यूशन में 181 अनुच्छेद हैं और जापानीज कांस्टीट्यूशन में 103 अनुच्छेद हैं। इन संविधानों पर दृष्टिपात करने से ही पता चल जाता है कि इनमें से किसी में भी 200 अनुच्छेद से ज्यादा नहीं हैं जबकि हमारे संविधान में 315 अनुच्छेद हैं।

आलोचकों ने हमारे संविधान के भारी होने पर काफी हंगामा किया है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश 33 करोड़ जनसंख्या वाला एक विशाल देश है और हम प्राय: मानवजाति के पांचवे हिस्से के लिए संविधान बना रहे हैं। इसलिए हमारे संविधान के भारी होने पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए....।

श्रीमन्, हमारा देश ऐसा है कि जिसकी अपनी समस्याएं हैं। विश्व में किसी भी देश में रियासतें नहीं हैं और कोई आश्चर्य नहीं है कि इन सब विविध संघटकों को वर्तमान लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरुप बनाने के लिए हमारे संविधान के प्रारुपकार वह सब कुछ अनुच्छेदों में समाहित नहीं कर सके हैं जो वे अपनाना चाहते थे। अत: हमारे संविधान के भारी होने का जो आरोप लगाया गया है वह मुझे निरर्थक प्रतीत होता है.....।

पं. ठाकुर दास भार्गव (पूर्वी पंजाब-साधारण) : ....मेरे मित्रों का आग्रह है कि मैं अंग्रेजी में बोलूँ। इसलिए मैं उनकी इच्छा के सामने नतमस्तक हूँ। यह सच है कि मैं अपने आपको हिन्दी में अधिक सरलता से व्यक्त कर सकता हूँ किन्तु साथ ही मेरी यह भी इच्छा है कि मैं सदन के सभी सदस्यों द्वारा समझा जाऊँ।

श्रीमन्, मैं चाहता हूँ कि प्रारुपण समिति पर इस सदन में की गई प्रशंसा की वर्षा में मैं भी भाग लूँ लेकिन अपने निजी विचारों के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं कुछ मित्रों द्वारा की गई शिकायतों को ध्यान में रखता हूँ तो मैं यह महसूस करता हूँ कि प्रारुपण समिति ने कुछ भी नहीं किया है जो उससे प्रत्याशित था। कुछ सदस्य अनुपस्थित थे। कुछ ने भाग नहीं लिया, कुछ ने पूरे मन से काम नहीं किया.... यह संविधान भारत की असली आत्मा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। गांवों की स्वायत्ता को यहाँ पूरी तरह उजागर नहीं किया गया और यह कैमरा (प्रारुप संविधान हाथ में लिए हुए) उस भारत की सच्ची तस्वीर नहीं दे सकता जो अनेक लोक देखना चाहेंगे। प्रारुपण समिति के पास गांधी जी का मन नहीं था, उन लोगों का मन नहीं था जो सोचते हैं इस कैमरे के जरिए भारत के कोटि-कोटि लोगों की झलक मिलनी चाहिए। फिर भी, श्रीमन्, मैं इस श्रम, उद्यम और योग्यता की सराहना किए बिना नहीं रह सकता जिसके साथ डॉ. अम्बेडकर ने इस संविधान पर काम किया है। मैं उनके भाषण पर उन्हें बधाई देता हूँ हालांकि यह जरुरी नहीं है कि मैं उनके द्वारा इस सदन के सामने व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत होऊँ।

श्रीमन्, मेरे विचार में, इस संविधान की आत्मा इसकी उद्देशिका में निहित है और उद्देशिका में ''बंधुता'' शब्द जोड़ने के लिए डॉ. अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते

हुए मुझे खुशी है। अब श्रीमन्, मैं इस उद्देशिका के मापदंड को सम्पूर्ण संविधान पर लागू करना चाहता हूँ। यदि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता इस संविधान में सुलभ हैं तो हम इस आदर्श को इस संविधान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं।

*****

[1]**प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रांत-साधारण):** उपसभापति महोदय, आज हमें अपने प्रारुप संविधान में अन्तर्निहित सिद्धांतों की चर्चा करनी है। शुरु-शुरु में, मुझे विद्वान डॉक्टर को बधाई देनी है जिन्होंने यह प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा है। उनका भाषण मैंने कई बार पढ़ा है और मेरे विचार में उनका भाषण हमारे संविधान की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। निश्चय ही मैं समझ सकता हूँ कि प्रारुप संविधान की इससे बेहतर वकालत नहीं हो सकती थी....।

अ...अंत में श्रीमन्, मैं प्रारुपण समिति को उत्तम संविधान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं यह भी महसूस करता हूँ कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर संशोधन के चरण में चर्चा की जाएगी और अन्ततः उन्हें हमारे देश के संविधान में जगह मिलेगी। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ, मैं सदन में रखे गए प्रस्ताव की प्रशंसा करता हूँ।

[2]**श्री शारंगधर दास (उड़ीसा राज्य):** उपसभापति महोदय, पूर्व सभी वक्ताओं की भांति मैं भी प्रारुपण समिति को विशेषकर उसके अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर को उनके कठोर श्रम के लिए बधाई देता हूँ किन्तु उनके भाषण में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हो सकता.....

[3]**श्री आर. आर. दिवाकर (बम्बई-साधारण):** उपसभापति महोदय मेरे पूर्व माननीय वक्ताओं ने काफी कुछ कह दिया है और मुझे उसी बात को दोहराकर सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहिए। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मेरे दृष्टिकोण से ये बातें आज बहुत महत्व रखती हैं जब हम अपने देश को एक नया संविधान देने वाले हैं एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा और वह यह है कि जो प्रारुप संविधान हमारे समक्ष है वह वस्तुतः एक स्मरणीय कृति है और हम उसके लिए प्रारुपण समिति और उसके अध्यक्ष को पहले ही बधाई दे चुके हैं जो इसे सदन के समक्ष पेश कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि प्रारुपण समिति ने केवल संविधान सभा के विनिश्चयों का ही प्रारुप नहीं बनाया है अपितु मेरी विनम्र राय में वह प्रारुपण मात्र से आगे निकल गई है, मैं यह कहना चाहूँगा कि उसने उन विनिश्चयों का पुनर्विलोकन किया है। कुछ विनिश्चयों का पुनरीक्षण किया है और संभवतः कुछ की पुनर्रचना की है। हो सकता है, परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसा करना अपरिहार्य रहा हो लेकिन साथ ही हम संविधान सभा के सदस्यों को इस बात से सजग रहना चाहिए जब

---

1. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 6 नवंबर, 1948 पृष्ठ 284।
2 वही, पृष्ठ 286
3 वही, पृष्ठ 291
4 वही, पृष्ठ 295

हम प्रारुप पर विचार करें और जब हम अपने संशोधन देने की बात सोंचें......

[4]**महबूम अली बेग साहिब बहादुपर (मद्रास-मुस्लिम):** उपसभापति महोदय, डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण और समीक्षा विलक्षण रुप से स्पष्ट उत्कृष्ट शिक्षाप्रद एवं व्याख्यात्मक है। हो सकता है कोई उनके विचारों से सहमत ना हो लेकिन इस सदन के विचारार्थ अपना प्रस्ताव रखते समय उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उस अनुपम कौशल के लिए प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता....

[1]**श्री जैड. एच. लारी.....** उपबंधों का मूल्य आंकने के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी होंगी-पहली, संकल्प के माननीय प्रस्तुतकर्ता अर्थात् माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा की गई कुछ स्वीकृतियां और दूसरी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पिछले पन्द्रह महीनों में लोकतंत्र के कार्यान्वयन का हमारा अनुभव। जब सदन ने संकल्प अपनाए थे जो प्रारुप संविधान के आधार स्तंभ हैं जो हमारे सामने इतना अनुभव नहीं था लेकिन अब है। प्रथम स्वीकृति जो माननीय प्रस्तुतकर्ता ने की थी वह उनके ही शब्दों में यह थी ''भारत में लोकतंत्र भारतीय जमीन पर केवल ऊपरी ड्रेसिंग है जो कि अनिवार्यतः अलोकतांत्रिक है....'' ''प्रशासन के स्वरुप विहित करने के लिए विधानमंडलों पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है।'' ससम्मान मैं कहता हूँ कि वह मुख्यतः सही है।

[2]**श्री हुसैन इमाम...** मुझे कहना होगा कि मुझे प्रारुपण समिति के अध्यक्ष की स्थिति अस्पृहणीय दिखाई पड़ती है। उन पर वामपंथियों ने इसलिए आक्षेप किया है कि उन्होंने सोवियत संविधान की नकल नहीं की है, और दक्षिणपंथियों ने इसलिए आक्षेप किया है कि उन्होंने ग्राम पंचायत को एक इकाई नहीं माना है। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे कुछ मित्रों के मन में भ्रांति का तत्व है। वे चाहते हैं कि संविधान में उन सब बुराइयों के लिए उपबंध किया जाना चाहिए, भारतीय जिनके शिकार हैं। संविधान में रोटी-कपड़े के लिए उपाय नहीं किए जाते हैं। इस संविधान सभा के एक श्रद्धेय सदस्य को शक था कि इस संविधान में उस प्रयोजन के लिए कोई उपबंध नहीं है। श्रीमन, मेरा निवेदन है कि संविधान किसी देश की उन जरुरतों पर आधारित होता है जिनके लिए वह लागू होता है। हमें देखना है कि इस संविधान में वे अनिवार्य चीजें दी जाएं जो हमारी अपनी परिस्थितियों में अनूठी हैं...।

*****

बेगम एजाज रसूल (संयुक्त प्रांत-मुस्लिमे): श्रीमन, मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर को प्रारुप संविधान की विशद और सुस्पष्ट व्याख्या के लिए बधाई देती हूँ। उनका

---

4 वही, पृष्ठ 295

1. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 8 नवंबर, 1948 पृष्ठ 298 ।

2 वही, पृष्ठ।

और प्रारुपण समिति का काम कोई आसान काम नहीं था और इसके लिए वे हमारे मुबारकबाद के हकदार हैं।

श्रीमन, संविधान के निर्माण से जुड़े होने पर मैं विशेष गर्व महसूस करती हूँ। मुझे मौके की पाक सार मालूम है। दो सौ वर्ष की गुलामी के बाद भारत ने पराधीनता के अंधेरे से निकलकर आजादी की रोशनी में कदम रखा है और इस ऐतिहासिक मौके पर हम यहां आज हिन्दुस्तान के लिए एक संविधान बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारी भावी नियति को संवारेगा और इस विशल उपमहाद्वीप में रहने वाले 30 करोड़ लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बनाएगा। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह जागरुक रहना चाहिए तथा हमें यहां रहने वाले लोगों की जरुरतों, अपेक्षाओं संस्कृति और प्रतिभा के सर्वोत्तम अनुरुप सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण से इस काम में जुट जाना चाहिए....।

......ग्राम शासन तंत्र के बारे में डॉ. अम्बेडकर की टिप्पणी की काफी आलोचना हुई है। महोदय, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। आधुनिक प्रवृत्ति नागरिक के अधिकारों की दिशा में है क्योंकि कोई निगम निकाय और ग्राम पंचायतें बहुत निरंकुश हो सकती हैं.....।

महोदय, एक औरत के नाते, मुझे इस बात से बहुत तसल्ली है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। प्रारुप संविधान में ऐसा उपबंध किया जाना सर्वथा उचित है, और मुझे यकीन है नयी न्यायपालिका में औरतें मौके की बराबरी की आशा कर सकती हैं।

[3]**डॉ. मनमोहन दास (पश्चिमी बंगाल-साधारण):** उपसभापति महोदय, जब हमारे योग्य विधि मंत्री और प्रारुपण समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने प्रारुप संविधान सदन के पटल पर रखा था तब से कुछ दिन गुजर चुके हैं। इन कुछ दिनों के दौरान प्रारुप संविधान इस सदन के विभिन्न सदस्यों के हाथों कटु आलोचना का शिकार हुआ है। बहुत थोड़े सदस्यों के सिवाय, जिन्होंने प्रारुप संविधान पारित करने की इस सदन की क्षमता और प्रामाणिकताओं को प्रश्नगत किया था, अन्य सब सदस्यों का मतैक्य रहा है। उन्होंने प्रारुप संविधान के कुछ खंडों कुछ अनुच्छेदों में, कुछ परिवर्तनों में, परिवर्धनों और लोगों के साथ शुरु में ठीक व्यवहार्य संविधान के रुप में स्वीकार कर लिया है। संविधान में हमें एक बहुत विश्वासवर्धक तत्व दिखाई पड़ता है कि अमेरिका संविधान से भिन्न, प्रारुप समिति ने हमें एकल नागरिकता, भारत की नागरिकता प्रदान की है। प्रतिवाद के इन दिनों में जब हर प्रांत अपने पड़ोसी प्रांत की कीमत पर आगे बढ़ना चाहता है,

---

3. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 5 नवंबर, 1948, पृष्ठ 305 ।

जब हम अपने पड़ोसी प्रांतों की सहानुभूति और सद्भावना खो चुके हैं ऐसे समय में एक नागरिकता निश्चय ही विश्वासवर्धक तत्व है। पश्चिमी बंगाल के सदस्य के नाते, विशेषरुप से यह सोचकर प्रसन्न हूँ कि इससे आगे जब यह संविधान पारित हो जाएगा, जब पूरे भारत में समान अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ एकल नागरिकता का यह खंड पारित हो जाएगा, तो हमारे पड़ोसी प्रांतों के द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे जिससे हमारे पूर्वीय पाकिस्तान के अभागे बंधु हमारे पड़ोसी प्रांतों में सांस ले सकेंगे।

वी.आई. मुनीस्वामी पिल्लै (मद्रास-साधारण): उपसभापति महोदय, इस पवित्र सभा में या उसके बाहर प्रारुपण समिति के प्रयासों और सेवाओं का जिसने उस सदन के अनुमोदनार्थ प्रारुप संविधान पेश किया है अवमूल्यन नहीं कर सकता। भावी पीढ़ी अत्यंत गौरव महसूस करेगी कि वह प्रारुपण समिति आज विश्व में विद्यमान अनेक संविधानों को आत्मसात करने और उनमें से उन उपबंधों को ग्रहण करने में समर्थ रही है जो इस महान उपमहाद्वीप के उत्थान के लिए जरुरी है....।

इन विचारों के साथ मैं प्रारुपण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को इस संविधान सभा में प्रारुप संविधान पेश करने की उनकी महान सेवा के लिए बधाई देता हूँ और मैं सदन में रखे गए प्रस्ताव की स्वीकृति की संस्तुति करता हूँ।

श्रीमती दक्षायणी वेलयुधन (मद्रासः साधारण): उपसभापति महोदय, अब यह प्रारुप व्यापक चर्चा के लिए हमारे सामने है। अत: मैं इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने का अनुरोध करती हूँ। प्रारुपण समिति के योग्य और कुल वक्ता अध्यक्ष ने नये भारत राज्य की सामान्य स्थापना की परिधि के भीतर अपना कर्तव्य प्रशसनीय ढंग से पूरा किया है। मैं महसूस करती हूँ कि यदि वहश चाहते तो भी उन प्रमुख सिद्धांतों से परे नहीं जा सकते थे जिनके अंतर्गत सत्ता का अंतरण हुआ था। अत: मेरा विचार है कि उनकी जो भी आलोचना की गई है वह अप्रशंसनीय और अनपेक्षित है। यदि कोई दोषारोपण है-और मेरे विचार में दोषारोपण किया गया है तो भी वह उन सभी पर होना चाहिए जो यहां उपस्थित हैं और जो संविधान की रचना के प्रयोजन के लिए भेजे गए थे और जिन पर इस देश के मूक करोड़ों लोगों ने जिम्मेदारियां सौंपी थीं। उन्होंने स्वाधीनता के लिए बड़े कष्ट उठाये थे और जब उन्होंने हमें इस सभा में भेजा था तो उन्हें बड़ी आशाएं थीं। परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि प्रारुप के बारे में मुझे कुछ आलोचना नहीं करनी।

[1]**श्री देशबंधु गुप्त (दिल्ली)** सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं प्रारुपण समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर को बधाई नहीं दे सकता हालांकि उन्हें सदन के विभिन्न सदस्यों से बधाइयां मिली हैं....

1 सी.ए.डी. खंड 7, 8 नवंबर, 1948, पृष्ठ 312-17 ।

मैं यही कहना चाहता था। जहाँ तक दिल्ली और अन्य स्थानों का संबंध है, और इस कारण इसे सुभिन्न स्तर दिया जाए। मैं इस प्रश्न पर लाला देशबंधु गुप्त के साथ हूँ, परंतु छोटे-छोटे क्षेत्रों जैसे अजमेर-मेवाड़ कुर्ग, पंटी पियन्नोदा आदि को प्रांतों में मिला दिया जाना चाहिए। उन्हें केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने का कोई लाभ नहीं है। मेरा डॉ. साहब से यही निवेदन है। वह एक महान विद्वान हैं और इस नाते उन्हें इस देश की भी प्रज्ञा की भूमि मानना चाहिए। उनसे मेरी अपील है कि वे इस संविधान में भारत की आत्मा को भी स्थान दें....।

ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर (पूर्वी पंजाब-सिख) : सभापति महोदय, अपने माननीय मित्र श्री देशबंधु गुप्त की भांति मैं यह नहीं कह सकता कि प्रारुपण समिति अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर किसी बधाई के अधिकारी नहीं हैं। अनेक विषयों पर वह अनेक कारणों से बधाई के अधिकारी हैं और इस प्रथम संविधान के निर्माण में समिति का श्रम निश्चय ही प्रशंसनीय है। उसके बावजूद यदि किसी को भी त्रुटि मिले, वह उसे बताए तो उनकी समझ के पैमाने के अनुसार.....।

[2]**माननीय पूज्यपाद जे.जे.एम. निकोलस-राय (असग-साधारण):** उपसभापति महोदय, डॉ. अम्बेडकर और प्रारुपण समिति के अन्य सदस्यों को उनके इस वृहद कार्य के लिए जो कि उन्होंने इस प्रारुप संविधान के निर्माण के लिए हाथ में लिया है, श्रद्धासुमन अर्पित करने में मेरा भागीदार बनना वस्तुतः बड़ा विशेषाधिकार है। वे सब हमारे सर्वोत्तम धन्यवाद के अधिकारी है....।

मैं प्रारुप समिति को विशेष रुप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने असम में पर्वतीय जिलों में स्वायत्त जिला परिषदें बनाने के लिए प्रारुप स्वीकार कर लिया है। छठी अनुसूची में इन्हें स्वायत्त जिले कहा गया हैं।

[3]**श्री मोहम्मद इस्माइल साहिब (मद्रास-मुस्लिम):** उपसभापति महोदय.... यह वास्तव में एक बहुत विलक्षण भाषण है जिसमें माननीय डॉ. अम्बेडकर ने सदन से प्रारुप संविधान पर विचार करने को संस्तुति की है। स्पष्टतया तर्क द्वारा अपना पक्ष मनवाने में, अपनी छाप छोड़ने में और तर्क में यह लाजवाब हैं। उन्हें हमारी ढेर सारी बधाईयां लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उनके भाषण की हर बात से सहमत हो.....

[4]**श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर (मद्रास-साधारण):** श्रीमन, प्रारुप संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं भी माननीय डॉ. अम्बेडकर की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रारुप संविधान के सिद्धांत की व्याख्या बहुत स्पष्ट और योग्यतापूर्वक ढंग से की है हालांकि यह कहना मेरा दायित्व है कि मेरे माननीय मित्र

---

2. सी.ए.डी. खंड, 8 नवंबर, 1948, पृष्ठ 327 ।

3 सी.ए.डी. खंड, 7, 8 नवंबर 1948, पृष्ठ 330 ।

4 वही, पृष्ठ 327 ।

ने जो भारत में ग्राम समुदायों को व्यापक रुप से तिरस्कृत किया है मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। मेरा उनके विचार से भी पूरी तरह मतभेद है कि भारत में लोकतंत्र भारतीय जमीन पर केवल एक ऊपरी ड्रेसिंग है.....

इससे पहले कि मैं प्रारुप संविधान पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करुँ, प्रारुपण समिति के काम पर और उसके सदस्यों की भूमिका के बारे में मेरे माननीय मित्र श्री टी. टी. कृष्णामाचारी द्वारा व्यक्त कुछ विचारों की दृष्टि से अपनी स्थिति स्पष्ट करना अपने स्वयं के और सदन के प्रति मेरा दायित्व है। समिति के सदस्य के नाते, खराब स्वास्थ्य के बावजूद मैने प्रारुप संविधान के प्रकाशन से पूर्व उसकी बैठकों में काफी सक्रिय भाग लिया था और जब मैं बैठक में भाग नहीं ले सका तब भी मैंने अपने साथियों के विचारार्थ नोट्स और सुझाव भेजे। प्रारुप संविधान के बाद स्वास्थ्य की वजह से मैं उसके विचार-विमर्श में भाग नहीं ले सका और मैं प्रारुप संविधान के उपान्तरों विषयक सुझावों के श्रेय का दावा नहीं कर सकता.....

[5] ... प्रारुप संविधान के संक्षिप्त सर्वेक्षण से सदस्य इस बात से आश्वस्त हो गए होंगे कि यह लोकतांत्रिक शासन के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है और इसके अंदर वे सब तत्व हैं जो प्रगति और प्रसार के लिए आवश्यक हैं और यह विश्व के सबसे अधिक उन्नत संविधान के अनुरुप है। यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान आखिर वही होता है जो हम उसमें से लेते हैं। इसका सर्वोत्तम दृष्टांत संयुक्त राज्य के संविधान में मिलता है। जबकि इसे विभिन्न राज्यों द्वारा अंतिम रुप से अंगीकार किया गया था तो उसमें उत्साह की कमी थी। लेकिन फिर भी यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है और शेष लोकतांत्रिक विश्व इसे एक आदर्श संविधान मानता है।

[6]**पं. जे. गोविंद मालवीयः** श्रीमन, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ मुझे आपको और प्रारुपण समिति को और उसके बहुमुखी प्रतिभावान अध्यक्ष, हमारे मित्र डॉ. अम्बेडकर को उत्तम कार्य के लिए अपनी सौहार्दपूर्ण बधाई देनी चाहिए जो उन्होंने इस प्रारुपण संविधान को हमें देने में किया है। उनके सामने यह एक विकट समस्या थी जिसे उन्होंने अत्यंत उत्तम ढंग से सुलझाया है। प्रारुप संविधान में ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जिन्हें कोई भी किंचित भिन्न रुप में चाह सकता था, किन्तु यह तो हर चीज के बारे में हो सकता है जिसका कहीं भी निर्माण किया जाए......

[7]**श्री आर. शंकर (ट्रेवनकोर):** श्रीमन, सबसे पहले मुझे प्रारुप संविधान के सभी निर्माताओं को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने अपना काम इतने कौशलपूर्ण ढंग से किया है मैं विशेष रुप से इसके लिए डॉ. अम्बेडकर जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने

संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 8 नवंबर, 1948 पृष्ठ 34-338।

5 सी.ए.डी. खंड 7, 8 नवंबर 1948, पृष्ठ 338 ।

6 वही, पृष्ठ 340 ।

7 वही, पृष्ठ 340 ।

अपने विलक्षण भाषण में प्रारुप संविधान के सिद्धांतों को अत्यंत विशद् और योग्यतापूर्व ढंग से व्यक्त किया है। मैं प्रारुप संविधान की बारीकियों में नहीं जाना चाहता बल्कि उसके एक या दो पहलुओं पर ही अपने विचार प्रकट करके शांत हो जाऊँगा। मेरे विचार में, प्रारुप संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताएं है अत्यंत सुदृढ़ केन्द्र और अपेक्षाकृत कमजोर लेकिन समरूप इकाइयां। डॉ. अम्बेडकर ने राज्यों के प्रतिनिधियों से बड़ी उत्कट अपील की थी कि वे ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं जिससे कि सभी देशी रियासतों और प्रांतों का एक राह चलना संभव हो सके और कालांतर में रियासत एवं प्रांत किसी अंतर के बिना परिसंघ की सदृश इकाइयां हो सकें....

[1]**श्री एम अनन्तशयनम् अय्यगर (मद्रासः साधारण):** श्रीमन, प्रारुपण समिति ने जो प्रारुप संविधान आपके सामने रखा है उसके बारे में मौलिक महत्व की आपत्तियां की गई हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारी परम्पराओं को परिलक्षित करती हो। यह सच है कि भारत शासन अधिनियम, 1935 की मूल प्रकृति सहित पाश्चात्य के आधुनिक संविधानों में से कुछ का भी नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों के कुछ पुराने संविधानों का जोड़-जाड़ कर बनाया गया है। यह सच है कि उनका संकलन करके उन्हें एक आकार में ढाला गया है। किन्तु इसके लिए डॉ. अम्बेडकर जिम्मेदार नहीं हैं, संविधान के इस स्वरुप के लिए हम स्वयं जिम्मेदार रहे हैं। हमने यह नहीं सोचा कि संविधान को हम एक नया स्वरुप प्रदान करें जो हमारी प्राचीन संस्कृति की स्मृति रेखाओं में रंग भर दे। डॉ. अम्बेडकर से कहीं अधिक हम सब इसके लिए दोषी हैं....

[2]**श्री रोहिणी कुमार चौधरी (असम-साधारण):** श्रीमन, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अत्यंत महत्पूर्ण बहस में भाग लेने का मौका दिया लेकिन सबसे पहले मैं प्रारुपण समिति के सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा। हमारे गरीब प्रांत असम के यौवनकाल के उल्लास में उनकी सेवाओं को स्नेह और कृतज्ञता के साथ आज भी याद किया जाता है...।

[3]**श्री एल. कृष्ण स्वामी भारतीय (मद्रास-साधारण):** उपसभापति महोदय.... डॉ. अम्बेडकर प्रारुप संविधान को विद्वानपूर्ण एवं प्रतिभाशाली ढंग से प्रकाश में लाने के लिए इस सदन की बधाई के पात्र है। वह प्रारुप में कुछ उपबंधों के लिए मात्र इसलिए बधाई के हकदार नहीं हैं कि वे उनके नहीं है। माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि प्रारुप संविधान में अधिकांश खंडों पर सदन में विचार-विमर्श, वाद-विवाद और विनिश्चय किया गया है। कुछेक विषय ही ऐसे थे जो प्रारुपण समिति द्वारा समावेश किए जाने

---

1. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 8 नवंबर, 1948, पृष्ठ 352।
2 वही, 354 ।
3 वही, पृष्ठ 365 ।

के लिए छोड़ दिए गए थे। बहरहाल, सदन उन विषयों को क्रमबद्ध तरीके से रखने में उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देता है...

[4]**श्री विश्वंभर दयाल त्रिपाठी (संयुक्त प्रांत-साधारण):** श्रीमन, मैं सीधे विषय-वस्तु पर आता हूँ, प्राय: सभी वक्ताओं ने प्रारुपण समिति के सदस्यों और उसके अध्यक्ष के परिश्रम से संविधान के निर्माण में और उसकी गुणता पर किए गए परिश्रम के लिए बधाई देने की औपचारिकता का निर्वाह किया है। मैं उस औपचारिकता में नहीं पड़ूँगा। नि:संदेह, यह सही है कि उन्होंने बड़ा श्रम किया है और हमारे समक्ष उन सिद्धांतों पर एक संविधान का पूर्ण चित्र रखा है जो हमने संविधान सभा में निर्धारित किए थे। मुझे यह भी ज्ञात है कि प्रारुपण संविधान में गुणवत्ता बहुत अधिक मात्रा में है। निस्संदेह उन्होंने विभिन्न देशों क संविधानों का गहन अध्ययन किया है और उनमें से चुनाव करने का एवं उन संविधानों का अपने देश की जरूरतों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। इस प्रारुप की यही सबसे बड़ी गुणवत्ता है। एक शब्द में, यह एक पारम्परिक संविधान है....।

[5]**श्री एस.वी.कृष्णमूर्ति राव (मैसूर):** उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे प्रारुप संविधान के बारे में बोलने का मौका दिया। प्रारुपण समिति और उसके अध्यक्ष के प्रति मैं भी विभिन्न वक्ताओं की भांति अपने प्रशंसा सुमन अर्पित करता हूँ।

इस प्रारुप संविधान में विश्व के एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के विभिन्न लोकतांत्रिक संविधानों की श्रेष्ठ चीजों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है। निस्संदेह, कोई भी संविधान सर्वथा परिपूर्ण नहीं हो सकता और हमारे संविधान के अंतिम रूप से सदन से पारित किए जाने के पूर्व इसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे......।

*****

[6]**श्री एन. माधव राव (उड़ीसा-रियासत):** उपसभापति महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेना चाहता था। किन्तु प्रारुप संविधान के उपबंधों पर ही नहीं बल्कि उस रीति पर भी जिसमें प्रारुपण समिति ने अपना काम किया है अनेक टिप्पणियां की गई हैं। समिति के करने और न करने के कथिन दोषों की भी आलोचना की गई है। श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो बोले थे, और श्री सादुल्ला ने जो समिति की ओर से बाद में बोलेंगे, इस आलोचना को जन्म देने वाली गलतफहमियों का निराकरण कर दिया है और करेंगे। मैंने यह महसूस किया कि समिति के सदस्य के नाते मुझे भी इन गलतफहमियों को दूर

---

4 वही, पृष्ठ 369 ।

5 संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 8 नवंबर, 1948, पृष्ठ 382 ।

6 वही, पृष्ठ 384-85 ।

करने में अपना योगदान करना चाहिए यदि वे सदन के किसी भी बड़े वर्ग में विद्यमान हैं। समिति में शामिल किए जाने के बाद मैंने उसकी अनेक बैठकों में भाग लिया था।

यह सच है कि प्रारुप संविधान सभी विषयों के लिए, अथवा उस तरीके से उपबंध नहीं करता जिसे हम अलग-अलग रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, माननीय सदस्यों ने बताया कि संविधान के अनुसार गौवध मना नहीं है। मूल अधिकार बहुत ज्यादा विशेषित (सीमित) है। राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का कोई उल्लेख नहीं है। हमारे दो माननीय सदस्यों का यह कहना ठीक था कि प्रारुप संविधान में भगवान का भी उल्लेख नहीं है। हमारे सबके अपने-अपने विचार हैं: किन्तु दूसरे संदर्भों में तात्विक रुप से वे कितने भी ठोस या मूल्यवान हों संविधान में उनका समावेश तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे उसके प्रयोजन से सम्बद्ध न हों और संविधान द्वारा स्वीकार न किया जाए।

अनेक वक्ता प्रारुप की इस आधार पर आलोचना कर चुके हैं कि इसमें गांधी दर्शन की कोई छाप नहीं है और जबकि कुछ उपबंध भारत शासन अधिनियम, 1935 समेत अनेक विदेशी स्रोतों से उधार लिए गए हैं, उसके कलेवर में प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र के तत्वों में से कोई भी नहीं पिरोये गए हैं।

क्या गांधीवादी विचार-धारा वाले हमारे मित्र हमें यह बताएंगे कि क्या वे तार्किक निष्कर्षों में उन विचारों को अपनाएंगे जैसे उदाहरण के लिए, सशस्त्र बलों से युक्त रहकर, विधायी निकायों को हटाकर जिनके काम को गांधी जी ने समय की बरबादी बताया था, हमें ठोस प्राधिकार से बताया गया है कि न्याय प्रणाली समाप्त करके और उसके स्थान पर न्याय करने के सादे और सहज तरीके अपनाकर, इस बात का आग्रह करके किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक कार्यकर्ता को प्रति मास कम से कम 500/- रुपए या जो भी सीमा अन्ततः नियत की जाए वेतन नहीं मिलना चाहिए। मैं कुछ कांग्रेसी नेताओं को जानता हूँ जो ईमानदारी से यह मानते हैं कि यह सब किया जाना चाहिए था और किया जा सकता था। किन्तु हम यहाँ उस संविधान की जो बात कर रहे हैं जो पिछली बार संविधान सभा द्वारा तय किया गया था....।

*****

[1]**सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला (असम-मुस्लिम):** उपसभापति महोदय, प्रारुपण समिति स्वयं अस्तित्वशील नहीं है। हमें अगस्त, 1947 में इस सदन के संकल्प से बनाया गया था यदि मुझे ठीक से याद है। उस समय मैं स्वयं बीमार पड़ा हुआ था और मैं उस सत्र में भाग नहीं ले सका था। लेकिन श्रीमन, कार्यवाहियों से पता चलता है कि चूंकि प्रारुपण

---

1. संविधान सभा वाद-विवाद, शासकीय रिपोर्ट, 7, 9 नवंबर, 1948, पृष्ठ 388 ।

समिति से उद्देश्य संकल्प की सीमाओं के भीतर संविधान निर्माण करने के लिए कहा गया था इसलिए हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जो अब हम सुन चुके हैं। उन दिनों भी बुद्धिमान लोगों ने यह भांप लिया था और मुंबई के विद्वान प्रीमियर श्री खेर ने सरकारी संकल्प का संशोधन पेश किया था जिसमें हमें निर्देश दिया गया था इससे मैं उनके भाषण से पढ़ूँगा। उन्होंने इस प्रारुपण समिति के गठन के लिए मूल संकल्प का संशोधन पेश किया था। उनका कहना था–''प्रारुपण समिति को संविधान सभा में लिए गए विनिश्चयों के अनुसार तथा उन सब विषयों को शामिल करते हुए जो उनके आनुषंगिक हैं या जो ऐसे संविधान में दिए जाने चाहिए। संविधान सलाहकार द्वारा तैयार भारत के संविधान के पाठ के प्रारुप की समीक्षा करने का तथा समिति द्वारा पुनरीक्षित प्रारुप संविधान के पाठ पर विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का काम सौंपा जाना चाहिए...।

.... यही वह संशोधन था जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया था। श्रीमन, माननीय श्री खेर के इस संशोधन के पश्चात् जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया था, अब संविधान सभा के सदस्य यह नहीं कह सकते कि हम अपनी अधिकारिता से कहीं आगे चले गए हैं...।

उपसभापति: आइए, हम विषय पर बात करें।

सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला: मैं माननीय सदस्यों को कैसे बताऊँ कि हमने बड़ा कठोर परिश्रम किया है और अच्छे से अच्छा काम किया है, तथा ऐसा प्रारुप करने के लिए जिसे कोरी काट-छाँट बताया गया है, तीन भिन्न-भिन्न महाद्वीपों से प्राचीन और वर्तमान सभी बात संविधानों को छान डाला है। लेकिन जो लोग कलाप्रिय हैं, जो शिल्प प्रिय हैं, भली प्रकार यह पूर्णतः जानते हैं कि काट-छाँट के काम से भी सुंदर शैलियां, अत्यंत मनोहर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। मैं यह दावा कर सकता हूँ कि हमारे प्रारुप में कमियों के बावजूद हमने इस माननीय सदन को यथासंभव पूर्ण तस्वीर देने की कोशिश की है जो इस सदन में चर्चा का आधार बन सके। प्रारुपण समिति ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि संविधान पर यह उनका अंतिम शब्द है कि इसके प्रावधान अचूक हैं अथवा यह कि इन अनुच्छेदों को बदला नहीं जा सकता। यह प्रारुप इस महान सदन के सामने आखिरी मंजूरी के लिए पेश किया गया है, यह तथ्य ही इस बात को दर्शाता है कि हम एक या दूसरी नीति से बंधे नहीं हैं। जहां कहीं हमारा समिति की सिफारिशों से मतभेद रहा है अथवा जहां कहीं हमें इस महान सदन के मान्य सिद्धांतों से यहां वहां कोई शब्द बदलने का दुस्साहस किया है, उसका हमने पाद-टिप्पणी में पर्याप्त संकेत दे दिया है ताकि उसमें कुछ भी गुप्त रुप से प्रवेश न करे। सदन का ध्यान इसलिए खींचा गया है ताकि उन मुद्दों पर सदस्यों के विचार केन्द्रित हो सकें जिनमें प्रारुपण समिति ने सोचा कि वे पहले से स्वीकृत सिद्धांतों से या समिति की सिफारिशों से हटकर चलें।

''श्री सादुल्ला के भाषण के बाद प्रस्ताव मतदान के लिए निम्न प्रकार रखा गया-संपादक।''

उपसभापतिः प्रश्न यह है कि ''संविधान सभा के तारीख 29 अगस्त, 1947 के संकल्प के अनुसरण में नियुक्त प्रारुपण समिति द्वारा निर्धारित भारत के संविधान के प्रारुप पर विचार करने के लिए सभा अग्रसर होती है।''

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

प्रारुप संविधान इसके साथ परिशिष्ट के रुप में संलग्न है। इसके बाद प्रारुप संविधान की खंड-दर-खंड चर्चा की गई। डॉ. अम्बेडकर द्वारा संविधान को पारित करवाना इस खंड के अगले दो भागों में देखा जा सकता है-संपादक।

भाग 2 अनुलग्नक

<u>रजिस्ट्रीकृत सं. एल. 8181</u>

भारत का राजपत्र

असाधारण

प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 1948

भारत की संविधान सभा

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1948

सं.सी.ए./99/कांस्टी./47–संविधान सभा के सभापति के नाम समिति के अध्यक्ष के पत्र के साथ–साथ संविधान सभा की प्रारुपण समिति द्वारा निर्धारित भारत का प्रारुप संविधान एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रारुप पर संविधान सभा के अगले सत्र से विचार किया जाएगा।

नई दिल्ली 21 फरवरी, 1948

सेवा में,

माननीय सभापति,
भारत की संविधान सभा,
नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

प्रस्तावना : मैं संविधान सभा के तारीख 29 अगस्त, 1947 के संकल्प द्वारा नियुक्त प्रारुपण समिति की ओर से समिति द्वारा निर्धारित नव भारत के संविधान का प्रारुप पेश करता हूँ।

यद्यपि मुझे समिति के सदस्यों की ओर से प्रारुप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है फिर भी मुझे यह स्पष्ट

कर देना चाहिए कि सभी सदस्य समिति की सब बैठकों में उपस्थित नहीं रहे। किन्तु जिस भी बैठक में कोई निर्णय लिया गया उसमें गणपूर्ति थी और निर्णय या तो सर्वसम्मति से या उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किए गए थे।

प्रारुप तैयार करने में प्रारुपण समिति से निःसंदेह संविधान सभा द्वारा अथवा संविधान सभा द्वारा नियुक्त समितियों द्वारा नियुक्त समितियों द्वारा किए गए निर्णयों का अनुसरण करना प्रत्याशित था। प्रारुपण समिति ने यथासंभव ऐसा ही करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ विषय ऐसे थे जिनकी बाबत प्रारुपण समिति ने कुछ परिवर्तन सुझाना आवश्यक समझा। ये सब परिवर्तन प्रारुपों में या तो सुसंगत भागों को अधोरेखांकित करके या पार्श्वरेखांकित करके इंगित कर दिए हैं प्रारुपण समिति ने हर ऐसे परिवर्तन के लिए कारण बताते हुए टिप्पणी देने का भी ध्यान रखा है। फिर भी मेरे विचार में, विषय की महत्ता की दृष्टि से, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर मैं आपका और संविधान सभा का ध्यान खीचना चाहता हूँ।

2. उद्देशिका : जनवरी, 1947 में संविधानसभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य-संकल्प में घोषणा की गई है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। प्रारुपण समिति ने "प्रभुत्व-संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य" पद अपनाया है क्योंकि स्वाधीनता शब्द प्रायः प्रभुतासंपन्न में निहित रहता है इसलिए "स्वाधीन" शब्द जोड़कर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में संबंध के प्रश्न पर बाद में फैसला किया जाएगा।

समिति ने उद्देशिका में बंधुता का एक खंड डाला है, हालांकि यह उद्देश्य संकल्प में नहीं है। समिति ने महसूस किया कि भारत में बन्धुत्व, सौहार्द और सद्भाव की जरुरत आज से ज्यादा कभी नहीं रही और यह कि नये संविधान के इस विशिष्ट लक्ष्य पर उद्देशिका में विशेष उल्लेख द्वारा जोर दिया जाना चाहिए।

अन्य के संबंध में समिति ने उद्देशिका में उद्देश्य संकल्प की भावना एवं यथासंभव उसकी भाषा को समाविष्ट करने की कोशिश की है।

अनच्छेद-1

3. भारत का वर्णन: प्रारुप के अनुच्छेद-1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रुप में किया गया है। एकरुपता की खातिर समिति ने यह वांछनीय समझा कि नये संविधान में संघ की इकाइयों को राज्य कहा जाए चाहे वे फिलहाल गवर्नर के प्रांत के रुप में ज्ञात हों या मुख्य आयुक्त के प्रांत या देशी रियासतों के नाम से। नये संविधान में भी नि:संदेह इकाइयों में कुछ अंतर रहेगा; और इस अंतर को बताने के लिए समिति ने राज्यों को तीन वर्गों में बांटा है- 'प्रथम अनुसूची के भाग 1 में अंकित राज्य, भाग 2 में अंकित राज्य और भाग 3 में अंकित राज्य। ये क्रमश: वर्तमान गवर्नर के प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत और देशी रियासतों के तत्स्थानी हैं।

यह देखा जाएगा कि समिति ने परिसंघ के बजाय 'संघ' शब्द का प्रयोग किया है। नाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन समिति ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, 1867 की उद्देशिका की भाषा को अपनाना अधिक पसंद किया, और सोचा कि भारत को संघ कहना लाभप्रद है भले ही उसका संवैधानिक ढांचा परिसंघीय हो।

अनुच्छेद 5 और 6

4. नागरिकता: समिति ने संघ की नागरिकता के प्रश्न पर उत्सुकता से लम्बे समय तक विचार किया है। समिति ने यह आवश्यक समझा कि शुरु में संघ का नागरिक होने के लिए व्यक्ति का संघ से किसी प्रकार का क्षेत्रीय संबंध अवश्य होना चाहिए चाहे वह जन्म से हो, या वंश से या निवास स्थान से हो। समिति को संदेह है कि क्या उन लोगों को नागरिक मानना बुद्धिमानी होगी जो भारत के राज्यक्षेत्र में ऐसे किसी संबंध के बिना संघ के प्रति राज्य-निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार रहें; क्योंकि यदि अन्य राज्य ऐसे उपबंध की नकल करने लगे तो संघ के भीतर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो हालांकि इसमें पैदा हुए हैं और निवास करते हैं फिर भी किसी दूसरे देश के प्रति राज्यनिष्ठा की शपथ ले लेंगे। फिर भी समिति ने बहुत बड़ी संख्या में उन विस्थापित लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है जिन्हें हाल के महीनों में भारत प्रवास करना पड़ा है, और समिति ने उनके लिए अधिवास हासिल करने और उससे नागरिकता हासिल करने के लिए विशेष तौर पर आसान ढंग की व्यवस्था की है।

मान लीजिए कि वे या उनके माता–पिता में से कोई या दादा–दादी में से कोई भारत में या पाकिस्तान में जन्म था। उन्हें–

(क) भारत में जिला मजिस्ट्रेट के सामने यह घोषणा करनी होगी कि वे भारत में अधिवास प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं; और

(ख) घोषणा से पूर्व कम–से–कम एक महीने भारत में निवास करना होगा।

अनुच्छेद 7 से 27 तक **5. मूल अधिकार:** समिति ने इन अधिकारों और उन परिसीमाओं को जिनके अधीन वे अवश्यमेव रहने चाहिए, यथासंभव निश्चित बनाने का प्रयास किया है क्योंकि न्यायालयों को उनसे संबंधित निर्णय देने पड़ सकते हैं।

अनुच्छेद 59 **6. संघ के राष्ट्रपति की शक्तियां:** समिति ने यह उपबंध करना वांछनीय समझा कि राष्ट्रपति के पास अन्य इकाईयों की भांति, देशी रियासत में पारित मृत्यु दण्डादेश का, शासक की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निलम्बित करने, सजा माफ कर देने या कम करने की शक्ति होनी चाहिए।

अनुच्छेद 278 नया संविधान कुछ परिस्थितियों में, राज्यपाल को संविधान के कुछ उपबंधों को निलम्बित करते हुए उद्घोषणा जारी करने के लिए सशक्त करता है; वह ऐसा केवल दो सप्ताह के लिए कर सकता है और उससे अपेक्षित है कि वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे। समिति ने उपबंध किया है कि रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति या तो उद्घोषणा को प्रतिसहृत कर सकेगा अथवा अपनी ओर से नई उद्घोषणा जारी कर सकेगा। इसका परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका का स्थान ले लेगी और केन्द्रीय विधानमंडल राज्य विधानमंडल का स्थान ले लेगा। वस्तुत: संबंधित राज्य उद्घोषणा की अवधि के लिए केन्द्र शासित क्षेत्र हो जाएगा। यह भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत ''धारा 93 शासन'' के स्थान पर है।

अनुच्छेद 60 **7. समवर्ती सूची के विषयों की बाबत कार्यपालक शक्तियां:** वर्तमान संविधान में, समवर्ती सूची के विषयों की बाबत कार्यपालक प्राधिकार, कुछ विषयों में, केन्द्र को यह निर्देश देने की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रांत में निहित है कि कार्यपालक प्राधिकार का प्रयोग कैसे किया जाएगा–भारत शासन अधिनियम, 1935 की

सातवीं अनुसूची में समवर्ती विधायी सूची के भाग 1 और 2 के अनुसार प्रारुप संविधान में समिति ने इस योजना से हल्का सा विचलन किया है और यह उपबंध किया है कि ''इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रुप से यथा उपबंधित के सिवाय, ''कार्यपालक शक्ति प्रांत में अब राज्य कहलाता है के निहित होगी। इस छोड़े हुए खंड का परिणाम यह है कि नये संविधान के अनुसार संघ संसद कार्यपालिका शक्ति संघ के प्राधिकारियों को प्रदत्त कर सकेगी, अथवा, यदि आवश्यक हो तो, संघ के प्राधिकारियों को यह निर्देश देने के लिए सशक्त कर सकेगी कि राज्य के प्राधिकारी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे करें। यह उपबंध करते समय समिति ने इस सिद्धांत को ध्यान में रखा है कि कार्यपालिका प्राधिकार अधि कांशतः विधायक शक्ति के साथ-साथ चलना चाहिए।

अनुच्छेद 67

8. राज्यसभा की संरचनाः संविधान सभा द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 25 सदस्य (अधिकतम 250) में से ऐसे होंगे जो कार्य के आधार पर पैनलों या निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाएंगे। चूंकि पैनल प्रणाली अब तक उस देश में असंतोषजनक सिद्ध हो चुकी है जिससे इसकी नकल की गई थी आयरलैंड इसलिए समिति ने यह उपबंध करना सबसे उत्तम समझा कि 15 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान आदि में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव के कारण राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। समिति का मानना है कि इस मनोनयन में श्रम या वाणिज्य और उद्योग के लिए विशेष प्रतिनिधि रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रौढ़ मताधिकार के फलस्वरुप संसद के निर्वाचित सदस्यों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना निश्चित है।

अनुच्छेद 63 और 151

9. संघ संसद और राज्य विधानमंडलों का कार्यकालः समिति समझती है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, विशेषकर प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर नये संविधान के प्रारंभ में चार वर्ष से अधिक कार्यकाल वांछनीय है। नये मंत्रियों को प्रशासन की बारीकियों की जानकारी हासिल करने के लिए समय चाहिए। उनके मद का अंतिम वर्ष तो अगले आम चुनावों की तैयारी में लग जाता है। चार वर्ष के कार्यकाल से उन्हें किसी प्रकार के सुनियोजित प्रशासन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा।

अनुच्छेद 107 और 200

10. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयः यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान परिपाटी का अनुसरण करते हुए समिति का प्रस्ताव है कि परिस्थितियों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में खास मामलों में सेवा के लिए आंमंत्रित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 131

11. राज्यपालों के चयन का ढंगः समिति के कुछ सदस्य यह महसूस करते हैं कि जनता द्वारा चुने गए राज्यपाल और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मुख्यमंत्री के साथ-साथ होने से मनमुटाव हो सकता है। इसलिए समिति ने राज्यपालों की नियुक्ति का एक दूसरा ढंग सुझाया हैः विधानमंडल चार व्यक्तियों को चुनकर उनका पैनल बनाये। जरुरी नहीं है कि वे उसी राज्य के निवासी हों और संघ के राष्ट्रपति उन चार में से एक को राज्यपाल नियुक्त करे।

अनुच्छेद 138

12. उपराज्यपालः समिति ने उपराज्यपालों के लिए कोई काम नहीं समझा है क्योंकि राज्यपाल के रहते उपराज्यपाल का कोई काम नहीं होगा। केन्द्र में स्थिति भिन्न है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा, अधिकांश राज्यों में उच्च सदन नहीं होगा अतः उपराज्यपाल को उपराष्ट्रपति जैसे कृत्य देना संभव नहीं होगा। प्रारुप संविधान में एक उपबंध है जिसके अनुसार राज्य का विधानमंडल या राष्ट्रपति किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकता है।

अनुच्छेद 212 से 214

13. केन्द्र शासित क्षेत्रः संविधान सभा के एक संकल्प के अनुसार आपने सभापति की हैसियत से केन्द्रशासित क्षेत्रों जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, पंथ पिपलोदा तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में संवैधानिक परिवर्तन करने की सिफारिश के प्रयोजन से एक 7 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 अक्तूबर, 1948 को पेश की। समिति की सिफारिशें, संक्षेप में, इस प्रकार थीः-

(1) दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग में से प्रत्येक प्रांत में एक उपराज्यपाल होना चाहिए जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए।

(2) इनमें से प्रत्येक प्रांत का प्रशासन सामान्यतया विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद द्वारा किया जाना चाहिए।

(3) इनमें से प्रत्येक प्रांत में एक निर्वाचित विधानमंडल होना चाहिए।

जहां तक पंथ पिपलोदा का संबंध है, समिति की सिफारिश थी कि उसे अजमेर, मारवाड़ में मिला दिया जाए और जहां तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का संबंध है, समिति की सिफारिश थी कि उनका प्रशासन उस समय की विद्यमान भारत सरकार, ऐसे उपांतर करके करे जैसे आवश्यक समझे जाएं; दूसरे शब्दों में, ये द्वीपसमूह मुख्य आयुक्त के प्रांत के रुप में ही बने रहने थे। इस समिति में अजमेर, मारवाड़ तथा कुर्ग के प्रतिनिधियों ने समिति की रिपोर्ट में एक टिप्पणी लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि ये क्षेत्र छोटे-मोटे हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इनमें संसाधनों की कमी है इसलिए इनकी विशेष समस्याओं के फलस्वरुप सुदूर भविष्य में प्रत्येक क्षेत्र को एक निकटवर्ती इकाई में शामिल होना पड़ेगा। अतः उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संबंधित लोगों की इच्छाओं का पता लगाने के बाद इसे संभव बनाने के लिए संविधान में एक खास उपबंध होना चाहिए।

जहां तक दिल्ली का संबंध है, समिति को लगता है कि भारत की राजधानी होने के नाते इसे स्थानीय प्रशासन में नहीं रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस शासन-स्थल की बाबत अनन्य विधायी शक्ति का इस्तेमाल करती है; आस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। इसलिए प्रारुपण समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि तदर्थ समिति की सिफारिश की अपेक्षा एक वृहद् योजना होनी चाहिए। तदनुसार प्रारुपण समिति ने प्रस्ताव रखा है कि इन केन्द्र-शासित क्षेत्रों का प्रशासन भारत सरकार, मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के माध्यम से या पड़ोसी राज्य के राज्यपाल अथवा शासक के माध्यम से किया जाए। किसी क्षेत्र विशेष के बारे में क्या किया जाए यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाए कि वह जैसा चाहे आदेश द्वारा निर्धारित करें; निःसंदेह, अन्य विषयों की भांति इसमें भी वह जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। यदि ऐसी सलाह दी जाए तो वह दिल्ली में उपराज्यपाल रख सकता

है; कुर्ग का प्रशासन या तो मद्रास के राज्यपाल के जरिये या मैसूर के शासक के जरिये कुर्ग लोगों की इच्छा जानने के बाद कर सकता है। वह आदेश द्वारा, एक स्थानीय विधानमंडल या सलाहकार परिषद बना सकता है जिसके गठन, शक्तियों और कृत्यों के बारे में आदेश में उल्लेख किया जाए। प्रारुपण समिति को यह एक लचीली योजना प्रतीत होती है जिसे संबंधित क्षेत्र की विविध अपेक्षाओं के अनुरुप ढाला जा सकता है।

समिति ने यह भी प्रावधान किया है कि ऐसी रियासतों (जैसे उड़ीसा समूह की) जिन्होंने पूर्ण और अनन्य प्राधिकार, अधिकारिता और शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के हाथों में सौंप दी हैं, प्रशासन उसी प्रकार किया जा सकता है मानों वे केन्द्र शासित क्षेत्र हों जैसे हर राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के माध्यम से या पड़ोसी राज्य के राज्यपाल या शासक के माध्यम से।

अनुच्छेद 216 से 232

14. विधायी शक्तियों का विभाजनः अधिकांश, प्रारुपण समिति ने उन विधायी सूचियों में कोई परिवर्तन नहीं किया है जिनकी सिफारिश संघ शक्ति समिति ने ली थी और जिन्हें संविधान सभा ने अंगीकार किया था, लेकिन मैं तीन बातों की ओर आपका ध्यान खीचना चाहूँगा जिनके बारे में समिति ने परिवर्तन किए हैं। वे हैं–

(क) समिति ने वस्तुतः उपबंध किया है कि जब कोई विषय जो सामान्य तौर पर राज्य सूची में है, राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है तो संघ संसद उस पर विधान बना सकती है। राज्य शक्तियों पर कोई अतिक्रमण न हो इससे बचने के लिए समिति ने प्रारुप में यह उपबंध किया है कि यह तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा जो इकाइयों के रुप में राज्यों की प्रतिनिधि कहीं जा सकती हैं, दो तिहाई बहुमत से इस आशय का एक संकल्प पारित करें।

(ख) समिति ने वांछनीय समझा कि कृषि भूमि के अलावा संपत्ति के उत्तराधिकार के बजाय उत्तराधिकार के संपूर्ण विषय को समवर्ती सूची में रखा जाए। इसी प्रकार, समिति ने वे सब विषय समवर्ती सूची में रखे हैं जिनकी बाबत अब मुकदमे के पक्षकारों पर स्वीय विधि लागू होती है। इससे इन विषयों में भारत के लिए एकरूप विधि बनाना आसान हो जाएगा।

(ग) भूमि अर्जन को संघ के लिए संघीय सूची में और राज्य के प्रयोजनों के लिए राज्य सूची में रखते हुए समिति ने उपबंध किया है कि अर्जन का प्रतिकर तय करने के सिद्धांत हर हालत में समवर्ती सूची में रखे जाएंगे ताकि इस विषय में कुछ एकरुपता रह सके। इसके अतिरिक्त, वर्तमान असाधारण परिस्थितियों की दृष्टि से जिनमें अनिवार्य प्रदायों में 'सप्लाई' नियंत्रण अपेक्षित है, समिति ने उपबंध किया है कि संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष तक अनिवार्य वस्तुओं में व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण एवं विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास भी समवर्ती सूची के विषयों जैसे होगे। इस मार्ग को अपनाने में समिति ने इंडिया सेन्ट्रल गवनर्मेन्ट एंड लेजिस्लेचर एक्ट, 1946 के उपबंधों का अनुसरण किया है।

अनुच्छेद 247 से 269

15. वित्तीय उपबंध: व्यापक रुप से कहें तो प्रारुपण समिति ने प्रारुप में केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण विषयक उपबंध के सिवाय, विशेषज्ञ वित्त समिति की सिफारिशों का समावेश किया है। इस क्षेत्र में इस समय जो अस्थिर हालात विद्यमान है उनकी दृष्टि से प्रारुपण समिति ने पांच वर्ष तक राजस्व के वितरण के विषय में यथापूर्ण स्थिति बनाये रखना सबसे अच्छा समझा हैं। उसके अंत में एक वित्त आयोग स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

अनुच्छेद 281 से 283

16. सेवाएं: समिति ने सेवाओं विषयक विस्तृत उपबंधों को संविधान में शामिल करना ठीक नहीं समझा। समिति का विचार है कि वे सांविधानिक उपबंधों के बजाय समुचित विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा विनियमित की जाएंगी क्योंकि समिति यह महसूस करती है कि दूसरे देशों की भांति यहां भी विधानमंडलों पर सेवाओं के बारे में उचित रुप से व्यवस्था करने का विश्वास किया जा सकता है।

अनुच्छेद 289 से 291

17. निर्वाचन मताधिकार आदि: समिति ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सहित निर्वाचन विषयक विस्तृत उपबंधों को संविधान में समाविष्ट करना आवश्यक नहीं समझा। इन्हें सहायक विधान के लिए छोड़ दिया गया है।

अनुच्छेद 304

18. संविधान का संशोधन: समिति ने कुछ विषयों की बाबत

राज्य विधानमंडल को सीमित संवैधानिक शक्ति देने वाला उपबंध शामिल किया है।

अनुच्छेद 292, 294 और 305

19. अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय: प्रारुप में विधानमंडलों में स्थानों और लोक सेवाओं में पदों के आरक्षण की बाबत संविधान सभा एवं सलाहकार समिति के विनिश्चय लेखबद्ध हैं। हालांकि ये उपबंध देशी रियासतों पर लागू नहीं होते हैं फिर भी भारत के हित में देशी रियासतों को वहां के अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे ही उपबंध अपनाने चाहिए। प्रारुपण समिति ने मुझसे विशेष रुप से कहा है कि मैं इस विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करुं।

प्रथम अनुसूची

20. भाषाई प्रांत: मैं प्रथम अनुसूची के भाग 1 और उसके बाद टिप्पणी के प्रति विशेष ध्यान चाहूँगा। यदि आंध्र अथवा किसी अन्य भाषाई क्षेत्र को इस अनुसूची में संविधान के अंतिम तौर पर अपनाए जाने से पहले वर्णित कर दिया जाए तो हमें तुरंत कदम उठाकार प्रारुप संविधान को अंतिम रुप से पारित किए जाने से पहले उन्हें भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 290 के अधीन पृथक राज्यपाल प्रांत बनाना होगा। निस्संदेह नये संविधान में नये राज्य बनाने के लिए उपबंध हैं लेकिन यह तभी होगा जब नया संविधान लागू हो जाएगा।

पांचवी और छठी अनुसूची

21. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र: समिति ने इन विषयों की उपसमितियों की सिफारिशें संविधान की इन अनुसूचियों में लेखबद्ध की हैं।

22. कुछ मुद्दों पर जिनमें सिद्धांत का कोई प्रश्न नहीं है, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा लेखबद्ध एक पृथक टिप्पणी के प्रारुप को उनके अनुरोध पर परिशिष्ट के रुप में रखा गया है।

23. इस प्रारुप संविधान को आप तक पहुंचाने से पूर्व मैं श्री बी.एन.राव, संविधान सलाहकार श्री एस.एन.मुखर्जी, संयुक्त सचिव और प्रारुपकार तथा संविधान के कर्मचारिवृंद से इस दु:साध्य कार्य में प्राप्त सहायता के लिए समिति का आभार लेखबद्ध करना चाहूँगा।

आपका,

बी.आर.अम्बेडकर

प्रारुप संविधान

भारत का राजपत्र, असाधारण, 26 फरवरी, 1948

प्रारुप
भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 15 मई, 1948 ई .... संवत दो हजार .. ..विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

यह संविधान सभा द्वारा किए गए फैसले के अनुसरण में है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में संबंध का प्रश्न का विनिश्चय बाद में किया जाना है।

138. भारत का राजपत्र, असाधारण, 26 फरवरी, 1948

भाग 1

संघ और उसका राज्यक्षेत्र तथा अधिकारिता

संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

(1) भारत राज्यों का संघ होगा।

(2) राज्यों से तात्पर्य उन राज्यों से है जो इस समय पहली अनुसूची के भाग I, II और III में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) भारत के राज्यक्षेत्र में शामिल होंगे–

(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र;

(ख) पहली अनुसूची के भाग I में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र; और

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएं।

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

2. संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी।

नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

3. संसद विधि द्वारा–

(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;

(ङ.) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी :

परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में भारत सरकार के सिवाय और जब तक कि–

(क) या तो–

(i) इस राज्य के विधानमंडल में राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा, जिसमें से राज्यक्षेत्र पृथक या उपवर्जित करना है, इस निर्मित अभ्यावेदन राष्ट्रपति से न किया गया हो; अथवा

(ii) इस निमित्त एक संकल्प किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित न किया गया हो जिसकी सीमाएं या जिसका नाम विधेयक में अंतर्विष्ट होने वाले प्रस्ताव से प्रभावित होगा; तथा

(ख) जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्ताव से पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट राज्य से भिन्न किसी राज्य की सीमाएं या नाम प्रभावित होता हैं, वहां विधेयक पुन:स्थापित करने के प्रस्ताव और उसके उपबंध दोनों की बाबत इस राज्य के विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति द्वारा अभिनिश्चित कर लिए गए हों और जहां ऐसे प्रस्ताव से पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सीमाएं या नाम प्रभावित होता है, वहाँ प्रस्ताव पर उस राज्य की सम्मति अभिप्राप्त कर ली गई हो।

पहली अनुसूची के संशोधन तथा आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां

4(1) इस संविधान के अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची के संशोधन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो इस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे आनुषांगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे।

(2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान में संशोधन योग्य नहीं समझी जाएगी।

समिति का विचार है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, 1867 की उद्देशिका की भाषा का अनुसरण करते हुए यह अनुपयुक्त न होगा कि हम भारत का 75 उल्लेख संघ के रूप में करें, हालांकि उसके संविधान का ढांचा परिसंघीय है।

समिति की राय है कि पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट राज्य से भिन्न किसी राज्य की दशा में, राज्य की पूर्व सम्मति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल के विचार प्राप्त करना काफी होगा।

भाग 2

नागरिकता

संविधान के प्रारंभ की नागरिकता संविधान

5. संविधान के प्रारंभ की तारीख को तारीख को –

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता–पिता में से कोई या जिसके दादा या दादी या नाना या नानी में से कोई इस में यथा परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था और जिसने 1 अप्रैल, 1947 के पश्चात् किसी दूसरे देश में अपना स्थायी आवास न बना लिया हो; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता–पिता में से कोई अथवा दादा या दादी या नाना या नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम, 1935 जिस रुप में वह उस समय में बनाया गया था में यथा परिभाषित भारत में, या बर्मा, श्रीलंका या मलय में जन्मा था और जिसने अपना अधिवास इस संविधान में यथा परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में किया हो, भारत का नागरिक होगा। परंतु तभी जब उसने इस संविधान के प्रारंभ की तारीख पर किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित न की हो।

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति का अधि वास भारत के राज्यक्षेत्र में समझा जाएगा–

(i) यदि भारत उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 2 के अधीन उसका अधि वास ऐसे राज्यक्षेत्र में होता यदि उस भाग के उपबंध उस पर लागू होते

अथवा

(ii) यदि, उसने, इस संविधान के प्रारंभ की तारीख से पूर्व, ऐसा अधिवास अर्जित करने की अपनी इच्छा की लिखित घोषणा जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा कर दी है तथा घोषणा की तारीख से पूर्व कम से कम एक माह भारत के राज्यक्षेत्र में निवास किया है।

6. संसद विधि द्वारा, नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा उससे सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में और उपबंध कर सकेगी।

समिति की राय है कि विधायन द्वारा या अन्यथा, घोषणाएं प्राप्त करने, ऐसी घोषणाओं के रजिस्टर रखने तथा स्पष्टीकरण के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए अन्य आनुषंगिक विषयों के लिए सहायक कार्रवाई इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व करनी होगी।

भाग–3

मूल अधिकार

साधारण

परिभाषा 7. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ''राज्य'' के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

व्यवृत्ति 8. (i) इस भाग के उपबंधों से असंगत भारत के राज्यक्षेत्र में, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवत सब विधियां इस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।

(ii) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

*परंतु इस खंड की कोई भी बात राज्य के किसी विद्यमान विधि से उत्पन्न होने वाली असमता, विषमता, अलाभ या विभेद के निवारण के लिए कोई विधि बनाने से नहीं रोकेगी।

(iii) इस अनुच्छेद में, ''विधि'' शब्द के अंतर्गत कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना प्रथा या रुढ़ि है जिसे भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में विधि का बल प्राप्त हो।

---

*. परंतु इसलिए जोड़ा गया है ताकि राज्य किसी भी वर्तमान विभेद को दूर करने वाली विधियॉं बना सके। ऐसी विधियाँ इस अर्थ में अवश्यमेव विभेदकारी हों क्योंकि ये उनके खिलाफ लागू होंगी जो अब तक असम्यक् फायदा उठा रहे थे। प्रकट है कि इस स्वरूप की विधियों का प्रतिषेध नहीं होना चाहिए।

समता का अधिकार

धर्म, मूलवंश, जाति लिंग के आधार पर विभेद का निषेध

9 (1) राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, विशेष रुप से, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर–

विभेद का निषेध

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्णतः या भाग्यतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्थित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य के स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

10. (1) राज्य के अधीन नियोजन के विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) राज्य के अधीन किसी पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के* पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में, पर्याप्त नहीं हैं, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि

---

* समिति की राय है कि नागरिकों के ''किसी भी वर्ग के'' शब्दों से पूर्व ''पिछड़े हुए'' शब्द जोड़े जाएं।

किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित अथवा कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो।

अस्पृश्यता का अंत 11. अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रुप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

उपाधियों का अंत 12. (1) राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा ।

(3) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रुप में कोई भेंट, उपलब्धि, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

वाक् स्वतंत्रय आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण 13. (1) इस अनुच्छेद के अन्य उपबंधों के अधीन रखते हुए–

(क) वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का,

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

(ग) संगम या संघ बनाने का,

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

(ड.) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का,

(च) सम्पत्ति अर्जन, धाारण और विक्रय करने का, और

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का, अधिकार होगा।

(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त खंड द्वारा दिये गए अधिकार पर अपमान लेख, अपमान वचन, मानहानि, राजद्रोह या किसी अन्य विषय से संबंधित जो शिष्टाचार या सदाचार को न्यून करेगी अथवा राज्य को कोई विधि बनाने से निवारित और प्रभावित नहीं करेगी।

(3) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर लोक व्यवस्था के हित में, निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली किसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी अथवा राज्य को कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी।

(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर, साधारण जनता के हित में, निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली किसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी अथवा राज्य को कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी।

(5) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ड.) और (च) की कोई बात, उक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रयोग पर या तो साधारण जनता के हित में या किसी आदि जनजाति* के हितों के संरक्षण के लिए निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली किसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव डालेगी अथवा, राज्य को कोई विधि बनाने से निवारित करेगी।

(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात, लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य, के हितों में, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली और विशिष्टतया किसी प्राधिकरण को या किसी वृत्त को चलाने के लिए या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्त या तकनीकी अर्हताएं विहित करने वाली या सशक्त करने वाली किसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी अथवा, राज्य को कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी।

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

14. (1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रुप में आरोपित है,

---

*. समिति की राय है कि इस अनुच्छेद में किसी भी अल्पसंख्यक समूह के लिए संरक्षण आवश्यक नहीं है।

किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।

(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा विधि के समक्ष समता

*15. किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं, और न ही किसी व्यक्ति को भारत के राज्यक्षेत्र के अंदर विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा।

भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

**16. संविधान के अनुच्छेद 244 के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी।

मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध

17.(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

---

* समिति की राय है कि स्वतंत्रता शब्द को उसके पहले दैहिक शब्द जोड़कर विशेषित किया जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा उसका अर्थ इतना व्यापक हो सकता है कि इसमें वे स्वतंत्रताएं भी शामिल हो जाएंगी जिनका उल्लेख पहले अनुच्छेद 13 में किया जा चुका है।
समिति ने ''विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना'' शब्दों के स्थान पर ''विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसारर अन्यथा नहीं'' शब्द भी रख दिए हैं क्योंकि पश्चात्कथित शब्द ज्यादा विनिर्दिष्ट हैं (देखिए जापानीज़ कांस्टीट्यूशन, 1946 का अनुच्छेद XXX1), आयरिश कंस्टीट्यूशन में तत्स्थानी उपबंध इस प्रकार है– ''नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी सेव इन एकोरडेन्स विद लॉ।''
समिति की यह भी राय है कि ''या विधियों के समान संरक्षण'' शब्द ''विधि के समक्ष समता'' शब्दों के बाद जोड़े जाएं जैसा कि यू.एस.ए. कान्स्टीट्यूशन (1885) के अनुच्छेद XIV की धारा 1 में है।

** समिति ने ''नागरिकों द्वारा और उनके बीच'' शब्द हटा दिए हैं। ये शब्द संवधिान सभा द्वारा अंगीकृत उपबंध में ''व्यापार, वाणिज्य और समागम शब्दों के बाद आए हैं। विशेषण शब्दों से राज्य की सीमा पर प्रेषक और प्रेषित की राष्ट्रीयता के बारे में विस्तृत जांच-पड़ताल करना आवश्यक हो सकता है।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा के अधिरोपण में राज्य मूल वंश, धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

18. चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

धर्म विषयक अधिकार

अंतःकरण की और धर्म के अबाध रुप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

19. (1) लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रुप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।
स्पष्टीकरण- कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो-

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बन्धन करती है।

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के किसी वर्ग और भाग के लिए खोलने का उपबंध करती है।

धार्मिक कार्यो के प्रबंध की तथा धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए सम्पत्तियों के स्वामित्व और अर्जन तथा प्रशासन की स्वतंत्रता

20. प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को-

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यो का प्रबंध करने का,

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और

(घ) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।

किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की समृद्धि एवं पोषण के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

21. किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रुप से विनियोजित किए जाते हैं।

कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने के बारे में स्वतंत्रता

22. (1)* राज्य निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किन्तु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(2) राज्य से मान्यताप्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात, किसी समुदाय या सम्प्रदाय को शिक्षा संस्था में कार्य घंटों के बाद उस समुदाय या सम्प्रदाय के शिष्यों के लिए धार्मिक शिक्षा देने से निवारित नहीं करेगी।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अल्पसंख्यक वर्गो के हितों का संरक्षण

23 (1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य पोषित किसी शिक्षा संस्था में धर्म, समुदाय या भाषा पर, आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति

---

* यह अनुच्छेद तदर्थ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में है।

के प्रवेश के बारे में ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के साथ विभेद नहीं किया जाएगा।

(3) (क) धर्म, संप्रदाय या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(ख) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधमें है।

सम्पत्ति का अधिकार

सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन

24. (1) किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति जिसके अंतर्गत उसमें हित, अथवा वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली किसी कंपनी में हित भी है, किसी विधि के अधीन जो कब्जा ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, लोक प्रयोजनों के लिए तब तक कब्जे में नहीं ली जाएगी या अर्जित नहीं की जाएगी जब तक कि उस विधि में कब्जे में ली गई या अर्जित की गई सम्पत्ति के लिए प्रतिकर संदाय के लिए उपबंध न किया गया हो और वह प्रतिकर राशि नियत न हो या वे सिद्धांत जिनके आधार पर, और वह रीति विनिर्दिष्ट न हो, जिससे प्रतिकर तय किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद के खंड (2) की कोई बात–

(क) किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, या

(ख) ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसे राज्य कोई कर अधिरोपित करने या उद्गृहीत करने के प्रयोग के लिये या लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि या प्राण या सम्पत्ति के संकट के निवारण के लिए, इसके पश्चात् बनाये।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

25. (1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्त्तित कराने के लिये समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार की गारंटी दी जाती है।

(2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्त्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो जारी करने की शक्ति होगी।

(3) संसद विधि द्वारा, किसी अन्य न्यायालय को इस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य सब या किन्हीं शक्तियों का उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकेगी।

(4) इस संविधान द्वारा जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा गारंटी किया गया अधिकार निलम्बित नहीं किया जाएगा।

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों को लागू होने में, उपान्तरण, करने की संसद की शक्ति

26. संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को, सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाये रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को लागू होने में, किसी परिमाण तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित रहे।

इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए उपबंध

27. इस संविधान में अन्यत्र बात के होते हुए भी, संसद की शक्ति होगी और पहली अनुसूची के भाग-1 या भाग-3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह-

(क) उन विषयों में से किसी की बाबत, जो इस भाग के अधीन संसद द्वारा विधान द्वारा उपबंधित किए जाने अपेक्षित हैं; और

(ख) उन कृत्यों के लिए दंड विहित करने के लिए, जो इस भाग के अंतर्गत अपराध घोषित हैं, विधि बनाये और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे विषयों के उपबंध करने के लिए और ऐसे कार्यों के लिए दंड विहित करने के लिए विधियां बनाएगी; परंतु इस अनुच्छेद के खंड (क) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत अथवा किसी कार्य के लिए दंड के लिए उपबंध करने के लिए, जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित है, भारत के राज्यक्षेत्र में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त कोई विधि उसमें तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक संसद द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा परिवर्तन, निरसन या संशोधन न कर दिया जाए।

भाग 4

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

परिभाषा

28. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ''राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना

29. इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

राज्य लोक कल्याण की अधिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा

30. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रुप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि प्रयत्न करेगा।

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व

31. राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रुप से–

(i) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रुप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ii) समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रुप से साधन हो;

(iii) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेन्द्रण न हो;

(iv) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(v) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(vi) बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

32. राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध

33. राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

कर्मचारियों के लिये निर्वाह मजदूरी आदि

34. राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता

35. राज्य भारत, के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए उपबंध

36. प्रत्येक नागरिक नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा का हकदार है और राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के भीतर सभी बालकों के लिए तब तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और व्यर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

37. राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य

38. राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने को अपने प्राथमिक के कर्तव्यों में मानेगा।

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण और अनुरक्षण

39. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किये गये कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथा–स्थिति लुंठन, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना, और संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा ऐसे स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का परिरक्षण और अनुरक्षण करना, राज्य की बाध्यता होगी।

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

40. राज्य, अंतर्राष्ट्रीय विधि की समझदारी की सरकारों में वास्तविक आचार नियम के रुप में दृढ़ स्थापना द्वारा तथा संगठित लोगों के परस्पर व्यवहारों में संधि बाध्यताओं के लिए और न्याय और सम्मान बनाये रखकर राष्ट्रों के बीच मुक्त, न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध के चिरभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा।

भाग 5

संघ

अध्याय 1 कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

भारत का राष्ट्रपति 41. भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

संघ की कार्यपालिका शक्ति 42. (1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात–

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारों को प्रदान किये गये कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जायेगी; या

(ख) राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी।

राष्ट्रपति का निर्वाचन 43. राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें–

(क) संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और

(ख) राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, होंगे।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 44. (1) जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरुपता होगी।

*(2) राज्यों में आपस में ऐसी एकरुपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिये संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति में निर्धारित की जाएगी,

अर्थात:– (क) किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए;

(ख) यदि एक हजार के उक्त गणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा;

---

*. अनुच्छेद 44 के खंड (2) में वर्णित परिकलन की पद्धति का निम्न दृष्टांत दिया जा सकता है– खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) के दृष्टांत–

(1) मुम्बई की जनसंख्या 20,849.840 है। मान लीजिए मुम्बई विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 208 अर्थात् एक लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि का सदस्य है। वह मत संख्या निकालने के लिए जिसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत डालने के लिए ऐसा प्रत्येक निर्वाचित सदस्य हकदार होगा, हमें सबसे पहले 20,849840 को जनसंख्या (208 से) निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग देना होगा, और फिर भागफल को 1000 से गुणा भाग देना होगा। इस मामले में गुणित 100239 है। इस प्रकार सदस्य निम्नलिखित मत डाल सकेगा अर्थात् 100,239/1000, 100 (शेष 23) 500 से कम होने के कारण छोड़ दिए जाएंगे।

(2) पुनः बीकानेर की जनसंख्या 1292,938 है। मान लीजिए बीकानेर के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 130 है (अर्थात् एक सदस्य मोटे तौर पर दस हजार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है) अब, उपर्युक्त प्रक्रिया को लागू करके, यदि हम 1292,938 (यानी जनसंख्या) को 130 से (निर्वाचन सदस्य संख्या से) भाग दें तो भागफल होगा 9945। अतः वह मत संख्या निकालने के लिए जिसे बीकानेर विधानमंडल का प्रत्येक प्रतिनिधि मत डालने के लिए हकदार है इस प्रकार होगी–9945/1000 = 10 (शेष 945 क्योंकि 500 से अधिक है इसलिए उसे 1000 के समकक्ष मान लिया गया)।

खंड (2) के उपखंड (ग) के अधीन दृष्टांत – यदि उपरोक्त गणना के अनुसार राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों की प्राप्त कुल मत संख्या 74946 है और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 750 है तो वह मतसंख्या निकालने के लिए जिसे संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत डाल सकता है, इस प्रकार होगी – 74940–750 इस प्रकार ऐसा प्रत्येक सदस्य जो मत डाल सकेगा उसकी संख्या इस प्रकार होगी– 74940/750=99 23/25 = 100 (23/25 भाग 1/2 से अधिक होने के कारण, 1 गिना गया है।

(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिससे आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी।

(3) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद में, ''राज्य के विधानमंडल'' पद से जहां विधानमंडल में दो सदन हैं, विधानमंडल का अवर सदन अभिप्रेत है तथा ''जनसंख्या'' शब्द से अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है।

राष्ट्रपति की पदावधि

45. राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परंतु-

(क) राष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा।

(ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पदधारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

46. कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रुप में पद धारण करता है या कर चुका है, उस पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा किंतु केवल एक बार ही।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं

47. (1) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह-

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और

(ग) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

(2) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि-

(क) वह या तो भारत का या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है; या

(ख) वह पहली अनुसूची के भाग-III में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह उस राज्य के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, अथवा जहाँ राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं वहाँ विधानमंडल के अवर सदन के प्रति और यदि यथास्थिति विधानमंडल या सदन के तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं।

राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें

48. (1) राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस संसद में या ऐसे विधानमंडल में अपना स्थान राष्ट्रपति के रुप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(2) राष्ट्रपति अन्य कोई उपलब्धियों का पद या स्थान धारण नहीं करेगा।

(3) राष्ट्रपति का एक शासकीय निवास होगा और राष्ट्रपति को ऐसी उपलब्धियों और भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो संसद द्वारा विधि द्वारा तय किए जाएं तथा जब तक इस निमित उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां और भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।

राष्ट्रपति या उस व्यक्ति द्वारा जो राष्ट्रपति के रुप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, प्रतिज्ञान या शपथ के पद का कार्यपालन

49. प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रुप में कार्य कर रहा है, पद ग्रहण करने से पूर्व, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष निम्नलिखित रुप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा अर्थात्–

मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करुंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण/संरक्षण और प्रतिरक्षण करुंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा।

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

50. (1) जब राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के कारण महाभियोग चलाया जाना हो तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा।

(2) ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि–

(क) ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो उस सदन के कम से कम 30 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा संकल्प पेश करने के आशय की लिखित सूचना दिये जाने के पश्चात् पेश किया गया हो; और

(ख) उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प समर्थित न किया गया हो।

(3) जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या करवायेगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।

(4) यदि अन्वेषण के परिणामस्वरुप संकल्प जो उस सदन की कुल सदस्य संख्या जिसके द्वारा अन्वेषण किया गया था या करवाया गया था, कम से कम दो तिहाई सदस्यों से समर्थित है इस घोषणा के साथ पारित कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप स्थिर हो गया है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा।

राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

51. (1) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

(2) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छह मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

भारत का उपराष्ट्रपति

52. 1 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापित होना

53. उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई उपलब्धि का पद या स्थान धारण नहीं करेगा परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 के अधीन राष्ट्रपति के रुप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।

उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में

54. (1) राष्ट्रपति की मृत्यु, पद स्थान या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उस पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रुप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिये इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है।

राष्ट्रपति के रुप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन

(2) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

(3) उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रुप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

55. (1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

(2) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रुप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(3) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह–

(क) भारत का नागरिक है,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और

(ग) राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

(4) कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव का पात्र नहीं। होगा यदि वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार किसी अन्य स्थानीय अथवा प्राधिकरण के अंतर्गत, अर्थात् सरकारों में से किसी के नियंत्रण में बशर्ते परिलब्धियों का कार्यालय अथवा पद धारित है।

अथवा

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई उपलब्धि का पद या स्थान धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि-

(क) वह या तो भारत का या पहली अनुसूची के भाग-1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है; या

(ख) पहली अनुसूची के भाग-3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है अथवा जहां उस राज्य के विधानमंडल के अवर सदन के प्रति उत्तरदायी है और यदि यथास्थिति, ऐसे विधानमंडल या सदन के कम से कम तीन-चौथाई सदस्य निर्वाचित हैं।

(5) उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उस अवधि की समाप्ति से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

(6) उपराष्ट्रपति के पद में, उसकी मृत्यु, पद त्याग देने या हटाये जाने या अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात् यथा-संभव शीघ्र किया जाएगा, और ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हक होगा जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 56 में उपबंधित है।

उपराष्ट्रपति की पदावधि

56. उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा परंतु-

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। किन्तु यह तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय कि कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो;

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता हैं।

अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करने की संसद की शक्ति

57. संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिये ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय

58. (1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सब शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद, विधि द्वारा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय को विनियमित कर सकेगी।

क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति

59. (1) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिये सिद्धदोश ठहराये गये किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की–

(क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है;

(ख) उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे किसी विषय से संबंधित किसी विधि के अधीन अपराध के लिए है जिसकी बाबत संसद को विधियां बनाने की शक्ति है और उस राज्य के विधानमंडल को जिसमें अपराध किया जाए, ऐसी शक्ति नहीं है;

*(ग) उन सभी ममालों में, जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है।

(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात भारत के सशस्त्र बलों के किसी आफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव डालेगी।

(3) इस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (ग) को कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल या रियासत के शासक द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलम्बर, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

60. (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार –

(क) जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, और

(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा;

परंतु कि इस उपबंध के उप-अनुबंध (क) में संदर्भित कार्यपालक शक्ति का, जब तक इस संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि में जब तक स्पष्ट रुप से प्रावधान न किया गया हो, किसी भी राज्य के उन मामलों के संबंध में जिन पर राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने का अधिकार है, विस्तार होगा।

(2) जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करें तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन

---

*. समिति की राय है कि राष्ट्रपति को, राज्यपाल या शासक की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी राज्य में पारित मनुष्य दंडादेश को निलम्बन, परिहार या लघुंकरण करने की शक्ति होनी चाहिए। परन्तु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई विधि में अभिव्यक्त रूप से यथाउपबंधित के सिवाय, उप-खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

विषयों में, जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था।

मंत्रि परिषद

राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्

61. (1) राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के पालन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।

(2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी।

मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

62. (1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

(2) मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।

(3) मंत्री-परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायी होगी।

(4) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारुपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा।

(5) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक संसद का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

(6) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करती है और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

---

*. समिति ने इस परन्तुक को इस दृष्टि से जोड़ा है कि समवर्ती सूची के विषयों की बाबत कार्यपालिका शक्ति, संविधान में अथवा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित राज्य में निहित होगी।

भारत का महान्यायवादी

***भारत का महान्यायवादी**

63. (1) राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा।

(2) महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों।

(3) महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

(4) महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें।

सरकारी कार्य का संचालन

भारत सरकार के कार्य का संचालन

64. (1) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कार्य का संचालन कहीं जाएगी।

(2) राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनयमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

---

*. समिति ने ''भारत का महाधिवक्ता'' के स्थान पर ''भारत का महान्यायवादी'' पद भागतः उसे प्रांतीय महाधिवाक्ताओं से सुभिन्न करने के लिए और भागतः यू.के. और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों में प्रचलित शब्दावली को अपनाने के लिए रखा है।

राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विषयक प्रधानमंत्री के कर्तव्य

65. प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) संघ कार्यों के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त विनिश्चयों तथा विधान के लिए प्रस्थापनाएं राष्ट्रपति को संसूचित करे;

(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि–परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।

अध्याय 2 संसद

साधारण

संसद का गठन 66. संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे।

संसद के सदनों की रचना 67. (1) राज्यसभा दो सौ पचास सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से-

(क) पन्द्रह सदस्य, इस अनुच्छेद के खंड (2) में उपबंधित रीति से राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे; और

(ख) शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे: परंतु पहली अनुसूची के भाग-III में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या इस शेष संख्या के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

*(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञात या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्-

(क) साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा;

(ख) कृषि, मत्स्य पालन और सम्बद्ध विषय;

(ग) इंजीनियरी और वास्तु कला;

---

*. समिति की राय है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक प्रंद्रह सदस्यों के नाम निर्देशित किए जाने चाहिएं तथा प्रौढ़ मताधिकार की दृष्टि से श्रम, या वाणिज्य और उद्योग के लिए कोई विशेष प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। समिति समझती है कि आयरिश संविधान के अधीन अब तक प्रवृत्त निर्वाचन की पैनल पद्धति व्यवहार में बहुत असंतोषजनक साबित हुई है। इस विषय में अन्य किसी मार्गदर्शन के लिए उपबंध किया है, जबकि काम-चलाऊ प्रतिनिधित्व के कुछ अध्याय अपना लिए हैं। चूंकि समिति को निर्वाचन की जगह नामनिर्देशन रखना पड़ता है और चूंकि समिति का विचार है कि श्रम या वाणिज्य और उद्योग के लिए विशेष प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है इसलिए समिति की राय है कि पंद्रह नामनिर्देशित सदस्यों के लिए उपबंध करना काफी होगा।

(घ) लोक प्रशासन और समाज सेवा।

(3) राज्यसभा में पहली अनुसूची के भाग 1 या भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि–

(क) जहाँ राज्य के विधानमंडल में दो सदन हैं, वहां निचले सदन के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे;

(ख) जहाँ राज्य के विधानमंडल में केवल एक सदन है, इस सदन के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) जहाँ राज्य के विधानमंडल की कोई भी सदन नहीं है, वहां ऐसी रीति से चुने जाएंगे जैसी संसद विधि द्वारा विहित करे।

(4) राज्यसभा में पहली अनुसूची के भाग–2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करें।

(5) (क) संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा प्रत्यक्षतः मतदाताओं द्वारा चुने गए, राज्यों के राज्यक्षेत्रों के लोगों के अधिक से अधिक पांच सौ सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(ख) उपखंड (क) के प्रयोजन के लिए भारत के राज्यों को, क्षेत्रीय निर्वाचन–क्षेत्रों में विभाजित समूहकृत या निर्मित किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र को आंबंटित किए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार तय की जाएगी कि वह सुनिश्चित कर सके कि हर 750,000 की जनसंख्या के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि होगा और हर 500,000 की जनसंख्या के लिए अधिक से अधिक एक प्रतिनिधि होगा :

परंतु पहली अनुसूची के भाग–3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या का, उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात, उस अनुपात, उस अनुसूची के भाग 1 और 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या के ऐसे राज्यों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक नहीं होगा।

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी समय निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या और पिछली जनगणना में अभिनिश्चित उस निर्वाचित-क्षेत्र की जनसंख्या के बीच अनुपात, यथासाध्य संपूर्ण भारत में वही

होगा।

(6) लोकसभा का निर्वाचन प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होगा; यानी प्रत्येक नागरिक, जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है तथा इस संविधान के अधीन या संसद के किसी अधिनियम के अधीन, अनिवास, विकृतचित होने, अपराध, या भ्रष्ट या अवैध व्यापार के आधार पर, अन्यथा निरर्हित नहीं है, ऐसे निर्वाचन में मतदाता के रुप में दर्ज किए जाने के लिए हकदार होगा।

(7) संसद, विधि द्वारा लोकसभा में, राज्यों से भिन्न राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध कर सकेगी।

(8) प्रत्येक जनगणना पूरी होने पर राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का और लोकसभा में विभिन्न राज्य-क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, इस संविधान के अनुच्छेद 289 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से जो संसद द्वारा विधि द्वारा तय की जाए, पुनः समायोजित किया जाएगा।

(9) जब पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासतें राज्यसभा में प्रतिनिधियों को लाने के प्रयोजन के लिए एक साथ समूह में रखी जाएंगी तो इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए एक राज्य समझी जाएंगी।

संसद के सदनों की अवधि

68. (1) राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक तिहाई सदस्य, संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे।

(2) लोकसभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से* पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा:

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ाए जा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

संसद के सत्र, सत्रावास और विघटन

(1) संसद के सदन हर वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिए बुलाए जाएंगे, और एक सत्र में उनकी अंतिम बैठक तथा अगले सत्र में उनकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।

(2) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति समय-समय पर-

(क) संसद के सदनों या किसी सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझें, अधिवेशन के लिए आहूँत कर सकेगा;

(ख) सदनों का सत्रावसान कर सकेगा;

(ग) लोकसभा का विघटन कर सकेगा।

सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

70. (1) राष्ट्रपति, संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) राष्ट्रपति, संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, संसद के किसी

---

* समिति ने लोकसभा का कार्यकाल ''चार वर्ष'' के बजाय ''पाँच वर्ष'' रखा है क्योंकि वह समझती है कि संसदीय शासन प्रणाली के मंत्री की पदावधि का प्रथम वर्ष आगामी साधारण निर्वाचनों के लिए तैयारी करने में लग जाएगा, और इस प्रकार कारगर कार्य के लिए केवल दो वर्ष बचेंगे जो सुनियोजित प्रशासन के लिए बहुत कम समय होगा।

सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।

संसद के प्रत्येक सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण तथा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की संसद में चर्चा

71. (1) राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा।

(2) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए उपबंध किया जाएगा।

सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

72. प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रुप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

संसद के अधिकारी

राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

73. (1) भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।

(2) राज्यसभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।

उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

74. राज्यसभा के उपसभापति के रुप में पद धाारण करने वाला सदस्य-

(क) यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा।

(ख) किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; और

(ग) राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा निशक्तता या विश्वास के अभाव के कारण, अपने पद से हटाया जा सकेगा परंतु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रुप में कार्य करने की

75. (1) *उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति*– जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रुप में कार्य कर रहा हो या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो तब उपसभापति, या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो, राज्यसभा का ऐसा सदस्य, जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए, सभापति के रुप में कार्य करेगा।

लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

76. लोकसभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना

77. लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रुप में पद धारण करने वाला सदस्य–

(क) यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष

को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(ग) सदन के तत्समय सब सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित लोकसभा के संकल्प द्वारा नियोग्यता या विश्वास के अभाव के कारण अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु इस अनुच्छेद के खंड (7) के प्रयोजनों के लिए कोई संकल्प तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प पेश करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो:

परंतु यह भी कि जब कभी लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो अध्यक्ष सभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले अपना पद नहीं छोड़ेगा।

अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रुप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

78. (1) जब अध्यक्ष पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य, जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते

79. राज्यसभा के सभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते का जो संसद, विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया जायेगा।

---

*. समिति की राय है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष को करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा अधिक बड़ा निकाय है।

कार्य संचालन

सदस्यों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

80. (1) इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रुप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

सभापति या अध्यक्ष, अथवा उस रुप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(2) संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अपना भाग लिया है तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी।

(3) यदि किसी सदन के अधिवेशन के दौरान किसी समय, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के छटे भाग से कम उपस्थिति है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा इस रुप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थापित करें, अथवा तब अधिवेशन निलंबित करे जब तक कम से कम सदस्यों का छटा भाग उपस्थित न हो।

सदस्यों की निरर्हताएं

सदस्यों द्वारा घोषणा

81. संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा उस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए वर्णित प्रारुप के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

स्थानों का रिक्त होना

82. (1) कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी।

(2) यदि संसद के किसी सदन का सदस्य–

(क) अगले अनुच्छेद 83 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता हैं, तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(3) यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य साठ दिन तक अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा।

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।

सदस्यता के लिए निर्हताएं

83. (1) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा–

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

*(घ) यदि वह विदेशी शक्ति के प्रति निष्ठा या अनुसक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है, अथवा विदेशी शक्ति की प्रजा या नागरिक के अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए हकदार है।

---

* समिति ने कामनवैल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया कान्स्टीटयूशन एक्ट की धारा 44(i) के उपबंधों का अनुसरण करते हुए इस खंड को रखा है।

(ङ.) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति के वह इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि–

(क) वह या तो भारत का या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है; या

(ख) वह पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह उस राज्य के विधानमंडल के प्रति, या जहाँ उस राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं, ऐसे विधानमंडल के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है और यदि यथास्थिति ऐसे विधानमंडल या सदन के कम से कम तीन चौथाई सदस्य निर्वाचित हैं।

अनुच्छेद 81 के अधीन घोषणा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

84. यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या वह यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निरर्हित कर दिया गया हूँ या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, सदस्य के रुप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पाँच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो भारत सरकार को देय ऋण के रुप में वसूली की जाएगी।

सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

सदस्यों के विशेषाधिकार आदि

85. (1) इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद में वाक्-स्वातंत्रय होगा।

(2) संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिये गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई

कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) अन्य बातों में सदनों के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय-समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी होगी जो संविधान के प्रारंभ के समय यूनाईटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं।

(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में, इस अनुच्छेद के खंड (1), (2) और (3) के उपखंड इसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

सदस्यों के वेतन और भत्ते

86. संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमनियन के विधानमंडल के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

विधायी प्रक्रिया

विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध

87. (1) धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 97 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा।

(2) अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 89 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन

के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं।

(3) संसद में लम्बित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा।

(4) राज्यसभा में लम्बित विधेयक, जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।

(5) कोई विधेयक जो लोकसभा में लम्बित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा में लंबित है, अनुच्छेद 88 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा।

कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

88. (1) यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात्–

(क दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, या

(ख) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रुप से असहमत हो गए हैं, या

(ग) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह मास से अधिक बीत गए हैं तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार–विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिये सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा।

परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी।

(2) 6 मास की ऐसी अवधि की गणना करने में जो इस अनुच्छेद के खंड (1) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए सत्रावसित या स्थगित कर दिया जाता है।

(3) यदि राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन सदस्यों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात्, किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है तो, सदन तद्नुसार अधिवेशित होंगे।

(4) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा:

परंतु संयुक्त बैठक में–

(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है और उस सदन को, जिसमें उसका आरंभ हुआ था, लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों से भिन्न (यदि कोई हों), जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक में कोई और प्रस्थापित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशाधन और ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से संसुगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किए जायेंगे और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य है।

(5) सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के

पश्चात् लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा।

धन विधयेकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

89. (1) धन विधेयक राज्यसभा में पुर:स्थापित नहीं किया जायेगा।

(2) धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राज्यसभा को उसी सिफारिश के लिए पारेषित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोकसभा, राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(3) यदि लोकसभा, राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक, राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गये संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जायेगा।

(4) यदि लोकसभा, राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किये गए (किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा उस रुप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था)

(5) यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिये पारेषित धन विधेयक उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा, उस रुप में पारित किया गया समझा जायेगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

''धन विधेयक'' की परिभाषा

90. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है, अर्थात्:-

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन;

(ग) पूर्ति;

(घ) भारत के राजस्वों का विनियोग;

(ड.) किसी व्यय को भारत के राजपत्र या भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना;

(च) भारत के राजस्वों, लेखे, धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा भारत सरकार के लेखाओं की संपरीक्षा;

(छ) इस खंड की मद (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय की आनुषंगिक कोई विषय।

(2) कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उसके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार या विनियमन का उपबंध करता है।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारेषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है।

विधेयकों पर अनुमति

91. जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुर:स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार विचार करेंगे।

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

वार्षिक वित्तीय विवरण

92. (1) राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में ''वार्षिक वित्तीय विवरण'' कहा गया है।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में-

(क) इस संविधान में भारत के राजस्व पर भारित व्यय के रुप में वार्षिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां; और

(ख) भारत के राजस्व में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, पृथक-पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएग।

(3) निम्नलिखित व्यय भारत के राजस्व पर भारित व्यय होगा, अर्थात:-

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;

(ख) राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;

(ग) ऐसे ऋण-भार, जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि-भार और मोचन-भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोच से संबंधित अन्य व्यय हैं;

(घ) (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन;

(ii) फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय पेंशन;

(iii) उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो पहली अनुसूची के भाग 1 और 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों में शामिल किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करता है या संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले करता था;

(ड.) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां;

(च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है।

संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

93. (1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत के राजस्व पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है।

(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रुप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे।

(3) किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

प्राधिकृत व्यय की तालिका का अधिप्रमाणन

94. (1) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से उस तालिका को अधिप्रमाणित करेगा जिसमें–

(क) पिछले अनुच्छेद के अधीन लोकसभा द्वारा किए गए अनुदान।

(ख) अनेक राशियां, जो भारत के राजस्व पर भारित व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित हों किन्तु जो संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शाई गई राशि से किसी भी दशा में अधिक न हो विनिर्दिष्ट हों।

(2) इस प्रकार अधिप्रमाणित तालिका लोकसभा के समक्ष रखी जाएगी किन्तु उस पर संसद में चर्चा या मतदान नहीं किया जा सकता।

(3) अगले दो अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राजपत्र में से कोई भी व्यय तब तक सम्यकत: प्राधिकृत नहीं समझा जाएगा जब तक वह इस प्रकार अधिप्रमाणित तालिका में विनिर्दिष्ट न हो।

व्यय का अनुपूरक विवरण

95. यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए भारत के राजपत्र में से और अधिक व्यय किसी, उस वर्ष के लिए प्राधिकृत तत्संबंधी व्यय के ऊपर आवश्यक हो जाता है तो राष्ट्रपति, एक अनुपूरक विवरण जिसमें उस व्यय की प्राक्कलित राशि दर्शाई गई हो, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएगा तथा पूर्वगामी अनुच्छेद के उपबंध उस विवरण और उस व्यय के संबंध में प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और वर्णित के संबंध में प्रभावी होते हैं।

***अधिक अनुदान**

96. यदि किसी वित्तीय वर्ष में भारत के राजस्व में से व्यय किसी ऐसी सेवा पर खर्च किया गया है जिसके लिए लोकसभा का मत उस सेवा के लिए उस वर्ष के लिए अनुदत्त राशि से अधिक आवश्यक है, तो उस आधिक्य

---

*. यह अनुच्छेद संविधान के वित्तीय उपबंधों की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में है।

के लिए मांग लोकसभा के समक्ष उपस्थित की जाएगी और इस संविधान के अनुच्छेद 93 और 94 के उपबंध ऐसी मांग के संबंध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे जैसे वे अनुदान मांग के संबंध में प्रभावी होते हैं।

वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

97. (1) अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुर:स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसे उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा :

परंतु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्तावित के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्सन या विनियमन का उपबंध करता है।

(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत के संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है।

साधारण प्रक्रिया

प्रक्रिया के नियम

98. (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत

डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उनमें करे।

(3) राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड (3) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए।

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

99. (1) संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति अथवा लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को जो कोई सी भाषा में अपने आपको ठीक व्यक्त नहीं कर सकता है, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) राज्यसभा का सभापति अथवा लोकसभा का अध्यक्ष, जब कभी ठीक समझे, यथास्थिति राज्यसभा या लोकसभा में, किसी सदस्य द्वारा किसी दूसरी भाषा में दिए गए भाषण का हिन्दी में या अंग्रेजी में सारांश, उपलब्ध कराने का इन्तजाम कर सकेगा और ऐसा सारांश उस सदन की कार्यवाही के अभिलेख में जिसमें वह भाषाण दिया गया है, शामिल किया जाएगा।

संसद में चर्चा पर निर्बन्धन

100. (1) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा इसमें पश्चात् उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं।

(2) इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश का अर्थ, पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में किसी भी न्यायालय के प्रति निर्देश को जो इस भाग के अध्याय 4 के किसी भी प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय है, सम्मिलित करने के रुप में किया जाएगा।

न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

101. (1) संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता की प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) संसद का कोई अधिकारी का सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया का कार्यसंचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों को अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा।

अध्याय 3

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

102. (1) उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों।

(2) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश–

(क) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; और

(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– जहां संसद के सदन, भिन्न-भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए, आहूँत किए जाते हैं वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए, छह सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से की जाएगी।

(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा।

अध्याय-4

संघ की न्यायपालिका

उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

103. (1) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और सात से अनधिक अन्य न्यायाधीशों की उतनी संख्या से, या जितनी संसद विधि द्वारा विहित करे, मिलकर बनेगा।

(2) उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श, करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है; परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा:

परंतु यह और कि-

(क) कोई न्यायधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हैै, और-

(क) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा है; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है; या

(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है।

स्पष्टीकरण 1- इस खंड में ''उच्च न्यायालय'' से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या इस संविधान के प्रारंभ से पहले प्रयोग करता था।

स्पष्टीकरण 2- इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया है।

(4) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है।

(5) संसद अंतिम खंड के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिश्चय कर सकेगी।

(6) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारुप के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) कोई व्यक्ति, जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के

रुप में पद धाारण किया है, भाारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

न्यायाधीशों के वेतन आदि

104. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और भत्तों के लिए तथा छुट्टियों और पेंशन की बाबत ऐसे अधिकारों के लिए हकदार होंगे जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर नियत किए जाएं। जब तक इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया जाता, तब तक वे वेतन, भत्ते और छुट्टियों या पेंशन की बाबत ऐसे अधिकारों के लिए हकदार होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं :

परंतु किसी न्यायाधीश के वेतन अथवा छुट्टियों या पेंशन की बाबत उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

105. जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

106. (1) यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रुप से अर्हित है और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करें, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ न्यायाधीश के रुप में उपस्थित करने के लिए लिखित रुप में अनुरोध कर सकेगा।

(2) इस प्रकार नामोदिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह

अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में, उपस्थित हो और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

***उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति**

107. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी समय, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिससे इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे किन्तु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा :

परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय का स्थान

108. उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और वह दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर, नियत करे।

उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता

109. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को किसी अन्य न्यायालय के अपवर्जन पर किसी विवाद में अधिभारित होगी :-

(क) भारत सरकार और एक अधिक राज्यों के बीच, या

---

*. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का नियोजन यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की परिपाटी के अनुरूप है।

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,

किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी:

परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार:

(क) उस विवाद पर नहीं होगा जिसमें पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य पक्षकार है, यदि वह विवाद की संधि करार, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गयी थी या निष्पादित की गई थी और उस तारीख के पश्चात् प्रवर्तन में है या प्रवर्तन में बनी हुई है,

(ख) उस विवाद पर नहीं होगा जिसमें कोई राज्य पक्षकार है, यदि विवाद किसी संधि, करार, वचनबद्ध, सनद या अन्य वैसी लिखत के किसी उपबंध से उत्पन्न हुआ है जिसमें उपबंधित है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसा विवाद पर नहीं होगा।

कुछ मामलों में राज्यों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

110. (1) किसी राज्य में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।

(2) जहां उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर दिया हो वहां यदि उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाए कि उस मामले में इस संविधान के निर्वाचन का सारवान विधि-प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो, वह ऐसे निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा।

(3) जहां ऐसा प्रमाण–पत्र अथवा ऐसी इजाजत दे दी गई हो वहां मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी पूर्वोक्त प्रश्न के अशुद्ध निर्णय हो जाने के आधार पर ही नहीं बल्कि किसी अन्य आधार पर भी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "अंतिम" आदेश पद के अंतर्गत ऐसे विवादक का विनिश्चय करने वाला आदेश है, जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो, उस मामले में अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा।

अन्य मामलों में पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के सिवाय भारत के राज्यक्षेत्र में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

111. (1) पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के सिवाय भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि–

(क) विवाद की राशि या मूल्य प्रथम बार के न्यायालय में और अपीलगत में भी बीस हजार रुपए से कम नहीं है; अथवा

(ख) निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश में उतनी राशि या मूल्य की संपत्ति से सम्बद्ध कोई दावा या प्रश्न प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप में, अंतर्ग्रस्त है; अथवा

(ग) मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, तथा जहां की अपीलकृत निर्णय डिक्री या अंतिम आदेश खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न किसी मामले में ठीक निचले न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि करता है वहां यदि उच्च न्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि अपील में कोई सारवान विधि प्रश्न अंतर्वलित है।

(2) इस संविधान के अनुच्छेद 110 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय में अपील करने वाला कोई भी पक्षकार ऐसी अपील में आधारों में से एक आधार यह ले सकता है कि मामले में संविधान में निर्वचन के बारे में

सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्वलित है जिसका विनिश्चय गलत किया गया है।

कुछ अन्य मामलों में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत

112. उच्चतम न्यायालय, उन मामलों में जिनमें इस संविधान के अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 111 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, पहली अनुसूची के भाग 3 तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के सिवाय, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित या किए गए, किसी मुकदमे या मामले में किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा।

कुछ मामलों में, पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों में उच्च न्यायालयों द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश

113. (1) यदि पहली अनुसूची के भाग-3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में उच्च न्यायालय में किसी सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में संसद या ऐसे राज्य से भिन्न किसी राज्य के विधानमंडल की विधि के लागू होने या निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो, उच्च न्यायालय, या तो स्वप्रेरणा से या कोई से भी पक्षकार के आवेदन पर, मामले का विवरण, अपनी राय के साथ ऐसे प्रश्न के निर्देश-विशेष के साथ तैयार कर सकेगा और ऐसा प्रश्न उच्चतम न्यायालय को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) उच्चतम न्यायालय, जहां ऐसा कोई उच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन मामले को निर्दिष्ट करने से इंकार कर देता है वहां, मामले को इस प्रकार निर्दिष्ट किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) जब कोई मामला इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन या खंड (2) के अधीन इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाए तो उच्च न्यायालय तब तक सारी कार्यवाहियां रोक देगा, जब तक कि उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त न हो जाए।

(4) उच्चतम न्यायालय, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, इस प्रकार निर्दिष्ट प्रश्न का विनिश्चय करेगा, और अपनी राय की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय को भिजवाएगा और इस प्रकार उच्च न्यायालय, उसे प्राप्त

करने पर, उच्चतम न्यायालय की राय के अनुरुप मामले का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगा।

(5) उच्चतम न्यायालय, इस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी मामले को, किसी भी प्रक्रम पर, वापस भेज सकेगा ताकि उसमें और अधिक तथ्यों का उल्लेख किया जा सके।

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि 114. (1) उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे।

(2) यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करें।

कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना 115. संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 25 के खंड (2) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण रिट की प्रकृति के हों, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी।

उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां 116. संसद, विधि द्वारा, उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हो और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रुप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना 117. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।

उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश

118. (1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्ही दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमानना का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी।

उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

119. (1) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का है और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।

(2) राष्ट्रपति, इस संविधान के अनुच्छेद 109 के परंतुक के खंड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त खंड में वर्णित प्रकार का विवाद, विनिश्चय करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय उस पर पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के बाद, उस पर विनिश्चय करेगा और तथ्य राष्ट्रपति को प्रतिवेदित करेगा।

सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना

120. भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकार उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

***न्यायालय के नियम आदि**

121. (1) संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को साधारणतया, विनियमन के लिए नियम बना सकेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:

उस न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के बारे में नियम:

(क) अपीलें सुनने की प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में,

(ख) जिनके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर अपीलें उस न्यायालय में ग्रहण की जानी है, और उनकी बाबत अपने निवेदन के लिए न्यायालय के समक्ष हाजिर होने वाले अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले समय के बारे में नियम;

---

*. संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में न्यायालय के सब न्यायाधीश प्रत्येक मामले की सुनवाई में भाग लेने के हकदार होते हैं, और न्यायालय कभी भी खंड में पीठासीन नहीं होता। उस न्यायालय के न्यायाधीश इस पद्धति को सबसे अधिक महत्व देते हैं। समिति की राय है कि भारत में इस प्रक्रिया का अनुसरण कम-से-कम दो प्रकार के मामलों में किया जाए अर्थात् वे जिनमें संविधान के निर्वाचन का प्रश्न अन्तर्वलित है और वे जो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को उसकी राय के लिए निर्देशित किए जाते हैं। वही पद्धति अन्य प्रकार के मामलों में भी लागू की जाए या नहीं जिसे संसद विधि द्वारा विनियमित कर सकेगी।

मद (ख) भी जो अधिवक्ताओं को न्यायालय के समक्ष अपने निवेदन करने के लिए समय दिए जाने को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है, इस अनुच्छेद में अंत:स्थापित की गई है। यह संयुक्त अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में प्रचलित पद्धति के अनुसरण में है। वहां अधि वक्ताओं को अपने पक्ष पर बहस करने के लिए सामान्यत: केवल एक घंटा दिया जाता है, उनके शेष निवेदन लिखित होते है। (समिति के एक सदस्य श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के विचार में इस शक्ति को इस अनुच्छेद में व्यक्त उल्लेख आवश्यक है क्योंकि उनकी राय में, उसके साधारण अपीलों, कृत्यों की बाबत, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थिति अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की स्थिति से भिन्न है।

(ग) यायालय में कार्यवाहियों के खर्च के बारे में और उनके आनुषांगिक तथा उसमें कार्यवाहियों की बाबत ली जाने वाली फीस के बारे में नियम;

(घ) जमानत मंजूर करने के बारे में नियम;

(ड.) कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम; तथा

(च) किसी अपील के, जो न्यायालय को तुच्छ या तंग करने वाली प्रतीत होती है, या विलम्ब के प्रयोजन से लाई जाती हैं, संक्षिप्त अवधारणा के लिए उपबंध करने वाले नियम।

(2) न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जिन्हें किसी ऐसे मामले का जिसमें इस संविधान के निर्वचन के बारे में सारवान विधि-प्रश्न अंतर्वलित है, विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अथवा इस संविधान के अनुच्छेद 119 के अधीन किसी निर्देश की सुनवाई के प्रयोजन के लिए आसीन होता है :

परंतु प्रत्येक न्यायाधीश, उक्त प्रयोजनों के लिए आसीन होने के लिए स्वतंत्र होगा जब तक कि बीमारी, निजी हित, या अन्य पर्याप्त कारण से ऐसे करने में असमर्थ न हो।

(3) इस संविधान के अनुच्छेद 119 के अधीन किसी रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए कोई राय और कोई निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा खुले न्यायालय में ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं।

(4) उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी कोई राय और निर्णय, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सम्मति के सिवाय नहीं दी जाएगी, किन्तु खंड की किसी बात के बारे में यह न समझा जाए कि वह किसी न्यायाधीश को जो सहमत नहीं है, विसम्मत राय या निर्णय देने से निवारित करती है।

उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और पेंशन तथा व्यय

122. (1) उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या के संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श करके नियत किए जाएंगे।

(2) उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत के राजस्व पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उन राजस्वों का भाग होंगी।

पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट राज्यों में उच्च न्यायालयों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन

123. (1) पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत के अधिकारिता में या उसका प्रयोग करते हुए, उस अध्याय के अनुच्छेद 103 और 106 में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश का अर्थ किसी ऐसे न्यायालय के प्रति निर्देश के रुप में किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से और उस रियासत के शासक से परामर्श करके यह समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा न्यायालय उस अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के उच्च न्यायालयों में से किसी के समकक्ष न्यायालय हैं, उन अनुच्छेदों के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित करे।

(2) पहली अनुसूची के भाग–3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासत में उच्च न्यायालय के प्रति इस अध्याय के अनुच्छेद 110 और 113 में निर्देशों का अर्थ उस कार्यवाही के संबंध में जिसकी बाबत अपील या निर्देश का उपबंध उन अनुच्छेदों में किया गया है, उस रियासत में अंतिम अधिकारिता के न्यायालय के प्रति निर्देश के रुप में किया जाएगा।

*****

अध्याय 5

भारत का महालेखा परीक्षक

भारत का महालेखा परीक्षक

124. (1) भारत का एक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा।

(2) महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा की अन्य शर्तें होंगी जो संसद विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं:

परंतु महालेखा परीक्षक के वेतन, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु-सीमा के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहने के पश्चात् भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा।

(4) महालेखा परीक्षक के कर्मचारीवृंद को या उनकी बाबत संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से, नियत किए जाएंगे।

(5) महालेखा परीक्षक और उसके कर्मचारीवृंद को या उनकी बाबत संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भारत के राजस्व पर भारित होंगे।

महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और

125. महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे

शक्तियां

कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए।

स्पष्टीकरण– इस अनुच्छेद में संसद द्वारा बनाई गई विधि पद के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त कोई विद्यमान विधि है।

संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारुप

126. संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारुप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत का महालेखा परीक्षक विहित करे तथा चूंकि भारत का महालेखा परीक्षक वैसे ही अनुमोदन से, उन पद्धतियों या सिद्धांतों के बारे में निर्देश दे सकेगा जिसके अनुसार किसी भी राज्य की सरकार के लेखा रखे जाने चाहिएं इसलिए लेखाओं को तदनुसार रखा जाना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा।

संपरीक्षा प्रतिवेदन

127. भारत के महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

*****

भाग 6

पहली अनुसूची के भाग-1 के राज्य

अध्याय 1-साधारण

परिभाषा 128. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक राज्य शब्द से पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय राज्य अभिप्रेत है।

अध्याय-2 कार्यपालिका

राज्यपाल

राज्यों के राज्यपाल 129. प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति 130. (1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात-

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी; या

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधान मंडल को निवारित नहीं करेगी।

राज्यपाल का निर्वाचन 131. राज्य का राज्यपाल उन सब व्यक्तियों के प्रत्यक्ष मतों द्वारा निर्वाचित होगा जिन्हें राज्य की विधानसभा के लिए साधरण निर्वाचन में मत देने का अधिकार है।

अनुकल्पतः

***राज्यपाल की नियुक्ति** 131. राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा चार अभ्यर्थियों के एक पैनल में से जिसका चुनाव राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, अथवा जहां राज्य में विधान परिषद हैं वहां राज्य की विधानसभा और विधानपरिषद दोनों की संयुक्त बैठक में समवेत सभी सदस्यों द्वारा, एकल अंतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जाएगा।

राज्यपाल की पदावधि 132. राज्यपाल उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है** पांच वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगाः

परंतु–

(क) राज्यपाल, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को अथवा जहां राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा के अध्यक्ष को और विधानपरिषद के सभापति को संबोधित करके, अपने हस्ताक्षर से त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) राज्यपाल को संविधान के उल्लंघन के कारण,*** इस संविधान के अनुच्छेद 137 में उपबंधित रीति से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा।

(ग) राज्यपाल अपनी पदावधि समाप्त हो जाने के बावजूद अपना पद तब तक धारण किए रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न करे।

---

*. समिति के कुछ सदस्य दृढ़तापूर्वक इस अनुकल्प के पक्ष में हैं, क्योंकि उनका विचार है कि लोगों द्वार निर्वाचित राज्यपाल और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री के सह–अस्तित्व से मनमुटाव तथा परिणामस्वरूप प्रशासन में कमजोरी आ सकती है।

** समिति की राय है कि राज्यपाल की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल में चार वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष के समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तन की दृष्टि से चार वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष होनी चाहिए।

*** समिति की राय है कि राज्यपाल पर संविधान के अतिक्रमण के कारण ही महाभियोग चलाया जाना चाहिए जैसा कि राष्ट्रपति की स्थिति में होता है, न कि किसी दुर्व्यवहार के कारण।

[1]राज्यपाल के रुप में पुनर्निवाचन या पुनर्नियुक्ति की पात्रता

133. कोई व्यक्ति, जो राज्यपाल का पद धारण करता है या जिसने धारण किया है, उस पद पर पुनर्निर्वाचन या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु केवल एक बार ही।

राज्यपाल के रुप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं

134. (1) कोई व्यक्ति राज्यपाल के रुप में निर्वाचन के लिए पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

(2) कोई व्यक्ति राज्य के राज्यपाल के रुप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा-

(क) यदि वह राज्य की विधानसभा के सदस्य के रुप में चुने जाने के कारण निरर्हित है:

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह राज्य का निवासी हो; अथवा

(ख) यदि वह भारत सरकार के अधीन या पहली अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन उपलब्धियों का कोई पद या स्थान धारण करता है।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति उपलब्धियों का पद या स्थान धारण करने वाला मात्र इसलिए नहीं समझा जाएगा कि-

(क) वह भारत के लिए या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है; अथवा

(ख) पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह राज्य के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, अथवा, जहां राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं, ऐसे विधानमंडल के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है, और यदि, यथास्थिति, ऐसे विधानमंडल या सदन के कम से कम तीन-चौथाई सदस्य निर्वाचित हैं।

---

1. यदि अनुच्छेद 131 में दूसरा अनुकल्प अपना लिया जाता तो इस अनुच्छेद में पुनर्निर्वाचन शब्द के स्थान पर पुनर्नियुक्ति शब्द प्रयुक्त करना होगा।

अनुकल्पतः

***राज्यपाल के रुप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं**

134. (1) कोई व्यक्ति राज्यपाल के रुप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

(2) कोई व्यक्ति राज्य के राज्यपाल के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य की विधानसभा के सदस्य के रुप में चुने जाने के लिए निरर्हित है:

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।

राज्यपाल के पद के लिए शर्तें

135. (1) राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रुप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(2) राज्यपाल लाभ का अन्य कोई पद या स्थान धारण नहीं करेगा।

(3) राज्यपाल का एक सरकारी निवास होगा और राज्यपाल को ऐसी उपलब्धियां और भत्ते जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा अवधारित किए जाएं तथा जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध किया जाएगा, ऐसी उपलब्धियां और भत्ते, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदत्त किए जाएंगे।

(4) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।

---

*. यदि अनुच्छेद 131 में दूसरे अनुकल्प को अंगीकार कर लिया जाता है तो वर्तमान अनुच्छेद में इस अनुकल्प को अंगीकार करना होगा।

प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करता रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले, शपथ या प्रतिज्ञान

136. प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित प्रारुप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:–

''मैं अमुक (नाम...) ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक (राज्य का नाम) .... के राज्यपाल के पद का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करुँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करुंगा और मैं..... (नाम) (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहूँगा।

***राज्यपाल के महाभियोग की प्रक्रिया**

137. (1) जब राज्यपाल पर महाभियोग चलाया जाना हो तो आरोप राज्य की विधानसभा द्वारा लाया जाएगा।

(2) ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि–

(क) ऐसा आरोप लाने का प्रस्ताव एक संकल्प में अंतर्विष्ट न हो जो विधानसभा के कम से कम 30 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प पेश करने के उनके आशय की लिखित सूचना दिए जाने के बाद पेश किया गया हो, और

(ख) संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित न हो।

(3) आरोप के इस प्रकार लाये जाने के पश्चात् विधानसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति को सूचित करेगा और उस पर राज्यसभा आरोप के बारे में अन्वेषण करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगी जिसमें वे सदस्य शामिल हो सकते हैं जो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, तथा

---

*. यदि अनुच्छेद 131 में दूसरा विकल्प अपना लिया जाता है तो इस अनुच्छेद में 'निर्वाचित' शब्द के स्थान पर 'नियुक्ति'' शब्द प्रयुक्त करना होगा।

राज्यपाल को ऐसे अन्वेषण में हाजिर होने तथा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा।

(4) यदि अन्वेषण के फलस्वरुप राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित हो जाता है जिसमें यह घोषणा की जाए कि राज्यपाल के विरुद्ध लाया गया आरोप स्थिर हो चुका है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव राज्यपाल को उसके पद से उस तारीख से हटाना होगा जिसको संकल्प विधानसभा के अध्यक्ष को संसूचित किया जाएगा।

***कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करने की राज्य के विधानमंडल/राष्ट्रपति की शक्ति**

138. राज्य का विधानमंडल ऐसे उपबंध कर सकेगा जो यह उचित समझे। इस अध्याय में उपबंधित नहीं की गई किसी भी आकस्मिकता के लिए राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति ऐसे प्रावधान कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

---

*· यदि अनुच्छेद 131 में दूसरा अनुकल्प अंगीकार कर लिया जाए तो इस अनुच्छेद में ''राज्य का विधानमंडल ऐसे उपबंध कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे'' शब्दों के बजाय ''राष्ट्रपति ऐसे उपबंध कर सकेगा जैसे वह ठीक समझें'' शब्दों का प्रयोग करना होगा और इस अनुच्छेद में ''वह राज्य'' शब्दों के स्थान पर 'कोई राज्य' शाब्द प्रयुक्त करने होंगे।

समिति की राय है कि चाहे राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित किया जाए अथवा विधानमंडल द्वारा निर्वाचित पैनल में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए उपराज्यपाल रखना आवश्यक है। केन्द्र में उपराष्ट्रपति से भिन्न रूप में, उपराज्यपाल को उच्च सदन का पदेन सभापति नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अधिकांश राज्यों में उच्च सदन नहीं होगा। परिणामस्वरूप, जब तक राज्यपाल होगा तब तक उपराज्यपाल के करने के लिए कोई निश्चित कृत्य नहीं होगा। उपराज्यपाल के पद का सृजन करने का एकमात्र आधार यह प्रतीत होता है कि अकस्मात् रिक्ति की दशा में राज्यपाल का स्थान लेने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करेगा (लैटर्स पेटेन्ट का पैरा 6 जो गवर्नर जनरल ऑफ द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के पद का गठन करता है जहां यह उपबंध है कि दक्षिण अफ्रीका का मुख्य न्यायमूर्ति कुछ आकस्मिकताओं में, गवर्नर जनरल की शक्तियों का प्रयोग करेगा।)

***राज्यपाल के पद में रिक्ति को भरने के लिए एक पैनल बनाने के लिए निर्वाचन और निर्वाचन करने का समय**

139. (1) राज्यपाल की पदावधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए एक पैनल बनाने के लिए निर्वाचन, उस अवधि की समाप्ति से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

(2) मृत्यु, पद से त्यागपत्र या पद से हटाये जाने के कारण या अन्यथा राज्यपाल के पद में होने वाली रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए एक पैनल बनाने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के यथासंभव शीघ्र पश्चात् कराया जाएगा और रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित/नियुक्त व्यक्ति पूरे पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 132 में उपबंधित है।

****राज्यपाल के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय/राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाने के लिए निर्वाचन**

140. (1) राज्यपाल के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले अथवा उसके संबंध में समस्त शंकाएं और विवाद/राज्यपाल की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पैनल बनाने के लिए निर्वाचन के बारे में जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल के निर्वाचन/राज्यपाल की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पैनल बनाने के लिए निर्वाचन से संबंधित या से संसक्त किसी भी विषय को विधि द्वारा विनियमित कर सकेगा।

---

* यदि अनुच्छेद 131 में दूसरा अनुकल्प अंगीकार कर लिया जाता है तो इस अनुच्छेद के खंड (1) और (2) में निर्वाचन शब्द के बजाय, ''एक पैनल बनाने के लिए निर्वाचन'', शब्दों का प्रयोग करना होगा और इस अनुच्छेद के खंड (2) में ''निर्वाचित'' शाब्द के बजाय ''नियुक्त'' शाब्द का प्रयोग करना होगा।

** यदि अनुच्छेद 131 में दूसरे अनुकल्प का प्रयोग अंगीकार कर लिया जाता है तो उस अनुच्छेद के खंड (1) और (2) में ''राज्यपाल का निर्वाचन'', शब्दों के बजाय ''राज्यपाल की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पैनल बनाने के लिए निर्वाचन'', शब्दों का प्रयोग करना होगा।

क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

141. किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय-संबंधी जिस विषय पर विधियां बनाने की उस राज्य के विधानमंडल को शक्ति प्राप्त है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।

राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

142. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार-

(क) उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति हैं;

(ख) ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग पर होगा जो इस संविधान के अनुच्छेद 236 या अनुच्छेद 237 के अधीन पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य या राज्यों के समूह के साथ किए गए किसी करार के अधीन प्रयोक्तव्य है।

मंत्री-परिषद

राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री-परिषद

143. (1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री-परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।

(3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।

मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

144. (1) राज्यपाल के मंत्रियों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाएगी और वे राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।

परन्तु बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जन–जातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा।

(2) किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारुपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा।

(3) कोई मंत्री जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

(4) अपने मंत्रियों के चुनने में तथा उनसे अपने संबंधों में राज्यपाल साधारणतया चौथी अनुसूची में वर्णित अनुदेशों से मार्गदर्शित होगा किन्तु राज्यपाल द्वारा की गई किसी चीज की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसे अनुदेशों के अनुसार न करके अन्यथा की गई थी।

(5) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा समय–समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधान मंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(6) मंत्रियों की नियुक्ति और पद्च्युति के संबंध में इस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल के कृत्यों का पालन उसके द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा।

राज्य का महाधिवक्ता

राज्य का महाधिवक्ता

145. (1) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा।

(2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरुप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उनके अधीन प्रदान किए गए हों।

(3) महाधिवक्ता राज्य में मुख्यमंत्री के त्यागपत्र पर पद त्याग कर देगा किन्तु वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता अथवा वह पुन:नियुक्त नहीं कर दिया जाता।

(4) महाधिवक्ता ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे।

सरकारी कार्य का संचालन

राज्य की सरकार के कार्य का संचालन

146. (1) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी।

(2) राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है।

राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

147. (क) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे;

(ख) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे; और

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रि-परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।

*****

अध्याय 3

राज्य विधानमंडल

साधारण

पहली अनुसूची के भाग 1 के राज्यों के विधानमंडलों का गठन

148. (1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और

(क) राज्यों में ....दो सदन से तथा,

(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से, मिलकर बनेगा।

(2) जहां किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा।

***विधान सभाओं की संरचना**

149. (1) संविधान के अनुच्छेद 294 और 295 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) निर्वाचन प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होगा अर्थात् प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष है तथा संविधान या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, अनिवास, विकृत चित्तता, अपराध, भ्रष्ट या अवैध व्यवहार के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं है, वह ऐसे निर्वाचनों में मतदाता के रुप में दर्ज किए जाने के लिए हकदार होगा।

(3) राज्य की विधानसभा में प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पिछली जनगणना में अभिनिश्चित उस निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर होगा, और असम के स्वायत्त जिलों के सिवाय, हर एक लाख की जनसंख्या के लिए ज्यादा से ज्यादा एक प्रतिनिधि के मान के आधार पर होगा :

---

* इन राज्यों के नाम उस समय भरे जाएंगे जब यह अभिनिश्चित कर लिया जाए कि किन-किन राज्यों में दो सदन होने हैं।

परंतु किसी राज्य के विधानमंडल में कुल सदस्य संख्या किसी भी दशा में तीन सौ से अधिक या साठ से कम नहीं होगी।

(4) प्रत्येक जनगणना पूरी होने पर, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, संविधान के अनुच्छेद 289 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, और ऐसी तारीख से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अवधारित करे पुनः समायोजित किया जाएगा :

परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधान सभा के प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन न हो जाए।

विधान परिषदों की संरचना

150. (1) किसी राज्य की विधान परिषद में जहां ऐसी परिषद हो, कुल सदस्य उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या में से-

(क) आधे सदस्य इस अनुच्छेद के खंड (3) के अधीन गठित अभ्यर्थियों के पैनल में से चुने जाएंगे;

(ख) एक तिहाई सदस्य एकल अंतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे; और

(ग) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

(3) प्रथम साधारण निर्वाचनों से पहले और तत्पश्चात् राज्य की विधान परिषद के इस संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के अधीन प्रत्येक ट्रेनियल निर्वाचन से पहले अभ्यर्थियों के पांच पैनल बनाए जाएंगे जिनमें से एक में राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के नाम होंगे और शेष चार में उन व्यक्तियों के नाम होंगे जो निम्नलिखित विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं, अर्थात्-

(क) साहित्य, कला और विज्ञान;

(ख) कृषि, मत्स्यपालन और सम्बद्ध विषय;

(ग) इंजीनियरिंग तथा वास्तुकला;

(घ) लोकप्रशासन तथा समाज सेवा।

(4) इस अनुच्छेद के खंड (3) के अधीन गठित अभ्यर्थियों के प्रत्येक पैनल में ऐसे पैनल में से चुने जाने वाली संख्या के कम से कम दोगुने होंगे।

(5) उप निर्वाचनों के लिए इस अनुच्छेद के खंड (3) और (4) ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा विहित किए जाएं।

***राज्यों के विधान मंडलों की अवधि**

151. (1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से *पांच वर्ष* तक बनी रहेगी उससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा।

(2) राज्य की विधान परिषद विघटन के अधीन नही रहेगी किन्तु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक तिहाई सदस्य राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्ति शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए आयु-सीमा

152. कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान मंडल में से किसी स्थान को भरने के लिए व चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब वह, विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु का है।

---

*. समिति ने विधानसभा के कार्यकाल के रूप में चार के बजाय पांच वर्ष रखे हैं, क्योंकि उसका विचार है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत साधारणतया मंत्री की पदावधि का प्रथम वर्ष प्रशासन के कार्य की जानकारी प्राप्त करने में लग जाएगा और अंतिम वर्ष अगले चुनाव की तैयारी में लग जाएगा। इस प्रकार कारगर काम करने के लिए केवल दो वर्ष बचते हैं जो कि सुनियोजित प्रशासन के लिए बहुत कम अवधि होगी।

राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन

153. (1) राज्य के विधानमंडल का या के सदन हर वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिए बुलाया जाएगा या बुलाए जाएंगे, और एक सत्र में उनकी अंतिम बैठक तथा अगले सत्र में उनकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।

(2) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल समय-समय पर :

(क) सदनों या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूँत कर सकेगा।

(ख) सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा;

(ग) विधानसभा का विघटन कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के खंड (2) के उपखंड (क) और (ग) के अधीन राज्यपाल के कृत्यों का पालन उसके द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा।

सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार

154. (1) राज्यपाल, विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में, अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) राज्यपाल, राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, उस राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।

***प्रत्येक सत्र के आरंभ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की विधानमंडल में चर्चा**

155. (1) राज्यपाल प्रत्येक सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा।

(2) ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा की समय-समय नियत करने के लिए तथा सदन के अन्य कार्य पर ऐसी चर्चा की अधिमानता के लिए प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा उपबंध किया जाएगा।

सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

156. प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधानमंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रुप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

राज्य के विधानमंडल के अधिकारी

विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

157. प्रत्येक राज्य की विधानसभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना

158. विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रुप में पद धारण करने वाला सदस्य

(क) यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद

---

*. यह खंड यूनाइटेड किंगडम को संसद में प्रचलित परिपाटी पर आधारित है, समिति ने इसे इसलिए जोड़ा है क्योंकि उसका विचार है कि यह हमारे संविधान में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

त्याग सकेगा; और

(ग) विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की पूर्व सूचना न दे दी गई हो :

परंतु यह और कि जब कभी विधान सभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात् होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा।

अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रुप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

159. (1) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य, जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) विधानसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा।

विधान परिषद का सभापति और उपसभापति

160. विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद, यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब परिषद किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति सभापति या उपसभापति चुनेगी।

सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

161. विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के रुप में पद धारण करने वाला सदस्य:

(क) यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य सभापति है तो उपसभापति को संबोधित और यदि वह सदस्य उपसभापति

है तो सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; और

(ग) विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की पूर्व सूचना न दे दी गई हो।

सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रुप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति

162. (1) जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति, या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिसकी राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) विधान परिषद की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति, में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विधान परिषद द्वारा अवधारित किया जाए, सभापति के रुप में कार्य करेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति या उपसभापति का वेतन और भत्ते

163. विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया जाएगा।

कार्य संचालन

सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के करने की शक्ति और गणपूर्ति

164. (1) इस संविधान में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य के विधानमंडल को किसी सदन में या दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या सभापति को अथवा उस रुप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

अध्यक्ष या सभापति, अथवा उस रुप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(2) राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है अन्यथा भाग लिया है तो भी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही विधिमान्य होगी।

(3) यदि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की बैठक के दौरान किसी समय विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति या उस रुप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थापित कर दे या उस अधिवेशन को तब तक निलम्बित कर दे जब तक गणपूर्ति न हो। गणपूर्ति सदन के कुल सदस्य संख्या में से दस सदस्य या 1/6 भाग, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी।

सदस्यों की निरर्हताएं

सदस्यों द्वारा घोषणाएं

165. राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल के समक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारुप के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

स्थानों का रिक्त होना

166. (1) कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा।

(2) कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि के बीतने पर जो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य के विधानमंडल में उस व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा जब तक कि उसने इससे पहले संसद में अपना स्थान न त्याग दिया हो।

(3) यदि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य–

(क) अगले अनुच्छेद के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

(4) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।

सदस्यता के लिए निरर्हताएं

167. (1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा–

(क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसके धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

*(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति अभिस्वीकार किए हुए है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा का नागरिक है अथवा प्रजा या नागरिकों के अधिकारों या विशेषाधिकारों के लिए हकदार है;

(ड.) यदि वह उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निहित कर दिया जाता है।

(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है:

(क) वह भारत का या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है; या

(ख) वह पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह राज्य के विधानमंडल के प्रति अथवा जहां राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं वहां ऐसे विधानमंडल के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है और यदि यथास्थिति ऐसे विधानमंडल या सदन के सदस्यों में से कम से कम तीन-चौथाई सदस्य निर्वाचित हैं।

अनुच्छेद 165 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न

168. यदि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 165 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निरर्हित कर दिया गया हूँ या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के

---

*. समिति ने आस्ट्रेलिया कान्स्टीट्यूष्ठान की धारा 44 (1) के उपबंधों का अनुसरण करते हुए इस उपखंड को अंत:स्थापित किया है।

होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित

उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रुप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए के दंड का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रुप में वसूल की जाएगी।

सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

सदस्यों के विशेषाधिकार आदि

169. (1) विधानमंडल की प्रक्रिया को विनिमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में वाक् स्वातंत्रय होगा।

(2) राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) अन्य बातों में, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की ओर ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो वह विधानमंडल, समय-समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चत नहीं की जाती हैं तब तक वही होंगी जो इस संविधान के आरंभ के समय में यूनाइटेड किंगडम को संसद के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं।

(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

सदस्यों के वेतन और भत्ते

170. राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जैसे उस राज्य का विधानमंडल, समय-समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो उस राज्य की प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की दशा में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

विधायी प्रक्रिया

विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध

171. (1) धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 173 और अनुच्छेद 182 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा।

(2) अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 173 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं।

(3) किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा।

(4) किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक, जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है, विधानसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।

(5) कोई विधेयक, जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में लंबित है, विधानसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा।

कुछ दशाओं में विधान परिषद

172. (1) यदि विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद

वाले राज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

को प्रेषित किए जाने के पश्चात्, विधेयक के दोनों सदनों द्वारा पारित किए बिना परिषद द्वारा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 6 मास से अधिक बीत जाते हैं तो राज्यपाल, जब तक कि विधेयक विधानसभा के विघटन के कारण व्यपगत नहीं हो गया है, विधेयक पर विचार-विमर्श और मतदान करने के प्रयोजनों के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशन करने के लिए सदनों को आहूँत कर सकेगा :

परंतु यह स्थिति धन विधेयक पर लागू नहीं होगी।

(2) छह मास की ऐसी कोई अवधि निकालने के लिए जो इस अनुच्छेद के खंड (1) में निर्दिष्ट है, उस समय को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन चार दिन से अधिक दिन सत्रावसान में रहे हैं।

(3) यदि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार आहूँत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, विधेयक ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हैं, जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है:

परंतु संयुक्त बैठक में-

(क) यदि विधेयक विधान परिषद द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया है और विधानसभा को लौटा दिया गया है, ऐसे संशोधनों से भिन्न (यदि कोई है) कोई संशोधन विधेयक में प्रस्तावित नहीं किए जाएंगे जो विधेयक के पारित किए जाने में विलम्ब के कारण आवश्यक हो गए हैं।

(ख) यदि विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करके लौटा दिया गया है तो यथा पूर्वोक्त केवल ऐसे संशोधन विधेयक में प्रस्तावित किए जाएंगे और अन्य ऐसे संशोधन जो उन विषयों की बाबत सुसंगत है; जिनके संबंध में सदन

सहमत नहीं हैं, और उन संशोधनों के बारे में जो इस खंड के अधीन ग्राह्य हैं, पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम होगा।

***धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया**

173. (1) धन विधेयक विधान परिषद में पुन:स्थापित नहीं किया जाएगा।

(2) धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर विधानसभा, विधान परिषद की सभी या किन्ही सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(3) यदि विधानसभा, विधान परिषद की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा उस रुप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

(4) यदि विधानसभा, विधान परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा उस रुप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

(5) यदि विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित धन विधेयक उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर विधानसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि के समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रुप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

धन विधेयकों

174. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन

---

*. यह अनुच्छेद तथा धन विधेयकों विषयक इस अध्याय के अन्य सभी उपबंध संविधान के वित्तीय उपबंधों की विशेष समिति की सिफारिशों को प्रभावी रूप देने के लिए अंत:स्थापित किए गए हैं।

की परिभाषा

विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात्:

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन;

(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन;

(ग) प्रदाय;

(घ) राज्य के राजस्व का विनियोग;

(ड.) किसी भी व्यय का राज्य के राजस्व पर भारित व्यय घोषित किया जाना, अथवा ऐसी किसी व्यय की राशि का बढ़ाया जाना;

(च) राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मुद्दे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन; या

(छ) उपखंड (क) से उपखंड (छ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय।

(2) कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) जब धन विधेयक अनुच्छेद 173 के अधीन विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 175 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधान –सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है।

विधेयक पर अनुमति

175. जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है :

परंतु जहां विधान मंडल का केवल एक सदन है और विधेयक उस सदन द्वारा पारित किया जा चुका है वहां राज्यपाल अपने विवेकानुसार विधेयक को एक संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए लौटा सकेगा कि सदन विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर विचार करेगा विशिष्टतया ऐसे किन्हीं संशोधन को जिनकी वह अपने संदेश में सिफारिश करे, पुर:स्थापित करने की वांछनीयता पर पुन: विचार करेगा और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाएगा तो वह सदन उस पर तदनुसार पुन: विचार करेगा और यदि वह विधेयक उस सदन द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना पुन: पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल पर अनुमति नहीं रोकेगा।

विचार के लिए आरक्षित विधेयक

176. जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:

परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को, यथास्थिति, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ, जो अनुच्छेद 175 के पहले परंतुक में वर्णित है, लौटा दे और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

वार्षिक वित्तीय विवरण

177. (1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाया जाएगा जिसे इस भाग में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में-

(क) इस संविधान में राज्य के राजस्व पर भारित व्यय के रुप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां; और

(ख) राज्य के राजस्व में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां;

पृथक-पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय काअन्य व्यय से भेद किया जाएगा।

(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य के राजस्व पर भारित व्यय होगा, अर्थात्-

(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;

(ख) विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की भी उपलब्धियां और भत्ते;

(ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधिभार और मोचनभार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋणमोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं;

(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय;

(ड.) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए उपेक्षित राशियां;

(च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है।

विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

178. (1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य के राजस्व पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधानमंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर खर्च को निवारित करती है।

(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधानसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रुप में रखे जाएंगे और विधानसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे।

(3) किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

प्राधिकृत व्यय की तालिका का अधिप्रमाणन

179. (1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक तालिका को अधिप्रमाणित करेगा जिसमें:

(क) पिछले अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा द्वारा किए गए अनुदान;

(ख) राज्य के राजस्व पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित किन्तु किसी भी दशा में सदन या सदनों के

समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शाई गई धनराशियों से अनधिक अनेक धनराशि विनिर्दिष्ट की गई हो।

(2) इस प्रकार अधिप्रमाणित तालिका सभा के समक्ष रखी जाएगी किन्तु उस पर विधानमंडल में चर्चा या मतदान नहीं हो सकेगा।

(3) अगले दो अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के राजस्व में से कोई भी व्यय तब तक सम्यकत: अधिप्रमाणित नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह इस प्रकार अधिप्रमाणित तालिका विनिर्दिष्ट न हो।

व्यय के अनुपूरक विवरण 180. यदि किसी वित्त वर्ष की बाबत राज्य के राजस्व में से और अधिक व्यय उस वर्ष के लिए उसके पहले व्यय के ऊपर आवश्यक हो जाता है तो राज्यपाल सदन या सदनों के समक्ष एक अनुपूरक विवरण जिसमें उस व्यय की प्राक्कलित रकम दर्शाई गई हो, रखा जाएगा, और पूर्वगामी अनुच्छेदों के उपबंध उस विवरण के और उस व्यय के संबंध में प्रभावी होंगे जिस प्रकार वे वार्षिक वित्त विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में प्रभावी होते हैं।

***आधिक्य अनुदान** 181. यदि किसी वित्त वर्ष में राज्य के राजस्व में से किसी सेवा पर व्यय, जिसके लिए विधानसभा का मत आवश्यक है, उस रकम से अधिक उपगत हो गया है जो उस सेवा के लिए मंजूर किया गया है और उस वर्ष के लिए अधिक राशि की मांग विधानसभा के समक्ष उपस्थित की जाएगी तथा उस संविधान के अनुच्छेद 178 और 179 के उपबंध ऐसी मांग के संबंध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे जिस प्रकार वे अनुदान की मांग के संबंध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे जिस प्रकार वे अनुदान की मांग के संबंध में प्रभावी होते हैं।

---

* इस अनुच्छेद को संविधान के वित्तीय उपबंधों की विष्ठोज़ज्ञ समिति की सिफारिशों का अनुसरण करने के लिए अंत:स्थापित करने के लिए अंत:स्थापित किया गया है।

वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध

182. (1) इस संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुर:स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा:

परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है।

(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है।

साधारणतया प्रक्रिया

प्रक्रिया के नियम

183. (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी

प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें, यथास्थिति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उनमें करे।

(3) राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

(4) दोनों सदनों संयुक्त बैठक में विधानसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो इस अनुच्छेद के खंड (3) के अधीन बनाए गए प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्षता करेगा।

राज्यों के विधान-मंडलों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा

184. (1) राज्य के विधानमंडल में कार्य उस राज्य में आमतौर पर प्रयुक्त भाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

(2) विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति जब कभी ठीक समझे, यथास्थिति विधानसभा या परिषद में राज्य में आमतौर पर प्रयुक्त किसी भाषा में या अंग्रेजी में किसी सदस्य द्वारा किसी दूसरी भाषा में दिए गए भाषण का सारांश उपलब्ध कराने का इन्तजाम कर सकेगा और ऐसा सारांश उस सदन की कार्यवाही के अभिलेख में शामिल किया जाएगा जिसमें वह भाषण दिया गया है।

विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन

185. (1) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए, आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी।

(2) इस अनुच्छेद में, उच्च न्यायालय के उल्लेख का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा कि इसके अंतर्गत पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में किसी न्यायालय का उल्लेख भी आता है जो संविधान के

भाग 5 के अध्याय 4 के प्रयोजनों में से किसी के लिए उच्च न्यायालय है।

न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

186. (1) राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधि-मान्यता की प्रक्रिया की किसी अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा।

*****

अध्याय 4

राज्यपाल की विधायी शक्ति

विधानमंडल के विश्रान्ति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

187. (1) उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों :

परंतु राज्यपाल, राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना, कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले राज्य के विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के उपबंधों के अधीन, अविधिमान्य हो तो जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने पर उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो गई हो।

(2) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश:

(क) राज्य को विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है और यदि विधान परिषद है तो वह उससे सहमत हो जाती है तो, यथास्थिति, संकल्प के पारित होने पर या विधान परिषद द्वारा संकल्प से सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; और

(ख) राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– जहां विधान परिषद, वाले राज्य के विधानमंडल के सदन, भिन्न-भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए, आहूँत किए जाते हैं वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए, वह सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से की जाएगी।

(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, अधिनियमित किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा :

परंतु राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम जो समवर्ती सूची प्रमाणित किसी विषय के बारे में संसद के किसी अधिनियम या किसी विद्यमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव से संबंधित इस संविधान के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए यह है कि कोई अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया जाता है राज्य के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और जिसे उसने अनुमति दे दी है।

*****

अध्याय 5

घोर आपात की दशाओं में उपबंध

घोर आपात में राज्यपाल की शक्ति

188. (1) यदि किसी समय किसी राज्य का राज्यपाल सहमत हो जाए कि ऐसा घोर आपात काल उत्पन्न हो गया है जो राज्य की शांति और प्रशांति के लिए संकट है और राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाना संभव नहीं है तो वह उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि वह अपने कृत्यों का पालन ऐसी सीमा तक जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे विवेकानुसार किया जाएगा और ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे पारिणामिक और आनुषंगिक उपबंध भी अंतर्विष्ट होंगे जो उसे राज्य में किसी निकाय या प्राधिकरण विषयक द्वारा संविधान के किन्हीं उपबंधों का प्रवर्तन पूर्णतः या भागतः निलम्बित करने के उपबंधों सहित उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी रुप देने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो :

परंतु इस खंड में की गई कोई बात उच्च न्यायालयों विषयक इस संविधान के किन्हीं उपबंधों का प्रवर्तन, पूर्णतः या भागतः निलम्बित करने के लिए राज्यपाल को प्राधिकृत नहीं करेगी।

(2) उद्घोषणा तुरंत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संसूचित की जाएगी जो उस पर या तो उद्घोषणा को प्रतिसंहृत कर देगा या ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी वह इस संविधान के अनुच्छेद 278 के अधीन उसमें निहित आपात शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित समझे।

(3) इस अनुच्छेद के अधीन उद्घोषणा दो सप्ताह बीतने पर प्रवर्तनशील नहीं रहेगी जब तक कि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा इससे पूर्व प्रतिसंहृत न कर दी जाए।

(4) इस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल के कृत्यों का पालन उसके द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा।

अध्याय 6

अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

परिभाषाएं

189. इस संविधान में:-

(क) अनुसूचित क्षेत्र पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमश: संबंधित हैं, पांचवी अनुसूची के पैरा 18 से संलग्न तालिका के भाग 1 से 7 में विनिर्दिष्ट हैं;

(ख) ''जनजातीय क्षेत्र'' पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत है जो छठी अनुसूची के पैरा 19 से संलग्न तालिका भाग 1 और 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

190. (1) पांचवी अनुसूची के उपबंध पहली अनुसूची के भाग-1 में तत्समय विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे।

(2) छठी अनुसूची के उपबंध असम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे।

*****

अध्याय 7

राज्यों के उच्च न्यायालय

'उच्च न्यायालय' का अर्थ

191. (1) संविधान के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के सिवाय भारत के राज्यक्षेत्र के संबंध में उच्च न्यायालय समझे जाएंगे, अर्थात्:

(क) कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलहाबाद, पटना और नागपुर के उच्च न्यायालय तथा पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय और अवध का मुख्य न्यायालय;

(ख) इस अध्याय के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रुप में गठित या पुनर्गठित इन राज्यों में से किसी में कोई अन्य न्यायालय; और

(ग) इनमें किसी राज्य में कोई अन्य न्यायालय जो समुचित विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित किया जाए :

परंतु यदि इस खंड में वर्णित किसी न्यायालय या किन्हीं न्यायालयों के स्थान पर किसी उच्च न्यायालय की स्थापना से इस अनुच्छेद का प्रभाव इस प्रकार होगा मानों इस प्रकार प्रतिस्थापित न्यायालय उसमें वर्णित हो।

(2) अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, इस अध्याय के उपबंध इस अनुच्छेद के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय को लागू होंगे।

उच्च न्यायालयों का गठन

192. प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और वह मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे :

परंतु इस अध्याय के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किन्हीं अतिरिक्त न्यायाधीशों के साथ-साथ इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश, किसी भी समय, संख्या में उससे अधिक नहीं होंगे जितने राष्ट्रपति इस न्यायालय के संबंध में आदेश द्वारा नियत करे।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें

193. (1) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायालय तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 60 वर्ष की आयु अथवा 65 वर्ष से अधिक ऐसी आयु* प्राप्त नहीं कर लेता है जो कि निमित्त राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा नियत की जाए:

परंतु-

(क) कोई न्यायालय राज्यपाल के संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 103 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा;

(ग) किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का या किसी अन्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर रिक्त हो जाएगा।

---

* 60 वर्ष से अधिक आयु का उपबंध भारत शासन अधिनियम, 1935 में विद्यमान नहीं है। परिणामस्वरूप अधिवक्ताओं में से सर्वश्रेष्ठ आदमी प्रायः न्यायाधीश बनने से इंकार कर देते हैं क्योंकि वर्तमान 60 वर्ष की वर्तमान आयु-सीमा के अंतर्गत उन्हें पूरी पेंशन अर्जित करने का समय नहीं मिल पाएगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु-सीमा 65 वर्ष है तो यह मानना संभव नहीं होगा कि वह 60 वर्ष के बाद इतना वृद्ध हो जाएगा कि वह उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। विभिन्न राज्यों में विद्यमान भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की दृष्टि से समिति ने इस अनुच्छेद में रेखांकित शाब्द जोड़े हैं जिससे कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल 65 वर्ष से अधिक की आयु-सीमा नियत कर सके।

(2) कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है; और

(क) उसने किसी राज्य में जिससे या जिसके लिए उच्च न्यायालय है, कम से कम दस वर्ष तक कोई न्यायायिक पद धारण किया है;

(ख) किसी उच्च न्यायालय का या उत्तरोत्तर दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का कम से कम दस वर्ष अधिवक्ता रहा है।

स्पष्टीकरण 1: इस खंड के प्रयोजनों के लिए–

(क) किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया है;

(ख) पहली अनुसूची के भाग 1 पर भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है इस संविधान के प्रारंभ के पूर्व की कोई अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने किसी क्षेत्र में न्यायिक पद धारण किया है जो, 15 अगस्त, 1947 से पूर्व, भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा यथा परिभाषित ब्रिटिश भारत में समाविष्ट था अथवा वह यथास्थिति ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है।

स्पष्टीकरण 2: इस खंड के उपखंड (क) और (ख) में, उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य में किसी न्यायालय के प्रति निर्देश भी शामिल है जो इस संविधान के अनुच्छेद 103 और 106 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय है।

उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना

194. खंड 103 के उपखंड (4) और (5) के उपबंध जहां-जहां उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश है वहां-वहां उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व घोषणा

195. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारुप के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

***ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया है, न्यायालयों में या किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय करने का प्रतिषेध**

196. कोई व्यक्ति जिसने-

(क) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में; या

(ख) अधिवक्ता संघ में से भर्ती किए जाने पर उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश या अस्थायी न्यायाधीश के रुप में पद धारण किया है, भारत राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

न्यायाधीशों के वेतन आदि

197. (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतन और भत्तों के लिए तथा छुट्टियों और पेंशन की बाबत ऐसे अधिकारों के लिए भी हकदार होंगे जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा या के अधीन समय-समय पर नियत किए जाएं और जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किए जाते हैं, जब तक ऐसे वेतन और भत्तों के लिए तथा छुट्टियों या पेंशन की बाबत अधिकारों के लिए हकदार होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं :

---

* समिति की राय है कि कोई व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय करने से प्रतिषेध किया जाना चाहिए और इसी प्रकार वे व्यक्ति भी जिन्होंने अधिवक्ता संघ में से भर्ती किए जाने पर न्यायालय के अपर न्यायाधीश या अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, प्रतिषिद्ध किए जाने चाहिएं।

परंतु किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन चार हजार रुपए प्रति मास से कम नहीं होगा और किसी उच्च न्यायालय के अन्य किसी न्यायाधीश का वेतन तीन हजार पांच सौ रुपए प्रति मास से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि न तो न्यायाधीश का वेतन और न ही छुट्टियों या पेंशन संबंधी उसके अधिकार उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसे अलाभप्रद रूप में परिवर्तित किए जाएंगे।

अस्थायी न्यायाधीश

198. (1) जब किसी उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होता है अथवा जब ऐसा कोई मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो उस पद के कर्तव्यों का पालन उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में ऐसा किसी एक द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(2) (क) जब किसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है अथवा जब ऐसा कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति के रुप में अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है, अथवा अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति के लिए सम्यकतः अर्हित व्यक्ति को उस न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(ख) नियुक्ति व्यक्ति, इस प्रकार कार्य करते हुए उस न्यायालय का न्यायाधीश समझा जाएगा।

(ग) इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात राष्ट्रपति को इस खंड के अधीन की गई किसी नियुक्ति को प्रतिसंहृत करने से निवारित नहीं करेगी।

अपर न्यायाधीश

199. यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के

न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या के संबंध में इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए सम्यक रुप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए जो वह कार्य विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

***उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति**

200. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी समय, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति से उस न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारित किया है, न्यायाधीश के रुप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा और इस प्रकार अनुरोध किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार पीठासीन होते हुए और कार्य करते हुए, उस न्यायालय के न्यायाधीश की संपूर्ण अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा :

परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में बैठने और कार्य करने को सहमति नहीं दे देता है जब तक उस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता

201. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों का चाहे वे अकेले बैठे या खंड न्यायालयों में बैठे विनियमन करने की शक्ति हैं, वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले थी:

---

*. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति यूनाइटेड किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्ति की प्रक्रिया पर आधारित होगी।

परंतु राजस्व संबंधी अथवा उसका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों में से किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, जिस किसी निर्बन्धन के अधीन था वह निर्बन्धन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग को ऐसे प्रारंभ के पश्चात् लागू नहीं होगा।

कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति

202 (1) इस संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन राज्यक्षेत्रों में, सर्वत्र जिसके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्त्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, पृच्छा और उत्प्रेषण रिट है, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी।

(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति इस संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के अल्पीकरण में नहीं होगी।

उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक कृत्य

203. (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य-क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्याालयों का अधीक्षण करेगा।

(2) उच्च न्यायालय-

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मांग सकेगा;

(ख) ऐसे किसी न्यायालय से किसी वाद या अपील को समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य न्यायालय को अंतरित करने का अथवा ऐसे किसी न्यायालय से ऐसा वाद या अपील अपने पास लेने का निर्देश दे सकेगा;

(ग) ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए साधारण नियम बना सकेगा, और जारी कर सकेगा तथा प्रारुप विहित कर सकेगा; और

(घ) किन्ही ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारुप विहित कर सकेगा।

(3) उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शैरिफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि-व्यवसाय करने वाले अटर्नियों, अधिवक्ताओं और प्लीडरों को अनुज्ञेय होगी **:**

परंतु खंड (2) या खंड (3) के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए कोई प्रारुप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध से असंगत नहीं होगी और इसके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को विवरण के लिए अंतरण

204. यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है तो वह उसे अपने पास मंगवा सकेगा और उसका निपटारा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद में, उच्च न्यायालय के अंतर्गत इस प्रकार लंबित मामले के संबंध में पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में अंतिम अधिकारिता का न्यायालय भी है।

उच्च न्यायालयों के अधिकारियों तथा सेवकों के वेतन, भत्ते और पेंशन तथा व्यय

205. (1) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या के संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके जिसमें उस उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है, नियत किए जाएंगे।

(2) उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या के संबंध में संदेय समस्त वेतन, भत्ते और पेंशन सहित उस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के राजस्व पर भारित होंगे, और न्यायालय द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धन उप राजस्वों का अंग होंगे।

उच्च न्यायालय का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति

206. (1) पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का विधानमंडल राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि द्वारा एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकेगा अथवा उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए किसी विद्यमान उच्च न्यायालय का उसी रीति से पुनर्गठन कर सकेगा अथवा जहां उस राज्य में दो उच्च न्यायालय हैं वहां उन न्यायालयों को आमेलित कर सकेगा।

(2) जहां यथापूर्वोक्त, किसी न्यायालय का गठन किया जाता है अथवा दो न्यायालयों का आमेलन किया जाता है वहां उस राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में–

(क) न्यायालय या न्यायालयों के सब वर्तमान न्यायाधीशों के और न्यायालय या न्यायालयों को ऐसे वर्तमान अधिकारियों और सेवकों के जो आवश्यक समझे जाएं, अपने–अपने पदों पर बने रहने के लिए; तथा

(ख) पुनर्गठित न्यायालय या नए न्यायालयों के समक्ष सभी लंबित मामलों के चलाए जाने के लिए उपबंध किया जाएगा, तथा अन्य ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो पुनर्गठन या आमेलन के कारण आवश्यक प्रतीत हो।

उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार या उससे अपवर्जन

207. संसद विधि द्वारा–

(क) किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है, से भिन्न किसी राज्य से, अथवा किसी क्षेत्र से, जो उस राज्य के अंतर्गत नहीं है, अपवर्जित कर सकेगी :

परंतु ऐसे किसी प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में तब तक पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि–

(1) जहां पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य तक या भाग 3 के खंड 'क' तक या ऐसे राज्य के भीतर किसी क्षेत्र तक अधिकारिता का विस्तार किया जाना है या अपवर्जन किया जाना है वहां ऐसे अन्य राज्य की सम्मति प्राप्त न कर ली गई हो; और

(2) जहां अधिकारिता का विस्तार किया जाना है वहां उस राज्य की सम्मत्ति भी जिसमें उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है, प्राप्त न कर ली गई हो।

किसी राज्य में उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में, जिसकी अधिकारिता उस राज्य के बाहर तक है, राज्यों के विधान मंडलों की शक्ति पर निर्बंधन

208. जहां कोई न्यायालय उस राज्य के बाहर जिसमें उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ स्थित है, किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है वहां इस संविधान का किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह–

(क) उस राज्य के विधानमंडल को जिसमें न्यायालय की प्रधान पीठ स्थित है, उस अधिकारिता में अभिवृद्धि करने, उसे निबंधित करने या समाप्त करने के लिए सशक्त करती है;

(ख) पहली अनुसूची के भाग 1 या भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल को जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र स्थित है, उस अधिकारिता को समाप्त करने के लिए सशक्त करती है; अथवा

(ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिए, इस निमित्त, विधियां बनाने की शक्ति रखने वाले विधानमंडल को, इस अनुच्छेद के खंड

(ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस क्षेत्र के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता की बाबत ऐसी विधियां पारित करने के लिए सक्षम होगा यदि न्यायालय की प्रधान पीठ उस क्षेत्र में हो।

निर्वचन

209. जहां कोई उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के संबंध में या एक राज्य और ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जो राज्य का अंग नहीं है, अधिकारिता का प्रयोग करता है वहां–

(क) इस अध्याय में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्यपाल के प्रति निर्देश का अर्थ उस राज्य के राज्यपाल के निर्देश के रुप में किया जाएगा जिसमें ऐसे न्यायालय की प्रधान पीठ है।

(ख) अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियमों, प्रारुपों और सारणियों के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के प्रति निर्देश का अर्थ उस राज्य के राज्यपाल या शासक द्वारा जिसमें वह अधीनस्थ न्यायालय स्थित है, उसके अनुमोदन के प्रति निर्देश के

रुप में किया जाएगा, अथवा यदि वह ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो पहली अनुसूची के भाग 1 या भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का अंग नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा उसके अनुमोदन के प्रति निर्देश के रुप में किया जाएगा; और

(ग) राज्य के राजस्व के प्रति निर्देश का अर्थ उस राज्य के राजस्व के प्रति निर्देश के रुप में किया जाएगा जिसमें न्यायालय की प्रधान पीठ है।

*****

अध्याय 10

*राज्यों के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक

राज्य के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक

210. (1) पहली अनुसूची के भाग–1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक को नियुक्ति के लिए उपबंध कर सकेगा और जब ऐसा उपबंध कर दिया गया हो तो उस राज्य के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक राज्यपाल द्वारा अपने विवेकानुसार नियुक्त किया जा सकेगा और इस प्रकार नियुक्त प्रमुख लेखा परीक्षक को उसके पद से वैसी ही रीति से और उन्हीं आधारों पर ही जैसे उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा।

(2) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन पारित अधिनियम में उपबंध किया जाएगा कि राज्य के लिए किसी प्रमुख लेखा परीक्षक की नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अधिनियम की अनुमति के पश्चात् प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष नहीं बीत जाते।

(3) ऐसे प्रत्येक अधिनियम में, प्रमुख लेखा परीक्षक की सेवा शर्तें और वे कर्तव्य जिनका पालन किया जाएगा और वे शक्तियां, जिनका राज्य के लेखाओं के संबंध में प्रमुख लेखा परीक्षक द्वारा प्रयोग किया जाएगा, विहित की जाएगी और प्रमुख लेखा परीक्षक को या बाबत संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन की घोषणा की जाएगी जो राज्य के राजस्व पर भारित होंगे।

(4) राज्य का प्रमुख लेखा परीक्षक भारत का महालेखा परीक्षक या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय

---

*. समिति की राय है कि किसी राज्य में महालेखा परीक्षक के कार्य करने वाला व्यक्ति प्रमुख लेखा परीक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा जिससे कि वह भारत के महालेखा परीक्षक से सुभिन्न हो सके।

विनिर्दिष्ट किसी अन्य राज्य के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा किन्तु अपना पद धारण करना बंद करने के बाद भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) किसी राज्य के प्रमुख लेखा परीक्षक कर्मचारियों को या के संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन प्रमुख लेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल से परामर्श करके नियत किए जाएंगे और राज्य के राजस्व पर भारित होंगे।

(6) इस अनुच्छेद में की कोई बात भारत के महालेखा परीक्षक की पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के लेखाओं की बाबत ऐसे निर्देश देने की शक्ति की अल्पीकारक नहीं होगी जो इस संविधान के अनुच्छेद 126 में वर्णित है।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

211. पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में यथास्थिति भारत महालेखा परीक्षक या राज्य का प्रमुख लेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा।

*****

भाग 7

*पहली अनुसूची के भाग 2 के राज्य

पहली अनुसूची के भाग 2 के राज्यों का प्रशासन

212. (1) इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के माध्यम से जो उसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, या पड़ोसी राज्य के राज्यपाल या शासक के माध्यम से, ऐसी सीमा तक जो वह ठीक समझे कार्यवाही करते हुए किया जाएगा:

परंतु राष्ट्रपति, पड़ोसी राज्य के राज्यपाल या शासक के माध्यम से–

(क) संबोधित राज्यपाल या शासक से परामर्श करने के पश्चात; और

(ख) ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति द्वारा अत्यंत समुचित समझी जाएगी इस प्रकार इस प्रशासित किए जाने वाले राज्य के लोगों की इच्छाओं को अभिनिश्चित करने के पश्चात् ही कार्यवाही करेगा अन्यथा नहीं।

**(2) पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट कोई रियासत जिसके शासक ने उस रियासत के शासन के लिए या के संबंध में पूर्ण और अनन्य प्राधिकार, प्राधिकारिता और शक्तियां भारत सरकार को अध्यर्पित कर दी हैं, सभी बातों में उसी प्रकार प्रशासित होगी मानों

---

*. समिति की राय है कि पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट राज्यों के गठन के बारे में, जो इस समय मुख्य आयुक्त के प्रांत हैं जैसा कि मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की तदर्थ समिति द्वारा अपनी सिफारिशों में सुझाया गया था, कोई विस्तृत उपबंध करना आवश्यक नहीं है। इस भाग में प्रस्तावित पुनरीक्षित उपबंधों से तदर्थ समिति की सिफारिशों को यदि वे संविधान सभा द्वारा अंगीकार कर ली जाती हैं, राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा प्रभावी रूप दिया जा सकेगा।

** समिति ने यह खंड पहली अनुसूची के भाग 3 की रियासत के प्रशासन के लिए उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित किया है (जैसे उड़ीसा) जिसने भारत सरकार को पूर्ण और अनन्य प्राधिकार, अधिकारिता तथा शक्तियां अध्यर्पित कर दी हैं।

वह रियासत पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट हो, और तदनुसार उक्त भाग 2 में विनिर्दिष्ट राज्यों के संबंध में इस संविधान के सभी उपबंध ऐसी रियासत को लागू होंगे।

स्थानीय विधानमंडल या सलाहकार परिषद का सृजन और उसे निरंतर बनाए रखना

213. राष्ट्रपति पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य के लिए, आदेश द्वारा,

(क) कोई स्थानीय विधानमंडल; या

(ख) कोई सलाहकार परिषद ।

या दोनों को हर दशा में, ऐसे गठन, शक्तियों और कृत्यों के साथ, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं,

सृजित कर सकेगा या उसे निरंतर बनाए रख सकेगा और मुख्य आयुक्त या उप राज्यपाल के माध्यम से उसका प्रशासन कर सकेगा।

कुर्ग

214. जब तक राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त अन्य उपबंध किया जाए तब तक कुर्ग विधान परिषद का गठन, शक्तियां और कृत्य और कुर्ग में संगृहित राजस्व के संबंध में इंतजाम तथा कुर्ग के संबंध में व्यय अविकल रहेंगे।

*****

भाग 8

पहली अनुसूची के भाग 4 के राज्यक्षेत्र और अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।

पहली अनुसूची के भाग 4 में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों का तथा अन्य राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।

215. (1) पहली अनुसूची में भाग 4 में विनिर्दिष्ट किसी राज्य क्षेत्र का तथा किसी अन्य राज्य क्षेत्र का जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किन्तु उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, प्रशासन ाष्ट्रपति द्वारा मुख्य आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के माध्यम से जो उसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ऐसी सीमा तक जो वह ठीक समझे, कार्यवाही करते हुए किया जाएगा।

(2) राष्ट्रपति ऐसी किसी राज्य क्षेत्र की शांति और अच्छे शासन के लिए विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाया गया कोई विनियमन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को या किसी वर्तमान विधि को जो तत्समय ऐसे राज्य क्षेत्र को लागू है निरसित या संशोधित कर सकेगा और जब राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाए तो उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के किसी अधिनियम का होता है जो ऐसे राज्य क्षेत्र को लागू है।

*****

भाग 9

संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय 1

विधायी संबंध

विधायी शक्तियों का वितरण

संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार

216. (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा।

(2) संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा।

***संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तुत**

217. (1) अगले दो खंडों में किसी बात के होते हुए भी, संसद को सातवीं अनुसूची की सूची 1में (जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) अगले खंड में किसी बात के होते हुए भी संसद को तथा पिछले खंड के अधीन रहते हुए पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान सातवीं अनुसूची की सूची 3 में (जिसे इस संविधान में

---

*. श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की राय है कि विधायी वितरण की पुरानी योजना का अनुसरण करने के बजाए यह खंड, इस ताकि की दृष्टि से कि अवशिष्ट शक्ति संसद के पास रहती है, राज्य की विधायी शक्तियों से शुरू हो सकता है फिर समवर्ती शक्तियों और फिर संसद की विधायी शक्तियों के बारे में हो सकता है। चूंकि प्रश्न केवल प्रारुप का था इसलिए अधिकांश सदस्यों ने वर्तमान व्यवस्था को न छेड़ना पसंद किया।

समवती सूची कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंधमें विधि बनाने की शक्ति है।

(3) दो पूर्वगामी खंडों के अधीन रहते हुए, पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची में सूची 2 में (जिसे इस संविधान में राज्य सूची कहा गया है) प्रगणित विषयों में से किसी की बाबत ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(4) संसद को भारत के राज्यक्षेत्र के किसी ऐसे भाग के लिए जो पहली अनुसूची के भाग 1 या भाग 3 के अंतर्गत तत्समय नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों न हो।

***उच्चतम न्यायालय के संबंध में विधायन**

218. संसद को उच्चतम न्यायालय के गठन, संगठन, उसकी अधिकारिता और शक्तियों के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति

219. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासनक के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी।

उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन के संबंध में विधायन

220. (1) अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल को किसी उच्च न्यायालय के गठन और संगठन की बाबत जिसकी प्रधान पीठ ऐसे राज्य के अंतर्गत हो, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) संसद की पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के गठन और संगठन के संबंध में जिसकी प्रधान पीठ किसी राज्य में है, विधि बनाने की शक्ति है।

---

* समिति के कुछ सदस्यों का विचार है कि अनुच्छेद 218, 220, 221 और 222 अनुच्छेद 217 की दृष्टि से आवश्यक नहीं है।

***उच्च न्यायालयों को अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में विधायन**

221. (1) संसद को संघ सूची में प्रमाणित विषयों में से किसी के संबंध में किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों के बारे में विधि बनाने की अन्य शक्ति है।

(2) पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट कि राज्य के विधान मंडल को जिसके संबंध में या किसी क्षेत्र के संबंध में जिसके भीतर उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है, ऐसे राज्य या क्षेत्र के संबंध में राज्य सूची में प्रगणित विषयों में से किसी की बाबत ऐसे उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(3) संसद और पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल को भी, जिसके संबंध में या किसी क्षेत्र के संबंध में जिसके भीतर उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है, ऐसे राज्य या क्षेत्र के संबंध में, समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से किसी की बाबत ऐसे उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।

(4) संसद को पहली अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य या ऐसे राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में राज्य सूची में प्रगणित विषयों में से किसी की बाबत उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।

सिविल और दांडिक मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की बाबत विधायन

222. संसद तथा पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल को भी, जिसमें उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ स्थित है, सिविल और दांडिक मामलों में ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की बाबत विधि बनाने की शक्ति है।

---

*. समिति के कुछ सदस्यों का विचार है कि अनुच्छेद 217 की दृष्टि से अनुच्छेद 218, 220, 221 और 222 आवश्यक नहीं है।

अवशिष्ट विधायी शक्तियां 223. (1) संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति हैं।

****पहली अनुसूची के भाग-3 को रियासतों विषयक कुछ विषयों की बाबत विधि बनाने की संसद की शक्तियों पर निर्बंधन** 224. संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी–

(क) संसद इस संविधान के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान पहली अनुसूची के भाग 3 के तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य या राज्यों के समूह में 31क और तार विषयक किसी अधिकार की बाबत विधि बनाने की शक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि ऐसा अधिकार भारत सरकार और उस राज्य या राज्यों के समूह के बीच करार द्वारा निर्वाचित नहीं हो जाता है या भारत सरकार द्वारा अर्जित नहीं कर लिया जाता है :

परंतु इस खंड में की कोई बात संसद को ऐसे राज्य या राज्यों के समूह में डाक और तार के विनियमन तथा नियंत्रण के लिए कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी ।

(ख) पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत में दूरभाष बेतार, प्रसारण की बाबत विधियां और संचार अथवा अन्य वैसे ही प्रारुप बनाने की संसद की शक्ति का विस्तार उनके विनियमन और नियंत्रण के लिए विधियां बनाने तक ही होगा।

(ग) निगमों की बाबत विधियां बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण के निगमों के निगमन, विनियमन और परिसमापन तथा केवल इस

---

*. समिति की राय है कि इस अध्याय के कुछ अनुच्छेदों को संविधान के संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित किए जाने से पूर्व फिर से व्यवस्थित करना होगा।

रियासत के भीतर कारोबार चलाने के संबंध में विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी।

पहली अनुसूची के भाग 3 की रियासतों के लिए विधान बनाने की शक्ति का विस्तार

225. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत या रियासतों के समूह के लिए विधियां बनाने की संसद की शक्ति उस रियासत या रियासतों के समूह द्वारा भारत सरकार के साथ-साथ उस निमित्त किए गए किसी करार के निबंधनों तथा उसमें अंतर्विष्ट परिसीमाओं के अधीन होगा।

***राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में विधायन संसद की शक्ति**

226. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्यसभा ने इस संकल्प द्वारा जो उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित हो, कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद को संकल्प में विनिर्दिष्ट राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विधि बनानी चाहिए तो उस विषय के संबंध में भारत के राज्यक्षेत्र के लिए पूर्णत: या भागत: विधि बनाना संसद के लिए विधि पूर्ण होगा।

यदि आपात उद्घोषणा प्रवर्तनशील है तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में विधायन की संसद की शक्ति

227. (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद को, जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तनशील है, राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में भारत के राज्यक्षेत्र के लिए पूर्णत: या भगत: विधि बनाने की शक्ति होगी।

(2) संसद द्वारा बनाई गई विधि, जिसे यदि आपात उद्घोषणा जारी न की जाती तो संसद बनाने के लिए सक्षम न होती, असंगति की सीमा तक, उक्त अवधि बीतने के पूर्व की गई या न की गई बातों को छोड़कर, उद्घोषणा के प्रवर्तनशील न रहने के पश्चात् छह मास की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगी।

---

*. समिति की राय है कि जब राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाए तो उसके संबंध विधायन करने के लिए संसद के लिए शक्ति का उपबंध किया जाना चाहिए और इस अनुच्छेद को इसी प्रयोजन के लिए अंत:स्थापित किया है।

***अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियां**

228. इस संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 में कोई बात राज्य के विधानमंडल की कोई विधि बनाने की शास्ति को, जिसे बनाने की शक्ति उसे इस संविधान के अधीन है, निर्बन्धित नहीं करेगी, किन्तु यदि राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो अभिभावी रहेगी और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, इस विरोध की मात्रा तक, किन्तु तब तक ही जब तक संसद द्वारा बनायी गई विधि प्रभावी बनी रहती है, प्रवर्तनशील नहीं होगी।

दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना

229. (1) यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों में से, जिनके संबंध में संसद को अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 में यथा उपबंधित के सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे और यदि उन राज्यों के विधानमंडलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस विषय का तदनुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिए विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा, जो तत्पश्चात् अपने विधानमंडल के सदन या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है।

---

*. समिति बहुमत से यह फैसला करती है कि यदि संसद राज्य सूची के किसी ऐसे विषय पर कानून बनाती है जो राष्ट्रहित में हो तो उसे समवर्ती सूची का विषय माना जाए परंतु श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ऐसी किसी अवधारणा के हित में नहीं है। उनका मानना है कि इसके द्वारा संघ धीरे-धीरे राज्यों के क्षेत्राधिकारों का हनन कर सकता है और जो कि संविधान के संघीय ढांचे पर एक प्रहार है।

*(2) संसद द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकेगा, किन्तु उसका उस राज्य के संबंध में संशोधन या निरसन जिसको वह लागू होता है, उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जाएगा।

****अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान**

230. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।

संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति

231. (1) यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे अधिनियमन करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो इस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन रहते हुए, यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या विद्यमान विधि अप्रभावी होगी और उस राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी।

(2) जहां पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में प्रगणित

---

*. समिति की राय है कि राज्यों की सम्पत्ति से संसद द्वारा पारित अधिनियम किसी राज्य के विधानमंडल के जिसे वह लागू होता है, अधिनियम द्वारा संशोधित या निरसित नहीं होने देना चाहिए, किन्तु संसद के अधिनियम द्वारा ही जो उसी प्रकार पारित या अंगीकृत किया गया है, जिससे मूल अधिनियम द्वारा पारित या अंगीकृत किया गया था, संशोधित या निरसित किया जाना चाहिए। यह कामनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया कांस्टीट्यूशन एक्ट की धारा 109 के साथ पठित धारा 51(xxxvii) के अनुसार रखी गई है।

**समिति की राय है कि संसद को किसी देश या देशों के साथ की गई किसी संधि करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए किसी राज्य या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की असीमित शक्ति होनी चाहिए।

किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के सिवाय उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है तो यदि ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति

नहीं हो जाएगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं दी गई थी, यदि उस अधिनियम को अनुमति–

(क) जहां अपेक्षित सिफारिश राज्यपाल की थी, वहां या तो राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा;

(ख) जहां अपेक्षित सिफारिश राष्ट्रपति की थी वहां राष्ट्रपति द्वारा दे दी गई थी।

*****

अध्याय 2

प्रशासनिक संबंध

साधारण

राज्यों की और संघ की बाध्यता

233. प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

संघ के प्राधिकार में कोई अड़चन न डालने या प्रतिकूल प्रभाव न डालने का राज्यों का कर्तव्य

234. (1) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निर्देश में घोषित किया गया है:

परंतु इस खंड की कोई बात किसी राजमार्ग या जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद की शक्ति को अथवा इस प्रकार घोषित राजमार्ग या जलमार्ग के बारे में संघ की शक्ति को अथवा सेना, नौसेना और वायुसेना संकर्म विषयक अपने कृत्यों के भागरुप संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने की संघ की शक्ति को निर्बन्धित करने वाली नहीं मानी जाएगी।

कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की

235. (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।

(2) संसद द्वारा बनाई गई विधि, जो किसी राज्य पर लागू होती है ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी, जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, उस राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगी और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी।

(3) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं या उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं वहां उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासन में किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे, संदाय किया जाएगा।

कुछ राज्यों में विधायी, कार्यपालक और न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर लेने की संघ की शक्ति

236. (1) भारत सरकार, पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत के साथ करार द्वारा, किन्तु संघ और ऐसी रियासत के बीच संबंधों के बारे में उस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस राज्य में निहित किसी कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी।

(2) भारत सरकार पहली अनुसूची में तत्समय न विनिर्दिष्ट किसी देशी रियासत की सरकार के साथ ऐसा करार भी कर सकेगी, किन्तु ऐसा प्रत्येक करार तत्समय प्रवृत्त विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित किसी विधि के अधीन होगा और उसके द्वारा शासित होगा।

स्पष्टीकरण- इस खंड में 'देशी रियासत' से ऐसा कोई राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग नहीं है जिसे राष्ट्रपति ऐसी रियासत के रुप में मानता है।

(3) यदि इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन किसी रियासत के साथ किया गया करार ऐसे किसी विषय के बारे में उपबंध करता है जिसके संबंध में पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार द्वारा इस संविधान के अनुच्छेद 237 के अधीन ऐसे किसी राज्य के साथ किए गए किसी करार में पहले ही उपबंध किया जा चुका है तो पश्चात्कथित करार, जहां तक ऐसे विषय के लिए उपबंध करता है, वहां तक, प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा और पूर्वकथित करार के सम्पन्न होने की तारीख को या उससे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(4) संघ और पहली अनुसूची के भाग-3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत के बीच करार के इस अनुच्छेद के खंड

(1) के अधीन सम्पन्न हो जाने पर-

(क) संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार ऐसे करार में उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी विषय तक होगा;

(ख) संसद को ऐसे करार में उस निमित्त में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति होगी; और

(ग) भारत के उच्चतम न्यायालय को इस संविधान के अनुच्छेद 114 के खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे करार में उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में अधिकारिता होगी।

पहली अनुसूची के भाग 1 के राज्यों की, पहली अनुसूची के भाग 3 की किसी रियासत के विधायी, कार्यपालक

237. (1) राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से, पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार, पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत के साथ उस निमित्त किए गए करार द्वारा, पश्चात्कथित रियासत में निहित किन्हीं विधायी, कार्यपालक या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर लेने में सक्षम होगी, यदि

और न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर लेने की शक्ति

ऐसा करार ऐसे विषय के संबंध में है, जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में दिया गया है।

(2) पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य और उसी अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत के बीच सम्पन्न हुए इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन करार होने पर–

(क) उक्त अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार ऐसे करार में उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी विषय तक होगा;

(ख) उक्त अनुसूची के भाग–1 में विनिर्दिष्ट राज्य के विधान –मंडल को ऐसे करार में उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति होगी; तथा

(ग) उक्त अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट राज्य में उच्च न्यायालय और अन्य समुचित न्यायालयों को ऐसे करार में उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में अधिकारिता होगी।

***लोक कृत्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां**

238. (1) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संघ के और प्रत्येक राज्य के लोक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट कार्यों, अभिलेखों और कार्यवाहियों को साबित करने की रीति और शर्ते तथा उनके प्रभाव का अवधारण संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा।

(3) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों का आदेशों का उस राज्य

---

*. समिति की राय है कि यह अनुच्छेद मूल अधिकारों विषय भाग 3 के बजाय इस अध्याय में शमिल किया जाना चाहिए।

समिति की यह भी राय है कि पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक रियासत के संबंध में इस अनुच्छेद के उपबंधों को प्रभावी रूप नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों जैसे, सिविल प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया और साक्ष्य से संबंधित विधियां विभिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न हो सकती हैं। अत: समिति ने इस खंड का पुनरीक्षण किया है ताकि इन्हें समवर्ती सूची में ऐसे विषय के संबंध में उन्हीं राज्यों में लागू किया जाए जिन्होंने संघ के समक्ष अध्यर्पण कर दिया है।

क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा:

परन्तु इस अनुच्छेद के खंड (1) और (2) के उपबंध पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत में लोक कृत्यों और अभिलेखों को तथा सिविल न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों को तथा उनके द्वारा दिए गए या पारित अंतिम निर्णय या आदेश लागू नहीं होंगे जब तक संसद को ऐसे राज्य द्वारा संघ के साथ उस निमित्त किए गए किसी करार के निबंधनों के अनुसार समवर्ती सूची की प्रविष्टि 2, 4 और 5 में प्रमाणित विषयों के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति न हो।

जल प्रदाय में हस्तक्षेप

जल प्रदाय में हस्तक्षेप संबंधी शिकायतें

239. यदि पहली अनुसूची के भाग 1 या भाग 3 में से तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी राज्य में प्रदाय के किसी नैसर्गिक स्रोत से जल में उस राज्य के या उसके वासियों में से किन्हीं के उस स्रोत से जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण संबंधी हितों पर–

(क) की गई या पारित किया गया अथवा की जाने के लिए या पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित कोई कार्यपालक कार्रवाई या विधान; या

(ख) किसी प्राधिकारी की अपनी किसी शक्ति का प्रयोग करने में असफलता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ना संभाव्य है, तो उस राज्य की सरकार राष्ट्रपति से शिकायत कर सकेगी।

शिकायतों का विनिश्चय

240. (1) यदि राष्ट्रपति यथापूर्वोक्त कोई शिकायत प्राप्त करता है तो वह जब तक कि उसकी राय न हो कि अंतर्वलित मुद्दे ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा करने के लिए पर्याप्त महत्व के नही हैं एक आयोग नियुक्त करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें सिंचाई, इंजीनियरी, प्रशासन, वित्त या विधि में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त है, जिन्हें वह ठीक

समझे, और उस आयोग से अनुरोध करेगा कि ऐसे अनुदेशों के अनुसार जो वह उसे दे, अन्वेषण करे, और उसे उन विषयों पर जिनके बारे में शिकायत है, या उनमें से ऐसे विषयों पर भी जो वह उन्हें निर्देशित करे, उसे रिपोर्ट दे।

(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग उसे निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा तथा ऐसी सिफारिशें करेगा जैसी वह उचित समझे।

(3) यदि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने पर राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात की व्याख्या होनी चाहिए, यह कि उसे ऐसे किसी मुद्दे पर मार्गदर्शन चाहिए जो उस द्वारा प्रारंभ में आयोग को नही भेजा गया था तो, वह उस विषय को आयोग को और आगे अन्वेषण के लिए तथा आगे रिपोर्ट के लिए पुनः निर्देशित कर सकेगा।

(4) इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त आयोग को, उसे निर्देशित किसी विषय का अन्वेषण करने में सहायता करने के प्रयोजनों के लिए उच्चतम न्यायालय, यदि उसमें आयोग द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, आयोग की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ऐसे आदेश करेगा जैसे वह न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कर सके।

(5) आयोग की रिपोर्ट में उस सरकार या व्यक्तियों के बारे में जिनके द्वारा आयोग के व्यय तथा आयोग के समक्ष हाजिर होने में किसी राज्य के व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई खर्च संदत्त किया जाना है तथा इस प्रकार दिए जाने वाले किन्हीं व्यय या खर्च की धनराशि के बारे में सिफारिश भी शामिल होगी, तथा इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया आदेश, जहां तक वह व्यय या खर्च के संबंध में है, इस प्रकार प्रवर्तित कराया जा सकेगा मानों वह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया आदेश हो।

(6) आयोग द्वारा उसे दी गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति, इसमें इसके पश्चात् तथा उपबंधित के अधीन रहते हुए रिपोर्ट के अनुसार आदेश करेगा।

(7) यदि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति की राय है कि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात में सारवान विधि-प्रश्न अंतर्वलित है तो उस प्रश्न को इस संविधान के अनुच्छेद 119 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देशित करेगा और उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त होने पर, जब तक कि उच्चतम न्यायालय आयोग की रिपोर्ट से सहमत न हो, उस राय के साथ रिपोर्ट आयोग के पास वापस भेजेगा और आयोग उसमें ऐसे उपांतर करेगा जैसे उसे ऐसी राय के अनुरुप बनाने के लिए आवश्यक हो तथा उपान्तरित रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा।

(8) राष्ट्रपति द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन किए गए आदेश को किसी भी प्रभावित राज्य में प्रभावी रुप दिया जाएगा तथा राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम जो उस आदेश के विरुद्ध है, विरोध की मात्र तक शून्य होगा।

(9) राष्ट्रपति, प्रभावित किसी भी राज्य की सरकार द्वारा किए गए आवेदन पर, इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी आदेश में फेरबदल कर सकेगा यदि यथापूर्वोक्त नियुक्त आयोग ऐसी सिफारिश करता है।

पहली अनुसूची के भाग 2 के राज्यों के जल प्रदाय में हस्तक्षेप

241. यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि पहली अनुसूची के भाग 1 और भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में प्रदाय के किसी नैसर्गिक स्रोत से जल से पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के अथवा ऐसे राज्य के वासियों में से किन्हीं के उस स्रोत से जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण संबंधी हितों पर-

(क) कोई कार्रवाई या विधि जो पारित की गई हो या पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित हो, या

(ख) किसी प्राधिकारी को अपनी किसी शक्ति का प्रयोग करने में असफलता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ना

संभाव्य है तो यदि ठीक समझे तो उस विषय को पिछले अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार नियुक्त आयोग को निर्देशित कर सकेगा तथा उस पर ये उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानों पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य हो और मानों उस विषय के संबंध में शिकायत उस राज्य की सरकार द्वारा राष्ट्रपति से की गई हो।

न्यायालयों की अधिकारिता अपवर्जित

242. इस संविधान में किसी विधि द्वारा एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमानता या विभेद का प्रतिभेद–व्यापार या वाणिज्य चाहे वह भूमि, जल या वायु द्वारा किया जाए, विषयक किसी विधि या विनियम द्वारा एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमानता नहीं दी जाएगी और न ही एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच विभेद बरता जाएगा।

???

243. ??? Miss Sl. No. 243, MSS No. 154/155

***राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन**

244. इस संविधान के अनुच्छेद 16 या पिछले अंतिम अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के लिए–

(क) अन्य राज्यों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित करना जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किंतु इस प्रकार की उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद न हो; और

(ख) उस राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करना जो लोकहित में अपेक्षित हो, विधिपूर्ण होगा:

---

*. समिति की राय है कि अनुच्छेद 243 और 244 में अंतर्विष्ट उपबंधों की मूल अधिकारों वाले भाग 3 में रखने के बजाए इस अध्याय में रखना अधिक समुचित होगा।

परंतु इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि में इस अनुच्छेद के खंड (ख) के उपबंध इस संविधान के अनुच्छेद 306 के खंड (क) में वर्णित वस्तुओं में किसी व्यापार या वाणिज्य को लागू नहीं होंगे।

***अनुच्छेद 243 और 244 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति**

245. संसद विधि द्वारा इस संविधान के अनुच्छेद 243 और 244 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगा जो वह समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त किए गए प्राधिकारी पर ऐसी शक्तियां और कर्तव्य प्रदत्त करेगा जो वह आवश्यक समझे।

राज्यों के बीच समन्वय

अंतर्राज्यिक परिषद के संबंध में उपबंध

246. यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी जिसे–

(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने;

(ख) कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार–विमर्श करने; या

(ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वयन के लिए सिफारिश करने के कर्तव्य का भार सौपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करें।

---

*. समिति की राय है कि सीमित श्यक्तियों के साथ अंतरराज्यिक आयोग के लिए उपबंध करने के बजाय अनुच्छेद 243 और 244 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयोजन के लिए विधि द्वारा प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए उपबंध करना अधिक समुचित होगा क्योंकि यदि ऐसा आयोग व्यापार या वाणिज्य संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन की ही शक्तियों के साथ नियुक्त किया गया तो ऐसे आयोग के पास करने के लिए पर्याप्त काम नहीं हो सकता।

भाग 10

वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद

अध्याय 1–वित्त

*संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण

निर्वाचन

247. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक–

(क) ''वित्त आयोग'' से ऐसा वित्त आयोग अभिप्रेत है जो इस संविधान के अनुच्छेद 260 के अधीन गठित किया गया हो;

(ख) ''राज्य'' के अंतर्गत पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य नहीं है;

(ग) पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत पहली अनुसूची के भाग 4 में विनिर्दिष्ट किसी राज्यक्षेत्र तथा अन्य किसी राज्यक्षेत्र, जो भारत के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट हैं किन्तु उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है के प्रति निर्देश भी होंगे।

''भारत के राजस्व'' और ''राज्य के राजस्व'' का अर्थ

248. कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगामों को सम्पूर्णतः या भागतः राज्यों को सौपने के संबंध में इस अध्याय के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए ''भारत के राजस्व'' पद के अंतर्गत समस्त राजस्व और धन हैं जो भारत सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त किए गए हों तथा

---

* समिति ने संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के विषय में संविधान के वित्तीय उपबंधों की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों प्रारुप में शमिल नहीं की हैं, क्योंकि समिति की राय है कि फिलहाल अस्थिर हालात की दृष्टि से भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन ऐसे राजस्वों का विद्यमान वितरण कम से कम पांच वर्ष तक चालू रहना चाहिए। उसके पश्चात् एक वित्त आयोग स्थिति की समीक्षा कर सकता है। समिति विशेषज्ञ समिति की इस बात से सहमत है कि विशेषज्ञ समिति

''राज्य के राजस्व'' पद के अंतर्गत वे सब राजस्व और लोक धन हैं जो राज्य की सरकार द्वारा जुटाए गए और प्राप्त किए गए हैं।

संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क

249. (1) ऐसे स्टंप शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितयों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क, जो संघ सूची में वर्णित है, भारत सरकार द्वारा उद्गृहित किए जाएंगे, किंतु-

(क) उस दशा में, जिसमें ऐसे शुल्क पहली अनुसूची के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय हैं, भारत सरकार द्वारा, और

(ख) अन्य दशाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय है, उन-उन राज्यों द्वारा संगृहित किए जाएंगे।

(2) किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष में आगम, भारत के राजस्व के भाग नहीं होंगे, किंतु उस राज्य को सौंप दिए जाएंगे।

संघ द्वारा उद्गृहित और संगृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

250. (1) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संगृहित किए जाएंगे, किंतु खंड (2) में उपबंधित रीति से राज्यों को सौप दिए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क;

(ख) कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के संबंध में संपदा शुल्क;

(ग) रेल या वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर;

(घ) रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे शुल्क या कर के शुद्ध या कर के शुद्ध आगम वहां तक के सिवाय, जहां तक वे आगम पहली अनुसूची के भाग-2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों से प्राप्त हुए आगम माने जा सकते हैं, के राजस्व के भाग नहीं होंगे, किंतु राज्यों को सौप दिए जाएंगे जिनके भीतर वह शुल्क या कर उस वर्ष में उद्गृहणीय

हैं और वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो संसद विधि द्वारा बनाए, उन राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

संघ द्वारा उद्गृहित और संगृहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित कर

251. (1) कृषि आय से भिन्न आय पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संगृहित किए जाएंगे तथा खंड (2) में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर के शुद्ध आगमों का ऐसा प्रतिशत, जो विहित किया जाए, वहां तक के सिवाय जहां तक वे आगामी पहली अनुसूची के भाग-2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों से या संघ की उपलब्धियों के संबंध में संदेय करों से प्राप्त हुए आगम माने जा सकते हैं, भारत के राजस्व का भाग नहीं होगा किंतु उन राज्यों को सौंप दिया जाएगा जिनके भीतर वह कर उस वर्ष में उद्गृहणीय है और ऐसी रीति से और ऐसे समय से, जो विहित किया जाए, उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

(3) खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय पर करों के उतने शुरु आगमों का, जितने संघ की उपलब्धियों के संबंध में संदेय करों के शुद्ध आगम नहीं हैं, वह प्रतिशत, जो विहित किया जाए, ऐसा आगम समझा जाएगा जो, जैसी ऊपर है, से प्राप्त हुआ माना जा सकता है।

(4) इस अनुच्छेद में-

(क) ''आय पर कर'' के अंतर्गत इस संविधान के अनुच्छेद 266 के परंतुक के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट आय पर किस कर के बदले भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत कोई धनराशि है किन्तु इसके अंतर्गत निगम कर नहीं है;

(ख) ''विहित'' से अभिप्रेत है-

(i) जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विहित; और

(ii) वित्त आयोग का गठन किए जाने के पश्चात्, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित;

(ग) ''संघ की उपलब्धि'' के अंतर्गत भारत के राजस्व में से संदेय ऐसी सभी उपलब्धियां और पेंशन हैं जिनके संबंध में आय-कर प्रभार्य है।

कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

252. अनुच्छेद 250 और अनुच्छेद 251 में किसी बात के होते हुए भी संसद उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी में किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार के संपूर्ण आगम भारत के राजस्व के भाग होंगे।

***कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे**

253. (1) संघ द्वारा नमक पर कोई शुल्क उद्गृहित नहीं किया जाएगा।

(2) संघ सूची में वर्णित औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद-शुल्क से भिन्न संघ उत्पाद-शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाएंगे किंतु यदि संसद विधि द्वारा इस प्रकार उपबंध करती है तो जिन राज्यों पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है उन राज्यों को भारत के राजस्व में से उस शुल्क के संपूर्ण शुद्ध आगमों के या उनके किसी भाग के बराबर राशियां संदत्त की जाएंगी और ये राशियां वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो उस विधि द्वारा बनाए जाएं, उन राज्यों के बीच वितरित की जाएंगी।

जूट पर या जूट उत्पादों पर शुल्क का वितरण

254. इस संविधान के अनुच्छेद 253 में किसी बात के होते हुए भी जूट पर या जूट उत्पादों पर किसी निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगमों का ऐसा अनुपात जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, भारत के राजस्व का भाग नहीं होगा किन्तु उन राज्यों को जिनमें जूट की पैदावार होती है, वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार सौंपा जाएगा जो

---

* समिति के सदसयों में से बहुमत की राय है कि नमक पर ष्शुल्क के बारे में कोई प्रतिषेध नहीं होना चहिए और उसका उदग्रहण संसद के विवेक पर छोड़ देना चाहिए और तदनुसार इस अनुच्छेद का खंड (1) आवश्यक नहीं है किंतु अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर की राय है कि यह खंड रखा जाए।

ऐसी विधि द्वारा बनाए जाएं :

परंतु जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक प्रत्येक वर्ष शुल्क के शुद्ध आगमों में से उन राज्यों को उनका ऐसा भाग और ऐसे अनुपात में जो भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन किए गए और इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी आदेश द्वारा इसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

255. ऐसी राशियां, जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रुप में प्रत्येक वर्ष भारत के राजस्व पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियां नियत की जा सकेगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रुप में भारत के राजस्व में ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक स्तर को उसे राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए :

परंतु यह और कि असम राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान के रुप में भारत के राजस्व में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी-

(क) जो छठी अनुसूची के पैरा 19 से संलग्न सारणी के भाग 1 में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान औसत व्यय राजस्व से जितना अधिक है, उसके बराबर है; और

(ख) जो उन विकास स्कीमों के खर्चों के बराबर है जिन्हें उक्त क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस

राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए।

वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर

256. (1) इस संविधान के अनुच्छेद 217 में किसी बात के होते हुए भी किन्तु इस अनुच्छेद के खंड (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को राज्य, नगरपालिका जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड और उनमें अन्य स्थानीय प्राधिकरण के फायदे के लिए वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी।

(2) राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रुप में संदेय कुल रकम दो सौ पचास रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परंतु यदि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी राज्य या किसी ऐसी नगरपालिका, बोर्ड या प्राधिकारी की दशा में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नियोजनों पर ऐसा कर प्रवृत्त था जिसकी दर या जिसकी अधिकतम दर दो सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष से अधिक थी तो ऐसा कर तब तक उद्गृहीत होता रहेगा जब तक संसद विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबंध नहीं करती है और संसद इस प्रकार बनाई गई कोई विधि साधारणतया या किन्हीं विनिर्दिष्टराज्यों, नगरपालिकाओं, बोर्डों या प्राधिकारियों के संबंध में बनाई जा सकेगी।

(3) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के संबंध में पूर्वोक्त रुप से विधियां बनाने की राज्य के विधानमंडल की शक्ति का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह वृत्तियां, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों से प्रादभुत या उद्भूत आय पर करों के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति को किसी प्रकार सीमित करती है।

व्यावृत्ति

257. ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीसें, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक उद्‌ग्रहीत की जा रही थीं, इस बात के होते हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीसे संघ सूची में वर्णित हैं, तब तक उद्‌ग्रहीत की जाती रहेंगी और उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती रहेंगी जब तक संसद विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबंध नहीं करती है।

करों और शुल्कों के उद्‌ग्रहण, संग्रहण और वितरण के संबंध में पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट रियासतों के साथ करार

258. (1) इस अध्याय के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संघ इस अनुच्छेद के खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उद्‌ग्रहणीय किसी कर या शुल्क के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में तथा इस अध्याय के उपबंधों में अन्यथा उसके आगमों के वितरण के लिए, पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासत के साथ कोई करार कर सकता है और जब इस प्रकार करार कर लिया जाए तो इस अध्याय के उपबंध ऐसी रियासत के बारे में ऐसे करार के निबंधनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे।

(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन किया गया करार इस संविधान के प्रारंभ से अधिक से अधिक 10 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा :

परंतु राष्ट्रपति ऐसे प्रारंभ से 5 वर्ष बीतने पर किसी समय, ऐसे करार को समाप्त कर सकेगा यदि वित्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह ऐसा करना आवश्यक समझता है।

शुद्ध आगम आदि की गणना

259. (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में शुद्ध आगम से किसी कर या शुल्क के संबंध में उसका वह आगम अभिप्रेत है जो उसके संग्रहण के खर्चों को घटाकर आए और उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र में या उससे

प्राप्त हुए माने जा सकने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा और उसका प्रमाण-पत्र अंतिम होगा।

(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके और इस अध्याय के किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को सौंप दिया जाता है या सौंप दिया जाए, संसद द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति का, जिससे आगम की गणना की जानी है, उस समय के, जिससे या जिसमें और उस रीति का, जिससे कोई संदाय किए जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का और अन्य आनुषंगिक या सहायक विषयों का उपबंध कर सकेगा।

वित्त आयोग

260. (1) राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रुप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, अवधारण कर सकेगी।

(3) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के, जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में,

(ख) भारत के राजस्व में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में,

(ग) भारत सरकार द्वारा पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत में उद्ग्रहणीय किसी कर या शुल्क के उद्ग्रहण, संग्रहण और वितरण की बाबत संघ द्वारा ऐसे राज्य के साथ किए गए किसी करार के निबंधनों की निरंतरता या उपरान्तरण के बारे में; तथा

(घ) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राष्ट्रपति को सिफारिश करे।

(4) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।

वित्त आयोग की सिफारिशें

261. राष्ट्रपति इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, संसद के समक्ष रखा जाएगा।

प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध

भारत के राजस्वों में से किए जाने वाले व्यय
राज्य

262. संघ या राज्य किसी लोग प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद या उस का विधानमंडल विधि बना सकता है।

लोक धन की अभिरक्षा संबंधी उपबंध

263. (1) राष्ट्रपति द्वारा या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाये जा सकेंगे यथास्थिति भारत के या किसी राज्य के राजस्व के लेखे प्राप्त समस्त धनराशियां, ऐसे अपवादों के साथ, यदि कोई है, जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

भारत के या उस राज्य के लोग लेखा में संदत्त की जाएंगी, और इस प्रकार बनाये गए नियम उन धनराशियों के उक्त खाते में संदाय की बाबत उसमें से धन निकालने, उसमें धन की अभिरक्षा तथा पूर्वोक्त विषय से संशक्त

अथवा आनुषंगिक किसी अन्य विषय के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे या किसी व्यक्ति को विहित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे।

(2) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा भारत के राजस्व के लेखे प्राप्त धनराशियों की अभिरक्षा, भारत के लोक लेखा में उनके सदस्य के लेखे प्राप्त समस्त धनराशियों की अभिरक्षा, राज्य के लोग लेखा में उनके संदाय, ऐसे लेखा से धन निकालने की विधि द्वारा विनियमित कर सकेगा और इस अनुच्छेद के अधीन बनाये गए कोई नियम ऐसी किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे :

कतिपय लोक सम्पत्ति को करों से छूट

264. वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करो से संघ की संपत्ति को छूट होगी।

परंतु जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, जब तक संघ की किसी संपत्ति पर ऐसा कर जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, तब तक उसका दायित्व बना रहेगा या उसका दायित्व माना जाता रहेगा जब तक वह कर चलता रहता है।

विद्युत पर करों से छूट

265. वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य की कोई विधि (किसी सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्युत के उपभोग या विक्रय पर जिसका:

(क) भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है या भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उस सरकार को विक्रय किया जाता है; या

(ख) किसी रेल के निर्माण, उसे बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा जो उस रेल को चलाती है, उपयोग किया जाता है अथवा किसी रेल के निर्माण,

उसे बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए किसी ऐसी रेल कंपनी को विक्रय किया जाता है, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत नही करेगी और विद्युत के विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करने वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को या किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए यथापूर्वोक्त किसी रेल कंपनी को विक्रय की गई विद्युत की कीमत, उस कीमत से जो विद्युत का प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से ली जाती है, उतनी कम होगी जितनी कम की रकम है।

संघीय करों के संबंध में राज्य की सरकारों को छूट

266. इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की सरकार भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भूमियों या भवनों अथवा ऐसे राज्यक्षेत्र के भीतर प्रोद्भूत होने, उत्पन्न होने वाली या प्राप्त आय के संबंध में संघ के करों की दायी नहीं होगी–

परंतु–

(क) जहां किसी प्रकार का व्यापार या कारोबार किसी राज्य की सरकार द्वारा या की ओर से किया जाता है वहां इस अनुच्छेद में की गई कोई बात उस व्यापार या कारोबार या उससे संबंधित किन्हीं क्रियाओं या इसके संबंध में होने वाली आय, या उसके प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी संपत्ति के संबंध में किसी भी संघीय कर से या ऐसे कर के बदले किसी धनराशि के उद्ग्रहण से उस सरकार को छूट प्रदान नहीं करेगी;

(ख) इस अनुच्छेद में की कोई बात ऐसी भूमियों, भवनों या आय की बाबत जो इसकी निजी सम्पत्ति हो या निजी आय हो, पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत के शासक को किसी संघीय कर से छूट प्रदान नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण– इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए किसी

राज्य सरकार की सामान्य कृत्यों को आनुषांगिक कोई क्रियाएं जैसे किसी राज्य की सरकार के नियंत्रणाधीन वन उत्पादों की उपज का अथवा किसी राज्य के भीतर किसी जिले में उत्पादित किसी वस्तु का विक्रय उस राज्य की सरकार द्वारा या की ओर से चलाए जाने वाला व्यापार या कारोबार नहीं समझा जाएगा।

कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन

267. जहां इस संविधान के उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय अथवा किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में, जिसने इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन के अधीन अथवा ऐसे प्रारंभ के पश्चात् संघ के या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा की है, संदेय पेंशन भारत के राजस्व या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की राजस्व पर भारित है वहां, यदि:-

(क) भारत के राजस्व पर भारित होने की दशा में, वह न्यायालय या आयोग इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी राज्य की पृथक आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है या उस व्यक्ति ने किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतः या भागतः सेवा की है; या

(ख) किसी राज्य के राजस्व पर भारित होने की दशा में, वह न्यायालय या आयोग संघ की या इस प्रकार विनिर्दिष्ट अन्य राज्य की पृथक आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है या उस व्यक्ति ने संघ या ऐसे अन्य राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतः या भागतः सेवा की है।

तो, यथास्थिति, उस राज्य के राजस्व पर अथवा, भारत के राजस्व अथवा अन्य राज्य के राजस्व पर, व्यय या पेंशन के संबंध में उतना अंशदान, जितना करार पाया जाए या करार के अभाव में जितना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे, भारित किया जाएगा और उसका उस निधि से संदाय किया जाएगा।

अध्याय–2

उधार लेना

भारत सरकार द्वारा उधार लेना

268. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत के राजस्व का प्रतिभूमि पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें संसद समय–समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है।

राज्यों द्वारा उधार लेना उधार लेना

269. (1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उस राज्य के राजस्व की प्रतिभूमि पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय–समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है।

(2) भारत सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित की जाएं, पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य को उधार दे सकेगी या जहां तक पिछले अनुच्छेद के अधीन नियत किसी सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है वहां तक किसी ऐसे राज्य द्वारा लिए गए उधारों के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगी और ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशियां भारत राजस्व पर भारित की जाएंगी।

(3) यदि किसी ऐसे उधार का, जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने पहली अनुसूची के भाग 1 में या 3

में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य को दिया था अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग अभी भी बकाया है तो वह राज्य, भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा।

इस खंड के अधीन सहमति उन शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे।

*****

अध्याय–3

संपत्ति, संविदाएं, दायित्व और वाद

कुछ दशाओं में आस्तियों और ऋणों, अधिकारों और दायित्वों का उत्तराधिकार

270. इस संविधान के प्रारंभ से ही, समस्त सम्पत्तियों, आस्तियों और दायित्वों के संबंध में भारत सरकार और पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य को सरकार क्रमशः भारत डोमिनियन की सरकार तथा तत्स्थायी राज्यपालों के प्रांतों की उत्तराधिकारी होगी जो इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व पाकिस्तान डोमिनियन अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के निर्माण के फलस्वरुप किए गए अथवा किए जाने वाले समायोजन के अधीन होगा।

राजगामी या व्ययगत या स्वामी विहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति

271. इसमें इसके पश्चात्, यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासतों के सिवाय भारत के राज्यक्षेत्र में कोई संपत्ति जो यदि यह संविधान प्रवर्तित न होता तो राजगामी या व्ययगत द्वारा या साधिकार स्वामी के अभाव में स्वामी विहीन होने से हिज मजेस्टी को प्रोद्भूत हुई होती, यदि वह संपत्ति पहली अनुसूची में भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में स्थित संपत्ति है तो, उस राज्य की सरकार के प्रयोजनों के लिए ऐसे राज्य में निहित होगी, और किसी अन्य दशा में, भारत सरकार के प्रयोजनों के लिए संघ में निहित होगी :

परंतु कोई संपत्ति, जो उस तारीख को जब वह इस प्रकार हित मजेस्टी को प्रोद्भूत हुई होती, भारत सरकार के या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी, तब यदि वे सयोजन जिनके लिए वह उस समय प्रयुक्त या धारित थी, संघ के थे इस प्रकार विनिर्दिष्ट राज्य के थे भारत सरकार के प्रयोजनों के लिए संघ में अथवा उस राज्य की

सरकार के प्रयोजनों के लिए वह उस राज्य में निहित होगी।

संपत्ति अर्जित करने की शक्ति

272. (1) संघ की और पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, समुचित विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन रहते हुए, यथास्थिति संघ या ऐसे राज्य के प्रयोजनों के लिए धारित किसी संपत्ति के अनुदान विक्रय, व्यपन या बंधक तक, तथा क्रमश: उन प्रयोजनों के लिए संपत्ति के क्रय या अर्जन तथा संविदाएं करने तक होगा।

(2) संघ के या पहली अनुसूची के भाग-1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य के प्रयोजनों के लिए अर्जित समस्त संपत्ति यथास्थिति संघ में या ऐसी किसी राज्य में निहित होगी।

संविदाएं

273. (1) संघ की या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई सभी संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई कही जाएंगी और वे सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण पत्र, जो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाएं, राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से निष्पादित किए जाएंगे जिसे वह निर्दिष्ट का प्राधिकृत करें।

(2) राष्ट्रपति या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य का राज्यपाल इस संविधान के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार के संबंध में इससे पूर्व प्रवृत्त किसी अधिनियति के प्रयोजनों के लिए की गई या निष्पादित की गई किसी संविदा या हस्तांतरण-पत्र के संबंध में वैयक्तिक रुप से दायी नही होगा या उनमें से किसी की और से ऐसी संविदा या हस्तांतरण-पत्र करने या निष्पादित करने वाला व्यक्ति उसके संबंध में वैयक्ति रुप से दायी नही होगा।

वाद और कार्यवाहियाँ

274. (1) भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और यही अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद के या ऐसे राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किया जाएं, वे अपने-अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार, यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो, भारत डोमिनियन और तत्स्थानी प्रांत या तत्स्थानी देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था।

(2) यदि इस संविधान के प्रारंभ पर –

(क) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा; और

(ख) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें कोई प्रांत पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस प्रांत के स्थान पर तत्स्थानी राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।

*****

भाग 11

आपात उपबंध

आपात की उद्‌घोषणा

275. (1) यह राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या आंतरिक हिंसा के कारण भारत की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्‌घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा।

(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्‌घोषणा (जिसे इस संविधान में आपात उद्‌घोषणा कहा गया है) –

(क) पश्चात्‌वर्ती उद्‌घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी;

(ख) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी;

(ग) छह मास बीतने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी जब तक कि उस अवधि के बीतने से पहले उसे संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) आपात उद्‌घोषणा जिसमें यह घोषणा की गई हो कि भारत की सुरक्षा युद्ध या आंतरिक हिंसा द्वारा संकट में है युद्ध या ऐसी किसी हिंसा के वास्तविक घटने से पहले की जा सकेगी यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि उसका आसन्न संकट है।

आपात उद्‌घोषणा का प्रभाव

276. जब आपात की उद्‌घोषणा प्रवर्तन में है तब–

(क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे;

(ख) किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत ऐसी विधियां बनाने की शक्ति होगी जो उस विषय के संबंध में भारत सरकार को या भारत सरकार

के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती है और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करती है या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करती है।

जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना

277. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद 249 से अनुच्छेद 259 के सभी या कोई उपबंध ऐसी किसी अवधि के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं और जो किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगी, जिसमें ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है, ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो वह ठीक समझे।

पहली अनुसूची के भाग-1 के राज्यों में तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

278. (1) यदि राष्ट्रपति का उस संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नही चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा:

(क) उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा;

(ख) यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोक्तव्य होगी।

और ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उसे उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी रुप देने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों जिसके अंतर्गत उस राज्य में किसी निकाय या प्राधिकरण विषयक इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन पूर्णत: निलम्बित करने के उपबंध हैं:

परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन के पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

(2) ऐसी किसी उद्घोषणा को पश्चात्वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकेगा या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

(3) इन अनुच्छेद के अधीन उद्घोषणा–

(क) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी;

(ख) सिवाय वहां के जहां पूर्व उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा है, छह मास बीतने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी:

परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उतनी बार यह उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो इस तारीख को जिसको इस खंड के अधीन वह अन्यथा प्रवर्तन में न रहती, बारह मास की अवधि तक और प्रवृत्त बनी रहेगी किन्तु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं होगी।

(4) जहां इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी वहां–

(क) संसद भारत सरकार या भारत सरकार के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त करने वाली और शुल्क अधिरोपित करने वाली, या शक्तियां प्रदत्त करना और शुल्क अधिरोपित करने वाली विधियां बनाने के लिए सक्षम होगी;

(ख) राष्ट्रपति तब के सिवाय जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों, इस संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए सक्षम होगा।

(5) संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे बनाने के लिए संसद सक्षम न हुई होती यदि इस अनुच्छेद के अधीन उद्घोषणा जारी न की जाती, अक्षमता की मात्रा तक, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के बाद एक वर्ष की अवधि बीतने के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी, सिवाय उन चीजों के जो उक्त अवधि बीतने से पूर्व की गई हों या जिनके करने का लोप किया गया हो, जब तक कि वे उपबंध जो इस प्रकार प्रभावी नहीं रहेंगे, राज्य के विधान -मंडल के अधिनियम द्वारा उपान्तरों के साथ या उनके बिना उससे शीघ्र निरसित या पुर्नअधिनियमित नहीं कर दिये जाते हैं।

आपात के दौरान अनुच्छेद 13 के उपबंधों का निलम्बन

279. जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो इस संविधान के अनुच्छेद 13 की कोई बात कोई विधि बनाने या कोई कार्यपालक कारवाई करने के लिए, इस भाग में यथा परिभाषित राज्य की शक्ति को निर्बन्धित नहीं करेगी जिसे बनाने या करने के लिए राज्य अन्यथा सक्षम होगा।

***आपात के दौरान अनुच्छेद 25 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का निलम्बन**

280. जहां आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के बाद ऐसी अवधि के लिए जिसका विस्तार छह मास की अवधि से परे न हो, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

*****

* समिति की राय है कि अनुच्छेद 13 वाले मूल अधिकारों के निलम्बन के लिए अथवा अनुच्छेद 25 के अधीन ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन को निलम्बन के लिए वहां कोई उपबंध नहीं किया जाना चाहिए जहां पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत की सरकार द्वारा आपात की घोषणा की जाए क्योंकि इससे अनावश्यक जटिलताएं पैदा हो जाएंगी।

भाग 12

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय 1

सेवाएं*

निर्वाचन

281. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ''राज्य'' शब्द से पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।

संघ या किसी राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें

282. (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति को जो किसी सिविल सेवा का सदस्य है या भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के कार्यों के संबंध मं कोई सिविल पद धारण करता है, तब तक पदच्युत, पद से हटाया नहीं जाएगा या पंक्ति में अवनत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उस कार्रवाई के विरुद्ध जो उसके बारे में की जानी प्रस्तावित है, कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

परंतु वहां यह खंड लागू नहीं होगा–

(क) जहां किसी व्यक्ति को आचरण के आधार पर जिसके कारण आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्धि हुई, पदच्युत किया गया है, पद से हटाया गया है, या

(ख) जहां उस व्यक्ति को पदच्युत करने या उसे पद से हटाने या उसे पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी

---

*- समिति की राय है कि रक्षा सेवाओं में काम करने वाले या सिविल हैसियत में संघ या किसी राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्ते संविधान में शामिल नहीं की जानी चाहिए बल्कि समुचित विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा विनियमित किए जाने के लिए छोड़ दी जानी चाहिए।

का समाधान हो जाता है कि कुछ कारणों से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, उस व्यक्ति को कारण बताने का अवसर देना युक्तियुक्त रुप से व्यावहारिक नहीं है।

संक्रमणकालीन उपबंध 283. जब तक कि इस संविधान के अधीन उस निमित्त अन्य उपबंध नहीं किया जाता है तब तक कोई नियम जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, और किसी लोकसेवा या पद को लागू थे, जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रुप में अस्तित्व में बनी हुई हैं, वहां तक प्रवृत्त रहेंगे जहां तक इस संविधान के उपबंधों से संगत हैं।

*****

अध्याय 11

लोक सेवा आयोग

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

284. (1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

(2) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे -

(क) कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा; या

(ख) उन राज्यों में एक का लोक सेवा आयोग उन सब राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा; और ऐसे किसी करार में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस करार, के प्रयोजनों की प्रभावी रुप देने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों और ऐसे करार की दशा में कि राज्यों के समूह के लिए एक ही लोक-सेवा आयोग होगा, उसमें यह विनिर्देश होगा कि किस राज्यपाल या किन राज्यपालों द्वारा उन कृत्यों का पालन, जो इस संविधान के इस भाग के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाना है, किया जाएगा।

(3) यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक-सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रापति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा।

(4) इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ऐसे आयोग के प्रति निर्देश जो प्रश्नगत किसी विशिष्ट विषय के संबंध में, यथास्थिति, संघ की या राज्य की

आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

आयोग की रचना और कर्मचारीवृंद

285. (1) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा उसके विवेकानुसार की जाएगी :

परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।

(2) संघ आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में, उस राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार, नियमों द्वारा-

(क) आयोग के सदस्यों की संख्या, उसकी पदावधि और उनकी सेवा शर्तें अवधारित कर सकेगा; और

(ख) आयोग के कर्मचारीवृन्द के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर

सकेगा,

(3) पद पर न रह जाने पर-

(क) संघ आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) किसी राज्य आयोग का अध्यक्ष संघ आयोग के अध्यक्ष या सदस्य या किसी दूसरे राज्य के आयोग के अध्यक्ष के रुप में नियुक्त होने का पात्र होगा किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किन्तु अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा;

(ग) संघ या किसी राज्य के आयोग का कोई अन्य सदस्य भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति का, राज्य के कार्यों के संबंध में नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के राज्यपाल और किसी अन्य किसी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना, पात्र नहीं होगा।

लोक सेवा आयोग के कृत्य

286. (1) संघ और राज्य लोक-सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।

(2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें।

(3) अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा किन्तु इस प्रकार बनाये गए विनियमों के तथा अगले खंड के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य आयोग से निम्नलिखित विषयों पर परामर्श किया जाएगा-

(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यार्थियों की उपयुक्तता

पर,

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार को सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं,

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्वित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का यथास्थिति, भारत के राजस्व में से या राज्य के राजस्व में से संदाय किया जाना

चाहिए।

(ड.) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे यथास्थिति, राष्ट्रपति या उस राज्य के राज्यपाल उसे निर्देशित करे, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा:

परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और विनियम बना सकेगा जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना

आवश्यक नहीं होगा।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उस रीति के संबंध में जिससे नियुक्तियां और पदों को संघ या किसी राज्य में विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आवंटित किया जाना है, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित नहीं करेगी।

लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

287. इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाए गए या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम में यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अतिरिक्त कृत्यों का पालन करने के लिए उपबंध किया जा सकेगा :

परंतु जहां अधिनियम किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया जाए वहां ऐसे अधिनियम का यह एक निबंधन होगा कि उसके द्वारा प्रदत्त कृत्यों का पालन किसी व्यक्ति के संबंध में जो राज्य की सेवाओं में से एक का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति की सम्मति से ही किया जा सकेगा अन्यथा नहीं।

लोक सेवा आयोगों के व्यय

288. संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारीवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति भारत के राजस्व या राज्य के राजस्व पर भारित होंगे।

*****

भाग 13

निर्वाचन

निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक निर्वाचन आयोग में निहित होना

289. (1) इस संविधान के अधीन आयोजित संसद के निर्वाचनों और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण जिसके अंतर्गत संसद के निर्वाचनों से या के संबंध में उत्पन्न शंकाओं और विवादों के विनिश्चय के लिए निर्वाचन अधिकरणों की नियुक्ति भी है, एक आयोग में निहित होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के सभी निर्वाचनों का तथा राज्य के राज्यपाल पद के निर्वाचनों/इस संविधान के अधीन आयोजित राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए एक पैनल बनाने के लिए निर्वाचनों* का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा जो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।**

संसद के निर्वाचन

290. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद समय-समय पर विधि द्वारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों का सम्यक गठन तथा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगी।

---

* इस खंड में ''राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए एक पैनल बनाने के लिए निर्वाचनों'' शब्दों का प्रयोग ''राज्य के राज्यपाल के पद के निर्वाचनों'' शब्दों के स्थान पर करना होगा यदि अनुच्छेद 131 में दूसरे अनुकल्प को अंगीकार करना है।

** समिति की राय है कि पहली अनुसूची के भाग-1 राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाना है।

राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन

291. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल समय-समय पर, विधि द्वारा राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विषय है, उपबंध कर सकेगा।

*****

भाग 14

अल्पसंख्यकों के संबंधित विशेष उपबंध

लोकसभा में अल्पसंख्यकों के लिए स्थानों का आरक्षण

292. लोकसभा में-

(क) मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जातियों के लिए,

(ख) पहली अनुसूची के भाग I में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए,

(ग) मद्रास और बम्बई के राज्यों में भारतीय ईसाई समुदाय के लिए, संविधान के अनुच्छेद 67 के खंड (5) के उपखंड (ख) में विहित मानक के अनुसार स्थानों का आरक्षण होगा।

लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व

293. आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा।

राज्यों की विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए स्थानों का आरक्षण

294. (क) पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधानसभा में मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए (असम के स्वशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) और

(ख) मद्रास और बम्बई राज्यों की विधानसभाओं में भारतीय ईसाई समुदाय के लिए।

स्थानों का आरक्षण इस संविधान के अनुच्छेद 149 के खंड (3) में विहित मानकों के अनुसार होगा।

(2) असम राज्य की विधानसभा में स्वशासी निकायों के लिए भी स्थानों का आरक्षण होगा।

(3) पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी

राज्य की विधानसभा में किसी समुदाय के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों की कुल संख्या से वही अनुपात होगा जो उस राज्य के समुदाय की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

स्पष्टीकरण: किसी राज्य में सभी अनुसूचित जातियां इस खंड के प्रयोजनों के लिए एह ही समुदाय समझी जाएंगी और इसी प्रकार राज्य में अनुसूचित जनजातियां भी एक ही समुदाय समझी जाएंगी।

(4) असम राज्य की विधानसभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

(5) असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा।

(6) कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है उस राज्य की विधानसभा के लिए उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से (शिलांग छावनी और नगरपालिका में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर) निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित विशेष उपबंध

295. इस संविधान के अनुच्छेद 149 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय है कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह विधानसभा में उस समुदाय के उतने सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा जितने वह समुचित समझें।

सेवाओं और पदों पर अल्पसंख्यक समुदायों के दावे

296. अगले अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ या पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में सभी अल्पसंख्यक समुदायों के

दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध

297. (1) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्, प्रथम दो वर्ष के दौरान, संघ की रेल, सीमाशुल्क, डाक और तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियां उसी आधार पर की जाएंगी जिस आधार पर 15 अगस्त, 1947 से ठीक पहले की जाती थीं।

प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान उक्त समुदाय के सदस्यों के लिए, उक्त सेवाओं में आरक्षित पदों की संख्या ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान इस प्रकार आरक्षित संख्या से यथासंभव निकटतम दस प्रतिशत कम होगी :

परंतु इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे।

(2) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में गुणागुण के आधार पर नियुक्ति के लिए अर्हित पाए जाएं तो खंड (1) के अधीन उस समुदाय के लिए आरक्षित पदों से भिन्न या उनके अतिरिक्त पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति को उस खंड की कोई बात वर्जित नहीं करेगी।

आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध

298. इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् प्रथम तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शिक्षा के संबंध में संघ और प्रत्येक राज्य द्वारा वही अनुदान, यदि कोई हो, दिए जाएंगे जो 31 मार्च, 1948 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे।

प्रत्येक उत्तरवर्ती तीन वर्षों की अवधि के दौरान अनुदान ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि की अपेक्षा दस प्रतिशत कम हो सकेंगे :

परंतु इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष रियायत है उस मात्रा तक, समाप्त हो जाएंगे:

परंतु यह और कि कोई शिक्षा संस्था इस अनुच्छेद के अधीन अनुदान प्राप्त करने की तब तक हकदार नहीं होगी जब तक उसके वार्षिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न समुदायों के सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं किए जाते हैं।

संघ और राज्यों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

299. (1) संघ के अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) संघ के विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्य के संबंध में इस संविधान के अधीन अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे तथा ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निदेश दें, रक्षोपायों के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे, तथा राष्ट्रपति ऐसी सब रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाएगा।

(3) इस प्रकार विनिर्दिष्ट राज्य के विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यकलापों के संबंध में इस संविधान के अधीन अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और ऐसे अंतरालों पर जो उस राज्य के राज्यपाल निर्देश दे रक्षोपायों के कार्यान्वयन के बारे में राज्यपाल को रिपोर्ट दे और राज्यपाल ऐसी सभी रिपोर्ट उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

पहली अनुसूची के भाग 1 के राज्यों में अनुसूचित

300. (1) राष्ट्रपति, पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए

जनजातियों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण

आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेगी और उसमें ऐसे अनुषंगिक या सहायक उपबंध समाविष्ट हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (किसी राज्य) को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यकता बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में

है।

पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग की नियुक्ति

301. (1) राष्ट्रपति भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाईयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए, और जिन शर्तों के अधीन के अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे।

(3) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के समक्ष रखवाएगा।

*****

भाग 15

प्रकीर्ण

राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण

302. (1) राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय का उत्तरदायी नहीं होगा :

परंतु अनुच्छेद 50 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती है जो संविधान के भाग 10 के अध्याय 3 में वर्णित है।

(2) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी।

(3) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी।

(4) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रुप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात्, उसके द्वारा अपनी वैयक्तिक हैसियत में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल

कार्यवाहियां, जिनमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया जाता है, उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जाएंगी जब तक कि कार्यवाहियों की प्रकृति, उनके लिए वाद हेतु, ऐसी कार्यवाहियों का संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, वर्णन, निवास-स्थान और उस अनुतोष का जिसका वह दावा करता है, कथन करने वाली लिखित सूचना, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास का समय समाप्त नहीं हो गया है।

निर्वचन आदि

303. (1) इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित पदों के निम्नलिखित अर्थ हैं, अर्थात्:

(क) ''कृषि आय'' से भारतीय आय-कर से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए यथा परिभाषित कृषि-आय अभिप्रेत है.

(ख) ''आंग्ल-भारतीय'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका पिता या पितृ-परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्‌भव का है या था, किंतु जो भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासी है और जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में ऐसे माता-पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहां साधारणतया निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं;

(ग) ''भारतीय ईसाई'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ईसाई धर्म के किसी भी रुप को मानता है और यूरोपीय या आंग्ल-भारतीय नहीं है।

(घ) 'उधार लेना' के अंतर्गत वार्षिकियां देकर धन लेना है और ''ऋण'' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ड.) 'मुख्य न्यायमूर्ति' के अंतर्गत उच्च न्यायालय के संबंध में मुख्य न्यायाधीश है।

(च) ''निगम कर'' से आय पर कोई भी कर अभिप्रेत है, जहां तक वह कर कंपनियों द्वारा संदेय है और ऐसा कर है

जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती है, अर्थात्:

(i) वह कृषि-आय के संबध में प्रभार्य नहीं है;

(ii) कंपनियों द्वारा संदत्त कर के संबंध में कंपनियों द्वारा व्यक्तियों को संदेय लाभांशों में से किसी कटौती का किया जाना उस कर को लागू अधिनियमितियों द्वारा प्राधिकृंत नहीं हैं;

(iii) ऐसे लाभांश प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल आय की भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिए गणना करने में अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा संदेश या उनको प्रतिदेश भारतीय आय-कर की गणना करने में इस प्रकार संदत्त कर को हिसाब में लेने के लिए कोई उपबंध विद्यमान नहीं है;

(छ) शंका की दशा में, ''तत्स्थानी प्रांत'' या ''तत्स्थानी राज्य'' से ऐसा प्रांत, या राज्य अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति प्रश्नगत किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, तत्स्थानी प्रांत, तत्स्थानी देश राज्य या तत्स्थानी राज्य अवधारित करे;

(ज) 'ऋण' के अंतर्गत वार्षिकियों के रुप में मूलधन के प्रति संदाय की किसी बाध्यता के संबंध में कोई दायित्व और किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व है और 'ऋणभार' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(झ) 'विद्यमान विधि' से ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम अभिप्रेत है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले किसी विधानमंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है; किन्तु इसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम की संसद का कोई अधिनियम या ऐसे किसी अधिनियम के अधीन आदेश शामिल नहीं है।

(ञ) ''फेडरल न्यायालय'' से भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन गठित फेडरल न्यायालय अभिप्रेत है।

(ट) ''माल'' के अंतर्गत सभी सामग्री प्रण्य और वस्तुएं हैं;

(ठ) ''प्रत्याभूति' के अंतर्गत ऐसी बाध्यता है जिसका, किसी उपक्रम के लाभों के किसी विनिर्दिष्ट रकम से कम होने की दशा में, संदाय करने का वचनबंध इस संविधान के प्रारंभ से पहले किया गया है;

(ड) 'पेंशन' से किसी को या उसके संबंध में संदेय किसी प्रकार की पेंशन अभिप्रेत है चाहे वह अभिदायी है या नहीं है और इसके अंतर्गत इस प्रकार संदेय सेवानिवृत्ति वेतन, इस प्रकार संदेय उपदान और किसी भविष्य निधि के अभिदानों की, उन पर ब्याज या उनमें अन्य परिवर्धन सहित या उसके बिना, वापसी के रुप में इस प्रकार संदेय कोई राशि या राशियां हैं;

(ढ) ''लोक अधिसूचना'' से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ण) ''प्रतिभूतियों'' में स्टाक शामिल हैं;

(त) ''कराधान'' के अंतर्गत किसी कर या लाग का अधिरोपण है चाहे वह साधारण या स्थानय या विशेष है और ''कर'' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(थ) ''आय पर कर'' के अंतर्गत अतिलाभ-कर की प्रकृति का कर शामिल है;

(द) 'रेल' के अंतर्गत ट्रामवे शामिल है जो नगरपालिका क्षेत्र में पूर्णतः नहीं है।

(ध) ''संघीय रेलवे'' के अंतर्गत किसी देसी रियासत रेलवे नहीं है किंतु यथापूर्वोक्त के सिवाय, इसके अंतर्गत कोई भी रेलवे है जो लघु रेलवे नहीं है।

(न) ''देसी रियासत रेलवे'' से ऐसा रेलवे अभिप्रेत है जो पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी रियासत के स्वामित्व में है और या तो ऐसी रियासत द्वारा चलाया जाता है, या भारत सरकार या संघीय रेलवे चलाने वाली किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से उस रियासत के साथ की गई संविदा के अनुसार या ऐसी रियासत की

ओर से चलाया जाता है;

(प) 'लुघु रेलवे' से ऐसा रेलवे अभिप्रेत है जो पूर्णतः एक ही राज्य में स्थित है और संघीय रेलवे के साथ, चाहे वह उसी गेज का हो या नहीं, संचार की निरंतर लाइन नहीं बनाती है।

(फ) "अनुसूची" से इस संविधान की अनुसूची अधिप्रेत है;

(ब) "अनुसूचित जातियां" से, पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के संबंध में, ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां या उनके भाग या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के अंदर समूह अभिप्रेत है जो भारत शासन (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1936 में तत्स्थानी प्रांत के संबंध में, भारत शासन अधिनियम, 1935 की पांचवी और छठी अनुसूचियों के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट हैं।

(भ) "अनुसूचित जनजातियां" से पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के संबंध में आठवीं अनुसूची के भाग 1 से 9 में विनिर्दिष्ट जनजातियां या समुदाय अभिप्रेत हैं जिनसे वे भाग क्रमशः संबंधित हैं।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस संविधान के निर्वचन के लिए लागू होगा।

(3) इस संविधान में संसद के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का अथवा पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अध्यादेश या किसी राज्यपाल द्वारा निर्मित अध्यादेश के प्रति निर्देश है।

*****

भाग 16

संविधान का संशोधन

संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया

304. (1) परंतु यदि ऐसा संशोधन–

*(क) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में, या

(ख) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या

(ग) उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा तथा उस अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट कम से कम एक तिहाई रियासतों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

**(2) पिछले अंतिम खंड में किसी बात के होते हुए भी, संविधान का संशोधन जो पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में राज्यपाल और विधानमंडल के सदनों की संख्या चुनने की पद्धति विषयक इस संविधान के उपबंधों में कोई परिवर्तन करने के लिए है उस राज्य की विधानसभा में अथवा जहां उस राज्य में

---

* समिति की राय है कि इस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक की मद (क) में सातवीं अनुसूची की सभी सूचियों का निर्देश होना चाहिए।

** समिति की यह भी राय है कि पहली अनुसूची के भाग 1 के राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल तथा ऐसे राज्य में विधानमंडल के सदनों की संख्या चुनने के संबंध में इस संविधान के उपबंधों के संशोधन के लिए विधेयक पेश करने में समर्थ बनाने के लिए उपबंध इस अनुच्छेद में शामिल किया जाना चाहिए बशर्ते कि ऐसा विधेयक ऐसे राज्य के विधानमंडल के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित किया जाए और तत्पश्चात् संसद द्वारा पूर्ण बहुमत से अनुसमर्थित किया जाए, और उस प्रयोजन के लिए इस अनुच्छेद में खंड 2 जोड़ा है।

विधान परिषद है, वहां राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में उस प्रयोजन के लिए विधेयक पुर:स्थापित करके शुरु किया जा सकता है, और जब विधेयक विधानसभा द्वारा या जहां राज्य में विधान परिषद है, वहां राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथास्थिति उस विधानसभा या प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत पारित कर दिया जाता है तो वह अनुसमर्थन के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जब वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अनुसमर्थित कर दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक को ऐसी अनुमति प्राप्त हो जाने पर संविधान विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा।

स्पष्टीकरण: जहां राज्यों का समूह पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट है वहां संपूर्ण समूह इस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए एकल राज्य समझा जाएगा।

अल्पसंख्यकों के लिए स्थानों का आरक्षण केवल 10 वर्ष तक प्रवृत्त रहना जब तक कि संविधान के संशोधन द्वारा प्रवर्तनशील नहीं बना रहता है

305. इस संविधान के अनुच्छेद 304 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, या तो संसद या पहली अनुसूची के भाग-1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान -मंडल में मुसलमानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या भारतीय ईसाइयों के लिए स्थानों के आरक्षण विषयक इस संशोधन के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के दौरान संशोधित नहीं किये जाएंगे और उस अवधि के बीतने पर प्रभावी नहीं रहेंगे जब तक कि संविधान के संशोधन द्वारा प्रवर्तनशील न बने रहें।

*****

भाग 17

अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध

***राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों**

306. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद को इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के दौरान निम्नलिखित विषयों के बारे में विधि बनाने की इस प्रकार शक्ति होगी मानों वे विषय समवर्ती सूची में प्रगणित हों, अर्थात्–

(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कागज (अखबारी कागज समेत), खाद्य पदार्थो (खाद्य तिलहनों और तेल समेत), रसायन और रसायन उत्पादनों, यांत्रिक रुप से चालित यानों, कोयले, लौह, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण;

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को राहत और उनका पुनर्वास;

(ग) इस अनुच्छेद के खंड (क) और (ख) में वर्णित विषयों में से किसी विषय से संबंधित विषयों के विरुद्ध अपराध, उन विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े उन विषयों में से किसी के संबंध में उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां, तथा उन विषयों में से किसी के संबंध में फीस किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस शामिल नहीं है :

* समिति की राय है कि खाद्य वस्तुओं और कुछ अन्य वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण संबंधी वर्तमान अवस्थाओं की दृष्टि से और शरणार्थियों की राहत और पुनर्वास की विशेष समस्या की दृष्टि से संसद के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए इन विषयों के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति का उपबंध किया जाना चाहिए यद्यपि आमतौर पर ये विषय राज्य सूची में आते है। ऐसी ही शक्ति भारत (केन्द्र सरकार और विधानमंडल) अधिनियम, 1946 द्वारा सीमित अवधि के लिये प्रदान की गई थी।

किन्तु संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद इस अनुच्छेद के उपबंधों के अभाव में, बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उस अवधि की समाप्ति के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन

307. (1) अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का इस संविधान द्वारा निरसन होने पर भी, किन्तु इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में सभी प्रवृत्त विधि वहां तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है।

(2) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, उपबंध कर सकेगा कि ऐसी तारीख से जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, भारत के राज्यक्षेत्र में या ऐसे राज्यक्षेत्र के किसी भाग में प्रवृत्त कोई विधि, चाहे निरसन के रुप में या संशोधन के रुप में, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो उसे उस विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों के अनुरुप बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, तब तक प्रभावी होगी जब तक कि उसका किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है, और ऐसे किसी अनुकूलन या उपांतरण को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1: इस अनुच्छेद में, ''प्रवृत्त विधि'' पद के अंतर्गत ऐसी विधि है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई है या बनाई गई है और पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है भले ही वह या उसके कोई भाग तब पूर्वत- या किन्ही विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हों।

स्पष्टीकरण 2: भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई या बनाई गई ऐसी विधि का, जिसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव था और भारत के राज्यक्षेत्र में भी प्रभाव था, यथापूर्वोक्त किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, ऐसा राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा।

स्पष्टीकरण 3: इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी प्रवृत्त अस्थायी अधिनियम को उसकी समाप्ति के लिए नियत तारीख के बाद प्रवृत्त बना रहेगा।

फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना और फेडरल न्यायालय में या परिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों का उच्चतम न्यायालय में अंतरण किया जाना

308. (1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के पदधारण करने वाले न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा निर्वचन न कर चुके हों, तो ऐसे प्रारंभ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और तब ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 104 के अधीन उपबंधित हैं।

(2) इस संविधान के प्रारंभ पर फेडरल न्यायालय में लंबित सभी सिविल या दांडिक वाद, अपील और कार्यवाहियां, उच्चतम न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी और उच्चतम न्यायालय को सुनने और उनका अवधारण करने की अधिकारिता होगी और फेडरल न्यायालय द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले सुनाए गए या दिए गए निर्णयों और आदेशों का वही बल और प्रभाव होगा मानों वे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए हों या दिए गए हों।

*(3) इस संविधान के प्रारंभ से ही सपरिषद हिज मेजेस्टी की भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय की डिक्री

---

* समिति सोचती है कि सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित सभी अपीलों और अन्य कार्यवाहियों का तब तक अंतिम रूप से निपटारा कर दिया जाएगा जब तक संविधान प्रवृत्त होता है। फिर भी यदि कुछ अपीलें या अन्य कार्यवाहियां संविधान के प्रारंभ के समय सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित रह जाएंगी और उच्चतम न्यायालय को इसमें कठिनाई महसूस होती है तो राष्ट्रपति इस विषय में 'समस्याओं का निपटारा' खंड (अनुच्छेद 313) के तहत आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

या आदेश के विरुद्ध या के संबंध में अपीलों और याचिकाओं को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता, जिसके अंतर्गत हिज मेजेस्टी के परमाधिकार के फलस्वरुप हिज मेजेस्टी द्वारा प्रयोक्तव्य दांडिक मामलों से संबंधित अधिकारिता भी है, समाप्त हो जाएगी तथा उक्त तारीख को सपरिषद् हिज मेजेस्टी के समक्ष लम्बित सभी अपीलें और अन्य कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय को अंतरित कर दी जाएंगी और इसके द्वारा निपटाई जाएंगी।

(4) इस अनुच्छेद के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए संसद विधि द्वारा और उपबंध कर सकेगी।

संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना

309. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दांडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी अपने-अपने कृत्यों को, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, करते रहेंगे।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध

310. अनुच्छेद 217 के खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायधीश, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हो तो, ऐसे प्रारंभ पर तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और तब ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे जो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 221 के अधीन उपबंधित हैं। (ऐसा न्यायाधीश इस बात के होते हुए भी कि वह भारत का नागरिक नहीं है, ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायधीश नियुक्त होने का पात्र होगा)।

संघ के अंनतिम विधानमंडल, राष्ट्रपति आदि

311. (1) जब तक इस संविधान के अधीन संसद के दोनों सदनों का सम्यक रुप से गठन नहीं हो जाता है और उन्हें प्रथम सत्र के लिए अधिवेशन के लिए आहूँत नहीं किया जाता

के बारे में उपबंध

है भारत के डोमिनियन की संविधान तथा संसद को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा उसे प्रदत्त कर्तव्यों का पालन स्वयं करेगी और विशिष्टतया संसद के दोनों सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए, निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन समेत संसद के दोनों सदनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों का तथा अन्य ऐसे समनुषंगी तथा पारिणामिक विषयों का उपबंध करने वाली विधि बना सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों को प्रभावी रुप देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए भारतीय डोमिनियन की संविधान सभा के अंतर्गत सभा द्वारा उसे निमित्त बनाये गए नियमानुसार उस सभा में आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए चुने गए सदस्य भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत किसी ऐसे राज्यक्षेत्र को जो पहली अनुसूची में शामिल नहीं है, प्रतिनिधित्व करने वाले कोई सदस्य नहीं हैं।

(2) संविधान सभा का, जब वह भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन डोमिनियन विधानमंडल के रुप में काम करता है; अध्यक्ष इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन काम करने वाली ऐसी सभा के अध्यक्ष के रुप में बना रहेगा।

*(3) ऐसे व्यक्ति को भारतीय डोमिनियन की संविधान सभा ने इस निमित्त निर्वाचित किया होगा, तब तक भारत का अंतिम राष्ट्रपति होगा जब तक संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए और वह पद ग्रहण न कर ले।

---

* समिति के दो सदस्यों माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की राय है कि अनुच्छेद 311 के खंड के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाना चाहिए- "(3 भारत की संवधिान सभा का सभापति भारत का तत्कालिक राष्ट्रपति हो जाएगा जब तक कि संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वचन न हो जाए और वह पद ग्रहण न कर ले।)"

(4) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व भारतीय डोमिनियन के मंत्री का पद धारण करने वाले सभी व्यक्ति ऐसे प्रारंभ के पश्चात् इस संविधान के अधीन अनंतिम राष्ट्रपति की मंत्री परिषद के सदस्य बन जाएंगे।

पहली अनुसूची के भाग 1 के प्रत्येक राज्य में अंतिम विधान-मंडल, राज्यपाल आदि के बारे में उपबंध

312. (1) जब तक कि पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का या के सदन सम्यकत: गठित नहीं किया जाता है यह किए जाते हैं और इस संविधान के उपबंधों के अधीन प्रथम सत्र के लिए अधिवेशन के लिए आहूँत नहीं किया जाता है या किए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले काम करने वाले तत्स्थानी प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा या करेंगे।

(2) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत की विधानसभा के अध्यक्ष का तथा विधान परिषद के अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट तत्स्थानी राज्य की यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन कार्य कर रही हो।

(3) इस संविधान के ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले किसी प्रांत में राज्यपाल (गर्वनर) पद धारण करने वाला व्यक्ति, प्रारंभ के पश्चात् पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट तत्स्थानी राज्य का अंतिम राज्यपाल होगा जब तक की संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसार एक नये राज्यपाल का निर्वाचन/नियुक्ति** न हो जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले।

(4) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत में मंत्री का पद धारण करने वाले सभी व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ के

** अनुच्छेद 131 में दूसरे अनुकल्प को अंगीकार किया जाए तो निर्वाचित शब्द के बजाय 'नियुक्त' शब्द का प्रयोग करना होगा।

पश्चात् पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट तत्स्थानी राज्य के अंतिम राज्यपाल की मंत्रिपरिषद के सदस्य बन जाएंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

313. (1) इस संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति किन्ही ऐसी कठिनाइयों को, जो विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों को संक्रमण के संबंध में हो, दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रुप में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे :

परंतु ऐसा कोई आदेश भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन सम्यक रुप से गठित संसद के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) खंड (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।

*****

भाग 18

प्रारंभ और निरसन

प्रारंभ 314. यह संविधान.................को प्रवृत्त होगा।

निरसन 315. भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत (केन्द्रीय सरकार और विधानमंडल अधिनियम, 1946 और पश्चात्कथित अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक सभी अधिनियमितियों सहित) प्रभावी नहीं रहेंगे।

*****

पहली अनुसूची

(अनुच्छेद 1 और 4)

राज्य और भारत के राज्यक्षेत्र

*भाग 1

वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले–

1. मद्रास
2. बम्बई
3. पश्चिम बंगाल
4. संयुक्त प्रांत
5. बिहार
6. पूर्वी पंजाब
7. मध्य प्रांत और बरार
8. असम
9. उड़ीसा

के गवर्नर (राज्यपाल) प्रांत कहलाते थे।

---

* समिति ने इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया है कि क्या आंध्र का इस अनुसूची में एक पृथक राज्य के रूप में विनिर्दिष्ट तौर पर उल्लेख किया जाना चाहिए। हाल ही में सरकार ने इस विषय पर एक वक्तव्य दिया है जिसमें यह कहा गया था कि आंध्र को संविधान में प्रांतों में शामिल किया जा सकता है जैसा कि भारत शासन अधिनियम, 1935 में उड़ीसा और सिंध के बारे में किया गया था। तदनुसार एक प्रक्रम पर तो समिति आंध्र को अनुसूची में एक भिन्न जिला वर्णित करना चाहती थी। किन्तु संपूर्ण विचार करने पर समिति यह महसूस करती है कि अनुसूची में राज्य का उल्लेख मात्र करना और उसे नए संविधान के प्रारंभ से अस्तित्व में लाना पर्याप्त नहीं होगा। वर्तमान संविधान के अधीन तुरंत प्रारंभिक कदम उठाने होंगे ताकि शासन के संपूर्ण तंत्र के साथ एक नया राज्य नये संविधान प्रारंभ से अस्तित्व में आ जाए। उड़ीसा और सिंध के बारे में भी 1935 के अधिनियम में ऐसा ही किया गया था–वे 1 अप्रैल, 1936 से पृथक प्रांत बनाये गए थे जबकि अधिनियम 1 अप्रैल, 1937 को प्रवृत्त हुआ था। अत: समिति की सिफारिश है कि आंध्र के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाई क्षेत्रों के बारे में रूपरेखा बनाने तथा इनके बारे में जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए और उससे समय से अपनी रिर्पोट देने के लिए कहा जाए ताकि 1935 के अधिनियम की धारा 290 के अधीन नये राज्य बनाए जा सके जिन्हें बनाने की वह सिफारिश करे तथा इस संविधान के अंतिम रूप से अंगीकार किए जाने से पहले इसका उल्लेख अनुसूची में किया जा सके।

भाग 2

वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले–

1. दिल्ली
2. अजमेर, मेवाड़, पंथ पिपलोदा समेत
3. कुर्ग

के मुख्य आयुक्त के प्रांत कहलाते थे।

भाग 3

खंड-क

निम्नलिखित देशी रियासतें–

1. मैसूर
2. कश्मीर
3. ग्वालियर
4. बड़ौदा
5. ट्रेवनकोर
6. कोचीन
7. उदयपुर
8. जयपुर
9. जोधपुर
10. बीकानेर
11. अलवर
12. कोटा
13. इंदौर
14. भोपाल
15. रीवा
16. कोल्हापुर
17. पटियाला
18. मयूरगंज
19. काठियावाड़ का संयुक्त राज्य

खंड-ख*

अन्य सब देशी रियासतें जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के भीतर थीं।

*सभी रियासतों को गिनना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न प्रकार के विलयों के फलस्वरूप बहुत-सी रियासतें अपने से अधिक बड़ी ईकाइयों में विलीन हो सकती हैं। किन्तु संविधान के अंतिम रूप से अंगीकार किए जाने से पहले सभी रियासतों को नाम से लिखना आवश्यक होगा।

भाग 4

दूसरी अनुसूची

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

[अनुच्छेद 48(3), 62(6), 79, 104, 124(2), 135(3), 145(5), 163 और 197]

भाग 1

राष्ट्रपति और पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध

1. राष्ट्रपति और पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों के राज्यपालों को प्रतिमास निम्नलिखित उपलब्धियों का संदाय किया जाएगा, अर्थात्–

   राष्ट्रपति– 5,500 रु.

   राज्यपाल– 4,500 रु.

2. राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनकी पदावधि के दौरान प्रतिमास निम्नलिखित भत्तों का संदाय किया जाएगा ताकि वे अपने-अपने पदों का निर्वाह सुविध ाजनक ढंग से और गरिमा के साथ कर सकें, अर्थात्–

   राष्ट्रपति– .... रु.

   किसी राज्य का राज्यपाल–......... रु.

3. राष्ट्रपति और राज्यपालों का यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल की नियुक्ति लेने के लिए उनके द्वारा अपने परिवार के साथ यात्रा करने में तथा अपना और अपने परिवार के समान को ले जाने में किये गए वास्तविक खर्च के समतुल्य धनराशि संदत्त की जाएगी।

4. राष्ट्रपति और प्रत्येक राज्यपाल अपनी-अपनी पदावधि में, किराये या भाड़े के बिना, सरकारी निवास के तथा रेल, सैलूनों, नदी यान, विमान और अपने-अपने उपयोग के लिए दी गई मोटरकारों का उपयोग करने के हकदार होंगे तथा उनके रख-रखाव की बाबत उन पर व्यक्तिगत रुप से कोई भार नहीं पड़ेगा।

5. जब उपराष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा

है या उसके रुप में कार्य कर रहा है या कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब वह इस अनुसूची के पैरा 1 और 2 के अधीन वैसी ही उपलब्धियों और भत्तों के लिए हकदार होगा जिनका यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल हकदार है, जिनके कृत्यों का निर्वहन वह करता है या जिनके लिए वह कृत्य करता है, और जिस अवधि में इस प्रकार कृत्यों का निर्वहन करता है या कार्य करता है उसमें इस अनुसूची के पैरा 4 के उपबंध उसे लागू होंगे किन्तु इसके पैरा 3 के उपबंध उस पर लागू नहीं होंगे।

भाग 2

संघ के और पहली अनुसूची के भाग 1 के राज्यों के मंत्रियों के बारे में उपबंध

6. प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले डोमिनियन के प्रधानमंत्री को तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को संदेय थे।

7. पहली अनुसूची के भाग 1(अ) में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के मंत्री को ऐसे वेतन और भत्तों को संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत के ऐसे मंत्री को संदेय थे।

भाग 3

लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा पहली अनुसूची के भाग (1) के राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा ऐसे राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध

8. लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के अध्यक्ष को संदेय थे तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो 15 अगस्त, 1947 से ठीक पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष (डिप्टी प्रेसिडेन्ट) और राज्यपरिषद के उपाध्यक्ष (डिप्टी प्रोजिडेन्ट) को क्रमशः संदेय थे।

9. पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य की विधान की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा राज्य की विधान परिषद् के सभापति और उपासभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमश: तत्स्थानी प्रांत को विधानसभा और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उस राज्य का राज्यपाल अवधारित करे।

भाग 4

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध

10. उच्चतम न्यायालय के और पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासतों को छोड़कर भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए प्रतिमास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा, अर्थात्–

उच्चतम न्यायायलय का मुख्य न्यायमूर्ति	5,000 रु.
उच्चतम न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश	4,500 रु.
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति	4,000 रु.
उच्च न्यायालय का कोई अन्य मुख्य न्यायाधीश	3,500 रु.

11. उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई अन्य न्यायाधीश या पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासतों के सिवाय भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई अन्य न्यायाधीश भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर ड्यूटी पर यात्रा करने में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए ऐसे युक्तियुक्त भत्ते प्राप्त करेगा और उस यात्रा के संबंध में ऐसी युक्तियुक्त सुविधाएं दी जाएंगी जो उच्चतम न्यायालय के सुविधा जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या किसी अन्य न्यायाधीश की दशा में, राष्ट्रपति अथवा ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई अन्य न्यायाधीश की दशा में, राज्य का राज्यपाल समय-समय पर विहित करे।

12. (1) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या किसी अन्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति छुट्टियों या पेंशन संबंधी अधिकार उन उपबंधों द्वारा यथास्थिति शासित होंगे या होते रहेंगे जो फेडरल कोर्ट के ऐसे किसी न्यायाधीशों को लागू थे।

(2) पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियासतों को छोड़कर भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य संबंधी अधिकार उन उपबंधों द्वारा यथास्थिति, शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो ऐसे उच्च न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीश को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थे।

(3) इस पैरे के प्रयोग के लिए कोई व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारंभ पर तदर्थ न्यायाधीश कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रुप में सेवारत था उस तारीख को ऐसे न्यायाधीश की हैसियत में सेवारत हुआ समझा जाएगा, किन्तु तभी जब ऐसे तदर्थ न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रुप में उसकी सेवा न्यायाधीश के पद पर उसकी पश्चात्वर्ती स्थायी नियुक्ति तक अविरल चलती रहती है।

13. इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''मुख्य न्यायमूर्ति'' पद के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति हैं और ''न्यायाधीश'' पद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश हैं;

(ख) ''वास्तविक सेवा'' के अंतर्गत-

1. न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीश के रुप में कर्तव्य पालन में या ऐसे अन्य कृत्यों के पालन में, जिनका राष्ट्रपति के अनुरोध पर उसने निर्वहन करने का भार अपने ऊपर लिया है, बिताया गया समय है;

2. उस समय को छोड़कर जिसमें न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित है, दीर्घावकाश है; और

3. उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण पर जाने पर पदग्रहण-काल है।

भाग 5

भारत के महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध

14. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चार हजार रुपये प्रतिमास की दर से वेतन का संदाय किया जाएगा।

15. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन में अधि कार उन उपबंधों से, यथास्थिति, शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक को लागू थे और

उन उपबंधों में गवर्नर जनरल के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं।

तीसरी अनुसूची

[अनुच्छेद 62 (4), 81, 103 (6), 144 (2), 165 और 195]

घोषणाओं के प्रारुप

1.

संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारुपः

"मैं अमुक.... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं संघ के मंत्री के रुप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करुंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करुंगा।"

2.

संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारुप

"मैं अमुक.... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विषय संघ के मंत्री के रुप मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रुप अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से संसूचित या प्रकट नहीं करुंगा।"

3.

संसद के सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारुप

"मैं अमुक ....जो राज्यसभा (या लोकसभा) का सदस्य-निर्वाचित (या नामनिर्देशित) हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से और निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करुंगा।"

4.

उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारुप

''मैं (अमुक) ....जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (या न्यायाधीश) (या भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

5.

पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारुप

6.

पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारुप

7.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारुप

''मैं, आमुक......... उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (न्या. न्यायाधीश) नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से और निष्ठापूर्वक वचन देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 144(4)]

पहली अनुसूची के भाग 1 के राज्यों के राज्यपालों के लिए अनुदेश

1. इन अनुदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, ''राज्यपाल'' शब्द के अंतर्गत वह हर व्यक्ति होगा जो इस संविधान के उपबंधों के अनुसार तत्समय के कृयों का निर्वहन कर रहा है।

2. अपनी मंत्री परिषद की नियुक्ति करने में राज्यपाल निम्नलिखित रीति से अपने मंत्री चुनने के लिए अपना भरसक प्रयास करेगा अर्थात् उस व्यक्ति के परामर्श से जो उसके निर्णय में, जो विधानमंडल में एक स्थिर बहुमत बनाये रखने के लिए सबसे अधिक संभाव्य हैं उन व्यक्तियों को (यथासाध्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों समेत) नियुक्त करना जो विधानमंडल का विश्वास सामूहिक रुप से पाने में सबसे अच्छी स्थिति में होंगे। ऐसा करते समय वह मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना पोषित करने की आवश्यकता का बराबर ध्यान में रखेगा।

3. उन कृत्यों से संबंधित विषयों के सिवाय जिनमें इस संविधान के द्वारा या के अधीन उसने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना अपेक्षित है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की परिधि के भीतर आने वाले सभी विषयों में राज्यपाल, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने मंत्रियों की सलाह से मार्गदर्शित होगा।

4. राज्यपाल अच्छे प्रशासन के मानदंड कायम रखने के लिए नैतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण हेतु तथा सार्वजनिक जीवन और राज्य के शासन में अपना उचित हिस्सा पाने के लिए जनता के सब वर्गों को दुरुस्त रखने के लिए सब उपायों को बढ़ावा देने के लिए और सब वर्गों में और संप्रदायों में सहयोग, सदभावना और धार्मिक आस्थाओं तथा भावनाओं के लिए परस्पर आदर सुनिश्चित करने के लिए भरसक यत्न करेगा।

पांच वी अनुसूची

[अनुच्छेद 189 (क) और 190(1)]

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध

भाग 1

साधारण

1. **अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्तिः** इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसके अनुसूचित क्षेत्र पर है।

2. **अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन :** ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करें, इस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के

प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा।

भाग 2

मद्रास, बम्बई, पश्चिम बंगाल, बिहार मध्यप्रांत और बरार तथा उड़ीसा के बारे में उपबंध

3. **भाग 2 का लागू होना :** इस भाग के उपबंध मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रांत तथा उड़ीसा के लिए लागू होंगे।

4. **जनजाति सलाहकार परिषद :**

(1) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् यथाशीघ्र मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रांत और बरार तथा उड़ीसा में जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जिसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 25 सदस्य होंगे जिनमें निकटतम तीन-चौथाई सदस्य राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र यदि कोई है, के प्रशासन तथा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर सरकार को साधारणतया सलाह दें।

(3) राज्यपाल निम्नलिखित के निर्धारण पक्ष विनियमन के लिए नियम बना सकता है-

(क) परिषद के सदस्यों की संख्या के, उनकी नियुक्ति की और परिषद के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को;

(ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को; और

(ग) राज्य में पदाधिकारियों और स्थानीय निकायों के संबंध।

(घ) अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को,

यथास्थिति, विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

5. *अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि-*

(1) यदि राज्यपाल को राज्य की जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा सलाह दी जाए तो वह लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होगा

जो वह अधिसूचना में उक्त परिषद के अनुमोदन से, विनिर्दिष्ट करें:

परंतु जहां ऐसा अधिनियम निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय के संबंध में है-

(क) विवाह,

(ख) सम्पत्ति की विरासत,

(ग) जनजातियों की सामाजिक प्रथाएं,

(घ) उन भूमियों से भिन्न भूमि जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन या प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आरक्षित वन हैं, जिसके अंतर्गत अधिकारियों के अधिकार, भू-आवंटन तथा किसी प्रयोजन के लिए भूमि का आरक्षण भी हैं।

(ड.) ग्राम प्रशासन से संबंधित कोई विषय जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना भी है, वहां राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद की सलाह पर ऐसा निर्देश जारी करेगा।

(2) राज्यपाल राज्य की जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श करके, किसी भी विषय के संबंध में जो ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उपबंधित नहीं है, राज्य में किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के लिए विनियम बना सकेगा।

(3) राज्यपाल उन अपराधों से भिन्न जो मृत्यु, आजीवन निर्वासन अथवा पांच वर्ष या इससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, अपराधों से संबंधित अथवा ऐसी किसी विधि से जो ऐसे विनियमों में परिश्चित की जाए, उत्पन्न होने वाले विवादों से भिन्न विवादों से संबंधित मामलों के विचारण की बाबत राज्य में किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के लिए विनियम भी बना सकेगा, तथा ऐसे विनियमों द्वारा, ऐसे किसी क्षेत्र में प्रधान या पंचायतों को ऐसे मामलों का विचार करने के लिए सशक्त कर सकेगा।

(4) जब इस पैरे के अधीन बनाए गए कोई विनियम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कर दिए जाएं तो उनका वही बल और प्रभाव होगा जो समुचित विधानमंडल के किसी अधिनियम का होता है जो ऐसे में लागू है और उस विधानमंडल को इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के फलस्वरुप अधिनियमित किया गया है।

6. **अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों से भिन्न लोगों को भूमि का अन्य संक्रमण तथा आवंटन**

(1) अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के लिए किसी अनुसूचित क्षेत्र में कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित करना विधिपूर्ण नहीं होगा जो जनजाति का सदस्य नहीं है।

(2) राज्य में निहित अनुसूचित क्षेत्र में कोई भूमि, जिसके भीतर ऐसा क्षेत्र स्थित है, ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा राज्य की जनजाति सलाहकार परिषद के परामर्श से उस निमित बनाये गए नियमों के अनुसार सलाहकार परिषद के

परामर्श से उस निमित बनाये गए नियमों के अनुसार ही आवंटित की जाएगी, या उसके साथ तय की जाएगी, अन्यथा नहीं।

7. **अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार देने का विनियमनः** राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा, और यदि जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा सलाह दी जाती है तो निर्देश देगा कि कोई व्यक्ति राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में धन उधार देने का कारबार राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों के अधीन या के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं और ऐसे प्रत्येक निर्देश में उपबंध किया जाएगा कि उसे भंग करना अपराध होगा, तथा शास्ति भी विनिर्दिष्ट की जाएगी जिससे वह दंडनीय होगा।

8. **अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्राकलित प्राप्तियां और व्यय वार्षिक वित विवरण में अलग से दर्शाये जाएंगेः** किसी राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय, जो राज्य के राजस्व में जमा की जाएंगी तथा उसमें से पूरे किए जाएंगे, राज्य के वार्षिक वित्त विवरण में अलग से दर्शाए जाएंगे जो इस संविधान के अनुच्छेद 177 के अधीन राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

9. **भाग 2 का अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों को लागू होना :**
(1) राज्यपाल किसी भी समय, लोक अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के सब या कुछ उपबंध ऐसी तारीख को या से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र में लागू होंगे जहां अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य बसे हुए हैं, तथा जैसे वे राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं, तथा ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन इस बात का साक्ष्य होगा कि ऐसे उपबंधों को ऐसे अन्य क्षेत्र के संबंध में सम्यकतः लागू कर दिया गया है।

(2) राज्यपाल ऐसी ही अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के सभी या कोई भी उपबंध ऐसी तारीख को या से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं रहेगा जिसकी बाबत अधि सूचना इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन निकाली गई हो।

भाग 3

संयुक्त प्रांत के राज्य के बारे में उपबंध

10. **भाग 3 का लागू होना :** इस भाग के उपबंध केवल संयुक्त प्रांत के राज्य

पर लागू होंगे।

11. **अनुसूचित क्षेत्र सलाहकार समिति :** (1) इस संविधान के प्रारंभ के बाद यथाशीघ्र राज्यपाल राज्य के लिए आदेश द्वारा एक अनुसूचित क्षेत्र सलाहकार समिति नियुक्त कर सकेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे। ऐसे आदेश में समिति की रचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेगी ताकि ऐसे आनुषांगिक या समनुषंगी उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो राज्यपाल द्वारा आवश्यक या वांछनीय समझे जाएं।

12. **कुछ मामलों में विनियम बनाने की राज्यपाल की शक्तिः**

(1) राज्यपाल, उन अपराधों से जो मृत्यु, आजीवन निर्वासन या पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि की कारावास से दंडनीय हैं, संबंधित मामलों के विचारण के संबंध में अथवा घनीय मूल्य के वादों या मामलों के ऐसे वर्गो के विचारण के लिए जो ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए विनियम बना सकेगा, तथा ऐसे विनियमों द्वारा किसी क्षेत्र में मुखिया या पंचायत को ऐसे वादों या मामलों का विचारण करने के लिए सशक्त कर सकेगा।

(2) राज्यपाल विनियम भी बना सकेगा जिससे कि राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति को भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है किसी भूमि का हस्तांतरण प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) इस पैरा के अधीन बनाये गए कोई विनियमों का जब वे राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कर दिये जाएं, वही बल और प्रभाव होगा जो समुचित विधानमंडल के किसी अधिनियम का। ऐसे क्षेत्र में लागू हैं, होता है, और इस संविधान द्वारा उस विधान मंडल के प्रदत्त शक्तियों के फलस्वरुप अधिनियमित किया गया है।

13. **अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय वार्षिक वित्तीय विवरण से अलग से दर्शाए जाएंगे :** राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय जो राज्य के राजस्व में जमा की जाएंगी और उसमें से पूरा किया जाएगा राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण में अलग से दर्शाए जाएंगे जो इस संविधान के अनुच्छेद 177 के अधीन राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

भाग 4
पूर्वी पंजाब राज्य के बारे में उपबंध

14. **भाग 4 का लागू होना:** इस भाग के उपबंध केवल पूर्वी पंजाब राज्य का लागू होंगे।

15. **अनुसूचित क्षेत्र सलाहकार समिति की नियुक्ति:**

(1) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चातृ यथाशीघ्र राज्यपाल आदेश, राज्य के लिए एक असूचित क्षेत्र सलाहकार समिति नियुक्त करेगा जिसके दो–तिहाई सदस्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के निवासी होंगे। ऐसे आदेश में समिति की रचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकती है और उसमें ऐसे आनुषंगिक और समनुषंगिक उपबंध अंतर्विष्ट हो सकते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक और वांछनीय समझे जाएं।

(2) अनुसूचित क्षेत्र सलाहकार समिति का साधारणतया कर्तव्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य की सरकार को सलाह देना होगा।

16. **संसद के अधिनियमों तथा राज्य के विधानमंडल के अधिनियमों का अनुसूचित क्षेत्रों को लागू होना :** राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगा कि संसद का तथा राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधि नियम राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, जैसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, राज्य में अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू होगा।

17. **विनियम बनाने की राज्यपाल की शक्ति :**

(1) राज्यपाल, उन अपराधों से भिन्न जो मृत्यु, आजीवन निवार्सन या पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हैं, अपराधों से संबंधित मामलों के विनियम की बाबत, या कम घनीय मूल्य के वादों या मामलों के ऐसे वर्गों के, जो ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विचारण के लिए, राज्य में किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के लिए विनियम बना सकेगा, तथा ऐसे विनियमों द्वारा, ऐसे क्षेत्र में मुखिया पंचायतों को ऐसे मामलों या वादों का विचारण करने के लिए सशक्त कर सकेगा।

(2) राज्यपाल विनियम भी बना सकेगा जिससे कि अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में कोई भूमि किसी व्यक्ति को,

जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अंतरित करना प्रतिषिद्ध किया जा सके।

(3) इस पैरा के अधीन बनाये गये कोई विनियम जब राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कर दिए जाएं, तो उनका वही बल और प्रभाव होगा जो समुचित विधानमंडल के किसी अधिनियम का जो ऐसे क्षेत्र पर लागू हैं, होता है तथा इस संविधान द्वारा इस विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के फलस्वरुप अधिनियम किया गया है।

भाग 5

अनुसूचित क्षेत्र

*18. **अनुसूचित क्षेत्र :**

(1) निम्न सारणी के भाग 1 से 7 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र संविधान के अर्थ में अनुसूचित क्षेत्र होंगे, और उक्त सारणी में से किसी खंड, जिले, प्रशासनिक क्षेत्र, तहसील या संपदा के प्रतिनिर्देश के रुप में किया जाएगा जो इस संविधान के आरंभ की तारीख में विद्यमान है।

(2) राष्ट्रपति, किसी भी समय, आदेश द्वारा,

(क) निर्देश दे सकेगा कि किसी अनुसूचित क्षेत्र का संपूर्ण या कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा।

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन कर सकेगा किन्तु सीमाओं को ठीक करके ही;

(ग) पहली अनुसूची के भाग 1 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन करने पर अथवा उस अनुसूची के भाग 1 में संघ में ग्रहण किए गए या संसद द्वारा विधि द्वारा स्थापित किए गए किसी नये राज्य के शामिल किये जाने पर किसी राज्यक्षेत्र को जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी राज्य में पहले शामिल नहीं था, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा;

---

*. समिति की राय है कि मूलरूप में अधिनियमित भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 91(2) के अनुसार एक उपबंध इस पैरे में जोड़ा जाए ताकि कोई भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र से निकाला जा सके या उसमें शासित किया जा सके और समिति ने तदनुसार इस पैरे में उपपैरा (2) जोड़ा है।

और ऐसे आदेश में, ऐसे आनुषंगिक और पारिभाषित उपबंध अंतर्विष्ट किए जा सकेंगे जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हो।

सारणी

1. मद्रास

लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह (मिनिकाय समेत) और अमीनदीवी द्वीप समूह पूर्वी गोदावरी अभिकरण और विशाखापत्तनम अभिकरण का उतना भाग जितना भाग भारत शासन (उड़ीसा संविधान) आदेश, 1936 के उपबंधों के अनुसार उड़ीसा को अंतरित नहीं हुआ है।

2. बम्बई

पश्चिमी संदेश जिले में- नवापुर पेठा, अक्रानी महल ओर निम्नलिखित मेहवास्सी प्रमुखों के गांव-(1) काठी की परवी, (2) नल की परवी, (3) सिंगपुर की परवी (4) गाओहाली की बल्बी, (5) चिखली का बसवा, (6) नवलपुर की परवी।

पूर्वी संदेश जिले में- सतपुड़ा पहाड़ियों का आरक्षित वन क्षेत्र।

नासिक जिले में-कल्वान तालुक और पीट पेठा।

थाना जिले में-दहनू और शाहपुर तालुका तथा मोखाड़ा और उम्बेर गांव पेठा।

3. संयुक्त प्रांत

देहरादून जिले का जौरसर- बावर परगना कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण में मिर्जापुर जिले का भाग।

4. पूर्वी पंजाब

कांगड़ा जिले में स्पीति और लाहौल।

5. बिहार

रांची और सिंहभूम जिले तथा छोटा नागपुर खंड के पलामू जिले के उपखंड लाटेर

गोड्डा और द्वगढ़ उपखंडों को छोड़कर संथाल परगना जिला।

6. मध्य प्रांत और बरार

चांदा जिले में, सिरौंचा तहसील में अहीरी जमींदारी तथा गढ़चिरोली तहसील में धनौरा, डडमाला, गैवर्धा, झरपाप्रा, खटगांव, कोटगाल, मुरमगांव, पलासगढ़, रांगी, सिरसुंदी सौंसरी, चंदाला गिलगांव, पई-मुरंडा तथा पटेगांव की जमींदारियां।

छिंदवाड़ा जिले के हरे, गोरकघाट, गौरपानी, बटकागढ़, बरदागढ़, प्रतापगढ़ (पगरा), अल्मोद और सोनपुर जागीरें, छिंदवाड़ा जिले में पंचमढ़ी जागीर का हिस्सा मंडल जिला।

बिलासपुर जिले के पेंडरा, कैडा, मातिन, लाफा, अपरौरा, छूरी ओर कोरबा

जमींदारियां।

दुर्ग जिले की औंधी, कोरचा, पनवारस और अम्बागढ़, चौकी जमींदारियां।

बालाघाट जिले की बैहर तहसील।

अमरावती जिले का मेल्घाट तालुका।

बैंतूल जिले की भैंसदेही तहसील।

7. उड़ीसा

खोडमाला समेत गंजम अभिकरण दर्रा।

कारोपुट जिला।

छठी अनुसूची

[अनुच्छेद 189 (ख) और 190 (2)]

असम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध

1. **स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश :**

(1) इस अनुसूची के पैरा 19 से संलग्न सारणी के भाग 1 की प्रत्येक मद जो तत्समय इस भाग में शामिल की गई है, के जनजाति क्षेत्रों ....का एक स्वशासी जिला होगा।

(2) यदि किसी स्वशासकीय जिले में भिन्न-भिन्न अनुसूचित जनजातियां राज्यपाल, लोग अधिसूचना द्वारा, ऐस क्षेत्र या क्षेत्रों का जिनमें वे बसे हुए हैं, स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा।

(3) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा-

(क) उक्त सारणी के भाग 1 में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा।

(ख) नया स्वशासी जिला बना सकेगा।

(ग) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा।

(घ) उक्त सारणी के भाग 1 से किसी क्षेत्र को निकाल सकेगा।

(ङ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा।

परंतु इस अनुसूची के पैरा 14 के उप पैरा (1) के अधीन नियुक्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही इस उप पैरा के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन राज्यपाल द्वारा कोई निर्देश पारित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

साथ ही इस उपपैरे के खंड (घ) और (ङ) के अधीन राज्यपाल द्वारा तब तक कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस आशय का संकल्प संबंधित स्वशासी

जिले की जिला परिषद द्वारा पारित न कर दिया जाए।

2. **जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन :**

(1) प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी उसमें कम से कम बीस और अधिक से अधिक चालीस सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम तीन चौथाई प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् के निर्वाचन के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार किया जाएगा कि जहां तक संभव हो वे क्षेत्र जहां जिले की विभिन्न अनुसूचित जनजातियां बसी हों तथा वे क्षेत्र जहां अन्य लोग बसे हों, यदि कोई हैं, पृथक-पृथक निर्वाचन-क्षेत्र होंगे:

परंतु ऐसा कोई भी निर्वाचन-क्षेत्र नहीं होगा जिसकी कुल जनसंख्या 500 से कम है।

(3) इस अनुसूची में जो पैरा 1 के उपपैरा (2) के अधीन स्वशासी प्रदेश के रुप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक पृथक प्रादेशिक परिषद होगी।

(4) प्रत्येक जिला परिषद और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमशः (जिले का नाम) की परिषद ''और'' (प्रदेश का नाम) की प्रादेशिक परिषद नाम की निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।

(5) इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्वशासित जिले का प्रशासन ऐसे जिले की जिला परिषद में वहां तक निहित होगा जहां तक वह इस अनुसूची के अधीन ऐसे जिले के भीतर किसी प्रादेशिक परिषद में निहित नहीं है और स्वशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद में निहित होगा।

(6) प्रादेशिक परिषद वाले स्वशासी जिले में प्रादेशिक परिषद के प्राधिकार के अधीन क्षेत्रों के संबंध में जिला परिषद को, इस अनुसूची द्वारा ऐसे क्षेत्रों के संबंध में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद द्वारा प्रत्यायोजित की जाए।

(7) राज्यपाल, संबंधित स्वशासी जिलों या प्रदेशों के भीतर विद्यमान जनजाति परिषदों या अन्य प्रतिनिधि जनजाति संगठनों से परामर्श करके जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिए नियम बनाएगा और ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किए जाएंगे, अर्थात्:

(क) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की संरचना तथा उसमें स्थानों का आवंटन;

(ख) उन परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए निर्वाचित-क्षेत्रों का परिसीमन;

(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान के लिए अहर्तताएं और उनके लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी;

(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं;

(ङ) ऐसी परिषदों के निर्वाचन या नामनिर्देशन से संबंधित या संसक्त कोई अन्य विषय;

(च) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों में कार्य की प्रक्रिया और संचालन;

(छ) जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।

(8) जिला और प्रादेशिक परिषदें प्रथम गठन के पश्चात् इस पैरे के उपपैरा (7) में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नियम बना सकेगी तथा निम्नलिखित को विनियमित करने वाले नियम भी बना सकेगी:-

(क) अधीनस्थ स्थानीय परिषदों और बोर्डों का निर्माण तथा उनकी कार्य प्रक्रिया और उनका कार्य संचालन; और

(ख) यथास्थिति, जिला या प्रदेश के प्रशासन से संबंधित कामकाज संबंधी साधारणतया सभी विषय :

परंतु जब तक जिला या प्रादेशिक परिषद द्वारा इस उप पैरा के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस पैरा के उपपैरा (7) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम, ऐसी प्रत्येक परिषद के निर्वाचनों, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उसकी प्रक्रिया और उसके संचालन के संबंध में प्रभावी होंगे :

परंतु यह कि मिकिर और उत्तरी कोचीन पहाड़ियों का यथास्थिति, उपायुक्त या उपखंड अधिकारी इस अनुसूची के पैरा 19 से संलग्न सारणी के भाग 1 की क्रमश: मद 5 और 6 के अंतर्गत शामिल राज्य-क्षेत्रों के संबंध में जिला परिषद का पदेन अध्यक्ष (चेयरमैन) होगा और उसे, राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला परिषद के किसी संकल्प या विनिश्चय को अकृत करने या उपांतरित करने या जिला परिषद को ऐसे अनुदेश जैसे वह समुचित समझे जारी करने की शक्ति जिला परिषद के प्रथम गठन के पश्चात् छह वर्ष की अवधि तक रहेगी तथा जिला परिषद जारी किए गए ऐसे प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन करेगी।

3. **विधि बनाने की जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति–**

(1) स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद को ऐसे प्रदेश के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद को ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हो, प्राधिकार के अधीन है, उस जिले के भीतर के अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित विषयों के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी, अर्थात्:–

(क) किसी आरक्षित वन भूमि से भिन्न भूमि का कृषि या चारागाह के प्रयोजनों के लिए अथवा निवास के या कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जिससे किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की अभिवृद्धि संभव है, आवंटन, अधि भोग या उपयोग अथवा अलग रखा जाना:

परंतु ऐसी विधियों की कोई बात, असम राज्य की सरकार को अनिवार्य अर्जन प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसी भूमि का चाहे वह अधिभोग में हो या नहीं; लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य अर्जन करने में निवारित नहीं करेगी;

(ख) किसी ऐसे वन का प्रबंध जो आरक्षित वन नहीं है;

(ग) कृषि के प्रयोजन के लिए किसी नहर या जल–प्रवाह का उपयोग;

(घ) झूम की पद्धति का परिवर्ती खेती अन्य पद्धतियों का विनियमन;

(ड़) ग्राम या नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियां;

(च) ग्राम या नगर प्रशासन से संबंधित को अन्य विषय जिसके अंतर्गत ग्राम या नगर पुलिस और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है;

(छ) प्रमुखों या मुखियाओं की नियुक्ति या उत्तराधिकार;

(ज) सम्पत्ति का विरासत;

(झ) विवाह;

(ञ) सामाजिक रुढ़ियां।

(2) इस पैरा में ''आरक्षित वन'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो असम वन विनियम 1891 के अधीन या प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन आरक्षित है।

4. **स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन** –

(1) स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध

में और स्वशासी जिले की जिला परिषद ऐसे क्षेत्रों से भिन्न जो उसे जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन है, उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे वादों और मामलों के विचारण के लिए जो वादों और मामलों से भिन्न है जिन पर इस अनुसूची के पैरा 5 के उपपैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके, ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकेगी, और उपयुक्त व्यक्तियों को ऐसी ग्राम परिषदों के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रुप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसे न्यायालय को भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची के पैरा 3 के अधीन बनाई गई विधियों के प्रशासन के लिए आवश्यक हों।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद या उस प्रादेशिक परिषद द्वारा इस निमित्त गठित कोई न्यायालय या किसी स्वशासी जिले के भीतर किसी क्षेत्र के लिए कोई प्रादेशिक परिषद नहीं है तो ऐसे जिले की जिला परिषद द्वारा इस निमित गठित कोई न्यायालय पक्षकारों के बीच ऐसे सभी वादों और मामलों के संबंध में जो सब उनसे भिन्न हैं जिन्हें इस अनुसूची के पैरा 5 के उपपैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं, यथास्थिति ऐसे प्रदेश या क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजातियां हैं, अपील न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा, और राज्य में किसी भी अन्य न्यायालय को ऐसे वादों और मामलों में अपील अधिकारिता नहीं होगी तथा ऐसी प्रादेशिक या जिला परिषद या न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

5. **कुछ वादों और अपराधों के विचारण के लिए प्रादेशिक परिषदों और जिला परिषदों को तथा किन्हीं न्यायालयों और अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन शक्तियों का प्रदान किया जाना–**

(1) राज्यपाल, किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में किसी ऐसी प्रवृत्त विधि से, जो ऐसी विधि है जिसे राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उद्भूत वादों या मामलों के विचारण के लिए अथवा भारतीय दंड संहिता के अधीन या ऐसे भारतीय जिले या प्रदेश में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु से, आजीवन शासन से या पांच वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, ऐसे जिले या प्रदेश या प्राधिकार रखने वाली जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद को अथवा ऐसे जिला परिषद द्वारा गठित

न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा इस निमित किसी अधिकारी को यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जो वह समुचित समझे और तब उक्त परिषद अथवा न्यायालय या अधिकारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वादों, मामलों या अपराधों पर विचार करेगा।

(2) राज्यपाल इस पैरा के उपपैरा (11) के अधीन किसी जिला परिषद, प्रादेशिक परिषद, न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति को वापस ले सकेगा या उपांतरित कर सकेगा।

(3) इस पैरा में अभिव्यक्त रुप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 किसी स्वशासी जिले में या किसी स्वशासी प्रदेश में किन्हीं वादों, मामलों या अपराधों के निवारण में लागू नहीं होगी।

6. **प्राथमिक विद्यालय आदि स्थापित करने की जिला परिषद की शक्ति**–स्वशासी जिले की जिला परिषद में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, काजी हाउसों, पारघाटों, मीन–क्षेत्रों, सड़कों और जलमार्गों की स्थापना, निर्माण या प्रबंध कर सकेगी और विशिष्ट रुप से उस भाषा और रीति को विहित कर सकेगी जिसमें जिले के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी।

7. **जिला और प्रादेशिक निधियां**–

(1) प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला निधि और प्रत्येक स्वशासी प्रदेश के लिए एक प्रादेशिक निधि गठित की जाएगी जिसमें उस जिले की जिला परिषद द्वारा और उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद द्वारा इस संविधान के उपबंध्ज्ञों के अनुसार यथास्थिति उस जिले या प्रदेश के प्रशासन के दौरान प्राप्त सभी ध नराशियां जमा की जाएंगी।

(2) राज्यपाल के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद यथास्थिति जिला निधि के प्रबंध के लिए नियम बना सकेगी, तथा इस प्रकार बनाये गए नियमों में उक्त निधि में धन जमा करने, उसमें धनराशियां निकालने, उसके धन की अभिरक्षा और पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या आनुषंगिक किसी अन्य विषय के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध किया जा सकेगा।

8. **भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने तथा कर का अधिग्रहण करने की शक्ति** -

(1) स्वशासी प्रदेश के भीतर की सभी भूमियों के संबंध में ऐसे प्रादेशिक परिषद को तथा जिले के भीतर की सभी भूमियों के संबंध में जो उसे जिले के भीतर प्रादेशिक परिषदों, यदि कोई है, के प्राधिकार वाले क्षेत्रों में हैं, ऐसी भूमियों के संबंध में उन सिद्धांतों के अनुसार राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने की शक्ति होगी जिनका साधारणतया असम राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजन के लिए भूमि के निर्धारण करने में असम सरकार द्वारा तत्समय अनुसरण किया जाता है।

(2) स्वशासी प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद को और उस जिले की प्रादेशिक परिषद, यदि कोई है, के प्राधिकार के अधीन वाले क्षेत्रों को छोड़कर स्वशासी जिले के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में ऐसे जिले की जिला परिषद को भूमि और भवन पर करों का तथा ऐसे क्षेत्रों में निवासी व्यक्तियों पर पथकर का पद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी।

(3) स्वशासी जिले की जिला परिषद को ऐसे जिले के भीतर निम्नलिखित सभी या किन्हीं करों का उदग्रहण ओर संग्रहण करने की शक्ति होगी, अर्थात्-

(क) वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर;

(ख) जीव-जन्तुओं, यानों और नौकाओं पर कर;

(ग) किसी बाजार में विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर और फेरी से ले जाए जाने वाले यात्रियों और माल पर पथ कर; और

(घ) विद्यालयों, औषद्यालयों या सड़कों को बनाये रखने के लिए।

(4) इस पैरा के उपपैरा (2) और उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट करों में से कर उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए, यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद या जिला परिषद विनियम बना सकेगी।

9. **खनिजों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तियां या पट्टे**-

(1) किसी स्वशासी जिले में समाविष्ट किसी क्षेत्र में खनिजों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए असम सरकार कोई अनुज्ञप्ति या पट्टा उस जिले की जिला परिषद के परामर्श से ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं;

(2) किसी स्वशासी जिले में समाविष्ट किसी क्षेत्र के संबंध मं खनिजों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए असम सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञप्तियों या पट्टों से प्रत्येक वर्ष प्रौद्भूत होने वाले स्वामित्व का उतना ऐसा अंश जिला परिषद् को दिया जाएगा जो असम सरकार और ऐसे जिले की जिला परिषद के बीच करार पाया जाए।

(3) यदि जिले परिषद् को दिए जाने वाले स्वामित्व के अंश के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह राज्यपाल को अवधारण के लिए निर्देशित किया जाएगा और राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के अनुसार आधारित रकम इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन जिला परिषद् को संदेय रकम समझी जाएगी और राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।

10. **जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम बनाने की जिला परिषद् की शक्ति-**

(1) स्वशासी जिले की जिला परिषद उस जिले में निवासी अनुसूचित जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की उस जिले की भीतर साहूँकारी या व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी।

(2) ऐसे विनियम-

(क) विहित कर सकेंगे कि इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के धारक के अतिरिक्त और कोई साहूँकारी या कारोबार नहीं करेगा;

(ख) साहूकार द्वारा प्रभारित या वसूल किए जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर विहित कर सकेंगे;

(ग) साहूकारों द्वारा लेखा रखे जाने का और जिला परिषदों द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारियों द्वारा ऐसे लेखों निरीक्षण का उपबंध कर सकेंगे।

(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति जो जिले में निवासी अनुसूचित जनजातियों का सदस्य नहीं है जिला परिषद द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन ही किसी वस्तु का थोक या फुटकर कारोबार करेगा, अन्यथा नहीं:

परंतु इस पैरा के अधीन ऐसे विनियम तब तक नहीं बनाये जा सकेंगे जब तक वे जिला परिषद् की कुल सदस्य संख्या के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत द्वारा पारित नहीं कर दिये जाते हैं :

परंतु यह और कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन किसी ऐसे साहूकार या व्यापारी को जो ऐसे विनियमों के बनाये जाने के पहले से इस जिले के भीतर कारबार करता रहा है, अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना संभव नहीं होगा।

11. **अनुसूची के अधीन बनाई गई विधियां, नियमों और विनियमों का प्रकाशन**

जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद द्वारा इस अनुसूची क अधीन बनाई गई सभी विधियां, नियम और विनियम राज्य के राजपत्र में तुरंत प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर विधि का बल रखेंगे।

12. **स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों में संसद के और राज्य के विधानमंडल के अधिनियमों का लागू होना-**

(1) इस संविधान में किसी बात क होते हुए भी,-

(क) यदि किसी राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों में से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनके संबंध में जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद विधियां बना सकेगी और उस राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम, जो राष्ट्रपति किसी अनासुत ऐल्कोहली लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निर्बाधित करता है, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों दशाओं में से हर एक में ऐसे जिले की जिला परिषद या ऐसे प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद, लोग अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निर्देश नहीं दे देती है और जिला परिषद किसी अधि नियम के संबंध में ऐसा निर्देश देते समय यह निर्देश दे सकेगी कि वह अधिनियम ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है;

(ख) राज्यपाल, लोग अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगा कि संसद का या किसी राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम, जिसे इस उपपैरा के खंड (क) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें।

(2)इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन दिया गया कोई निर्देश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।

13. **स्वशासी जिलों से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रथम रुप से दिखाया जाना**– किसी स्वशासी जिले से संबंधित प्राप्तियां और व्यय जो असम राज्य के राजस्व में जमा होनी हैं, या उसमें से किए जाने हैं, इस संविधान के अनुच्छेद 177 के अधीन राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक विवरण में पृथक रुप से दिखाए जाएंगे।

14. **स्वशासी जिले के प्रशासन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग की नियुक्ति**–

(1) राज्यपाल, राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय की, जिसके अंतर्गत इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (3) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ड़) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट विषय हैं, जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए किसी भी समय आयोग नियुक्त कर सकेगा, या राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के साधारणतया प्रशासन की ओर विशिष्टतया–

(क) ऐसे जिले और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं की ओर संचार की व्यवस्था की,

(ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के संबंध में किसी नए या विशेष विधान की आवश्यकता की, और

(ग) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों के प्रशासन की,

समय-समय पर जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त कर सकेगा और ऐसे आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित कर सकेगा।

(2) संबंधित मंत्री, प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को, राज्यपाल की उससे संबंधित सिफारिशों के साथ, उस पर राज्य की सरकार द्वारा की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा।

(3) राज्यपाल राज्य की सरकार के कार्य का अपने मंत्रियों में आवंटन करते समय मंत्रियों में से एक मंत्री को राज्य के स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के कल्याण का विशेषतया भारसाधक बना सकेगा।

15. **जिला और प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों को रद्द या निलम्बित किया जाना**–

(1) यदि राज्यपाल को किसी समय यह भान हो जाता है कि जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद के किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा में संकट उत्पन्न होना संभाव्य है या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है तो वह ऐसे कार्य या संकल्प को निष्प्रभाव या निलंबित कर सकेगा और उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं शक्तियों को अपने हाथ में ले लेना है, कर सकेगा जो वह ऐसे कार्य को किए जाने या उसके चालू रखे जाने का अथवा ऐसे संकल्प को प्रभावी किए जाने का निवारण करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन किया गया आदेश, उसके लिए जो कारण हैं उनके सहित, राज्य के विधानमंडल द्वारा समक्ष यथासंभव शीघ्र रखा जाएगा और यदि वह आदेश, राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रतिसंहृत नहीं दिया जाता है तो वह उस तारीख से, जिसको वह इस प्रकार किया गया था, बारह मास की अवधि तक प्रवृत्त बना रहेगा:

परंतु यदि और जितनी बार, ऐसे आदेश को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है और उतनी बार यह आदेश, यदि राज्यपाल द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है तो, उस तारीख से जिसको वह इस पैरा के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहता, बारह मास की और अवधि तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(3) इस पैरा के अंतर्गत राज्यपाल के कार्य उसके द्वारा उसके निर्देश से किए जाएंगे।

16. **जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद का विघटन**– राज्यपाल, इस अनुसूची के पैरा 14 के अधीन नियुक्त आयोग की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद का विघटन कर सकेगा, और–

(क) निर्देश दे सकेगा कि परिषद् के पुनर्गठन के लिए नया साधारण निर्वाचन तुरंत कराया जाए; या

(ख) राज्य के विधानमंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद के प्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र का प्रशासन बारह मास से अधिक अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र का प्रशासन ऐसे आयोग को जिसे उक्त पैरा के अधीन नियुक्त किया गया है या अन्य ऐसे किसी निकाय को जिसे वह उपयुक्त समझता है, उक्त अवधि के

लिए दे सकेगा:

परंतु जब इस पैरा के खंड (क) के अधीन कोई आदेश किया गया है तब राज्यपाल प्रश्नगत क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में, नया साधारण निर्वाचन होने पर परिषद के पुनर्गठन के लंबित रहने तक, इस पैरा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्रवाई कर सकेगा;

परंतु यह और कि, यथास्थिति, जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद को राज्य के विधानमंडल के समक्ष अपने विचारों को रखने का अवसर दिए जाने बिना इस पैरा के खंड (ख) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

17. **इस अनुसूची के उपबंधों का पैरा 19 से संलग्न सारणी के भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में लागू होना-**

(1) असम का राज्यपाल -

(क) राष्ट्रपति के पुर्वानुमोदन से, लोक अधिसूचना द्वारा, इस अनुसूची के पूर्वगामी सभी या किन्हीं उपबंधों को इस अनुसूची के पैरा 19 में संलग्न सारणी के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी जनजातीय क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को लागू कर सकेगा और इस पर ऐसे क्षेत्र या भाग का प्रशासन ऐसे उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; और

(ख) वैसे ही अनुमोदन से, उक्त सारणी के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी जनजातीय क्षेत्र या उसके किसी भाग को उक्त सारणी में से अपवर्जित भी कर सकेगा।

(2) जब तक कि उक्त सारणी के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी जनजातीय क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के संबंध में इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन सूचना जारी नहीं की जाती है तब तक, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिकर्ता के रुप में असम के राज्यपाल के माध्यम से चलाया जाएगा और इस संविधान के भाग 3 के उपबंध उसके संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसा क्षेत्र या उसका भाग पहली अनुसूची के भाग 4 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र हो।

18. **संक्रमणकालीन उपबंध:** राज्यपाल, इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् यथासंभव शीघ्र इस अनुसूची के अधीन राज्य में प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद के गठन के लिए कार्रवाई करेगा और जब तक किसी स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद इस प्रकार गठित नहीं की जाती है तब तक ऐसे जिले का प्रशासन राज्यपाल में निहित होगा और ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन को इस अनुसूची के पूर्वागामी

उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध होंगे, अर्थात्:–

(क) संसद का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र को तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निर्देश नहीं दे देता है और राज्यपाल किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निर्देश दे सकेगा कि वह अधिनियम ऐसे क्षेत्र या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है;

(ख) राज्यपाल ऐसे किसी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए विनियम संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो ऐसे क्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेंगे।

(ग) राज्यपाल इस पैरा के अनुच्छेद (क) और (ख) के अंतर्गत अपने कार्य अपने निर्देश के अनुसार करेगा।

19. **जनजाति क्षेत्र**– नीचे दी गई सारणी के भाग 1 और भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र असम राज्य के जनजाति क्षेत्र होंगे, और उक्त सारणी में किसी जिला या प्रशासन क्षेत्र के निर्देश का अर्थ उस जिले या क्षेत्र के निर्देश के रुप में किया जाएगा जो इस संविध ान के प्रारंभ की तारीख पर विद्यमान हो।

सारणी

भाग 1

1. शिलाँग कस्बे को छोड़कर खासी और जैतिया पहाड़ी जिला;
2. गारो पहाड़ी जिला;
3. लुशाए पहाड़ी जिला;
4. नागा पहाड़ी जिला;
5. कछार जिले का उत्तरी कछार उपखंड
6. नौगांव और शिव सागर जिलों के मिकिर पहाड़ी भाग (बरपाथर और सरुपाथर को छोड़कर)।

भाग 2

1. सदिया और बालीपाड़ा सीमांत दर्रे;
2. तीरप सीमांत दर्रा (लखीमपुर सीमांत दर्रे को छोड़कर);
3. नागा जनजातीय क्षेत्र।

सातवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 217)

सूची 1-संघ सूची

*1. भारत के राज्यक्षेत्र की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य हैं जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात् प्रभावी सैन्य-वियोजन में सहायक हों।

2. केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो।

**3. रक्षा, विदेश कार्य और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक उपाय।

***4. संघ की नौसेना, सेना और वायुसेना का जुटाना, प्रशिक्षण, रखरखाव और नियंत्रण और उनका अभियोजन, पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट तत्समय विनिर्दिष्ट राज्यों में खड़े किए गए और अभिनियोजित किए गए सशस्त्र बलों की संख्या, संगठन और नियंत्रण।

5. संसद द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए और युद्ध संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए उद्योग।

6. नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म।

7. छावनी क्षेत्र में स्थानीय शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी प्राधिकरणों का गठन और शक्तियां, ऐसे क्षेत्रों में गृहवास-सुविधा का विनियमन और ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन।

8. आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारूद और विस्फोटक।

9. परमाणु उर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपदा।

---

* समिति ने ''रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण और चालें चलाना भी है,'' प्रविष्टि का लोप कर दिया है क्योंकि यह विषय प्रविष्टि 43 में आ जाएगा।

** इस प्रविष्टि में, ''राज्य के कारणों'' शाब्दों के स्थान पर ''रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा से संसक्त कारणों'' शब्द रखे गए हैं ताकि ''लोक व्यवस्था से संसक्त कारणों'' से निवारक निरोध 'विषयक राज्य सूची की प्रविज़्टि 1 के विरोध से बचा जा सके'।

*** यह संविधान सभा द्वारा यथा अंगीकृत प्रविष्टि के अनुसरण में है किन्तु प्रारूपण समिति के अध्यक्ष प्रबल रूप से यह महसूस करते हैं कि पहली अनुसूची के भाग 3 की रियायतों में सष्ठाक्त बलों विषयक प्रविष्टि का दूसरा भाग विलुप्त कर दिया जाए ताकि ऐसी रियायतों को अपनी सशास्त्र सेना रखने से रोका जा सके।

10. निर्देश कार्य, सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता है।
11. राजनयिक, दूतावास संबंधी और व्यापारिक प्रतिनिधि।
12. संयुक्त राष्ट्र संघ।
13. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।
14. युद्ध और शान्ति।
15. विदेशों से संधि और करार करना और उनका कार्यान्वयन।
16. वैदेशिक अधिकारिता।
17. विदेशों से व्यापार और वाणिज्य।
18. विदेशी ऋण।
19. नागरिकता, देशीकरण और अन्य देशीय।
20. प्रत्यर्पण।
21. पासपोर्ट और वीजा।
22. खुले समुद्र और आकाश में की गई दस्यु और राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध।
23. भारत राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास तथा निष्कासन।
24. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं।
25. पत्तन संगरोध, नाविक और समुद्री अस्पताल, और पत्तन संगरोध से सम्बद्ध अस्पताल।
26. सीमाशुल्क सीमाओं के आर-पार आयात और निर्यात जैसा कि भारत सरकार द्वारा परिनिश्चित किया जाए।

*27. डाक-तार।

**28. टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन।

29. डाक बचत बैंक।

---

* पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियायतों के संबंध में डाक-तार के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति पर निर्बन्धनों के लिए देखिए अनुच्छेद 224(क)।

** पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियायतों के संबंध में टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधनों के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति पर निबंधनों के लिए देखिए अनुच्छेद 224 (घ)।

30. वायुमार्ग, वायुयान और विमानचालन, विमान क्षेत्रों की व्यवस्था, विमान यातायात और विमान क्षेत्रों का विनियमन और संगठन, वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।
31. राष्ट्रीय राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा विधि द्वारा ऐसे मार्ग घोषित किया जाए।
32. यंत्रनोदित जलयानों के संबंध में ऐसे अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौपरिवहन जो संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, और ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम, ऐसे जलमार्गों पर यात्रियों तथा माल का वहन।
33. समुद्री पोत परिवहन और नौपरिवहन जिसके अंतर्गत ज्वारीय जल में पोत परिवहन और नौपरिहवन है, वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियम।
34. नौअधिकरण विषयक अधिकारिता।
35. संसद द्वारा बनाई गई विधि या वर्तमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किए जाने वाले पत्तन जिसके अंतर्गत उनका परिसीमन भी है, तथा उनमें पत्तन प्राधिकरणों का गठन और उनकी शक्तियां।
36. प्रकाश स्तंभ जिनके अंतर्गत प्रकाशपोत, बीन तथा पोत परिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है।
37. वायु मार्ग या समुद्र मार्ग द्वारा यात्रियों और माल का वहन।
38. संघ रेल मार्ग; सुरक्षा के संबंध में लघु रेल मार्गों से भिन्न रेल मार्गों का विनियमन, अधिकतम और न्यूनतम रेल और भाड़े, स्टेशन और सेवा सीमांत प्रभार, यातायात का आदान-प्रदान माल और यात्रियों के वाहकों के रुप में रेल प्रशासन का उत्तरदायित्व माल और यात्रियों के वाहकों के नाते ऐसे रेल मार्गों की सुरक्षा और प्रशासन के उत्तर दायित्व के संबंध में लघु रेल मार्गों का विनियमन।
39. इम्पीरियल पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इम्पीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक नाम से 15 अगस्त, 1947 को ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्त घोषित तथा संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रुप में घोषित कोई अन्य संस्था।
40. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से 15 अगस्त, 1947 को ज्ञात संस्थाएं।
41. भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान और प्राधिविज्ञान सर्वेक्षण,

संघीय मौसम विज्ञान संगठन।

42. संघ की संपत्ति और उससे राजस्व, किन्तु किसी राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करें, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए।

*43. संघ के प्रयोजनों के लिए संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण जो उन सिद्धांतों के विनियमन के विषय में सूची 3 के उपबंधों के अधीन होगा जिन पर संघ के प्रयोजनों के लिए अर्जित और अधिगृहीत संपत्ति के लिए प्रतिकार अवधारित किया जाएगा।

44. भारतीय रिजर्व बैंक।

45. संघ के लोक ऋण।

46. करेंसी विदेशी मुद्रा, सिक्का निर्माण और वैध निविदा

47. बैककारी

48. चैक, विनिमय पत्र, बचत-पत्र और वैसी ही अन्य लिखतें।

49. बीमा।

**50. निगमों अर्थात् व्यापार निगमों का जिनके अंतर्गत बैंककारी बीमा और वित्तीय निगम है, किन्तु सहकारी सोसायटी नहीं है, निगमन विनियमन और परिसमापन।

51. पेटेंट प्रतिलिप्यधिकार, आविष्कार, डिजाइन, व्यापार चिह्न और पथ्य वस्तु चिह्न।

***52. उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां और उससे ली जाने वाली फीस।

53. पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियायतों के सिवाय भारत राज्य

---

* समिति की राय है कि वे सिद्धांत जिन पर संपत्ति के अर्जन या अधिग्रहण के लिए प्रतिकर अदा किया जाता है, समवर्ती सूची की विषयवस्तु होनी चाहिए और यह प्रविष्टि तदनुसार पुररीक्षित कर दी गई है और एक नई प्रविष्टि 35 समवर्ती सूची में इस प्रयोजन के लिए अंत:स्थापित कर दी गई है।

** समिति की राय है कि ''परिसंघीय न्यायपालिका'' के प्रति निर्देश इस प्रविष्टि से लुप्त किया जाए क्योंकि संघ में समानान्तर न्यायपालिका नही होनी चाहिए। फिर भी समिति ने एक नया अनुच्छेद 219 अंत:स्थापित किया है जिसके द्वारा संसद को ब्रिटिश नार्थ अमेरिका ऐक्ट, 1867 की धारा (1) के अनुरूप संघ सूची में दिए गए विषयों की बाबत संसद द्वारा बनाई गई और वर्तमान विधियों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति दी जाए।

*** समिति की राय है कि संसद द्वारा विधि राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों का ही उल्लेख इस प्रविष्टि में हो न कि प्रत्येक प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक का।

क्षेत्र के भीतर किसी भी राज्य में अपनी प्रधानपीठ रखने वाले उच्च न्यायालय की अधिकारिता का और उस राज्य के बाहर किसी भी क्षेत्र तक विस्तारण और उससे ऐसे किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जन।

54. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची में से किसी विलय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।

55. जनगणना।

56. संघ के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े।

57. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अर्थात् अनुसंधान के लिए वृत्तिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, या विशेष अध्ययन के संबंधन के लिए संघ के अभिकरण और संस्थाएं।

58. संघ लोक सेवाएं और संघ लोक सेवा आयोग।

59. संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद।

*60. संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक पुरातत्वीय स्थल और अवशेष।

61. बाटों और मापों के मानक स्थापित करना।

62. अफीम की खेती, उसका विर्माण या निर्माण के लिए विलय।

63. रसायन और अन्य द्रव और पदार्थ जिन्हें रखना, भंडारण करना और परिवहन करना, संसद विधि द्वारा खतरनाक रुप से ज्वलनशील घोषित करे।

64. उद्योगों का विकास जहां संघ के नियंत्रणाधीन विकास को संसद विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करे।

65. खानों ओर तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।

66. उस सीमा तक खानों और तेलक्षेत्रों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रणाधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा लोकहित में समीचिन घोषित करे।

67. पहली अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य के किसी भाग के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी अन्य राज्य के किसी भी क्षेत्र पर विस्तारण किन्तु वह इस प्रकार नहीं कि एक भाग की पुलिस अन्यत्र उस राज्य की सरकार की सम्मति

---

*. पहली अनुसूची के भाग 3 में तत्समय विनिर्दिष्ट रियायतों के संबंध में निगमों की बाबत विधियां बनाने की संसद की शक्ति पर निर्बंधनों के लिए देखिये अनुच्छेद 224(ग)।

के बिना शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके, किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तारण।

68. संसद के लिए और राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन, और ऐसे निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग।

69. राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार, संघ के मंत्रियों के राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, भारत के महालेखापरीक्षक के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें।

70. संसद की समितियों के समक्ष साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों की हाजिरी कराना।

71. एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास।

72. अंतरराज्यिक करंतीन।

73. सूची 2 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य।

74. बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौपरिवहन और जलविद्युत शक्ति के प्रयोजनों के लए अंतरराज्यिक जलमार्गों का विकास ।

75. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र।

76. संघीय अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण और वितरण, अन्य अभिकरणों द्वारा नमक के विनिर्माण और वितरण का विनियमन और नियंत्रण।

77. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में संघ को प्रभावित करने वाले और आपात से निपटने के लिए उपबंध।

78. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लाटरियां।

*79. स्टाक एक्सचेंज और वायदा बाजार तथा उनमें के संव्यवहारों पर स्टाम्प ड्यूटी से भिन्न कर

80. विनिमय पत्रों, चेकों, वचनपत्रों, प्रत्ययपत्रों, बीमा पालिसियों शेयरों के अंतरण, डिबेंचरों, परोक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दर।

---

*. यह प्रविष्टि संविधान के वित्तीय उपबंधों की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अपनाने के लिए अंत:स्थापित की गई है।

81. कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क।
82. कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के संबंध में संपदा शुल्क।
83. रेल या वायुमार्ग द्वारा ले जायं जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा-कर। रेले मार्गो और माल भाड़ों पर कर।
84. कृषि अन्य आय से भिन्न आय पर कर।
85. निर्यात युक्त सहित सीमा-शुल्क।

*86. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तंबाकु और अन्य माल पर उत्पादन शुल्क जिसके अंतर्गत-

(क) मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहली कर।

(ख) अफीम, भांग और अन्य नशीली औषधियां तथा नशीले पदार्थ नहीं हैं गैर नशीली औषधियां, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां हैं जिसमें एल्कोहल या इस प्रविष्टि के उप पैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है।

87. निगम कर।
88. व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर, कंपनियों की पूंजी पर कर।
89. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।
90. इस सूची के विषयों में से किसी के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।
91. कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रमाणित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है।

*****

---

*. समिति की राय है कि इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) में शमिल ऐल्कोहल या कोई पदार्थ अंतर्विष्ट करने वाली औषधी और प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद शुल्क संघ द्वारा उद्ग्रहणीय शुल्क के रूप में इस प्रविष्टि में शामिल किए जाने चाहिए क्योंकि उसका विचार है कि उत्पाद शुल्क की इकसार दरें फार्मास्ट्यूकल उद्योग के विकास की खातिर सभी राज्यों में इन मालों की बाबत नियत की जानी चाहिए। विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न दरों के उद्ग्रहण से उन पर देशों से आयातित माल के पक्ष में विभेद हो जाएगा जो भारतीय विनिर्माताओं के हितों के प्रतिकूल होगा जैसा कि औषधीय जांच समिति ने 1931 की अपनी रिपोर्ट में कहा था।

सूची 2

राज्य सूची

1. लोक व्यवस्था (किन्तु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना या वायुसेना नहीं है), लोक व्यवस्था बनाये रखने के सम्बंध कारणों से निवारक निरोध; ऐसे निरोध वाले व्यक्ति।

2. न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन; और उनमें ली जाने वाली फीसें;

3. इस सूची के विषयों में से किसी संबंध में उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों, किराया और राजस्व न्यायालयों में प्रक्रिया;

4. पुलिस, जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस भी है।

5. कारागार, सुधारालय, बाल सुधार गृह और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं, और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव।

6. राज्य का लोक ऋण।

7. राज्य लोकसेवा और राज्य लोकसेवा आयोग।

8. राज्य में निहित या उसके कब्जाधीन संकर्म, भूमि और भवन।

*9. उन सिद्धांतों के विनियमन के संबंध में जिन पर राज्य के प्रयोजनों के लिए अर्जित या अधिग्रहीत संपत्ति के लिए प्रतिकर तय किया जाएगा–सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के प्रयोजनों के भिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन।

**10. पुस्तकालय, संग्रहालय तथा राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित वैसी ही अन्य संस्थाएं।

***11. राज्य के विधानमंडल के और राज्य के राज्यपाल के राज्य के लिए राज्यपाल

---

*सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 43 की पाद टिप्पणी देखिये।

***यदि अनुच्छेद 131 में दूसरे अनुकल्प का प्रयोग किया जए तो इस प्रविष्ट में ''राज्य के राज्यपाल के'' शब्दों के स्थान पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पैनल बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग करना होगा।

की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पैनल बनाने के लिए निर्वाचन; और ऐसे निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग।

12. राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसकी छुट्‌टी अनुपस्थिति संबंधी अधिकार, राज्य के मंत्रियों के, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और यदि विधान परिषद् है तो विधानपरिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते।

13. राज्य के विधानमंडल की समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना।

14. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां।

15. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण।

16. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं।

17. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान।

18. सूची 1 की प्रविष्टी 40 में विनिर्दिष्ट से भिन्न शिक्षा जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय भी हैं।

19. संचार, अर्थात् सड़े, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, नगरपालिका ट्राम, रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 और 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्रनोदित यानों से भिन्न यान।

20. सूची 1 की प्रविष्टि 74 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जल, अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल विकास और तटबंध, जलभंडारण और जल शक्ति।

21. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है।

22. पशुधन का सुधार और जीव-जंतुओं का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवस्था।

23. कांजीहाउस और पशु अतिचार का निवारण।

24. भूमि अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार, भूवृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और किरायेदार संबध है और भाड़े का संग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामण, भूमि विकास और कृषि उधार, उपनिवेशन।

25. प्रतिपाल्य न्यायाधिकरण, विनियमित और कुर्क की गई संपदा।

26. बहुमूल्य निधि।

27. वन।

28. संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिज विकास।

29. मत्स्य क्षेत्र।

30. जंगली पक्षियों और जंगली पशुओं का संरक्षण।

31. गैस और गैस संकर्म।

32. राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य, बाजार और मेले।

33. इस संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए अन्य राज्यों के साथ व्यापार, वाणिज्य और समागम का विनियमन।

34. साहूँकारी और साहूँकार, कृषि ऋणता से मुक्ति।

35. धर्मशाला और धर्मशालापाल।

36. माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण।

37. संघ के नियंत्रण के अधीन कुछ उद्योगों के विकास के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उद्योगों का विकास।

38. खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण।

39. मानक स्थापित करने के सिवाय बाट और माप।

40. मादक पेय पदार्थ और नशीली औषधियां, अर्थात् मादक लिकर, अफीम और अन्य नशीली औषधियों का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय-विक्रय, किन्तु अफीम के संबंध में, सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, और विष और खतरनाक औषधियों के संबंध में, सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए।

41. गरीबों को राहत, बेरोजगारी।

42. निगमों का, जो सूची 1 मं विनिर्दिष्ट निगम नहीं, निगमन विनियमन और परिसमापन, या विश्वविद्यालय, अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसायटियां और संगम, सहकारी सोयायटियां।

43. खैरात और खैराती संस्थाएं, पूर्व और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं।

44. नाट्यशाला, नाट्यप्रदर्शन और सिनेमा, किन्तु प्रदर्शन के लिए सिनेमा चलचित्र की मंजूरी शामिल नहीं है।

45. दांव और द्यूत।

46. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और अधिकारों के अभिलेख के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रमण है।

47. स्टाम्प शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों की बाबत स्टाम्प शुल्क की दरें।

48. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क।

49. कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क।

50. अन्तर्देशीय जल मार्गों से ले जाये जाने वाले यात्रियों और माल पर कर।

51. कृषि आय पर कर।

52. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रति शुल्क :

(क) मानवीय उपभोग दर से प्रति शुल्क।

(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य नशीली औषधियां तथा नशीले और गैर नशीले पदार्थ

*किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी औषधियां और प्रसाधन निर्मितियां नही हैं जिनमें

---

*- सूची-1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 86 का पाद टिप्पण देखिए।

** संविधान के वित्तीय उपबंधों की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का अपनाने के लिए इस प्रविष्टि का पुनरीक्षण किया गया है।

ऐल्कोहल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है।

53. भूमि और भवनों पर कर।

54. खनिज विकास के सम्यक में संसद विधि द्वारा अधिरोपित किन्हीं परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज अधिकारों पर कर।

55. कैपिटेशन कर।

56. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविका और नियोजन पर कर।

57. जीव-जंतुओं और नौकाओं पर कर।

**58. माल के विक्रय, कुल आवर्त, या क्रय पर कर जिसके अंतर्गत उसके बदले विक्रय, कुल आवर्त या क्रय पर राज्य के भीतर कर के दायित्वाधीन माल के राज्य के भीतर उपयोग या उपभोग पर के भी है; विज्ञापनों पर कर।

59. सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर चाहे वे यंत्र से नोदित हों या नहीं जिसके अंतर्गत ट्रामकार है।

60. विद्युत के उपभोग पर उपयोग पर कर।

61. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, प्रयोग या उसमें विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर।

62. विलास वस्तुओं पर कर जिसके अंतर्गत मनोरंजन, आमोद, दांव और द्यूत पर कर है।

63. पथकर।

64. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।

65. इस सूची के विषयों में से किसी से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।

66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।

*****

सूची 3 समवर्ती सूची

1. दंड विधि जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ के समय भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, किन्तु इसके अंतर्गत सूची 1 या सूची 2 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विकास से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सेना या वायुसेना अथवा संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं है।

2. दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय है जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड संहिता के अंतर्गत है।

3. बंदियों और अभियुक्त व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना।

4. सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत परिसीमा विधि तथा इस संविधान के प्रारंभ की तारीख को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाली सभी विषय भी हैं, करों और अन्य लोक मार्गों के संबंध में जिनके अंतर्गत भूर-ाजस्व की बकाया और इस रुप में वसूलीय रकम भी है, उस राज्य के बाहर उत्पन्न होने वाले दावों की पहली अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट किसी राज्य में वसूली।

5. साक्ष्य और शपथ, विधियों, लोक, कृत्यों और अभिलेखों तथा न्याययिक कार्यवाहियों को मान्यता।

6. विवाह और विवाह-विच्छेद, शिशु और अवयूक्क दत्तक ग्रहण।

*7. बिल, निर्वसीयतता और उत्तरदाधिकार, अविभक्त कुटम्ब और विभाजन, वे सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे।

8. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण।

9. न्यास और न्यासी।

---

* समिति की राय है कि यदि पूरे भारत में उदहरणार्थ हिन्दुओं के लिए एक रूप स्वीय विधि होनी है तो इस समय इसमें शामिल सभी विषय समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। इसलिए प्रभाव को बढ़ा दिया गया है।

10. संविदाएं जिनके अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वहन की संविदाएं हैं किन्तु कृषि भूमि संबंधी संविदाएं नहीं है।
11. मध्यस्थता
12. शोधन, अक्षमता और दिवाला।
13. महा प्रशासक और शासकीय न्यासी।
14. न्यायिक स्टाम्पों के द्वारा संग्रहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टाम्प शुल्क।
15. अनुयोज्य दांव, सिवाय वहां तक जहां तक सूची 1 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों में शामिल हैं।
16. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषयों के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।
17. विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां।
18. समाचार–पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय।
19. पागलपन और मनोविकल जिसके अंतर्गत पागलों और मनोविकल व्यक्तियों को ग्रहण करने या उनका उपचार करने का स्थान भी है।
20. विषय और खतरनाक औषधियां ।
21. यंत्र नोदित यान।
22. बायलर।
23. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
24. खानाबदोशी, यायावरी और प्रवासी जनजातियां।
25. कारखाने।
26. श्रमिकों का कल्याण, श्रम, कार्य की दशाएं, भविष्यनिधियां, नियोजक का दायित्व और कर्मकार प्रतिकर, स्वास्थ्य बीमा जिसके अंतर्गत आवश्यकता पेंशन भी है।
27. बेकारी और सामाजिक बीमा।
28. व्यवसाय संघ, औद्योगिक और श्रम संबंधी विवाद।

29. मनुष्यों, जीव-जंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या संसार्गिक रोगों अथवा नाशक जीवों को एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने से रोकना।

30. विद्युत।

31. जहां तक यंत्र नोदित पोतों का संबंध है, अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोतपरिवहन ओर नौपरिवहन, और ऐसे जलमार्गों पर सड़क का नियम, तथा राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल का वहन।

32. प्रदर्शन के लिए सिनेमा और चलचित्रों की मंजूरी।

33. संघ के प्राधिकार से निवारक निरोध के अधीन व्यक्ति।

34. आर्थिक और सामाजिक आयोजन।

*35. वे सिद्धांत जिन पर संघ या राज्य के प्रयोजनों के लिए अर्जित या अधिगृहीत सम्पत्ति के लिए प्रतिकर तय किया जाएगा।

36. इस सूची के विषयों में किसी विलय के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।

37. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस किन्तु इसमें यह फीस शामिल नहीं है जो किसी न्यायालय में ली जाती है।

*****

* सूची 1 (संघसूची), की प्रविष्टि 43 की पाद टिप्पणी देखिये।

आठवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 303 (1)(10)

अनुसूचित जनजातियां

भाग 1

मद्रास

1. बगत
2. भौत्ताडास– बोडो भौत्तड़ा, मुड़िया भौत्ताड़ा और सानो भौत्तड़ा।
3. भूमिया– भूरी भूमिया और बोड़ो भूमिया
4. बिसौय–बरंगी जोड़िया, बेन्नांगी डाडुवा, फ्रेंगी, होल्डर, झोरिया, कोल्लई, कोंडे, परंगा, जोडिया। सोडो जोडिया और टकौरा।
5. वक्कड– धक्कड।
6. डोम्ब–आंधिया डोम्ब, ओदिनिया डोम्ब, शीनल डोम्ब, क्रिश्चियन डोम्ब, मिरगानी डोम्ब, उड़िसा डोम्ब, पोनाका डोम्ब, तेलेगा और उमिया।
7. गडाबास– बोडा गडाबा, सेरिलम गडाबा, फ्रेंजी गडाबा, जोड़िया गडाबा, ओलारो गडाबा, पंगी गडाबा और परंगा गडाबा।
8. घासी–बोडा घासी और सेन घासी।
9. गोंडी–मोड्या गोंड और राजो गोंड।
10. गोडुंस–बाटो, भिरिथ्या, डुढ़ोकोरिया, हाटो, जटाको और जोरिया।
11. कौसल्या गौडुस जोसो थेरिया गौडुस, चित्ती गौडुस, डंगायथ गौडुस, डोडु कमरिया, डुडु कमारौ, मडिया गोडुस और पुल्लोसोकिया गौडुस।
12. मगथ गौडुस बरसिया गौडु बूडो मगध, डोंगायथ गौरडु, लड्या गौडु, पोन्ना मगथ और सना मगथ
13. सरिथी गौड़
14. होल्वा
15. जडापंस

16. जरापुस
17. कम्मारस
18. खत्तीस-खत्ती, कोम्मरों और लोहड़ा
19. कोडु
20. कोम्मार
21. कोंडा ढोरास
22. कोंडा कापुस
23. कौंडरे, उडीया कौडरेड्डीस
24. कोढ्स- देसया कोंढंस, डोंगरिया कोंढस, कुहिया कोंढस, टिकिरिया कोंढ़स तथा येनिती कोंढस
25. कोटिया-बर्तिका, बैंथों उडिया, धूलिया या डलिया, होल्वा, पैको, पुटिया, सेनरोना और सिधो पायको
26. कोया या गौड राजा ऑफ राशा कौयास, लिंगडनारी और उनगी प्रथा-कोयास, (साधारण) और कोट्टु कोयास
27. माडिया
28. माला या रोजेन्सी माल या बाल्मीकी
29. माली-कोर्चिया माली, पैको माली और पेड्डा माली
30. मौने
31. मन्ना ढ़ोरा
32. मुखा ढ़ोरा-नूका ढ़ोरा
33. मुली या मुलिया
34. मुरिया
35. मौजुल या मेट्टा कौमसालीज
36. औमानैटो
37. पैगरापु
38. पलासी
39. पल्ली
40. पैंतीस

41. पोरजा-बोड़ो, बोंडा, डारुवा, जोडिया, मुंडिली, पाहड़ी और सलिया
42. रेड्डि ढोरा
43. रेल्ली या सचंडी
44. रोना
45. सावरा-कापु सावरा, खुट्टो सवार और मलिया सावरा
46. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदिवि द्वीप समूह के निवासी

भाग 2

बम्बई

1. बर्दा, 2. बावचा, 3. भील, 4. चौधरा, 5. ढांका, 6. घोडिया, 7. दुविया, 8. गमिट, या गमटा, 9. गोंड, 10. कथौड़ी या कल्करी, 11. कोंकना, 12. कोली महादेव, 13. मावची, 14. नायकदा, या नायक, 15. पर्थी, इसमें अंडविचिंतर या फांसे पर्थी भी शामिल है। 16. पटैलिया, 17. पौम्ला, 19. रथवा, 20. तड़वी भील, 21. ठाकुर, 22. वल्वै, 23. वर्ली, 24. वासवा।

भाग 3

पश्चिमी बंगाल

1. बोतिया, 2. चकमा, 3. कुकी, 4. लेपचा, 5. मुंडा, 6. मघ, 7. म्रो, 8. ओरोन, 9. संतल, 10. टिप्पेरा, 11. पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई जनजाति।

भाग 4

संयुक्त प्रांत

1. भूनिया, 2. बैसवार, 3. बैगा, 4. गौंड, 5. खरवार, 6. कौल, 7. ओझा, 8. संयुक्त प्रांत सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई जनजाति।

भाग-5

पूर्वी पंजाब

कांगड़ा जिले के स्पीति और लौहौल में तिब्बती।

भाग 6

बिहार

I. बिहार राज्य का कोई भी निवासी जो निम्नलिखित जनजातियों में से किसी का हो–

1. असर, 2. बंजारा, 3. बथूडी, 4. बेंतकर, 5. बिंझिया, 6. बिरहोर, 7. बिरजिया, 8. चेरो, 9. चिक बरायक, 10. गदावा, 11. घटवार, 12. गोंड, 13. गौरायंत, 14. हो, 15. जुअंर्णे, 16. करमाली, 17. खरिया, 18. खरवार, 19. खैतौरी, 20. खोंड, 21. किसान, 22. कोली, 23. कोरा, 24. कोरबा, 25. माहली, 26. माल पहाड़िया, 27. मुंडा, 28. औरावं, 29. पढ़िया, 30. संतल, 31. सौरिया पहाड़िया, 32. सावर, 33. थारु।

II. निम्नलिखित जिलों या थानों में से अर्थात् रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और संथाल परगना जिलों तथा मनभू जिले के अर्श, बलरामपुर, झेल्डा, जयपुर बागमुंडी, चंदिल, बरहाभूम, पटमंडा बंदायू और मनबाजार पुलिस थानों का निवासी जो निम्नलिखित जनजातियों में से किसी का हो–

1. बोरी, 2. भोग्टा, 3. भुइया, 4. भूमिज, 5. घासी, 6. पान, 7. रजवाड, 8. तुरी।

III. धनबाद उपखंड में या मनभू जिले के निम्नलिखित पुलिस थानों में से किसी थाने अर्थात् पुरुलिया, हुरा, पांचा, रघुनाथपुर, संतूरी, नितुरिया, पारा, चास, चंदनकियारी और काशीपुर में भूमिज जनजाति का कोई निवासी।

भाग 7

मध्यप्रांत

1. गोंड़, 2. कवर, 3. मरिया, 4. मूरिया, 5. हल्बा, 6. परधान, 7. आरावं, 8.बिझंवार, 9. अंध, 10. भरिया भूमिया, 11. कोली, 12. भत्तरा, 13. बैगा, 14. कोलम, 15. भील, 16. भुंहियार, 17. धनवार, 18. भैना, 19. पर्जा, 20. कमार, 21. भुंजिया, 22. नगार्ची, 23. ओझा, 24. कोर्कु 25. कोल, 26. नागसिया 27. सवारा, 28. कौर्वा, 29. मझवार 30. खरिया, 31. सौता, 32. कोंढ, 33. निहाल, 34. बिरहुल (या बिरहोर), 35. रौतिया, 36. पांडो।

भाग 8

असम

निम्नलिखित जनजातियां और समुदायः–

1. काचारी, 2. बोरो या बोरो–कचरी, 3. राभा, 4. मीरी, 5. लालुंग, 6. मिकिर, 7. गारो, 8. हजोनफी, 9. देवरी, 10. अबोर, 11. मिशमी, 12. डफिया, 13. सिंगफो, 14. खंपटी, 15. कोई भी नागा और कुकी जनजाति, 16. असम सरकार द्वारा अधि सूचित कोई अन्य जनजाति या समुदाय।

भाग 9

उड़ीसा

I. उड़ीसा राज्य का निवासी जो निम्नलिखित जनजातियों में से किसी जनजाति का हो:–

1. बगटा, 2. बंजारी, 3. चेंचु, 4. गढावा, 5. गोंड, 6. जटापु, 7. खोंड (कोंड), 8. कोंडा डोरा, 9. कोया, 10. परौजा, 11. सओरा (सवर), 12. औरान, 13. संतल, 14. खरिया, 15. मुंडा, 16. बनजारा, 17. बिनझिया, 18. किसान, 19. कोली, 20. कोरा।

II. निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी की अर्थात् कोरापुट और खोंडमाल जिले और गंजम एजेंसी का निवासी जो निम्नलिखित जनजातियों में से किसी का हो

1. डोम या डोम्बो, 2. पान या पानो।

III. संभलपुर जिले का निवासी जो निम्नलिखित में से किसी जनजाति का हो

1. बाउरी, 2. भुईया, 3. भूमिज, 4. घासी, 5. तुरी, 6. पन या पानो।

*****

परिशिष्ट

श्री अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, सदस्य, प्रारुपण समिति द्वारा संविधान सभा को प्रस्तुत प्रथम टिप्पणी–

मैं यह कहना चाहूँगा कि यद्यपि संसद और इकाइयों के बीच विधायी शक्ति के वितरण के बारे में या प्रांतीय (राज्य) सूची के विषय की बाबत उस समय संघ संसद द्वारा शक्ति ग्रहण के बारे में जब वह विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाए, मेरे साथियों और मेरे बीच सिद्धांत कोई अंतर नहीं है फिर भी उपरोक्त विषयों से संबंधित अनुच्छेदों अर्थात् अनुच्छेद 217, 323(1) और 226 के बारे में संविधान सभा के विचारार्थ निम्नलिखित प्रथम टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

विधायी शक्तियों का विवरण: अनुच्छेद 217 और 223 (1)

2. विधायी शक्ति के वितरण का प्रश्न संविधान सभा द्वारा विनिश्चित हो चुका है और यह स्थित है कि अवशिष्ट शक्ति केन्द्र में निहित होनी चाहिए। अत: एकमात्र प्रश्न यह है कि उन अनुच्छेदों की रचना कैसे की जाए ताकि इस विचार को कार्यान्वित किया जा सके। मेरे साथियों ने भारत शासन अधिनियम की धारा 10 की स्कीम का अनुसरण करने का तथा अवशिष्ट शक्ति के लिए प्रथम अनुच्छेद रखने का एवं संघ को आवंटित विषयों की सूची में एक मद के रुप में रखने का विनिश्चय किया है मेरी योजना है कि चूंकि इस पर सहमति है कि अवशिष्ट शक्ति के दृष्टांत स्वरुप हैं। अत: उचित योजना यह है कि पहले तो राज्य या प्रांतीय इकाइयों की शक्तियों को परिनिश्चित किया जाए, फिर समवर्ती शक्ति का उल्लेख किया जाए और अंत में केन्द्र या संघ संसद की शक्ति का। साथ ही साधारण शक्ति के दृष्टांत के रुप में केन्द्र में निहित शक्तियों की वृहद् सूची बनाई जाए। भारत शासन अधिनियम की धारा 10 में अपनाई गई योजना कुछ हद तक इस तथ्य के कारण थी कि अवशिष्ट शक्ति के स्थान के बारे में उस समय राजनैतिक दलों में कोई सहमति नही थी और यह विनिश्चिय करने का काम गवर्नर जनरल पर छोड़ दिया गया था कि जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते उनके बारे में कौन–सा विधानमंडल किसी खास स्थान में अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करे। अब हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। केन्द्र सूची

की अलग-अलग मदों के अर्थ और तात्पर्य का प्रचार भारत शासन अधिनियम के उपबंधों के अधीन होने की अपेक्षा अब बहुत कम महत्व का रह गया है।

धारा 100 के प्रत्येक खंड में ''के होते हुए भी'' की पुनरावृति न्यायालयों में लम्बी और अनावश्यक बहस का विषय रही है।

भाग 3 की रियायतों के संघ की स्कीम के अंतर्गत आने के फलस्वरुप कोई जटिलता होनी संभाव्य नहीं है क्योंकि प्रारुप संविधान के अनुसार वितरण की स्कीम राज्यों में सहमति के अधीन है और वह अनुच्छेद 224 और 25 द्वारा उपबंधित है।

इसके अतिरिक्त, विरचित अनुच्छेदों में इस आशय का कोई उपबंध नहीं है कि विधायन की शक्ति के साथ-साथ विधायी प्राधिकार के कारगर प्रयोग के लिए अनिवार्य कोई उपबंध करने की शक्ति भी है। ऐसे कुछ उपबंध आस्ट्रेलियाई और अमेरिकी संविधानों में आस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 51 और अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 धारा (8), उपधारा (18) के रुप में है।

अतः, मैं प्रारुप के अनुच्छेद 217 और 223(1) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद संविधान सभा के विचारार्थ सुझाता हूँ।

(1) भाग 1 अनुसूची 1 के राज्यों के विधानमंडल को सूची 1 (प्रांतीय विधायी सूची की तत्स्थानी) विनिर्दिष्ट विषयों के वर्गो के साथ आने वाले विषयों के संबंध में राज्य या उसके किसी भाग क लिए विधियां बनाने की अनन्य शक्ति होगी।

(2) भाग 1 अनुसूची 1 के राज्यों में से किसी राज्य के विधानमंडल के खंड (1) की शक्तियों के साथ-साथ, सूची 2 में विनिर्दिष्ट विषयों के वर्गो के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधियां बनाने की शक्ति होगी, परंतु फिर भी संघ संसद को भी संघ के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के अंदर उन्हीं विषयों के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी, और राज्य के विधानमंडल के अधिनियम राज्य में या के लिए तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक यह संघ संसद के किसी अधिनियम के विरुद्ध नहीं है।

(3) पूर्व उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त संघ संसद भाग 1 में अंकित विषयों के वर्गों के अंतर्गत न आने वाले सभी विषयों की बाबत संघ या उसके किसी भाग में शांति, व्यवस्था और सुशासन के लिए विधियां बना सकेगी और विशिष्टतया और पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ संसद को सूची 3 में अंकित विषयों के वर्गों के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति होगी।

(4)(क) संघ संसद का भाग 2 अनुसूची 1 के राज्यों में शांति, व्यवस्था और सुशासन के लिए विधियां बनाने की शक्ति होगी।

(ख) उपधारा (क) के अधीन संसद की साधारण शक्तियों के अधीन रहते हुए भाग 2 अनुसूची 1 के राज्यों के विधानमंडल को निम्नलिखित विषय-वर्गों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में विधियां बनाने को शक्ति होगी :

परंतु फिर भी उस ईकाई द्वारा पारित कोई विधि उस ईकाई में और के लिए तभी तक प्रभावी होगी जब तक और जहां तक वह संसद की किसी विधि के विरुद्ध नहीं है। (यह उपबंध आवश्यक है, यदि मुख्य आयुक्त प्रांतों पर तदर्थ समिति की इस बाबत सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती है।)

(5) संघ संसद की या किसी राज्य के विधानमंडल का विधान बनाने की शक्ति का विस्तार उन सब विषयों पर होगा जो उसे विधानमंडल विशेष में निहित विधायी प्राधिकार के कारगर प्रयोग के लिए आवश्यक है।

(6) जहां राज्य की विधि संघ संसद की विधि के या सूची 1 या (सूची 2) में प्रमाणित विषयों में किसी विषय की बाबत किसी वर्तमान विधि से असंगत है वहां यथास्थिति संसद की विधि या वर्तमान विधि अभिभावी होगी और राज्य की विधि विरुद्धता की सीमा तक शून्य होगी।

(यह आस्ट्रेलियाई और अमेरीकी संविधानों के अनुसरण में है। अनेक धारा और प्रत्येक खंड की परीक्षा किए बिना न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि अधिनियम समग्र रुप में किसी दूसरी विधि के विरुद्ध है)

यदि आवश्यक समझा जाए तो समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित विधियों के बारे में, अनुच्छेद 231(2) के अनुरुप अंत:स्थापित किया जा सकेगा यद्यपि मैं समझता हूँ कि ऐसा उपबंध केन्द्रीय विधानमंडल की अध्यारोही शक्ति की दृष्टि से आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 226 और 228

3. मैं अनुच्छेद 226 में अंतनिर्हित सिद्धांत को स्वीकार करता हूँ कि यदि प्रांतीय सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व ग्रहण कर लेता है या अनुच्छेद की भाषा में राष्ट्रीय हित का बन जाता है तो संघ के लिए प्रांतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण (यदि इस पद का प्रयोग किया जा सके तो) कहना एवं प्रांतीय सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति अपने हाथ में लेना संभव होना चाहिए। किन्तु उस शक्ति के ग्रहण करने का आधार यही है कि उस विषय को अब केवल राज्य विशेष की महत्ता का ही न माना जाए बल्कि

वह राष्ट्रीय आयाम का हो गया है। यदि ये आधार वाक्य सही है जो राज्य के लिए उस शक्ति को रखे रखने का कोई औचित्य नहीं होगा। संघ द्वारा उस शक्ति को ग्रहण करने का उद्देश्य, प्रांतीय या राज्य शक्ति को समवर्ती शक्ति में बदलने के लिए संविधान में परिवर्तन का सहारा लिए बिना किसी सादा या सरल पद्धति के रुप में नहीं है। इस सिद्धांत को अनुच्छेद 228 में ध्यान में नहीं रखा गया है। इसमें उपबंधित है कि उस विषय में प्राप्त की शक्ति बनी रहेगी। प्रांतीय शक्ति को समवर्ती शक्ति में बदलने से केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप को अधिमान मिल जाएगा और अंततः संविधान के संघात्मक ढांचे पर कुठाराघात हो सकता है। अतः मैं निम्नलिखित शब्दों के प्रति स्थापन का सुझाव दूँगा।

''इस आधार पर कि राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय ने राष्ट्रीय महत्व ग्रहण कर लिया है ''शब्द'' या राष्ट्रीय हित में समीचीन ....संकल्प ''शब्दों के स्थान पर रखे जाएं और ''संसद ऐसे विषय के संबंध में विधियां बनाएं'' शब्द जोड़े जाएं।

अनुच्छेद 228 में ''अनुच्छेद 226 और 227 की कोई बात'' शब्द 'अनुच्छेद 227 की किसी बात' शब्दों के स्थान पर रखे जाएं।

–अल्लादी कृष्णास्वामी

अनुच्छेद 218 अनावश्यक है, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के विषय में है जो सूची 1के मद है।

अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के विषय में है। अधिकारिता के लिए विशेष रुप से उपबंध करने की कोई तुक नहीं है क्योंकि अधिकारिता उच्च न्यायालय समेत सभी न्यायालयों की अधिकारिता 3 सूचियों में अधिकारिता विषयक मद के अंतर्गत आ जाती है। चूंकि विधायी शक्ति के वितरण से संबंधित में सूचियों के प्रति निर्देश है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के विषय में एक पृथक अनुच्छेद फालतू और अनावश्यक है।

अल्लादी कृष्णास्वामी

आदेश से

एच. वी. आर. अय्यंगर

सचिव

*****

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
DR. AMBEDKAR FOUNDATION

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

☎ 23320571
23320589
23320576
FAX : 23320582

निदेशक
DIRECTOR

15, जनपथ,
15, JANPATH
नई दिल्ली - 110001
NEW DELHI-110001

दिनांक – 31.10.2019

रियायत नीति (Discount Policy)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले के नियमों के अनुसार CWBA वॉल्यूम के संबंध में रियायत नीति (Discount Policy) जारी रखें। तदनुसार, CWBA इंग्लिश वॉल्यूम (डिलक्स संस्करण–हार्ड बाउंड) के एक पूर्ण सेट की कीमत और CWBA हिंदी वॉल्यूम (लोकप्रिय संस्करण–पेपर बाउंड) के एक पूरे सेट की कीमत निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	सीडब्ल्यूबीए सेट	रियायती मूल्य प्रति सेट
	अंग्रेजी सेट (डिलक्स संस्करण) (वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 17)– 20 पुस्तकें।	रू 2,250/–
	हिंदी सेट (लोकप्रिय संस्करण) (खंड 1 से खंड 40 तक)– 40 पुस्तकें।	रू 1073/–

2. एक से अधिक सेट के खरीदारों को सेट की मूल लागत (Original Rates) यानी रू 3,000/–(अंग्रेजी के लिए) और रू 1,430/–(हिंदी के लिए) पर छूट मिलेगी जो कि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विशेष	मूल लागत पर छूट का प्रतिशत
	रू 1000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	10%
	रू 1001–10,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	25%
	रू 10,001–50,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	33.3%
	रू 50,001–2,00,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	40%
	रू 2,00,000/– से ऊपर की पुस्तकों की खरीद पर	45%

3. इच्छुक खरीदार प्रतिष्ठान की वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in पर विवरण के लिए जा सकते हैं। संबंधित CWBA अधिकारी / पीआरओ को स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष नंबर 011–23320588, पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (भाग–II)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-129-5

रियायत नीति के अनुसार
सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-40
के 1 सेट का मूल्य : ₹ 1073/-

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
15, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट : http://drambedkarwritings.gov.in
ईमेल : cwbadaf17@gmail.com